राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] दसवीं विधान सभा के आठवें सत्र का इक्यावनवां दिवस [संख्या : 6

मंगलवार,

11 मार्च, 1997

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (उप नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल सदन से बहिष्कार करने के बाद सदन के उप नेता और उप मुख्य मंत्रीजी ने_(व्यवधान)_

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल बारूपाल। (व्यवधान) माननीय उप नेता महोदय, कृपया आप बिराजिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं 1-2 मिनट में अपनी बात कह लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि प्रश्नकाल एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : कल हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान न डालें। प्रश्नकाल के अन्दर प्रश्नकाल स्थगित करने का भी प्रावधान होता है। जब कोई विशेष बात हो, ऐसी विशेष बात हो जिसमें प्रश्नकाल समाप्त किया जा सकता हो, तब आप कुछ कह सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : आप हमारी बात दो लाइनों में सुन लें। (व्यवधान) इसमें विशेष बात क्या होगी? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया नियमों का ध्यान रखें, माननीय सदस्य। 6 तारीख को मैंने

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

आपको नियमों के ।खलाफ समय दिया, 10 तारीख को नियमों के खिलाफ समय दिया।

एक माननीय सदस्य : नियमों में___

श्री उपाध्यक्ष : नियमों के अनुसार नहीं है। मैंने नियमों को रिलेक्स करके समय दिया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने नियमों के खिलाफ काम किया?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : इतने महत्त्वपूर्ण बिन्दु के ऊपर भी आप नियमों में प्रश्न-काल को स्थगित करके समय नहीं दे सकते? नये डवलपमेंट्स हुए हैं इसीलिए तो हम अपनी कोई बात कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये, नियमों को रिलेक्स करके मैंने आपको समय दिया। (व्यवधान) आसन की यह इच्छा रही है कि सदन के अन्दर सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा हो। 6 तारीख से अब तक सदन के बाहर आपने बातचीत की होगी, क्या बातचीत की है___

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : बताएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण आपका बना है कि नहीं बना, लेकिन माननीय सदस्य, मेरी यह इच्छा है कि सदन सुचारू रूप से चले। सदन सुचारू रूप से चले, इसमें यह आवश्यक है कि प्रतिपक्ष और सत्तापक्ष इसमें सहयोग दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बाहर कोई फैसला नहीं हो पाया है तो यह फैसला अन्दर भी हो सकता है, सदन में भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं___(व्यवधान) आप सुनिये, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह फैसला हो। इसमें सत्तापक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सत्तापक्ष को इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए और प्रतिपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्नकाल के अन्दर मैं 10 मिनट का समय देना चाहता हूं।

मैं सबसे पहले सत्तापक्ष के हमारे जो उपनेता महोदय हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि किसी प्रकार से तालमेल हो, इस सन्दर्भ में आप अपने विचार प्रकट करें।

श्रीमती कमला (बैराठ) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इस बात पर सदन को चर्चा करनी है कि माननीय सदस्यों की___(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सदन के उप नेता को टाइम दिया है, कृपया आप बिराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य की सीटों पर पुलिस कर्मियों को बैठाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अवहेलना न करें। माननीय सदस्या, बार-बार अवहेलना न करें।

(3)

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : यह आसन की अवहेलना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, बार-बार अवहेलना न करें। आप बिराज जाएं। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्रीमती कमला : आप इस बात को तो सोचिये कि माननीय सदस्यों की सीटों पर__(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : हम पहले अपनी बात कहना चाहते हैं। जब तक हमारे उप नेता नहीं बोलेंगे,__(व्यवधान) जब तक ये नहीं बोलेंगे तब तक आप नहीं__(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सदन के उप नेता महोदय__(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक इस इश्यू को हमारे नेता महोदय नहीं उठाएंगे ये किस बात का जवाब देंगे? पहले कोई बात तो उठाने दीजिए।__(व्यवधान)

श्रीमती कमला : सदन की अवमानना हुई है। सदन के माननीय सदस्यों की सीटों पर पुलिसकर्मियों को बैठाकर रिहर्सल किया गया है। इससे गम्भीर मुद्दा कोई नहीं हो सकता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस पर भी चर्चा हो सकती है। नियमों के अन्तर्गत उस पर भी चर्चा हो सकती है, आप सुनिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : पहले उप नेता महोदय को बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : उप नेता महोदय, आप बोलिये। मैंने आपको समय दिया है, कृपया आप बोलिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) आप जैसा फैसला करें__(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उप नेता महोदय, आप बिराजें। कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा हो सकता है। आप दो मिनट बिराज जाएं।__(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसी के लिये मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, पहले हमारे उप नेता महोदय बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रतिपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, आप कृपया बिराजें। (व्यवधान)__

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप पहले इनको बोलने दीजिए।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : हम डिबेट नहीं शुरू करने देंगे__(व्यवधान)__

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : पहले हमारे मुद्दे तो सुन लीजिए। वे किस बात का

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

जवाब देंगे? भाभड़ाजी, पहले बात तो सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमने समय मांगा आपसे और आप बोलने किसको दे रहे हैं?.....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा सरकार का जवाब बाद में आता है। आप किस प्रकार की परम्परा डाल रहे हैं? पहले हमारी बात सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने तो यह निवेदन किया है.....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : पहले हमारी बात सुनें, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : हमारे बिन्दु उठा लेंगे, कोई नयी चीज है, और बुलवा उनको रहे हो? यह समझ में नहीं आता है.....(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, वे किस बात का जवाब देंगे, जब तक ये बोलेंगे नहीं? (व्यवधान) पहले हमारे उप नेता महोदय को बोलने का मौका दीजिए। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : शिकायत हमें है और आप बुलवा उनको रहे हो? (व्यवधान).....

श्री उपाध्यक्ष : मेरी यह इच्छा है.....(व्यवधान) माननीय सदस्य, मेरी यह इच्छा है कि सदन सुचारू रूप से चले। यह बजट सत्र है, बड़ा इम्पोर्टेण्ट सत्र है। बजट सत्र के अन्दर जितने भी माननीय सदस्य सदन के हैं, वे भाग लें। प्रतिपक्ष का भी यह कर्तव्य है कि वह इसमें भाग ले। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।.....(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : कल बिजली की समस्या पर हमारे बगैर ही चर्चा क्यों की? यह क्यों किया? अगर आप चाहते कि हम भाग लें तो बिजली की चर्चा पर हमारे बगैर विचार क्यों किया गया? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप बोले, प्रजातंत्र में विपक्ष को बोलने का अधिकार है। अपनी मनमर्जी से करने का अधिकार आपको नहीं है। (व्यवधान) प्रजातंत्र के अन्दर विपक्ष को बोलने का अधिकार है। (व्यवधान) पहले आप हमारी बात सुनें.....(व्यवधान) जब तक आप हमारी बात नहीं सुनेंगे वे किस बात का जवाब देंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरी यह इच्छा थी कि आप बिजली की समस्या पर भी भाग लेते और आज कानून व्यवस्था का मामला है, उसमें भी आप भाग लें। (व्यवधान) इसमें कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण अगर पैदा होता है तो आपको सुनना चाहिए।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : हां, तो हमें हमारी बात तो पहले कहने दीजिए। (व्यवधान) वे किस बात का जवाब देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी भी सुनूंगा। .....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : पहले हमारी बात तो सुनिये न__(व्यवधान) हमारी बात सुने बिना__

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हम क्यों बहिष्कार कर रहे हैं__(व्यवधान) आप उसके कारण तो सुनिये।__(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : हमारी समस्या क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है__(व्यवधान) हमारे मन की पीड़ा क्या है, अगर हमारे मन की पीड़ा को आप नहीं सुनना चाहते__(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, हम नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। हम इनकी बात नहीं सुनेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्री भाभड़ाजी बोले उससे पहले हमें कह लेने दीजिएगा। (व्यवधान)__

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, + + + आप प्रतिपक्ष की बात सुने बिना सरकार से उनकी क्या बात कहलाना चाहते हैं? प्रजातंत्र में प्रतिपक्ष अपनी बात कहेगा। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : प्रतिपक्ष के उप नेता की बात तो सुनिये। (व्यवधान) हम अपनी बात तो कहें, वे क्या उत्तर देंगे? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, वे किस बात का उत्तर देंगे? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते। इस डेडलॉक को तोड़ने के लिये हम लोग प्रयासरत हैं लेकिन आप हमारी बात तो सुनिये। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष का यह रवैया अलोकतांत्रिक है। ये अपनी बात कहना चाहते हैं तो इनको सत्तापक्ष की बात भी सुननी चाहिए।__(व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : एक ही बात को रिपीट करना कोई अच्छी बात नहीं है__(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मसला है। कृपया हमारे नेता महोदय को बोलने दें। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : आप किसकी बात कर रहे हैं?__(व्यवधान) आपको बाहर जाना है, आप जा सकते हैं।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सत्तापक्ष के साथ सहयोग नहीं रखा जाता है। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने उप नेता महोदय को पुकारा है, कृपया आप इनसे बुलवाएं।__(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री टीकमचन्द कान्त : अगर प्रस्ताव आ गया है तो प्रतिपक्ष को—(व्यवधान) मुख्य मुद्दा यह है कि यहां सौहार्दपूर्ण वातावरण कैसे हो। यह आसन स्वयं चाहता है और आसन की तरफ से कोई प्रस्ताव आ गया है तो आप बात सुन तो लीजिए कि सत्तापक्ष क्या चाहता है। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आसन ने जिस बात की चिन्ता प्रकट की है—(व्यवधान) प्रतिपक्ष भी आपकी इस बात से सहमत है कि यह सदन शांतिपूर्वक चलना चाहिए—(व्यवधान)—

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, हमने 3 दिन तक प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय को सुना है और लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है, + + + आज आपने व्यवस्था दे दी उप नेता महोदय को बोलने की और उसके बाद भी हमारे को नहीं बोलने दे रहे हैं। (व्यवधान) ऐसा कोई—

श्री चुन्नीलाल गरासिया : जो गलत काम किया है केवल उसको छिपाने के लिये ये आज + + + (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उप नेता महोदय को बोलने दें। (व्यवधान)—

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : + + + (व्यवधान)—

श्री टीकमचन्द कान्त : जो प्रस्ताव आया है, उस पर बोलने दीजिए। (व्यवधान)—

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : पहले प्रतिपक्ष के उप नेता बोलेंगे— (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सत्तापक्ष के उप नेता को बोलने दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा की अवहेलना की जा रही है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ये केवल + + + (व्यवधान) केवल सदन को गुमराह कर रहे हैं।—

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेश की (व्यवधान) आपकी व्यवस्था की पालना ये नहीं कर रहे हैं—(व्यवधान)—उपाध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष को नहीं बोलने देने वालों को नहीं बोलने दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, हम बायकाट करते हैं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए सदन से बहिर्गमन)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट सुनने के बाद—(व्यवधान)—

श्री रामप्रताप कासनियां : बोलने के लिये आपके पास कुछ नहीं है। बोलने के लिये मसाला खतम (व्यवधान) बड़े बे-आबरू होकर तेरे कूचे से निकले। आपकी बैट्री डाउन हो गयी (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

बोलने के लिये कुछ बचा ही नहीं अब आपके पास (व्यवधान) रामस्वरूप जी, आपके भी सैल खतम हो गये क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

प्रश्न संख्या-156

श्री मोहनलाल बारूपाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-157

श्री रामनारायण मीणा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान, जयपुर

158. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन, राजस्थान, जयपुर द्वारा मार्च, 1995 से अक्टूबर, 1996 तक किन-किन के नवीन पंजीयन/सूचीबद्ध/नवीनीकरण/स्थायीकरण आदि किये गये हैं? उनके नाम, योग्यता, आवेदन प्राप्ति दिनांक, पंजीयन संख्या, पंजीयन/नवीनीकरण/स्थायीकरण दिनांक एवं उनको जारी करने की दिनांक आदि का उल्लेख करते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में किये गये सभी उक्त नवीन पंजीयन/नवीनीकरण/ स्थायीकरण वरीयतानुसार किये गये हैं और उनकी अर्हताएं केन्द्रीय परिषद द्वारा मान्य हैं?

(3) क्या उक्त पंजीयनों में अनियमितताएं हुई हैं? यदि हां, तो क्या-क्या और उसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

(4) क्या उक्त अवधि में बोर्ड में हुई अनियमितताओं के लिये शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री अचलाराम मेघवाल) : (1) बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन, राजस्थान, जयपुर द्वारा मार्च, 1995 से अक्टूबर, 1996 तक किये नवीन पंजीयन सूचीबद्ध/नवीनीकरण किये गये हैं, उनकी सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है। इस अवधि में स्थायीकरण पंजीयन नहीं किये गये हैं। नवीन पंजीयन ही अस्थायीकरण (प्रोविजनल) होते हैं।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। आंशिक अनियमितताएं हुई हैं। बी. यू. एम. एस. योग्यताधारी चिकित्सकों को केन्द्रीय अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त न होते हुए भी पंजीयन कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में जांच करवायी जा रही है। जो अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

(श्री अचलाराम मेघवाल)

(4) जी, नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस इंडियन मेडिसिन बोर्ड के कम से कम 9 अधिकारी तो सस्पैण्ड चल रहे हैं। इनके यहां पर जितने घोटाले हुए हैं, इस इंडियन मेडिसिन बोर्ड में जितनी अनियमितताएं हुई हैं, जितना दुरुपयोग हुआ है, उन सबमें जो लिप्त लोग थे, वे आज भी वहां पर बैठे हुए हैं और जिन लोगों को कोई कसूर नहीं था, इस साजिश के अन्तर्गत उनको अलग किया गया है। यह इन्होंने स्वीकार किया है कि अनियमितताएं हुई हैं। मेरा यह निवेदन है कि वरीयता के आधार पर नहीं, वहां पर जो एप्लीकेशन जिस तरीके से आती है, उसका पंजीकरण होता है। वरीयता के आधार पर नहीं बल्कि लेन-देन के आधार पर जो लोग चाहते हैं, वे अपना पंजीकरण करवा लेते हैं। जिन डिग्रियों को केन्द्र ने मान्यता नहीं दे रखी है, उनके ऊपर भी वहां से मान्यता दे दी है। क्या हम चाहते हैं कि राजस्थान में ऐसे लोग जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं, जिनकी फर्जी डिग्रियां हैं, आयुर्वेद के अन्दर पंजीकरण करवा कर राजस्थान के लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करें? लेकिन इंडियन मेडिसिन बोर्ड की इस तरह की स्थिति पैदा हो गयी है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसकी बैठकर पूरी जांच करें। वहां दोषी लोगों को बचाया जा रहा है। जिस आदमी ने पैसे जमा नहीं करवाये, जाकर उसमें घपले किये, वे लोग तो आज भी वहां पर बैठे हुए हैं और जिन रजिस्ट्रार्स की कोई गलती नहीं थी, उन रजिस्ट्रार्स को वहां से हटा रखा है। यह मसला कई बार उठा है लेकिन आज तक उसी तरह से चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था की जाए क्योंकि इसमें आयुर्वेद की बहुत बड़ी बदनामी है। यह इंडियन मेडिसिन बोर्ड हमारा जो कभी बहुत अच्छा काम कर रहा था, किन्हीं कारणों से आज बदनाम हो रहा है। इन्होंने सब स्वीकार किया है। गलतियां की हैं, अनियमितताएं की हैं, वरीयता का कोई ध्यान नहीं रखा गया है, यह सब स्वीकार किया है। इस तरफ मैं राज्य सरकार का और मंत्रीजी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अचलाराम मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने—

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, खैर, आप जवाब दे दें, फिर मैं बोलूंगी। अगर जवाब नहीं आया तो बोलूंगी। आप बोलिये।

श्री अचलाराम मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने मार्च, 1995-96 के बीच का प्रश्न पूछा है और सप्लमेण्ट्री में 9 अधिकारियों के सस्पेंशन का पूछा है। अगर ये चाहेंगे तो उस प्रश्न का उत्तर भी दे दूंगा। हमने प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि आंशिक रूप से

(श्री अचलाराम मेघवाल)

अनियमितताएं हुई हैं, भूलें हुई हैं। इस सम्बन्ध में आप चाह रहे हैं—

श्री टीकमचन्द कान्त : आंशिक और भारी अनियमितताएं हुई हैं, यह क्या?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया पूरा सुनें। माननीय सदस्य, आप पूरा उत्तर सुनिये। कोई बात रह जाए तो कहिये।

श्री अचलाराम मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर भारी अनियमितताएं होने की शिकायत आपके पास में है तो वह भी दे दें, उसको भी सम्मिलित करके पूर्ण रूप से सघन जांच करवा दी जाएगी और दोषी पाये जाने वालों को हमने पहले भी नहीं बख्शा है। जैसा कि आपने कहा है कि 9 अधिकारियों को सस्पैंड किया है, अब भी कोई बच गया होगा और आप झाड़ू फिरवाना चाहते हो तो वह भी हम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय,—

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक करके।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, झाड़ू फिरवाना चाहोगे, यह मतलब तो नहीं हुआ। सरकार का उत्तर ढंग से आना चाहिये। आंशिक भी अगर अनियमितताएं हुई हैं तो वह अनियमितताएं ही हैं। यह आंशिक और भारी क्या होती है?

श्री अचलाराम मेघवाल : मैं बताना चाह रहा हूं। आप यह चाह रहे हो कि आंशिक और भारी क्या हुई, तो आंशिक इसलिए हुई है कि जो यह रजिस्ट्रेशन किया गया है यह राजस्थान भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 की शिड्यूल नम्बर–एक के तहत में किया गया है। उसमें यह लिखा हुआ है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री का पंजीयन किया जा सकता है। किन्तु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद की द्वितीय सूची में यह नहीं है इसलिये यह कहा गया है कि आंशिक रूप से हुई है। सैकण्ड नम्बर यह है कि जब प्रक्रिया अपनायी जाती है तो फार्म के ऊपर आब्जेक्शन होते हैं। आब्जेक्शन के निराकरण के सम्बन्ध में समय-समय पर पूरी पूर्ति नहीं कर पाते हैं इसलिए वरीयता के आधार पर हुआ नहीं। जिसने पहले पेश किया, उसने बाद में आब्जेक्शन का निराकरण किया तो बाद में हुआ और जल्दी किया तो जल्दी हुआ इसलिए इसको आंशिक रूप से कहा गया है। फिर भी आपके मन में है कि भारी अनियमितताएं हुई हैं तो आप तथ्यात्मक रिपोर्ट दे दें, मैं जांच करवाऊंगा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि इन्होंने राजस्थान के सम्पूर्ण पत्रों के अन्दर, जितने भी समाचार पत्र निकलते हैं, उनमें क्या सूचनाएं निकलवायीं 18-19 तारीख को? इन्होंने सूचना निकाली है कि जिनके गलत पंजीकरण हुए हैं राजस्थान का आयुर्वेद

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

विभाग निकालता है, सूचना और लोगों से पूछ रहा है। ये कह रहे हैं कि हमने तो आंशिक गलतियां की हैं लेकिन "राजस्थान पत्रिका" और "भास्कर" में इन सब समाचार पत्रों में निकला है, वह क्या समाचार निकला है, जरा मंत्रीजी बता दें।

श्री अचलाराम मेघवाल : वह समाचार इसलिए निकाला गया कि आपने स्वीकार किया है कि नौ अधिकारियों को पहले सस्पैण्ड किया। उन्होंने जो अनियमितताएं की हैं, उनको हमने आगे रोका है। राज्य सरकार द्वारा बोर्ड एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण करने पर 6 जनवरी, 1996 को रोक लगा दी गयी है, इसलिए हमने निकाला है कि ये जो पंजीकरण गलत हुए हैं, उनको हम तुरन्त निरस्त करेंगे, अगर अपना कोई आब्जेक्शन हो तो पेश करें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : नवम्बर में निकाला और अभी फरवरी में आखिर में निकाला है। यह गलती पर गलती की है। इन्होंने उत्तर दिया है मेरे चौथे प्रश्न का कि हमारे पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जितनी चिट्ठयां इनके पास गयी हैं, जितनी सैक्रेटेरिएट में चिट्ठियां गयी हैं, उन सबकी कॉपी मेरे पास है और यह बिलकुल असत्य जवाब है। यह असत्य है, सत्य से परे है कि कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आपको गलत उत्तर तैयार करके दिया गया है।

श्री अचलाराम मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मार्च, 1995 और__(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, मदान साहब और पूछ लें और उजलाजी, आप भी पूछ लें।

श्री अर्जुनदास मदान : उजलाजी, पहले आप पूछ लीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि कुछ लोगों ने अपनी लॉबी बनाकर आपसे सम्पर्क किया और जो गलती करने वाले थे वे हावी हो गये, जो निरपराध थे उनको सजा मिली है। दो साल से उनके विवरण पर कोई न्याय नहीं किया जा रहा है, उनकी पूरी-पूरी जांच कर उनका फैसला नहीं किया गया। मैं समझती हूं इससे छवि गिरी है और सारे राजस्थान में आयुर्वेद का अहित हुआ है। मंत्री महोदय शीघ्र न्याय करें और जो गलत आदमी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। जो सही आदमी हैं उनको आपने सस्पैण्ड किया है, यह बहुत गलत किया है। आप इसका पुनरावलोकन करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान। माननीय सदस्या, बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसका पुनरावलोकन करें और फिर न्याय करें।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न समझ में आ गया, आप बिराज जाएं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना निवेदन करता हूं कि माननीय उप मुख्य मंत्रीजी इण्डियन मेडिसिन बोर्ड के सम्पूर्ण प्रकरण को मंगा कर देख लें और इसका निर्णय कर दें। हमको इतना ही निवेदन करना है।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर दूं_(व्यवधान)_एक मिनट। हो कहां गया? आप सुनो तो सही। हो जाए तब कहना आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इधर देख कर बोला करें।

श्री अर्जुनदास मदान : क्षमा चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। सचेतक महोदय ने इधर देखा इसलिए।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, धमकाता रै है। आजकाल लारै-लारै रै है हरेक कै। बहुत जिम्मेवारी बढ़ गी आंकी।

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार यह प्रश्न जिस पर सस्पेंशन वाली बात चली है, मेरा ही प्रश्न था। मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है या कोई गम भी नहीं है, वह तो इनका काम था इसलिए किया। पर अब कुल-मिलाकर 13 लोग सस्पेण्ड हैं जिनमें डिप्टी रजिस्ट्रार भी हैं, डिप्टी सैक्रेटरी भी हैं, उप रजिस्ट्रार भी हैं और चार बाबू भी सम्मिलित हैं, टोटल 13 लोग हैं। ये लोग 26 जनवरी, 1995 को सस्पैंड हुए, जहां तक मेरी जानकारी है मैं आपसे इतना ही निवेदन करूं कि 26 जनवरी, 1995 से इन 13 लोगों के निलम्बित होने के बाद आज तक भी किसी प्रकार की कोई इन्क्वायरी विभाग ने नहीं करवायी। अगर दो-दो सालों तक आपने किसी को सस्पैण्ड कर घर बैठा दिया, वह घर बैठ कर आधी या वन थर्ड तनख्वाह लेता रहा और आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो उसका कोई बैटर इम्पैक्ट हम न तो डिपार्टमेंट पर छोड़ रहे हैं और न ही कहीं सामाजिक जीवन पर छोड़ रहे हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जो ये कह रहे हैं कि सूपड़ा साफ हो जाएगा तो झाडू भी लगता हो तो लग जाए लेकिन दोषी लोग यदि हैं, यदि उन्होंने अपराध किया है तो सजा पाते हैं तो अवश्य पाएं। लेकिन मेरा निवेदन केवल मात्र इतना है कि जिन 13 लोगों को मेरे मूल प्रश्न पर सस्पैण्ड किया गया था, कम से कम दो वर्षों में उनकी इन्क्वायरी तो निश्चित की जाए।

श्री अचलाराम मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूरक प्रश्न के जरिए यह बताया कि मेरे प्रश्न के जरिए 13 लोग जो सस्पैण्ड हो गये हैं, इन्होंने यह भावना व्यक्त की, इनको दया आ गयी__

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो दोषी थे उनको तो पकड़ा नहीं आपने केवल खानापूर्ति की। खानापूर्ति करने से क्या मतलब हुआ?

श्री अचलाराम मेघवाल : मेरा उत्तर तो हो जाने दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : निर्दोष को पकड़ लिया, दोषी को पकड़ा नहीं।

श्री अचलाराम मेघवाल : मुझे बोलने तो दिया जाए। ....(व्यवधान).... और प्रश्न कर लीजिएगा। ....(व्यवधान)....

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : प्रश्न किया जब मामला सामने आया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, केवल उत्तर दीजिये आप।

श्री अचलाराम मेघवाल : हालांकि यह इस मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है क्योंकि यह 1995-96 के बीच में मार्च, 1995 और अक्टूबर, 1996 के बीच का है, लेकिन फिर भी सस्पेंशन के बाद में जो चार्जशीट दी जाती है या सस्पेंशन से पहले दी जाती है, अगर चार्जशीट का वे जवाब ही नहीं दें तो सरकार क्या करेगी? खुद जवाब देगी क्या? अगर वे जवाब देते हैं तो विचारार्थ लिया जा सकता है, उनको बहाल करना कराना। इसमें डी. ओ. पी. का भी महत्त्वपूर्ण रोल रहता है। हमने तो इनको भेज दिया है, ये करें तो हम मना थोड़े ही करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या-159

श्री भरतसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अर्जुनदास मदान।

एम. ए. एच. उद्योगों का निरीक्षण

*160. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या एम. ए. एच. उद्योगों के निरीक्षण के लिए कारखाना एवं बायलर्स विभाग में किसी समिति का गठन किया गया है?

(2) यदि हां, तो इस समिति ने जनवरी, 1993 से अब तक किस-किस कारखाने के कितने निरीक्षण किये? ऐसे कितने करखाने हैं, जिनका अभी तक इस अवधि में निरीक्षण नहीं किया गया?

(3) इन कारखानों/उद्योगों का निरीक्षण अब तक नहीं किये जाने के क्या कारण रहे? निरीक्षण नहीं करने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या यह भी सही है कि समिति के अध्यक्ष निरीक्षण की तिथि तय करते हैं?

(4) इस समिति द्वारा एम. ए. एच. उद्योगों का निरीक्षण करने के लिए क्या सरकार ने कोई मानदण्ड निश्चित किये हैं? यदि हां, तो क्या?

राज्य मंत्री, श्रम (श्री नन्दलाल मीणा) : (1) जी हां, विभाग के आदेश क्रमांक 4109/सीआईएफबी/सेफ्टी दिनांक 4.6.1991 के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

(2) समिति द्वारा जनवरी, 1993 से एम. ए. एच. कारखानों के किये गये निरीक्षणों का विवरण परिशिष्ट (क) में

(श्री नन्दलाल मीणा)

संलग्न है। जिन कारखानों का निरीक्षण नहीं किया गया है उनका विवरण परिशिष्ट (ख) में संलग्न है।

(3) कुछ कारखाने/उद्योगों का स्थायी रूप से बन्द होने के कारण व कुछ नवस्थापित एवं दूरदराज के क्षेत्रों में कारखाने स्थापित होने के कारण समिति द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है। इसके लिए व्यक्तिशः कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। निरीक्षण की तिथि विभागाध्यक्ष की अनुमति से ही तय की जाती है।

(4) सरकार ने समिति के लिए कोई नार्म्स निश्चित नहीं किये हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदय, श्रम राज्य मंत्री महोदय के जवाब के उपरान्त मैं केवल मात्र इतना निवेदन करूंगा कि कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियम बनाये गये थे 1951 में इसी हाउस में। 1995 में जब औद्योगिक नीति से थोड़ा परिवर्तन लाया गया तो यह निर्णय हुआ कि इंसपेक्टर राज को समाप्त किया जाए। मंत्री महोदय ने यह कहा है कि इसकी सूची संलग्न है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नियम के मुताबिक जो भी एक्सीडेंट में पूर्ण फैक्टर्स हैं उनमें मोस्टली केमिकल इण्डस्ट्रीज आती हैं। इसमें एग्जम्पशन दिया है औद्योगिक नीति, 1995 के अन्तर्गत, इसे तो मैं मानता हूं लेकिन जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं उनके ऊपर एग्जम्पशन नहीं दिया गया, पहली बात। या तो मंत्री महोदय को पूरी बात नहीं बतायी गयी या उनकी जानकारी में नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि एक तो आरा मशीन और लकड़ी से सम्बन्धित जितने कारखाने हैं वे इससे एग्जम्पटेड नहीं हैं और जो केमिकल इण्डस्ट्रीज हैं वे एग्जम्पटेड नहीं हैं। केमिकल इण्डस्ट्रीज में कम से कम दो बार, अगर छोटे कारखाने हैं तो प्रति वर्ष इन्स्पेक्शन होना चाहिए और यदि बड़े कारखाने हैं तो तीन बार उनमें इन्स्पेक्शन होना चाहिए। लेकिन, यह तो तालिका, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दी गयी है, मैं चाहूंगा कृपया आप भी इसका अवलोकन करें कि 1993 से लेकर 1996 का इन्स्पेक्शन तो है लेकिन कोई एक फैक्ट्री भी ऐसी नहीं है जिसका 1995 में भी इन्स्पेक्शन किया गया हो। मान्यवर, कल-कारखाने, विशेषकर केमिकल इण्डस्ट्रीज, दुर्घटनाओं की गति और गम्भीरता उनकी संख्यात्मक दृष्टि से भी और उनकी भयावह दृष्टि से भी जहां सबसे ज्यादा हो वहां 1995 में कोई जाकर उनका इन्स्पेक्शन नहीं करे, कितनी विडम्बना है।

दूसरा निवेदन करूंगा, कहा गया है कि इन्स्पेक्टर, चीफ इन्स्पेक्टर इसकी तिथि तय करते हैं। तिथि तय करते हैं तो वह केवल-मात्र नोर्मल फैक्ट्री के लिए, केमिकल इण्डस्ट्रीज के लिए न तो उनको अधिकार है और मान लीजिएगा वे अगर करते भी हैं तो क्या मुझे मंत्री महोदय यह बताएंगे कि उस समिति के किस सदस्य ने यह चाहा था कि हम इसका इन्स्पेक्शन करना चाहते हैं? क्या 1995 में किसी का भी इन्स्पेक्शन नहीं हो सकता था? 1993 के

(श्री अर्जुनदास मदान)

बाद बिलकुल मौन धारण कर लिया फैक्ट्री इन्स्पेक्टर, बायलर के डिपार्टमेंट ने और उसके बाद 1996 में भी।

इसमें और दूसरा कारण यह है कि जो दूरदराज की फैक्ट्रीज हैं उनमें हम नहीं जा सकते।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसमें प्रश्न करिये, भाषण मत दीजिये।

श्री अर्जुनदास मदान : प्रश्न ही कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सवाल पूछिये।

श्री अर्जुनदास मदान : अच्छा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। मैंने निवेदन किया कि जो साधारण फैक्ट्रीज हैं उनके लिए नॉर्म्स तय हैं, इनके लिए तय नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, यह कहा गया कि चीफ फैक्ट्री इन्स्पेक्टर ही तिथि तय करते हैं, इन फैक्ट्रियों के लिए वे तिथि तय नहीं करते क्योंकि औद्योगिक नीति, 1995 के अन्तर्गत केमिकल प्लांट और आरा मशीनें जिनमें लकड़ी की चिराई का काम होता है, जो इससे एगजम्प्टेड हैं, उस परिधि में नहीं आते हैं।

तीसरा सवाल मेरा यह है, यह कहा गया है कि हम दूरदराज की फैक्ट्रियों का तो इन्स्पेक्शन नहीं कर सके, तो क्या जयपुर और इसके आस-पास की फैक्ट्रियों का इन्स्पेक्शन होगा? अगर दूरदराज में केमिकल फैक्ट्रियां हैं तो वहां हम इसलिए नहीं जाते हैं कि, साहब वे दूर पड़ती हैं? कानून में यह तो कहीं एगजम्पशन नहीं हैं कि दूर की फैक्ट्री का आप इन्स्पेक्शन नहीं करेंगे।

चौथा और अन्तिम प्रश्न मेरा यह है कि जो बंद केमिकल प्लांट हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उनमें कोई सिपाही भी वाच-एण्ड-वार्ड का काम करता होगा, कोई दफ्तरी भी काम करता होगा, कोई वहां चौकीदार भी होगा। अगर मान लीजिए, केमिकल पड़े-पड़े किसी दिन विस्फोटक स्थिति में आ जाए और वहां पर कल-कारखाने में खड़े हुए सिपाही के साथ कोई दुर्घटना हो गयी तो उसका क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, जवाब दीजिये।

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, एम. ए. एच. प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियंत्रण नियम, कारखाना नियम, 1951 के अन्तर्गत है। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी पालना में राजस्थान में रासायनिक कारखानें 94 हैं और 1993 के बाद आज तक लगभग 66 कारखानों का इस समिति द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है, 18 ऐसे कारखानें हैं जहां पर निरीक्षण नहीं हुआ है, 10 कारखानें ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है उस पर कि यह समिति इस नियम के अन्तर्गत बनी हुई है डिप्टी चीफ इन्स्पेक्टर फैक्ट्रीज एण्ड बायलर की अध्यक्षता में, हमारे विभाग के इन्स्पेक्टर और ये सारे उसमें सदस्य होते हैं जो

(श्री नन्दलाल मीणा)

अलग-अलग रसायन के हिसाब से प्रवीण होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह कमेटी तो राज्य में इन्स्पेक्शन करती ही है, इसके अलावा भी प्रतिवर्ष की प्रक्रिया है जिसमें डिप्टी चीफ इन्स्पेक्टर, फैक्ट्रीज एण्ड बायलर का क्षेत्र आता हो या इन्स्पेक्टर फैक्ट्रीज ,एण्ड बायलर का क्षेत्र आता हो उस क्षेत्र में वे इन फैक्ट्रीज का इन्स्पेक्शन करते हैं। ये जो 18 बाकी रह गये हैं, जहां निरीक्षण नहीं हुआ है ये वे हैं जहां समिति द्वारा इन्स्पेक्शन नहीं हुआ है। इसलिए इन्स्पेक्शन तो राजस्थान में होते हैं, परन्तु इस कमेटी द्वारा इन्स्पेक्शन नहीं हुआ यह सत्य है। मैंने आज ही हमारे चीफ इन्स्पेक्टर फैक्ट्रीज एण्ड बायलर को निर्देश दिये हैं कि जो 18 फैक्ट्रियां बाकी रह गयी हैं उनका 15 अप्रैल के पूर्व सारा इन्स्पेक्शन करके रिपोर्ट प्राप्त करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री अर्जुनदास मदान : आप, उपाध्यक्ष महोदय, सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त है।

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदय, सुन लें। आपकी आत्मा कहे सवाल नहीं बनता तो मैं बैठ जाऊंगा।

मंत्री महोदय स्वयं यह फरमा रहे हैं कि इसकी तिथि का निर्धारण चीफ इन्स्पेक्टर करते हैं, मुझे मंत्री महोदय यह बताएं कि वे कैसे करते हैं। मान लो, कोटा में एक फैक्ट्री इन्स्पेक्टर बैठा है, मैं तो यह कह रहा हूं कि यह एग्जम्पटेड नहीं है। जब 1995 में यह औद्योगिक नीति बनी थी तब ऐसे कल-कारखानों का इससे एगजम्पशन रखा गया था क्योंकि केमिकल प्लांट में दुर्घटना होने की संभावनाएं कम्पेरेटिवली ज्यादा होती हैं और दुर्घटनाओं की गम्भीरता भी ज्यादा होती है। इसलिए यह कह देना कि 66 में हुआ, टोटल फैक्ट्रियों में से 10 में नहीं हुआ और 18 में हम कर ही नहीं सके और 1993 के बाद इन्स्पेक्शन की तालिका में कोई तिथि भी न हो, तो आप बताएं, 1994-95 में कोई इनसपेक्शन नहीं होना था क्या? इसमें कहीं नहीं बताया गया है कि 1995 में कोई इन्स्पेक्शन हुआ। मेरा यह निवेदन है कि साल में कम से कम दो बार तो ऐसी फैक्ट्रियों का इन्स्पेक्शन होना ही चाहिए। यह कानून की रिक्वायरमेंट है तो 1995 में विभाग क्यों मौन रहा? यह मेरा मूल प्रश्न है।

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उनसे निवेदन किया कि इन्स्पेक्शन तो निरन्तर होते हैं। कोई ऐसा रासायनिक कारखाना नहीं है जिसमें निरीक्षण नहीं हुआ हो। परन्तु यह जो कमेटी गठित की गयी है इस कमेटी के माध्यम से केवल 18 ऐसे रासायनिक कारखाने हैं जहां पर इन्स्पेक्शन नहीं हुआ और 10 बंद पड़े

(श्री नन्दलाल मीणा)

हैं। जो 10 बंद पड़े हैं उनके बारे में मैंने निर्देश जारी किये कि किन कारणों की वजह से और कब से बंद पड़े हैं। इससे कई लोगों को रोजगार मिल सकता है। किस तरह से ये फैक्ट्रियां वापस चालू हों, इस बारे में भी तत्काल बन्दोबस्त किया जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय श्रम विज्ञान संस्थान, बम्बई और क्षेत्रीय श्रम विज्ञान केन्द्र कानपुर, मद्रास और कलकत्ता के माध्यम से रासायनिक कारखानों की सुरक्षा और प्रशिक्षण का कार्यक्रम हाथ में लिया जाता है। उस प्रशिक्षण में जो भी डिप्टी इन्स्पेक्टर, फैक्ट्रीज एण्ड बायलर और इन्स्पेक्टर फैक्ट्रीज एण्ड बायलर हमारे राजस्थान में हैं, वे प्रशिक्षित होते हैं और प्रशिक्षित होने के बाद ही वे उस कमेटी के माध्यम से निरीक्षण करते हैं। परन्तु स्थानीय स्तर पर भी इन्स्पेक्शन की निरन्तर प्रक्रिया है और वह चालू है। अगर माननीय सदस्य को कोई और शंका है तो वे अवगत करा दें मैं निश्चित रूप से उसका निराकरण कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री दयाराम परमार।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं आपके माध्यम से केवल मात्र तिथि की सूची चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, जवाब पर्याप्त है। श्री दयाराम परमार।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, इन केमिकल फैक्ट्रीज के इन्स्पेक्शन की तिथि की सूचना चाहूंगा जिनके अन्तर्गत इन्स्पेक्शन हुए।

प्रश्न संख्या-161

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाराम परमार।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे जवाब तो दिलवा दें। मैं केवल मात्र वह सूची चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तीसरे सवाल पर पहुंच गया। आप बिराज जाएं।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं केवल वह सूची चाहता हूं कि कब-कब इन्स्पेक्शन हुआ। मुझे उसकी सूची तो दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अब कोई समय नहीं।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं केवल वह सूची चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अब उत्तर नहीं आ पाएगा।

श्री अर्जुनदास मदान : वह सूची तो दिलवा दें आप।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने तीसरा सवाल पुकार लिया। कृपया बिराजें। (व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : प्रश्न संख्या 164 (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अब नाम नहीं बोला तो मैं कैसे उठता?

श्री उपाध्यक्ष : आई एम सॉरी, विजयेन्द्रपाल सिंह जी।

राज्य के हैरिटेज होटल्स

162. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में हैरिटेज होटल्स के संचालन के तहत कितने महल, हवेली एवं ऐतिहासिक किले होटल एवं रिसोर्ट में परिवर्तित किये गये? सूचीं सदन की मेज पर रखें।

(2) इन परिवर्तित होटल एवं रिसोर्ट में केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा किस-किस को कितनी-कितनी सब्सिडी दी गयी व किन-किन को सब्सिडी का भुगतान किया जाना शेष है? नामवार एवं राशिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने हैरिटेज होटल्स की नीति में परिवर्तन करके इन्हें अधिक बढ़ावा देने के लिये अन्य कोई सुविधाएं भी देने का मानस बनाया है? यदि हां, तो क्या-क्या?

(4) क्या राज्य सरकार भी अपनी ओर से इसको प्रोत्साहन देने के लिए और कोई सुविधाएं दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या राज्य सरकार ने ऐसे ऐतिहासिक किले, हवेलियों को जो राज्य सरकार की नजूल सम्पत्ति में है, प्राइवेट सैक्टर में देकर होटल हैरिटेज में परिवर्तित करने के लिये सूची बनायी है? यदि हां, तो किन शर्तों के तहत? विवरण मय सूची के सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती नरेन्द्र कंवर) : (1) राज्य में हैरिटेज होटल्स का संचालन निजी निवेशकों/भवन मालिकों द्वारा निजी क्षेत्र में किया जाता है। विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार पर्यटन विभाग, भारत सरकार से वर्गीकृत ऐसे हैरिटेज होटल्स 30 हैं एवं गैर-वर्गीकृत होटल्स 58 के लगभग हैं, जो राज्य में पूर्ण रूप से कार्यशील/आंशिक कार्यशील अथवा हैरिटेज होटल के रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। सूची परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर उपलब्ध है।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी होटलों को दी गयी सब्सिडी की सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है, जबकि राज्य द्वारा अब तक होटल्स को जिनमें हैरिटेज होटल्स भी सम्मिलित हैं, अनुदान भुगतान का विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(3) इसकी राज्य सरकार को अभी जानकारी नहीं है।

(4) जी, नहीं।

(श्रीमती नरेन्द्र कंवर)

(5) जी, हां। विभिन्न प्रकार की राजकीय भूमि/सम्पत्ति, नजूल सम्पत्ति के पर्यटन इकाइयों के रूप में स्थापना के उद्देश्य से द्वि-स्तरीय नीलामी प्रक्रिया का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। प्रारम्भ में अलवर जिले की निम्न नजूल सम्पत्तियों का पर्यटन इकाइयों के रूप में स्थापना हेतु चयन किया गया है : —

1. बाला किला 2. बाड़ोद 3. तिजारा

4. केसरपुर 5. कुशलगढ़ 6. अजबगढ़

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदया से मेरे दो-तीन प्रश्न हैं। पहला तो यह है कि हैरिटेज होटल्स का कन्सैप्ट हमारे राजस्थान से ही शुरू हुआ और जो होटल्स हैरिटेज के नाम से राजस्थान के अन्दर आये हैं वे बहुत पापूलर हो गये। आज राजस्थान का नाम दुनिया के अन्दर इन्टरनेशनल ट्यूरिज्म मैप पर आया इन हैरिटेज होटल्स के कारण। मेरा प्रश्न है कि इसके लिए जो नजूल प्रॉपर्टीज हैं जैसे—हवेलियां, फोर्ट, सरकार के अधीन हैं, उनकी एक सूची भी बनायी गयी, अगर उसका प्रकाशन करके जो "इन्वेस्टूर" लास्ट ईयर हुआ था और अभी फिर दिल्ली के अन्दर होने वाला है, उसके अन्दर हम उसको दें कि ये सब प्रोपर्टीज प्राइवेट सैक्टर को हम देने के लिये तैयार हैं, तो कितना बढ़ावा ट्यूरिज्म को मिल जाएगा? इस बारे में कोई नीति है? इसके लिये एक कमेटी भी बनी थी और पहले डायरेक्टर जनरल, ट्यूरिज्म को भी इसमें लिया गया था। उसकी भी थोड़ी जानकारी दें। मेरा मकसद यही है कि हैरिटेज होटल्स का जो कन्सैप्ट हमने दिया, उसको बढ़ाने के लिये आप कुछ विचार करें। अभी पर्यटन नीति भी आने वाली थी दो साल से रुकी हुई है, उसको जल्दी से आप आगे प्रकाशित करने के लिये तैयार हैं या प्रकाशित करने का विचार रखते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदया।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : उपाध्यक्ष महोदय,—(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, डांगावास जी और बोल रहे हैं, उनको भी पूछ लेने दें फिर उत्तर साथ दे दें। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पहले इसका जवाब दे दें। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : इसी के सम्बन्ध में है, आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं? उत्तर में कहा गया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे पास सब्सिडी दी उसका कोई रिकार्ड नहीं है—

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : नहीं, नहीं। यह नहीं कहा मैंने।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : केन्द्र से जो सब्सिडी मिलती है, मध्य प्रदेश को भी मिलती है, गुजरात को भी मिलती है, उसके बारे में बात हो रही है—(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : क्या मंत्री महोदया ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में ढाणियों के समूह बनाकर ऐसी कोई होटलें बनाने की योजना बना रही है? क्या उनको अनुदान व प्रोत्साहन देकर बड़े होटलों से सम्बन्धित करके ग्रामीण व्यक्तियों को रोजगार देने की चेष्टा कर रही हैं या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदया।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन नीति करीब-करीब तैयार है और सदन के पटल पर है। अब आधे माननीय सदस्य तो चले गये। वे लोग सब आएं तभी इसमें कोई फैसला हो सकता है। (व्यवधान) अब सब विधायक पधारेंगे तो मेरे ख्याल से उसके बारे में कुछ न कुछ फैसला हो जाएगा। उसको एक बार सब देख लें और देखने के बाद जैसी सबकी इच्छा होगी, उसको प्रकाशित कर देंगे।

दूसरा, हैरिटेज होटल्स के बारे में फरमाया। अभी तीन साल हो गये हैं, तीन सालों में हैरिटेज होटल्स को काफी बढ़ावा दिया है, हमने उसके लिये काफी प्रचार-प्रसार भी किया है। बीच में यह भी पूछा गया कि मैंने यह कहा। मैंने भारत सरकार के लिये कहा था कि भारत सरकार की सूची हमारे पास में नहीं है। जो हमने अनुदान दिया उसकी सूची हमारे पास नहीं है। जो राजस्थान सरकार से अनुदान दिया गया या लोन दिया गया है उसकी सूची इसमें संलग्न है। हैरिटेज होटल्स के लिये अलवर जिले के 23 किले थे__(व्यवधान) उनमें से पूरा देखने के बाद में छह को निकाला है, छह इस स्थिति में हैं कि ये आगे दिये जा सकते हैं। दूसरे जो किले हैं उनकी यह स्थिति नहीं है कि उनको दिया जाए। उनमें सिर्फ परकोटा है और जमीन है और कुछ भी नहीं है। उसको लेने के लिये कोई भी पार्टी इंट्रस्टेड नहीं होगी इसलिए उन्हें बाद के लिये छोड़ दिया गया है। जैसाकि आपने फरमाया पूरे राजस्थान के लिये, हमारा स्टाफ तो इतना सा है, हम पूरे राजस्थान का कैसे करेंगे? हम एक-एक करके करते हैं। नहीं तो सब एक साथ लेंगे तो एक भी काम नहीं होगा और एक-एक करके अगर डिस्ट्रिक्टवाइज लेते हैं तो वह योजनाबद्ध काम हो जाएगा। हम अलवर डिस्ट्रिक्ट का कर चुके हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो अलवर के नाम से खुश हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, दो स्पेसिफिक प्रश्न हैं।

श्री उपाध्यक्ष : डांगावासजी ढाणियों की बात कर रहे हैं।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : उपाध्यक्ष महोदय, ढाणियों के लिये तो अभी वही बात है। सब एक साथ ले लेंगे तो काम होना मुश्किल होगा। अभी हमने पहले धर्मशालाएं और जो प्राकृतिक चिकित्सालय हैं उनको साथ जोड़ने की बात की है। इसके बाद ढाणियों को लेंगे। हैरिटेज होटल गांवों में ही हैं, ढाणियों में ही हैं। शहरों में कहां हैं?

श्री भंवरसिंह डांगावास : ढाणियों में नहीं महलों में है।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : और वे भी गिरे हुए हैं। जो भी रोजगार देते हैं गांवों के लोगों को ही देते हैं। हैरिटेज होटल होने से गांवों में रोजगार बढ़ा है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : दो स्पेसिफिक प्रश्न हैं। (व्यवधान) एक मिनट, मेरा मूल प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, एक तो आपने जो सब्सिडी दी यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है और काफी लम्बी सूची है। उसमें से आपने काफी को तो दे दी। अब अगर हम लोग उस सब्सिडी को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो मध्य प्रदेश वाले ले जाएंगे, गुजरात वाले ले जाएंगे। वे भी अब यह कन्सेप्ट समझने लग गये हैं और आपने होटल्स, फोर्ट और हवेलियों को हैरिटेज होटल्स में बदल रहे हैं तो अपन जल्दी से जल्दी सब्सिडी देने के लिये विचार रखते हों तो क्या करेंगे, नम्बर एक? नम्बर दो, मैंने कहा था कि अगर डिपार्टमेंट में ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कलेक्टर ने भी एक सूची बनायी है, मुझे जानकारी है, कि कहां-कहां अच्छे गढ़ बने हुए हैं जो और नष्ट हो जाएंगे। दिल्ली के अन्दर "इन्वेस्टूर" हो रहा है और दुनिया भर के होटेलियर्स वहां पर आएंगे, उनको फोटोग्राफर्स समेत अगर सूची दे दें तो यह काम तो जल्दी हो सकता है। ऐसा कहीं नहीं है कि आप यह काम नहीं कर सकते। पूरे राजस्थान की पिक्चर दे दें। मैं तो आपके काम की ही बात कर रहा हूं, आप यह करेंगी तो आपका नाम हो जाएगा, मंत्री महोदया।

श्री उपाध्यक्ष : सहयोग दे रहे हैं।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : इसके लिये सूची तैयार हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, हैरिटेज होटल का मामला सामने आया है, मैं थोड़ी-सी बात आपके समक्ष रख दूं।

श्री उपाध्यक्ष : केवल प्रश्न करिये आप। प्रश्नकाल में केवल प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं दूसरी बात कह रहा हूं। हैरिटेज होटल के मामले के अन्दर सामान्यजन चर्चाएं जो हैं वे इस प्रकार की हैं कि किसी विशेष वर्ग के लोगों को एक प्रकार का अपरोक्ष रूप से लाभ पहुँचाने का कार्यक्रम यह है, नम्बर-एक। (व्यवधान) सुनिये मैं क्लियर जान-बूझकर करना चाहता हूं। नम्बर-दो, इनका कोई हिसाब-किताब नहीं है, इनके लिये कोई तखमीना तैयार नहीं किया जाता कि इस रिपेयरिंग के अन्दर कितना पैसा लगेगा और मन चाहे जैसे भी दिया जा सकता है। जबकि वास्तविकता यह है कि इसके कारण पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। हमारे यहां पर्यटक ज्यादा आते हैं तब हम यह बात कह रहे हैं। हमारी सोच सिर्फ गढ़ों और किलों तक ही नहीं है, इससे आगे हम ढाणियों में भी जाना चाहते हैं, इससे आगे हम धर्मशालाओं पर भी जाना चाहते हैं इसके आगे और जो पुरानी कई

(श्री टीकमचन्द कान्त)

हवेलियां हैं, उन तक भी जाना चाहते हैं। यह चीज सामान्य जनता के समक्ष आनी चाहिए, नहीं तो फिर एक विशेष प्रकार का दोषारोपण हम पर होता है। इसी कारण से मैं चाहता हूं कि इसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : यह सुझाव है आपका।

प्रश्न संख्या 163

श्री हरजीराम बुरड़क।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रमाकान्त शर्मा।

पंचायत समिति थानागाजी में सुनिश्चित रोजगार योजना

164. श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 से चालू वर्ष तक प्रत्येक वर्ष में पंचायत समिति थानागाजी के लिये कितनी धनराशि का प्रावधान था एवं उसमें से कितनी राशि व्यय की गयी?

(2) क्या यह सही है कि आबंटित धनराशि का व्यय नहीं होने से अगले वर्ष के प्रावधान में तदनुसार कमी आ जाती है?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्षाकाल को छोड़कर वर्षभर बेरोजगारों को रोजगार वर्ष के प्रारम्भ में कार्यों की स्वीकृति नहीं होने के कारण नहीं मिल पाता है और इस प्रकार से योजना का स्वरूप ही विकृत हो जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार आगे आने वाले वर्षों में व्यवस्था के सुधार हेतु कोई कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत किसी भी पंचायत समिति क्षेत्र के लिये वर्ष के लिये कोई प्रावधान निश्चित नहीं है। उपलब्ध धनराशि में से किये गये व्यय के आधार पर उनको आगामी किस्त की राशि उपलब्ध होती है। पंचायत समिति थानागाजी क्षेत्र को वर्ष 1994-95 से लेकर माह जनवरी, 1997 तक प्राप्त राशि एवं व्यय की गयी राशि का विवरण निम्नानुसार है : —

वर्ष	आबंटित राशि	व्यय
1994-95	37.50 लाख	—
1995-96	75.00 लाख	41.64
1996-97	37.50 लाख	69.62

(माह जनवरी, 1997 तक)

(2) यह सही नहीं है कि आबंटित धनराशि का व्यय नहीं होने से अगले वर्ष के प्रावधान में तदनुसार कमी हो जाती है क्योंकि इस योजनान्तर्गत वर्षवार कोई आबंटन निश्चित नहीं होता है। यह एक सतत् योजना है जिसके अन्तर्गत पंचायत समिति के लिये किये गये व्यय के आधार

(श्री अनंग कुमार जैन)

पर आगामी किस्त की राशि उपलब्ध होती है।

(3) इस योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि में से कम से कम 50 प्रतिशत राशि व्यय करने पर आगामी किस्त की राशि पंचायत समिति क्षेत्र के लिये प्राप्त होती है। जैसे-जैसे राशि प्राप्त होती है कार्यों की स्वीकृतियां जारी की जाती हैं एवं बेरोजगारों को गैर कृषि मौसम के दौरान रोजगार उपलब्ध हो पाता है। अतः यह सही नहीं है कि वर्षाकाल को छोड़कर वर्षभर बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाता है तथा यह भी सही नहीं है कि इस प्रकार योजना का स्वरूप ही विकृत हो जाता है।

(4) इस प्रक्रिया में न तो कोई भी दोषी होता है और न ही किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित है।

योजनान्तर्गत कार्यों की क्रियान्वयन विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा किया जाता है। राशि व्यय करने की मुख्य जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सियों की होती है। यदि कार्यों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उचित स्तर पर जांच करवा ली जाती है और जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाती है। ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा समय-समय पर कार्यकारी एजेन्सियों को राशि का उपयोग नियमानुसार एवं शीघ्र करने के लिये पाबन्द किया जाता है जिससे कि उपलब्ध राशि का निर्धारित प्रतिशत तक व्यय होते ही भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिये जाए एवं राज्य सरकार द्वारा ये भी प्रयास किये जाते हैं कि आगामी किस्त की राशि शीघ्र उपलब्ध हो सके। कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा क्षेत्र में बाढ़ इत्यादि के प्रकोप के कारण कभी-कभी कम व्यय किया जाता है, जिससे भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाने में विलम्ब होता है एवं राशि विलम्ब से प्राप्त होती है।

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, जब खण्ड दो का उत्तर दे रहे थे तो यह भूल गये कि पहले खण्ड में क्या जवाब दिया था और तीसरे खण्ड का जवाब दिया तब दूसरे खण्ड को भूल गये। इतना विरोधाभास एक ही प्रश्न के जवाब के अन्दर शायद ही कहीं देखने को मिला हो। पहले खण्ड में आप फरमाते हैं कि उपलब्ध धनराशि में से किये गये व्यय के आधार पर आगामी किस्त दी जाती है और लिखा है कि वर्ष के लिये कोई प्रावधान निश्चित नहीं है और तीसरे खण्ड में ये कहते हैं कि इस योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि में से दिया जाता है। पहले में तो कहते हैं कि कोई प्रावधान नहीं है और तीसरे में कहते हैं कि योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि में से दिया जाता है। और दूसरे में दोनों ही बातों को भूल गये। दूसरे में कहते हैं कि किये गये व्यय के आधार पर धनराशि दी जाती है। तो कौनसी बात को सच मानें?

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर तो पूरा दे दिया न।

श्री रमाकान्त शर्मा : नहीं दिया। प्रश्न सुन लीजिये आप। किये गये व्यय के आधार पर मानें कि कोई प्रावधान किया है या जो योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि है उसको मानें? अब मैं यह निवेदन कर रहा हूं, जैसा कि इन्होंने कहा किये गये व्यय के आधार पर दी जाती है, तो क्या धनराशि असीमित उपलब्ध है? असीमित उपलब्ध नहीं है। कोई न कोई तो सीमा निश्चित की गयी होगी। तो फिर कैसे कहते हैं कि योजना में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है? तीसरा मेरा प्रश्न यह है, जब ये कहते हैं कि व्यय के आधार पर दिया जाता है तो 1994-95 के अन्दर व्यय तो निल था, जैसे, सिर्फ 1995-96 में 75 लाख कैसे मिल गये? 1995-96 में आबंटित किया गया था 75 लाख रुपये तो सिर्फ 41 लाख ही खर्च क्यों किये गये? जब 75 लाख मिला हुआ था तो 41 लाख खर्च करना चाहिए था? मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जिस समय प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, तो इनका खून गर्म होना चाहिए था। उस अधिकारी से पूछना चाहिए था। केवल मात्र छोटा-सा प्रश्न यह था कि सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत थानागाजी में जितनी धनराशि दी जाती है वह व्यय नहीं हो रही है और निरन्तर तीन वर्ष का रिकार्ड दिया गया है। न तो व्यय होता है और न काम होते हैं। इसके बारे में प्रश्न था। ये सारी की सारी चीजें सामने रखी हुई थीं इसके बारे में इनको बात पूछनी चाहिए थी। आप फरमाते हैं चौथे खण्ड के उत्तर के अन्दर, कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।—(व्यवधान)

पहले मैं अपना प्रश्न पूछ लूं, इसके बाद जवाब दीजियेगा।

शिकायत नहीं हुई, शिकायतों पर काम किया जाएगा। जब सामने लिखा हुआ है कि 1994-95 में 37 लाख रुपये दिये, एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। 1995-96 के अन्दर 75 लाख रुपया दिया, केवल मात्र 41 लाख रुपया खर्च हुआ। इससे ज्यादा और क्या शिकायत होगी? इसके बारें में कार्यवाही करनी चाहिए थी, क्यों नहीं कार्यवाही की? फिर इन्होंने दूसरे पर टालने के लिये कह दिया कि दूसरे विभागों को काम करना होता है इसलिए काम नहीं हुआ। दूसरे विभागों को काम करना होता है तो कलक्टर के नीचे सारे के सारे जो इस मामले में काम करने वाले विभाग हैं, सीधे उनके उत्तरदायित्व में हैं तो उन्होंने उनसे पूछा क्यों नहीं? यदि उनके पास जवाब नहीं था तो उन्होंने उन विभागाध्यक्षों को क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं उनसे जानकारी प्राप्त की कि इतना रुपया आपको दिया गया था, सारा खर्च नहीं किया गया है? मैं पुनः कहना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित धनराशि जो दी जाती है, उन गरीब क्षेत्रों को दी जाती है जहां लोगों के लिए रोजगार नहीं है। उनको साल के अन्दर कम से कम 100 दिन रोजगार मिले इसलिए दी जाती है, न कि

(श्री रमाकान्त शर्मा)

मार्च के महीने के अन्दर जो आया वह आपने सैंक्शन कर दिया और दो वर्ष के अन्दर खर्च होती रही। इस तरह की और दूसरी जो योजनाएं हैं उनके साथ करके इस योजना का जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य की समाप्ति हो रही है।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि यह केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है और इसके अन्दर, यह सही है कि कोई सीमा नहीं है। जितना पैसा हम खर्च करते हैं उसका हिसाब केन्द्र सरकार को भेजते हैं, उसके आधार पर वह नैक्स्ट किस्त हमको भेज देती है। इनके क्षेत्र के अन्दर थानागाजी पंचायत समिति में यह योजना 1994-95 में लागू हुई और वर्ष के अन्तिम समय में लागू हुई। जो 37.50 लाख रुपया मिला वह मार्च के अन्दर राज्य सरकार को मिला। इतने कम समय में स्वीकृति जारी करना, कामों का तय करना सम्भव नहीं था। वह पैसा अगले साल में कैरी फारवर्ड हुआ। अगले साल 75 लाख रुपये मिले। इसमें कामों की सैंक्शन जारी कर दी जाती है और कामों के आधार पर पैसा उनको अलाट किया जाता है। कार्यकारी एजेन्सी दूसरी है, दूसरी एजेन्सियों के माध्यम से कार्य किया जाता है। जैसे-जैसे उनका हिसाब डी. आर. डी. ए. में आता है, डी. आर. डी. ए. के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा जाता है और राज्य सरकार केन्द्र सरकार को भेजती है। मेरी समझ में तो मेरे जवाब में कोई एम्बीग्युटी नहीं है और मैंने इतना स्पष्ट और विस्तृत उत्तर दिया है जिसके अन्दर यदि माननीय सदस्य उसको—

श्री उपाध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि क्रमवार उत्तर नहीं दिया, क्रमवार।

श्री अनंग कुमार जैन : मैं जवाब को दुबारा पढ़ देता हूं। मैंने क्रमवार ही उत्तर दिया है।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय मंत्री महोदय, फिर जरा सोच समझकर बताएं। यदि ये कहते हैं कि असीमित धनराशि है तो फिर हमारे लिए लज्जा का प्रश्न है कि हम कुल मिलाकर 41 लाख क्यों खर्च करते हैं, 41 करोड़ क्यों नहीं खर्च करते हैं। जो इतने पिछड़े हुए इलाके हैं और जहां पर इतनी ज्यादा गरीबी है, 41 करोड़ क्यों नहीं खर्च करते हैं, यदि प्रावधान निश्चित नहीं है तो प्रावधान निश्चित है।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें तो आपका सहयोग वांछनीय है।

श्री रमाकान्त शर्मा : मेरा सहयोग तो मिल रहा है बहुत अच्छी तरह से। पर सदन के अन्दर यह कहना कि जो प्रावधान है वह असीमित है। असीमित है तो मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, कम से कम अगले साल तो आप आश्वासन दीजिए कि प्रति वर्ष तीन करोड़ रुपया खर्च होगा, मिनिमम। तीन करोड़ ही मांग रहा हूं मैं तो, वरना असीमित में तो दस करोड़ भी हो सकते हैं और 18 करोड़ भी हो सकते

(श्री रमाकान्त शर्मा)

हैं। एक तो मैं आपसे यह निदेवन कर रहा था।

दूसरी बात यह है, मान लिया कि मार्च के अन्दर मिला था–हालांकि यह बात तो सही नहीं है कि मार्च के अन्दर मिला था पर मैं तो आपकी बात मान लेता हूं कि मार्च में मिला था तो फिर 1995-96 के अन्दर वह 37 लाख रुपया तो तत्काल खर्च हो जाना चाहिए था। उसकी मार्च तो खतम हो गयी थी, अप्रेल शुरू हो गयी थी इसलिए वह 37 लाख तो खर्च हो जाता। परन्तु स्थिति यह है कि 75 लाख और 37 लाख दोनों को मिलाकर एक करोड़ बारह लाख होता है, उसमें से 41 लाख खर्च हुए जब दूसरे साल में, क्या हो गया था? पहले साल का तो कह दिया था आपने कि मार्च में आया था पर जब एक करोड़ बारह लाख रुपया आपके पास नकद रखा हुआ है उसके अन्दर खर्च किया जाता है 41 लाख। आप कम से कम यह तो मंगाकर देखते कि जो स्वीकृतियां हैं वे बराबर अप्रेल में जारी कर दीं कि नहीं कर दीं। जब उनके पास में 37 लाख रुपया अपना मौजूद था 12 महीने तक क्यों इन्तजार किया उन्होंने?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लज्जा का विषय किसके लिए है यह तो माननीय सदस्य तय कर लेंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन पंचायत समितियों में जागरुक विधायक हैं यदि उन्होंने एक करोड़ से ऊपर के काम दिये हैं और वे काम स्वीकृत हो गये हैं तो उससे ज्यादा पैसा भी हमको केन्द्र सरकार ने दिया है। गवर्निंग कौन्सिल की मीटिंग में माननीय सदस्य बैठते हैं वहां काम तय होता है, शासकीय निकाय की बैठक में माननीय विधायकगण बैठते हैं, वहां ये अपना प्रस्ताव देते हैं। पंचायत समिति के माध्यम से प्रस्ताव गवर्निंग कौन्सिल में भेजे जाते हैं। यदि जल्दी प्रस्ताव जाते हैं तो जल्दी स्वीकृति जारी होती है और जल्दी स्वीकृति जारी होती है तो जल्दी काम सम्पन्न होते हैं। जैसे ही हमको पंचायत समिति से हिसाब मिलता है वह हिसाब हम केन्द्र सरकार को भेजते हैं। जब तक हम पचास प्रतिशत व्यय का हिसाब नहीं भेजते हैं तब तक केन्द्र सरकार अगले साल पैसा नहीं देती। मैं आज भी बहुत आथेन्टिकली निवेदन कर रहा हूं कि इसमें लिमिट नहीं है। यदि पांच करोड़ के प्रस्ताव भेजेंगे और ये ढाई करोड़ का खर्चा बता देंगे तो हम ढाई करोड़ और इनको अगले साल दिलवा देंगे। पर ये स्वयं वहां जागरुक रहकर पंचायत समिति के अन्दर अपने कामों को जल्दी करवाएंगे तब सारी जिम्मेदारी है। यदि आप वहां नहीं जाएं और यहां सिर्फ एक बात कह दें कि "लज्जाजनक" है, क्या लज्जाजनक है इसमें? इसमें राज्य सरकार तो बिलकुल जागरुक है। लगातार केन्द्र सरकार से प्रयास करती है, पैसा मंगवाती है, काम समय पर आबंटित करती है। इसमें लज्जाजनक बात क्या हुई? इसलिए मैं

(श्री अनंग कुमार जैन)

माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आने वाले वर्ष के अन्दर पहली अप्रल से ही जागरुक रहें और पंचायत समिति से प्रस्ताव भिजवाएं। सैंक्शंस जल्दी-जल्दी वहां से लागू करवाएंगे। आपका काम पूरा होगा, जितना पैसा आप व्यय करवा दोगे उसका हिसाब आते ही अगला पैसा हम केन्द्रीय सरकार से मांगेंगे। केन्द्र सरकार से हमको बराबर पैसा मिल रहा है और हम पैसा दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से उत्तर पर्याप्त है।

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात आप सुनेंगे, आप स्वयं साक्षी हैं कि मैं जागरुक हूं या सो रहा हूं क्योंकि हर मीटिंग के अन्दर आप वहां बिराजे होते हैं। हर डी. आर. डी. ए. की मीटिंग के अन्दर मैं क्या बोलता हूं, आप स्वयं इस बात के साक्षी हैं कि मैंने कितने प्रस्ताव दे रखे हैं। यदि मैं दो करोड़ के प्रस्ताव देता हूं तब जाकर बीस लाख की उम्मीद करता हूं। मैंने करोड़ों रुपयों के प्रस्ताव दे रखे हैं। मैंने अभी भी इतने प्रस्ताव दे रखे हैं कि आपकी धनराशि के अन्दर अगले दस वर्ष में आप पूरा नहीं कर सकते। इतने प्रस्ताव दे रखे हैं मैंने। और कोई मीटिंग नहीं है जो मैंने अटेण्ड नहीं की हो। उस सबके साक्षी आप स्वयं हैं इसलिए माननीय मंत्री महोदय मुझे जागरुकता का जो सबक दे रहे हैं मैं उनका बहुत आभारी हूं परन्तु मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि स्वयं भी जागरुक हों।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट पुकार लिया है।

प्रश्न संख्या-165

श्री रिछपाल सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-166

श्री लक्ष्मणसिंह रावत।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-167

श्री कालूलाल गूजर।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री मूलसिंह शेखावत।

जिला झुन्झुनूं के ग्रामों की विद्युत लाइनें

168. **श्री मूलसिंह शेखावत** (झुन्झुनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं के पास भोमपुरा धूमनसर खुर्द में हरिजन व पिछड़े वर्ग की बस्तियों के ऊपर से एच. टी. लाइन जाने से दुर्घटना की आशंका रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें हटाने का विचार रखती है?

(श्री मूलसिंह शेखावत)

(2) क्या चिड़ावा शहर में पावर हाउस से बख्तावरपुरा की एच. टी. विद्युत लाइन घरों के ऊपर से जाती है? यदि हां, तो क्या इसके कारण अनेक मौतें भी हो चुकी हैं? क्या सरकार की इस लाइन को स्थानान्तरित करने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक?

ऊर्जा मंत्री (श्री रघुवीर सिंह कौशल) : (1) विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं के ग्राम भोमपुरा में हरिजन व पिछड़े वर्ग की बस्ती पर से कोई भी एच. टी. लाइन नहीं जाती है। ग्राम धूमनसर खुर्द में बस्ती के ऊपर से एच. टी. लाइन जा रही है क्योंकि 1977-78 में यह लाइन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा खींची गयी थी। इसके बाद में इन लाइनों के नीचे लोगों ने बसना शुरू कर दिया।

इस सम्बन्ध में भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 की धारा 82 (3) के अन्तर्गत स्पष्ट लेख है कि कोई भी व्यक्ति/संस्था विद्युत लाइन के नीचे या उसके समीप में कोई इमारत, स्ट्रक्चर इत्यादि बिना विद्युत निरीक्षक की पूर्वानुमति के खड़ी नहीं कर सकता है। यदि कोई ऐसा करता है तो इसी अधिनियम की धारा 140 के तहत उस पर जुर्माना हो सकता है एवं निर्माण करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था को पूर्व में खड़ी लाइन को शिफ्ट करवाने का समस्त खर्चा वहन करना होगा। यदि लाइन के नीचे आबाद लोग नियमानुसार मण्डल में आवेदन करें एवं लाइन शिफ्ट के लिए राशि जमा करवाएं तो लाइन शिफ्ट की जा सकती है।

(2) चिड़ावा शहर में, पावर हाउस से बख्तावरपुरा को जाने वाली 33 के. वी. एच. टी. लाइन वर्ष 1965 में खींची गयी थी। उस समय लाइन के रास्ते एवं आस-पास कृषि भूमि ही थी। लाइन के नीचे एवं आस-पास में कोई भी आवासीय मकान नहीं थे। इसके बाद इस लाइन के नीचे व आस-पास बहुत से मकान विद्युत नियमों को ध्यान में रखे बिना ही बना लिये गये हैं। मकान बनाते समय मकान, छत एवं दीवारों की लाइन से दूरी नियमानुसार नहीं रखी गयी है। इस कारण सम्बन्धित व्यक्ति की लापरवाही, भूल की वजह से घातक दुर्घटना हुई है। यदि सम्बन्धित व्यक्ति या बस्ती के लोग लाइन हटाने का खर्चा मण्डल नियमानुसार वहन कर लेते हैं तो लाइन शिफ्ट की जा सकती है। मण्डल के नये नियमों के अनुसार लाइन शिफ्टिंग चार्जेज में आवेदक को 50 प्रतिशत की राहत दी गयी है। यदि आवेदक लाइन शिफ्टिंग चार्जेज की कुल लागत की पचास प्रतिशत राशि भी जमा करा दे तो लाइन शिफ्ट की जा सकती है।

श्री मूलसिंह शेखावत : धन्यवाद मंत्री महोदय, आपके उत्तर से सन्तुष्ट हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

(12.00)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

आगरा रोड जयपुर में मुर्गीपालन हेतु आबंटित भू-खण्ड

156. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) एवं **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में आगरा रोड पर मुर्गीपालन के लिये पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना करके मुर्गीपालन के लिये प्लॉट काटे गये? यदि हां, तो कितने-कितने प्लॉट कब काटे गये तथा उन्हें किस-किस को कितनी-कितनी साइज के व कब-कब आबंटित किये गये? नाम, पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि को किन-किन शर्तों पर आबंटित किया गया व कितनी-कितनी राशि ली गई? आबंटन की शर्तों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिनकी मुर्गीपालन हेतु भूमि आबंटित की गई थी उन्होंने आबंटन की शर्तों का उल्लंघन किया और पोल्ट्री फार्म के स्थान पर अपने मकान बना लिये? यदि हां, तो किस-किसने कब-कब कौन-कौन सी शर्तों का उल्लघंन किया और सरकार द्वारा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(4) मौजूदा समय उक्त प्लॉटों में कितने मुर्गीपालन केन्द्र किन-किन के हैं और किन-किन ने अपने मकान बना रखे हैं तथा कितने प्लॉट खाली हैं?

(5) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा अब आगे क्या कार्यवाही कब तक किये जाने का विचार है?

उत्तर

(1) जी हां। इसमें 171 प्लाट काटे गये। जिनमें से निम्नांकित साईज के 153 प्लॉट कुक्कुट पालकों को आबंटित किये गये : —

84 प्लाट	1500 वर्ग मीटर
56 प्लाट	1000 वर्ग मीटर
13 प्लाट	भिन्न-भिन्न साइज
153 प्लाट	(सूची संलग्न है)

(2) आबंटन की शर्तें लीज डीड में दर्शाई गई है (जिसकी प्रति संलग्न है) वर्ष 1976 में विकास शुल्क की राशि रु. 01.30 पैसे तथा वर्ष 1980 से 1986 तक रु. 10/- प्रति वर्गमीटर की दर से कुक्कुट पालकों से ली गई।

(3) जी हां। आबंटियों में से 137 डिफाल्टर्स हैं, जिन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया है। वर्ष 1996 तक 137 आबंटियों के भूखण्ड निरस्त किये जा चुके हैं (सूची संलग्न है) अधिकतर आबंटियों द्वारा लीज डीड की शर्त संख्या 3, 9, 12 का उल्लंघन किया गया है।

(4) वर्तमान में 4 पोल्ट्री फार्म चल रहे हैं (सूची संलग्न है) लीज डीड की शर्तों के तहत समस्त आबंटियों को 10% भूमि पर रिहायशी मकान का निर्माण करवाना अनिवार्य था। समस्त आबंटियों के रिहायशी मकान बने हुए हैं।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

(5) विभागीय स्तर पर डिफाल्टर्स कुक्कुट पालकों के 137 प्लॉट निरस्त किये जा चुके हैं। इनमें से 106 कुक्कुट पालकों ने न्यायालय में वाद दायर कर दिया है। न्यायालय के निर्णय उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में विद्युत उत्पादन

157. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) एवं श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में प्रदेश में कितनी यूनिट बिजली की मांग है तथा कितनी बिजली का प्रदेश में उत्पादन होता है और कितनी बिजली बाहर से ली जाती है?

(2) क्या बाह्य स्रोतों से बिजली लेने के कोई करार या समझौते किए गये हैं? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस वर्ष बिजली उत्पादन किये जाने सम्बन्धी कोई करार किये गये हैं या कोई आशय-पत्र जारी किए गये हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1995-96 में कुल विद्युत उपलब्धता 178805.46 लाख यूनिट रही। इसमें 78949.82 लाख यूनिट विभिन्न विद्युत गृहों से उपलब्ध हुई व 99855.64 लाख यूनिट खरीदी गई। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किये गये पंद्रहवें विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1996-97 में विद्युत की आवश्यकता 215770 लाख यूनिट आंकी गई है। वर्ष 1996-97 में जनवरी के अन्त तक 148820.04 लाख यूनिट उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिसमें से 45786.64 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन राज्य विद्युत मण्डल के विद्युत गृहों से व 31842.59 लाख यूनिट राज्य की भागीदारी के विद्युत गृहों से उपलब्ध कराई गई। शेष विद्युत केन्द्रीय संस्थानों के विद्युत गृहों व अन्य राज्यों से क्रय की गई।

(2) जी हां। उत्तरी ग्रिड से राजस्थान से बाहर स्थित केन्द्रीय विद्युत गृहों से केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान को आबंटित बिजली के अतिरिक्त राज्य सरकार/विद्युत मण्डल स्वयं के द्वारा भी पड़ौसी राज्यों से द्विपक्षीय समझौते के आधार पर विद्युत क्रय की जाती है। इस समझौते के आधार पर हिमाचल प्रदेश व पंजाब से अतिरिक्त बिजली प्राप्त की जा रही है। हिमाचल प्रदेश से हुये विद्युत क्रय सम्बन्धित समझौते की प्रति परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है। अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने इस वर्ष पंजाब से रबी मौसम में 30 से 50 लाख यूनिट प्रतिदिन अर्थात् ग्लोबल रेट पर 12 पैसे अतिरिक्त पर लेने का आग्रह किया था, जिसे पंजाब बिजली बोर्ड ने स्वीकार कर लिया व दिनांक 21.11.96 से राज्य को 40 लाख यूनिट प्रतिदिन के लगभग बिजली मिलना शुरू हो गया।

(3) निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले विद्युत उत्पादक केन्द्रों के साथ विद्युत क्रय

(ऊर्जा मंत्री)

समझौते किये गये हैं जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। मुख्य रूप से निम्न चार तरह के विद्युत उत्पादक केन्द्र निजी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं : —

1. तरल ईंधन आधारित लघु विद्युत गृह
2. तरल ईंधन आधारित वृहद विद्युत गृह
3. लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह
4. सोलर ऊर्जा आधारित विद्युत गृह

उपरोक्त चारों प्रकार के विद्युत केन्द्रों के साथ हुये विद्युत क्रय समझौते वृहद् होने के कारण समझौते के मुख्य बिन्दुओं का सार क्रमशः परिशिष्ट "ब" "स" "द" एवं "ई" में सदन के पटल पर रखा दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम बरोल (अकलेरा) में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

159. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि अकलेरा तहसील के ग्राम बरोल की सरकारी भूमि खसरा नं. 615, 616, 622, 623 जो राष्ट्रीय राज्य मार्ग 12 के सहारे वर्मा कृषि फार्म से लगी की हुई है पर अकलेरा के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो अतिक्रम करने वाले कौन-कौन व्यक्ति हैं तथा गत 10 वर्ष से इस भूमि पर किसका कब्जा रहा है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सरकारी भूमि की बाजार दर काफी अधिक है? क्या यह भी सही है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने वर्ष 1994-95 व 1995-96 में इस भूमि पर राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपना कब्जा दर्ज करवाया व वर्ष 1996-97 में इस पर श्री मांगीलाल व श्री मूलचन्द पुत्र श्री प्रताप बारेठ का कब्जा दर्ज करवाया गया है?

(3) क्या यह सही है कि यह भूमि श्री प्रताप बारेठ पुत्र श्री चौथमल बारेठ निवासी बरोल को आबंटित की गई थी? यदि हां, तो कब तथा इस भूमि पर उसका कब से कब तक कब्जा रहा?

(4) क्या सरकार इस सरकारी भूमि को प्रभावशाली लोगों के कब्जों से मुक्त करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों व यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम बरोल तहसील अकलेरा की ख. नं. 615 की 1 बीघा, 616 की 2 बीघा 9 बिस्वा, 622 की 3 बीघा व 623 की 1 बीघा कुल 4 बीघा 12 बिस्वा स्थित है। यह भूमि सरकारी राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 12 के सहारे वर्मा कृषि फार्म से लगी हुई है। इस भूमि पर पिछले 10 वर्षों से अर्थात् सं. 2042 से अब तक विभिन्न व्यक्तियों का कब्जा रहा है। उनकी सूची व विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त भूमि की बाजार दर 75,000/-रुपये प्रति बीघा है। यह सही नहीं है कि राजस्व भूमि पर अधिकारियों से मिलकर कब्जा दर्ज करवाया गया है। अतिक्रमियों के द्वारा अपने स्तर पर ही अतिक्रमण करने पर नियमानुसार भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती है। वर्ष 1996-97 में

(राजस्व मंत्री)

इस भूमि पर मांगीलाल, मूलचन्द पिसरान, प्रताप बारेठ थडोल का कब्जा किये जानें की अतिक्रमण रिपोर्ट पेश होने पर ही उसके विरुद्ध कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) जी हां। प्रताप/चौथमल बारेठ को दि. 18.10.77 को उक्त आराजी का आबंटन हुआ था। इस भूमि पर उसके पुत्रों का कब्जा सं. 2053 में रहा।

(4) जी हां। अतिक्रमियों के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश होने पर उनके विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही नियमानुसार की जाकर अतिक्रमियों को आराजी से बेदखल किये जाने की कार्यवाही सक्षम न्यायालय द्वारा की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

मुन्सिफ न्यायालय खैरवाड़ा में लम्बित प्रकरण

161. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या मुख्य (विधि एवं न्याय) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में गत 15 वर्षों से एम. जे. एम. न्यायालय कार्यरत है? यदि हां, तो इस न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विचाराधीन मुकदमों की संख्या अधिक होने के कारण न्याय पाने में विलम्ब हो जाता है? यदि हां, तो विचाराधीन मुकदमों का तीव्र गति से निस्तारण करवाने हेतु सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार खैरवाड़ा के एम. जे. एम. कोर्ट को ए. सी. जे. एम. न्यायालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि खैरवाड़ा मुख्यालय पर अपर जिला एवं सैशन न्यायालय, सलूम्बर का कैम्प लगाने की भी मांगे की जा रही है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार कब तक, कैम्प लगाने के आदेश देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि खैरवाड़ा में विगत 15 वर्षों से एम. जे. एम. (सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट) का न्यायालय कार्यरत है।

उक्त न्यायालय में दिनांक 31.12.96 को विचाराधीन मुकदमों की संख्या निम्न प्रकार थी : —

1. रैग्यूलर फौजदारी	3035
2. मुतफरकत फौजदारी	121
3. दीवानी	72
4. मुतफरकात दीवानी	15
5. ईजराय	9

(2) जी हां। यह सही है कि विचाराधीन प्रकरणों की संख्या अधिक होने के कारण न्याय पाने में विलम्ब हो जाता है क्योंकि न्यायालय में दिनांक 3.6.95 से 9.6.96 तक पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण लम्बित प्रकरणों की संख्या अधिक हो गयी थी जिनका निस्तारण पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हो जाने के कारण तीव्रता से हो रहा है।

(मुख्य (विधि एवं न्याय) मंत्री)

(3) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 1996-97 में एम.जे. एम. न्यायालय, खैरवाड़ा की ए. सी. जे. एम. न्यायालय में क्रमोन्नत करने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) जी हां। खैरवाड़ा मुख्यालय पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, सलूम्बर का कैम्प कोर्ट लगाने की मांग की जा रही है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण फिलहाल खैरवाड़ा में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, सलूम्बर का कैम्प स्थापित करने का मामला विचाराधीन नहीं है।

पी. डी. खातों में जमा राशियां

163. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं द्वारा माह अप्रेल, 1996 में राज्य सरकार के पी. डी. खाते में राशियां जमा कराई गई थीं? यदि हां, तो किस-किस संस्था द्वारा कितनी-कितनी राशि और क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त संस्थाओं ने इसी कलेण्डर वर्ष में कभी और भी राशियां पी. डी. खाते में जमा कराई हैं? यदि हां, तो कब-कब कितनी-कितनी राशि किस-किस संस्था ने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संस्थाओं द्वारा राशि जमा कराने के कारण ब्याज का कितना नुकसान इन संस्थाओं को हुआ तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार के वित्त विभाग के चाहेनुसार माह अप्रेल, 1996 में सहकारी संस्थाओं द्वारा पी. डी. खाते में निम्नानुसार राशियां जमा कराई गई थीं : —

1.	राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ लि.	200.00 लाख
2.	राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि., जयपुर	150.00 लाख
3.	राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फैडरेशन	67.00 लाख
4.	राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर।	300.00 लाख
5.	राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.	1500.00 लाख

(2) सहकारी विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाली सहकारी संस्थाओं द्वारा इसी कलेण्डर वर्ष में और राशि जमा नहीं करायी गयी।

(3) सरकारी संस्थाओं द्वारा राशि जमा कराने से उन्हें ब्याज का कोई नुकसान नहीं हुआ है। चूंकि ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा दे दी जायेगी।

नागौर जिले के माध्यमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

165. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री रिछपाल सिंह)

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में वर्तमान में कुल कितने माध्यमिक विद्यालय कार्यरत हैं? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1993-94 से 1996-97 तक कितने माध्यमिक विद्यालयों को जिला नागौर में क्रमोन्नत किया गया? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में तहसील डेगाना (नागौर) की किसी भी माध्यमिक पाठशाला को क्रमोन्नत नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान डेगाना तहसील के माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी पाठशालाओं को व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना से 14 माध्यमिक विद्यालय (13 + 1 छात्रा) संचालित है। विद्यालयवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 1993-94 से 1996-97 तक कुल 134 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। डेगाना तहसील की थावली माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है।

(4) राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित वित्तीय प्रावधानों के तहत प्राप्त प्रस्तावों के निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर राज्य के अन्य प्रस्तावों के साथ विधान सभा क्षेत्र डेगाना के प्राप्त प्रस्तावों पर भी गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत हेतु समग्र विचार किया जा सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

फसल बीमा योजना

166. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सरकार किसानों के हितार्थ "फसल बीमा योजना" लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से एवं नहीं, तो क्यों?

(2) देश के किस-किस राज्य में फसल बीमा योजना कब से चल रही है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार स्वयं के वित्तीय संसाधनों से फसल बीमा योजना लागू करने का विचार नहीं रखती है। राज्य के आर्थिक संसाधन इस योजना का भार उठाने में समर्थ नहीं हैं।

(2) भारत सरकार की "कम्प्रीहेन्सिव क्रोप इन्स्योरेन्स स्कीम" के तहत निम्न 11 राज्यों ने 1985 से खरीफ-95 तक फसल बीमा योजना लागू की है : —

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल।

तहसील मांडल (भीलवाड़ा) में संचालित चिकित्सा केन्द्र

167. श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) :

(श्री कालूलाल गूजर)

क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में कुल कितने पशु चिकित्सालय व उप स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सभी स्वास्थ्य केन्द्रों और उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कौन-कौन अधिकारी और कर्मचारी पदस्थापित हैं?

(3) क्या यह सही है कि इन केन्द्रों में कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किस-किस केन्द्र पर कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? लम्बे समय से पद रिक्त होने के क्या कारण हैं? सरकार इन पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

(4) क्या यह सही है कि घोडास, भगवानपुरा, बेमाली और चिताम्बा, गोरख्या केन्द्रों पर कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से और क्यों? सरकार इन पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में 4 पशु चिकित्सालय एवं 3 पशु औषधालय तथा इनके 6 उप केन्द्र कार्यशील हैं। सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्त संस्थाओं में कार्यशील अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची संलग्न है। "ब"

(3) जी हां। इन संस्थाओं में रिक्त पदों की स्थिति सूची "ब" में दर्शाई गई है। चयनित/प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त हैं।

(4) उप केन्द्र घोडास, भगवानपुरा, गोरख्या एवं चिताम्बा के पद भरे हुए हैं एवं उप केन्द्र चालू हैं।

उपकेन्द्र बेमाली में फरवरी के तृतीय सप्ताह से पदोन्नति के कारण रिक्त है। इन पदों को भरने की शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा

266. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में जब से एंजियोग्राफी की निदान प्रक्रिया चालू की गई है, तब से अब तक कितने पेंशनरों की एंजियोग्राफी की गई तथा क्या उनके द्वारा किये गये व्यय का पुनर्भरण किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जब पेंशनर को एंजियोग्राफी के लिए अन्तरंग रोगी के रूप में भर्ती किया जाता है तो दवा का खर्च अस्पताल द्वारा नियम 4 (7) से नहीं किया जाता? यदि हां, तो न्यासी बोर्ड द्वारा इस बारे में कब और क्या निर्णय

(श्री उगमराज मेहता)

लिया गया तथा कितने पेंशनरों को सुविधा प्रदान की गई तथा कितनों को सुविधा से वंचित किया गया और क्यों ?

(3) न्यास निधि कोष का सालाना ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है तथा किस अवधि तक का ऑडिट हो चुका है ? वर्ष 1990 से 1996 तक की ऑडिट रिपोर्ट मय प्रशासनिक रिपोर्ट के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या मेडिकल डायरी का मूल्य 1.50 से 7.50 रुपये किया गया है ? क्या राजस्थान पेंशनर समाज ने सस्ती दरों पर मेडिकल डायरी छाप कर वितरित करने का प्रस्ताव रखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई डायरी को छपाने का कार्य व वितरण का कार्य अराजकीय संस्थाओं को क्यों नहीं दिया जाता, जबकि प्रमाणीकरण तो टी. ओ. और पी. पी. ओ. द्वारा ही किया जाता है ?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल में जब से एंजियोग्राफी की निदान प्रक्रिया चालू की गई है तब से अब तक 334 पेंशनरों की एंजियोग्राफी की गई है। एंजियोग्राफी पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण पेंशनरों को करने का नियमों में प्रावधान नहीं है।

(2) एंजियोग्राफी के लिए अंतरंग रोगी के रूप में भरती होने पर दवा की व्यवस्था अस्पताल द्वारा किये जाने का नियमों में प्रावधान है। एंजियोग्राफी लेबोरेट्री फीस की 1000/-रु. की राशि पेंशनरों से नहीं ली जाती है। न्यासी बोर्ड की बैठक दिनांक 5.4.1994 में यह निर्णय लिया गया था कि पेंशनर की एंजियोग्राफी पर अस्पताल द्वारा किये गए व्यय का पुनर्भरण अस्पताल को पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने पर पेंशनर चिकित्सा निधि से कर दिया जाये।

(3) न्यास निधि कोष का ऑडिट स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 1981 से 1994-95 तक का ऑडिट किया जा चुका है। वर्ष 1990-91से वर्ष 1994-95 तक के अंकेक्षण की प्रतियां संलग्न की जा रही है।

(4) जी नहीं।

जी नहीं। योजना के शुरू होने से अब तक डायरी छपवाने का कार्य राजकीय मुद्रणालय से करवाया जा रहा है। डायरी वितरण का कार्य पूर्व में राजस्थान पेंशनर समाज द्वारा भी किया गया था जिसे न्यासी बोर्ड की बैठक दिनांक 22.6.92 में लिये गए निर्णयानुसार बन्द कर दिया गया था। न्यासी बोर्ड की बैठक दिनांक 5.4.1994 में लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान पेंशनर समाज को राजकीय मुद्रणालय से डायरियां खरीद कर पेंशनरों को वितरित करने हेतु पुनः अधिकृत किया गया है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य सेवा में भर्ती पर रोक प्रकरण

267. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री किशन मोटवानी)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्तमान में किसी भी पद हेतु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति देने में रोक लगाई गई है ? यदि हां, तो सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पर रोक किस-किस विभाग में किस-किस पद हेतु लगाई गई है ?

(2) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पर रोक में क्या मृतक राज्य कर्मचारी/विधवा/तलाक शुदा महिलाएं भी सम्मिलित हैं ?

उत्तर

(1) सभी विभागों में लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर की जाने वाली नियुक्तियों को छोड़कर किसी भी नई नियुक्ति से पूर्व वित्त विभाग की सहमति आवश्यक है।

(2) मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति से पूर्व भी वित्त विभाग की सहमति आवश्यक है।

राज्य में संचालित योजनाएं

268. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विश्व बैंक व अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाओं के आर्थिक सहायोग से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी व कितनी-कितनी राशि की?

(2) उक्त संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही आर्थिक सहायता में कितना कितना ऋण व अनुदान है तथा ऋण पर ब्याज किस दर से दिया जायेगा ?

(3) इन योजनाओं के अलावा पूर्व में उपरोक्त वित्तीय संस्थाओं से कितना ऋण सरकार ने ले रखा है ? जिस पर कितना ब्याज प्रति वर्ष दिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि राज्य में विश्व बैंक व अन्य विदेशी संस्थाओं के आर्थिक सहयोग से 15 परियोजनाएं संचालित की जा रही है। परियोजनावार सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। विदेशी संस्थाओं से आर्थिक सहायता पहले केन्द्र सरकार प्राप्त करती है तत्पश्चात् ऋण एवं अनुदान के रूप में राज्य सरकार को प्रदान करती है।

(2) उपरोक्त संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी जा रही आर्थिक सहायता सामान्यतः 70 प्रतिशत ऋण एवं 30 प्रतिशत अनुदान की राशि होती है। ब्याज की दर का अनुबन्ध समय-समय पर आर्थिक मामलात, वित्त विभाग भारत सरकार द्वारा विदेशी संस्थाओं के साथ किया जाता है।

(3) पूर्व में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर राज्य सरकार ने वर्ष 1995-96 तक रुपये 546 करोड़ का ऋण ले रखा है, जिस पर वर्ष 1995-96 में रूपये 38.41 करोड़ ब्याज के पेटे भारत सरकार को चुकाये गये हैं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की गृह जिले में नियुक्ति प्रकरण

269. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उनके गृह जिले में पदस्थापित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भरतपुर के नगर विकास न्यास में सचिव के पद पर किसी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को पदस्थापित किया गया है ? यदि हां, तो किसे व कब से ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी भरतपुर जिले का मूल निवासी है ? यदि हां, तो नियम विरुद्ध नियुक्ति के सम्बन्ध में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध कई गम्भीर शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या व उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त न्यास से अब इस अधिकारी को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम 1954 में ऐसा कोई नियम, जिसमें गृह जिले में पदस्थापन पर रोक हो, नहीं है।

(2) जी हां। सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री नारायण लाल मीणा दिनांक 29.7.1995 से पदस्थापित है।

(3) जी हां। रिकार्ड के आधार पर श्री एन. एल. मीणा का गृह जिला भरतपुर है। स्टाफ आफिसर के रूप में गृह जिले में पदस्थापन नियम विरुद्ध नहीं है, अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(4) भरतपुर के नगर विकास न्यास सचिव पद पर पदस्थापन के पश्चात राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री नारायण लाल मीणा के विरुद्ध दो शिकायतें प्राप्त हुई थी। जिनमें से एक में सामान्य रूप से क्षेत्र के लोगों को परेशान करने तथा दूसरी में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता करने की शिकायत की गई। लोगों को परेशान करने संबंधी प्रथम शिकायत में जॉच अधिकारी की रिपोर्ट अपेक्षित है एवं भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत में जांच के पश्चात जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है।

(5) प्रशासनिक दृष्टि से अथवा जनहित में आवश्यक होने पर तदनुसार निर्णय लिया जाएगा।

राज्य सेवा में नियुक्ति/पदोन्नति के नियम

270. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य सेवा में नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु सेवा नियम बनाए गए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सेवा नियमों में उच्च पद पर पदोन्नति हेतु निम्न पद की शैक्षणिक योग्यता के साथ कुछ वर्षों का अनुभव अपेक्षित किया हुआ है ?

(3) यदि कोई विभाग 12 वर्ष पूर्व प्लान में पद सृजित कराकर किसी कार्मिक को पदोन्नति देकर उस पद को नान प्लान में शामिल नहीं कराया हो तो ऐसे कार्मिक जो 12 वर्षों से उस पद पर कार्यरत हैं उसके स्थायीकरण और पदोन्नति के बारे में क्या प्रकिया अपनाया जाना अपेक्षित है ?

(4) यदि कोई कार्मिक नान प्लान में सृजित निम्न पद पर स्थायी है तथा 12 वर्षों से प्लान में सृजित उच्च पद पर पदोन्नति होकर कार्यरत है उसका कार्यपूर्ण सन्तोषप्रद है, यदि नान प्लान में सृजित निम्न पद 12 वर्षों तक खाली रहने के बाद समाप्त होता है तो प्लान में सृजित उच्च पद पर पदोन्नति कार्मिक किस पद से सरप्लस घोषित किया जाना नियमानुसार होगा ?

(5) क्या यह सही है कि विभाग में सेवा नियम नहीं बने होने की दशा में यदि किसी कर्मचारी की पदोन्नति दूसरे सेवा नियमों के अन्तर्गत की जाती है तो उसका स्थायीकरण भी उसी सेवा नियम के अन्तर्गत किया जाना उचित होगा ?

(6) यदि कोई विभाग नये नियमों में किसी पद पर डिग्री शैक्षणिक योग्यता प्रस्तावित करता है तो उस विभाग में पूर्व के कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनकी पदोन्नति व स्थायीकरण के लिये आगे क्या अवसर होगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। उच्च पदों पर पदोन्नति हेतु निम्न पद की शैक्षणिक योग्यता के साथ अनुभव सभी सेवाओं के सभी पदों के लिए निर्धारित नहीं है।

(3) सेवा नियमों में प्लान एवं नान प्लान पदों का अलग-अलग वर्गीकरण नहीं हैं। दोनों प्रकार के पदों को सम्मिलित कर पदोन्नति का प्रावधान किया जाता है किन्तु पदोन्नति पद की प्रकृति एवं आगे पदोन्नति हेतु पद की व्यवस्था पर निर्भर करती है। उदाहरणार्थ एकल पद (Isolated Post) से आगे पदोन्नति का प्रावधान नहीं होता है। सभी प्लान पदों को नान प्लान में परिवर्तित किया जाना आवश्यक नहीं होता और यह प्रक्रिया भी पद की प्रकृति पर निर्भर करती है।

(4) किसी भी कार्मिक को सरप्लस उसके वर्तमान पद से किया जाने का नियमों में प्रावधान है तथा इसमें कनिष्ठतम्

(मुख्य (कार्मिक) मंत्री)

व्यक्ति को अधिशेष घोषित किया जाता है जिसमें आयोजना व आयोजना-भिन्न पदों का वर्गीकरण नहीं होता है।

(5) किसी भी कर्मी की पदोन्नति उसके पैतृक विभाग के नियमों के अधीन ही की जाती है और स्थायीकरण भी पैतृक विभाग के नियमों में उल्लिखित प्रावधान के अधीन ही किया जाता है। इसके लिए दूसरे विभाग के सेवा नियम लागू नहीं होंगे।

(6) पदोन्नति के लिए योग्यता एवं अनुभव निर्धारित करना उस पद के कार्य एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। जिन कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए अवसर नहीं हैं उन्हें चयन वेतनमान स्वीकृत किए हुए हैं किन्तु यह प्रावधान राज्य सेवा के पदों पर लागू नहीं है।

बाल विकास परियोजना अधिकारी किशनगंज (बारां) के विरुद्ध जांच प्रकरण

271. श्री कमल (हिण्डौन) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सी. सी. ए नियम 16 के तहत विभागीय जांच अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या तो स्वयं अथवा उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी जो उसके सीधे नियन्त्रण में हो, से ही किये/करवाये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो नियमों का स्वतः स्पष्ट विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग (अनुशासनिक अधिकारी) ने बाल विकास परियोजना अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां (हाल निलम्बित) के सी. सी. ए. नियम 16 के विभागीय जांच के मामले में अधीनस्थ विभागीय अधिकारी से जांच करवाने के बजाय अतिरिक्त जिला कलक्टर (बारां) जो न तो उनके अधीनस्थ हैं एवं न ही सीधे नियन्त्रण में को विभागीय जांच करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो इस नियम विरुद्ध कार्यवाही के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार क्रम संख्या 2 के मामले में निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को उचित निर्देश जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिये अनुशासनिक प्राधिकारी को प्राधिकृत किया हुआ है। उक्त नियमों के नियम 16(4) के अन्तर्गत लिखित कथन की परीक्षा के परिणामस्वरूप (या जहां लिखित कथन विनिर्दिष्ठ अवधि में, जो समय-समय पर बढ़ाई गई, प्राप्त नहीं हुआ हो और एक

(६०)

(मुख्य (कार्मिक) मंत्री)

पक्षीय कार्यवाही करने का विनिश्चय किया गया हो), यदि अनुशासनिक प्राधिकारी को संतोष हो जाय कि कुछ दोषारोपों की सबूत के लिये नियमित जांच की आवश्यकता है, या वे ऐसे गंभीर स्वरूप के हैं, जिन पर कोई एक वृहद शास्ति (असाधारण दण्ड) अधिरोपित की जा सकेगी, तो वह अनुशासनिक अधिकारी उन ऐसे विवादग्रस्त आरोपों की स्वयं जांच कर सकेगा, या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, तो अपने स्वयं के हस्ताक्षराधीन एक जांच अधिकारी या जांच मण्डल इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर सकेगा। साधारणतया (जांच) मण्डल नियुक्त नहीं किया जाता और केवल उलझन भरे मामलों में इसकी नियुक्ति की आवश्यकता होती है।

(2) जी हां। श्रीमती ममता यादव तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी किशनगंज बारां हाल निलम्बित के विरुद्ध नियम 16 के अन्तर्गत आरोपों की विस्तृत जांच करने के लिये अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां को आदेश संख्या 3273 दिनांक 16.1.1997 से जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है (प्रति संलग्न है)

प्रकरण बारां जिले का है, इसके समस्त अभियोजन पक्ष के गवाहान बारां के है। क्षेत्रीय उप निदेशक बाल विकास कोटा का पद रिक्त है। अतः जांच की निष्पक्षता व शीघ्र निस्तारित करने के उद्देश्य से उक्त अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(3) जी नही। अनुशासनिक अधिकारी ने इस मामले में कोई अनियमितता नही की है अतः उन्हें कोई निर्देश जारी करने की आवश्कता ही नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

राजकीय उपक्रमों/निगमों में विकलांग/विधवाओं को देय सुविधा

272. श्री महेन्द्र मीणा (सिकराय) : क्या मुख्य (राजकीय उपक्रम) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजकीय उपक्रमों/निगमों में विकलांगों की नियुक्ति पर दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में जारी आज्ञा/परिपत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) राजकीय उपक्रमों/निगमों में मृत राज्य कर्मियों के आश्रितों/विधवाओं को सेवा नियमों के अन्तर्गत दी वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में जारी आज्ञा/परिपत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय उपक्रम ब्यूरो द्वारा इस संबंध में जारी किये गये दिशा निर्देश की प्रतिलिपि संलग्न हैं।

(2) राजकीय उपक्रम ब्यूरो द्वारा इस बाबत कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

(प्रतिलिपि के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

प्रश्न संख्या-273

(स्थगित)

स्टेट टेनरीज, टोंक की सीमा में वृक्षों की कटाई

274. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि हरे वृक्ष काटना जुर्म है? यदि हां, तो किस कानून के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड, टोंक नामक कारखाने की सीमा में से हरे वृक्ष काटे गये हैं? यदि हां, तो किस व्यक्ति द्वारा? सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस बाबत जिला प्रशासन एवं सरकार के मध्य कोई पत्र व्यवहार हुआ है? यदि हां, तो पत्र व्यवहार की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 83 एवं 84 के प्रावधानों के विपरीत पेड़ काटा जाना दण्डनीय है।

(2) इस सम्बन्ध में तहसीलदार, टोंक से पूर्ण जांच करवाई जा रही है।

(3) जिला कलक्टर, टोंक द्वारा राजस्थान स्टेट टेनरीज, टोंक के परिसर में पेड़ काटे जाने के सम्बन्ध में निदेशक, उद्योग विभाग को पत्र लिखा गया है, पत्र की प्रति प्रस्तुत है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

तहसील मकराना एवं परबतसर की सिवाय चक भूमि का आबंटन

275. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) तहसील मकराना एवं परबतसर के किस-किस ग्राम में किस-किस खसरा नं. की कितनी-कितनी सिवाय चक भूमि है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस सिवाय चक भूमि को आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) किस-किस ग्राम में आबंटी को भूमि का कबजा अब तक किन कारणों से नहीं दिया गया है?

(4) क्या उक्त सिवाय चक भूमि पर किसी का अवैध कब्जा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जों को हटाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या तहसील परबतसर व मकराना में कार्यरत पटवारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील मकराना व परबतसर के ग्रामों में उपलब्ध सिवाय चक भूमि की सूचियां संलग्न है।

(2) राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 6 (9)राज/4/76 दिनांक 21-4-76 से मरूस्थलीय जिलों में एक हैक्टेयर से अधिक भूमि के आबंटन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। आबंटन पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) तहसील मकराना व परबतसर में आबंटित भूमि का कब्जा आबंटी को देना शेष नहीं है।

(4) जी, हां। अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(5) जी, हां। यह सही है कि तहसील परबतसर के दो पटवारी एवं तहसील मकराना के चार पटवारियों के विरुद्ध शिकायतें जिला कलक्टर कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। विवरण तहसीलवार निम्न प्रकार है : —

1. तहसील परबतसर के श्री छैलबिहारी पटवारी चिताई के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच तहसीलदार, परबतसर से करवाई जा रही है।

2. श्री छोटूराम पटवारी टापरवाड़ा की जांच करवाई जानी शेष है।

तहसील मकराना

1. श्री घीसालाल पूर्व पटवारी मकराना की राजस्थान राज्य अन्वेक्षण ब्यूरो, जयपुर द्वारा जांच की जा रही है।

2. श्री सुरेन्द्रसिंह पटवारी बाजोली के विरुद्ध जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

3. श्री उम्मेदखां पूर्व आ.क्रा. मकराना की जांच उपखण्ड अधिकारी, परबतसर से कराई जा रही है।

4. श्री मेघाराम पटवारी रामसिया की जांच तहसीलदार, मकराना से करवाई जा रही है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील मांडल (भीलवाड़ा) की पुनर्गठित पंचायतों का सीमांकन

276. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) तहसील मांडल, जिला भीलवाड़ा में कुल कितनी पंचायतें हैं और कुल कितने पटवार मण्डल हैं?

(2) क्या सरकार द्वारा पंचायत पुनर्गठन के बाद पटवार मण्डलों का भी पुनर्गठन कर दिया गया है? यदि हां, तो कब और तहसील माण्डल में अब पुनर्गठन के बाद कितने पटवार मण्डल हैं? यदि नहीं, तो अब कब तक यह कार्य पूरा कर दिया जायेगा?

(श्री कालूलाल गूजर)

(3) क्या राजस्व नक्शों पर भी नई पंचायतों के पुनर्गठन के बाद सीमा चिन्हित की जायेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा की तहसील माण्डल में 46 ग्राम पंचायतों एवं 39 पटवार मण्डल हैं।

(2) पंचायत पुनर्गठन के पश्चात् पटवार मण्डलों के पुनर्गठन का प्रस्ताव है, जिसमें तहसील माण्डल में 57 पटवार मण्डल किये जाने के प्रस्ताव राजस्व मण्डल के समक्ष विचाराधीन है। जिन पर यथा सम्मत शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

(3) जी नहीं, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शे ग्रामवार तैयार किये जाने के कारण पंचायत की सीमा अंकित नहीं की जाती है।

जहाजपुर अस्पताल का भूमि प्रकरण

277. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ज़हाजपुर अस्पताल के लिए कृषि भूमि की खरीद की गई थी? यदि हां, तो कितनी भूमि कब व कितनी राशि में क्रय की गई? रजिस्ट्री की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वर्णित कृषि भूमि में निर्धारित सीमा की पूरी जमीन अस्पताल के कब्जे में होकर पूर्व दिशा की जमीन पर सरकारी अस्पताल बिलानाम अथवा आबादी की भूमि भी थी? यदि हां, तो कितनी और उसमें से क्या नगरपालिका में मकानों हेतु भूमि तथा अस्पताल की बाउण्ड्री को हटा कर दी गई भूमि किस-किस श्रेणी और सीमा तथा आधिपत्य की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में कल्याण मीणा की यह कृषि भूमि पुराने बन्दोबस्त, नये बन्दोबस्त तथा रजिस्ट्री में विक्रय तथा मौके में क्या अन्तर है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अस्पताल की बाउण्ड्री पूर्व दिशा में सरकारी क्वार्टरों के साथ बनी थी वह मौजूद हैं? यदि नहीं, तो यह भूमि तथा बाउण्ड्री किस तरह मिल्कीयत की होकर मौके से हटी व किसके द्वारा कैसे हटाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री कल्याण पुत्र श्री भुवाना मीणा निवासी जहाजपुर द्वारा भूमि दान में दी गई थी।

(2) पूरी जमीन पर अस्पताल का कब्जा नहीं होकर 9 व्यक्तियों का दक्षिण दिशा की भूमि से तथा 2 व्यक्तियों का पूर्व दिशा की भूमि पर अनधिकृत पक्के निर्माण हैं।

(राजस्व मंत्री)

(3) पुराने बन्दोबस्त व नये बन्दोबस्त में क्रमशः करीब $152\frac{1}{2}$ फीट एवं 132 फीट की होने से 2 बीघा 11 बिस्वा का अन्तर आया है। पुराने बन्दोबस्त में रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा एवं नये बन्दोबस्त से रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा होता है।

(4) अस्पताल के पूर्व दिशा में बाउण्ड्री क्वार्टस से पहले की बनी हुई है किन्तु रेकार्ड उपलब्ध नही है। बाउण्ड्री मौके पर क्वार्टर नं. 13 व 14 के पीछे मौजूद है। क्वार्टर नं. 12 के पीछे श्री दयानन्द पुत्र श्री मिश्रीलाल आर्य द्वारा 13×50 फीट पर अतिक्रमण कर सरकारी अस्पताल की दीवार को अपने मकान के नीचे दबा रखा है। भूमि तथा बाउण्ड्री अनधिकृत मिल्कीयत से है।

सराय फतेह मेमोरियल उदयपुर की भूमि पर अतिक्रमण

278. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) एवं श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सराय फतेह मेमोरियल उदयपुर की भूमि पर इण्डियन आइल कोरपोरेशन एवं रणजीत लाल अग्रवाल को कितनी भूमि कितने समय के लिए लीज पर दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दोनों पेट्रोल पम्प की भूमि का वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के आधार पर कितना किराया बनता है? सहायक अभियन्ता, देवस्थान से किराया एसेसमेन्ट करा कर उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सराय की भूमि पर रणजीत लाल अग्रवाल ने अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो कितनी भूमि पर व इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता, देवस्थान की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(4) यह अतिक्रमण कब से है? उस समय कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस अतिक्रमण को हटाने के लिए अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या सरकार अब इस अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(7) क्या सरकार इस अतिक्रमण के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच करा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सराय फतेह मेमोरियल, उदयपुर की 90 x 97 वर्ग फीट भूमि मेसर्स इण्डियन ऑयल कोरपोरेशन को 1.1.75 से 10 वर्ष की लीज पर तथा श्री रणजीत लाल

(देवस्थान मंत्री)

अग्रवाल को 136 × 50 वर्गफीट भूमि दिनांक 1.9.76 से 10 वर्ष के लिये लीज पर दी गई थी।

(2) दोनों पेट्रोल पम्पों की भूमि का सार्वजनिक निर्माण विभाग के आधार पर भूमि का किराया सहायक अभियन्ता, देवस्थान विभाग, उदयपुर से निर्धारित कराया है। प्रतियां (परिशिष्ट I व II) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। श्री रणजीतलाल अग्रवाल का 1277.85 वर्गफीट भूमि पर अतिक्रमण है। सहायक अभियन्ता, देवस्थान की रिपोर्ट की प्रति (परिशिष्ट–III) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) श्री रणजीतलाल अग्रवाल का उक्त भूमि पर 1.9.86 से अतिक्रमण है। उस समय निम्न अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे : —

1. श्री पी.डी. चारण, सहायक आयुक्त, (मुख्यावास)।

2. श्री केशर सिंह बाबेल प्रबन्धक, फतेह मेमोरियल, उदयपुर।

(5) जी नहीं। अतिक्रमण व अवैध निर्माण के लिये श्री अग्रवाल को लीज की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण लीज डीड समाप्त करने का नोटिस दिया गया तथा मामले की पूर्ण जांच कर सम्पदा अधिकारी (उपायुक्त, देवस्थान विभाग), जयपुर में वाद भी प्रस्तुत किया गया किन्तु श्री अग्रवाल ने सम्पूर्ण भूमि के क्षेत्रफल पर देवस्थान विभाग के स्वामित्व को चुनौती देते हुए एक वाद जिला एवं सत्र न्यायालय, उदयपुर में दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया फलस्वरूप अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही स्थगित हो गई मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

(6) वर्तमान में यह वाद न्यायालय में विचाराधीन है। निर्णय उपरान्त ही नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(7) श्री रणजीतलाल अग्रवाल ने देवस्थान विभाग के स्वामित्व को न्यायालय में चुनौती देते हुए स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है। ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय के निर्णय के पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील शेरगढ़ की नर्सरी योजनाओं पर व्यय

279. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में टीबा स्थायीकरण, रोड साइड प्लान्टेशन वन विभाग की नर्सरी आदि पर कितने कर्मचारी लगे हुए थे? उक्त योजनाओं पर सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया?

(2) वर्ष 1996-97 में उपरोक्त योजनाओं पर कितना व्यय किया जाना

(श्री खेतसिंह राठौड़)

प्रस्तावित है? उक्त कार्य हेतु कितने कर्मचारी लगे हुए हैं?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1996-97 में शेरगढ़ तहसील के उपरोक्त सारे काम बन्द कर दिये गये हैं तथा बड़ी तादाद में कर्मचारी हटा दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में मरू विकास कार्यक्रम की विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं एवं नर्सरियों पर कार्यरत वन कर्मचारियों एवं कार्य प्रभारित कर्मकारों का विवरण निम्नानुसार हैं। इन योजनाओं पर वर्ष 1994-95 में 66.81 लाख तथा 1995-96 में 64.57 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में वन विकास कार्यों पर कार्यरत कर्मचारी

वर्ष	वन कर्मचारी	कार्य प्रभारित कर्मकार
1994-95	20	110
1995-96	20	112

(2) वर्ष 1996-97 में उपरोक्त योजनाओं पर 4.45 लाख रुपये तथा वाटरशैड/क्लस्टर पद्धति के आधार पर किये जाने वाले कार्यों पर 26.01 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्यों हेतु 19 वन कर्मचारी तथा 41 कार्य प्रभारित कर्मचारी लगे हुए हैं।

(3) जी नहीं। वर्ष 1996-97 में बजट अभाव के कारण 67 वर्कचार्ज कर्मकारों को मानवीय दृष्टिकोष अपनाते हुए कार्य से पृथक न कर अन्य वन मण्डलों में समायोजित किया गया है।

"सूक्ष्म नियोजन एवं साझा वन प्रबन्धन" पर आयोजित कार्यशाला पर व्यय

280. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वन विभाग द्वारा "सूक्ष्म नियोजन एवं साझा वन प्रबन्धन" पर प्रदेश में गत वर्ष कहां-कहां पर कार्यशाला आयोजित की गई तथा इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन कार्यशालाओं में आये सुझावों पर क्या कोई रिपोर्ट तैयार की गई? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वनों को विनाश से बचाने तथा सही संरक्षण प्रदान करने हेतु सरकार वन नीति बनाने की योजना रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1996 के दौरान प्रदेश में "सूक्ष्म नियोजन एवं साझा वन प्रबन्धन" पर कोटा तथा जयपुर में कार्यशालाएं आयोजित की गई थी, इन कार्यशालाओं का विवरण एवं व्यय का ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार है।

(वन मंत्री)

(2) कार्यशालाओं में आये सुझावों पर तैयार रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "ख" के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) प्रदेश के वनों को विनाश से बचाने तथा सही संरक्षण प्रदान करने हेतु राज्य सरकार ने 20 वर्षीय कार्य योजना बनाई है जिसके अनुसार वन विकास व वन संरक्षण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

(ब्यौरा विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि उपज मंडी समितियों का निर्वाचन

281. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की किस-किस कृषि उपज मंडी समिति में निर्वाचित मंडी बोर्ड, मनोनीत बोर्ड एवं निर्वाचित बोर्ड कार्यशील हैं? मंडीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसी कृषि उपज मंडी समितियों में जहां प्रशासक नियुक्त है चुनाव कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों के चुनाव करवाने से पूर्व राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम व इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों में कोई संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में निर्वाचित बोर्ड किसी भी मण्डी समिति में कार्यरत नहीं है। राज्य की निम्नांकित कृषि उपज मण्डी समितियों में राज्य सरकार द्वारा मनोनित बोर्ड कार्यशील हैं :—

1. खाजूवाला
2. बीकानेर (ऊन एवं फल सब्जी)
3. श्रीगंगानगर (फल सब्जी)
4. अजमेर (फल सब्जी)

(2) मण्डी समितियों के चुनाव हेतु राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 में चुनाव सम्बन्धी प्रावधानों में संशोधन किया जाना राज्य सरकार के प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। यथाशीघ्र।

ग्राम जरणा (खानपुर) के प्रस्तावित विकास कार्य

282. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि उपज मंडी समिति खानपुर द्वारा ग्राम जरणा को गोद लिया गया है? यदि हां, तो इस ग्राम के विकास हेतु सरकार की क्या योजना है एवं इस पर कुल कितनी राशि व्यय होगी तथा क्या-क्या कार्य करवाना प्रस्तावित है?

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी, खानपुर द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा 50,000/- रुपये दिनांक 24 अगस्त,

(श्री भरतसिंह)

1996 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झालावाड़ के पास जमा करवाये गये हैं? यदि हां, तो इस राशि से क्या कार्य करवाना प्रस्तावित था तथा क्या यह कार्य आरम्भ करवा दिया गया है? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम विकास के लिये निम्न प्राथमिकताएं तय हैं : —

1. प्राथमिक पाठशाला में कमरों का निर्माण
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कमरों का निर्माण
3. सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण
4. गांवों में नालियों का निर्माण
5. बस स्टेण्ड पर प्याऊ का निर्माण
6. बस स्टेण्ड पर विश्राम स्थल का निर्माण
7. पत्थर के रम्प (खुर्रा) का निर्माण
8. जानवरों के पीने का पानी के लिये खेत का निर्माण
9. सार्वजनिक नल की स्थापना
10. बस स्टेण्ड/चौपाल के पास पेशाब घर का निर्माण आदि

उक्त कार्यों के लिये सम्बन्धित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यों की प्राथमिकता सूची के अनुसार 50 हजार रुपये प्रति वर्ष, तीन वर्ष तक मण्डी समिति /कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को विकास कार्यों में सहयोग हेतु उपलब्ध करायी जाती है। इस कार्य पर 19.50 लाख का खर्चा होगा।

(2) जी हां। इस राशि से कृषि उपज मण्डी समिति, खानपुर द्वारा गोद लिये गांव जरणा को सड़क से जोड़ने हेतु कार्य ... ाना था परन्तु अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि कार्य की लागत 19.50 लाख रुपये होने के कारण जमा राशि रुपये 50,000/- से कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झालावाड़ के अनुसार कार्य की स्वीकृति से पूर्व कम से कम 30% राशि जमा होना अनिवार्य था। ऐसी स्थिति में मण्डी समिति द्वारा प्रस्तावित कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने स्वीकृत नहीं किया।

प्रश्न संख्या-283

(स्थगित)

उदयपुर जिले के बाल श्रमिक

284. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में बाल श्रमिकों के सर्वे का कार्य प्रारम्भ किया गया है? यदि हां, तो अब तक कितनी तहसीलों का सर्वे कर दिया गया? तहसीलवार सर्वे का परिणाम सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उदयपुर के अलावा जनजाति उप योजना क्षेत्र के सभी जिलों में सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की योजनानुसार उदयपुर बाल श्रमिक परियोजना गत वर्ष आरम्भ की गई है। योजना में निर्देशानुसार स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उदयपुर जिले में बाल श्रमिकों का सैम्पल सर्वे किया गया है। जिले में विस्तृत बाल श्रमिक सर्वे नहीं कराया गया है। जो भविष्य में करवाया जाना प्रस्तावित है।

(2) राज्य सरकार उपलब्ध संसाधनों की सीमा के अन्तर्गत शनैः शनैः राज्य के सभी जिलों में खतरनाक व्यवसायों व प्रक्रियाओं में बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिबन्धित करने के उद्देश्य से सर्वे कार्य करने का विचार रखती है। निश्चित समय सीमा दिया जाना सम्भव नहीं है।

राजकीय विद्यालयों का छात्र निधि कोष प्रकरण

285. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय विद्यालयों में छात्रनिधि कोष व्यय के संबंध में विभाग द्वारा मार्गनिर्देश जारी किये हुए हैं? यदि हां, तो निर्देशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा वसूल किये जाने वाले छात्रनिधि कोष के व्यय के संबंध में कोई निर्देश जारी किये हुए है? यदि हां, तो निर्देशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सहायता प्राप्त संस्थाओं में वसूले जाने वाले छात्र निधिकोष का ऑडिट किया जाता है? यदि हां, तो किस एजेन्सी द्वारा और नहीं, तो क्यों? क्या सरकार भविष्य में ऑडिट करवाये जाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश की प्रति परिशिष्ट–1 के रूप में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 के रूप में सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) सहायता प्राप्त संस्थाओं में वसूल किये जाने वाले छात्र निधि कोष के ऑडिट के लिए पृथक से कोई आदेश जारी किये हुए नहीं हैं, किन्तु अनुदान नियम 1993 के नियम 20 (3) के प्रावधान के तहत चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संस्था के लेखों की जांच करते समय एवं नियम 20 (6) के तहत विभाग या स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा लेखों की जांच के समय इस कोष की जांच भी की जाती है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में खरीद प्रकरण

286. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री विष्णु मोदी)

(1) क्या यह सही है कि प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय में फर्जी परिपत्रों के आधार पर लाखों रुपये की खरीद घोटाला किये जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है और उक्त प्रकरण की जांच राज्य अन्वेषण ब्यूरो से करवाई गई है?

(2) क्या यह सही है कि ब्यूरो का इस सम्बन्धी जांच प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो जांच उपरान्त किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि फर्जी परिपत्रों के आधार पर पंचायत समिति स्तर पर लाखों रुपये की सामग्री की अनियमित खरीद का मामला निदेशालय के ध्यान में आया था। विभाग ने दिनांक 26-6-96 व दिनांक 22.7.96 को पुलिस थाना जालूपुरा, जयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक संख्या 218/96 दिनांक 26-6-96 एवं क्रम संख्या 260/96 दिनांक 22-7-96 को दर्ज करवाई थी। राज्य अन्वेषण ब्यूरो ने उनके पत्रांक 7069 दिनांक 01.10.96 द्वारा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय को सूचित किया है कि एक मामला इस आशय का उनके यहां 203/96 पर दर्ज कर लिया गया है।

(2) जी नहीं।

विद्यालयों में संचालित पुस्तकालय

287. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष की भर्ती के क्या मानदण्ड है?

(2) क्या प्रदेश की सभी सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में पुस्कालयाध्यक्ष नियुक्त हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि पुस्तकालयों के लिये विदेशी अनुदान भी प्राप्त होता है? यदि हां, तो कितना व किन शर्तों पर? उक्त अनुदान को सरकार ने पिछले तीन वर्षों में किस प्रकार उपयोग में लिया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पुस्तकालयों का बजट प्रति वर्ष लैप्स होता है? यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितना-कितना बजट लैप्स हुआ?

उत्तर

(1) राजस्थान शिक्षा सेवा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के प्रावधानों के तहत द्वितीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष की भर्ती हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक तथा पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक या डिप्लोमा की योग्यता होना आवश्यक है, इसी प्रकार तृतीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड द्वारा सैकण्डरी तथा राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त पुस्तकालय में प्रमाण पत्र योग्यता का होना आवश्यक है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी नहीं। प्रदेश में संचालित सीनियर माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में 41 प्रथम श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष, 769 द्वितीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष, 2501 तृतीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष के पद स्वीकृत हैं। जिसमें 10 पुस्तकालयाध्यक्ष प्रथम श्रेणी, 76 द्वितीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष तथा 17 पुस्तकालयाध्यक्ष तृतीय श्रेणी के पद रिक्त हैं। पद रिक्त रहने का मुख्य कारण पदोन्नति का परित्याग, सेवा निवृत्ति, स्थानान्तरण आदि है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। पुस्तकालय मद में वर्ष 1994-95 में 3.59 लाख, तथा 1995-96 में 8.02 लाख रुपये मितव्ययता के कारण कटौती की गई थी। इस प्रकार से इस मद में गत तीन वर्षों में राशि लैप्स नहीं हुई है।

विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ एवं बिलाड़ा के विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

288. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ एवं बिलाड़ा की सभी उच्च सीनियर माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों में सभी विषयों के व्याख्याताओं के पद भरे हुए हैं ? यदि नहीं, तो कितने पद किस-किस विषय के कब-कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों से इस वर्ष कितने व्याख्याताओं के स्थानान्तरण/पद स्थापन किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें। रिक्त पदों को अब कब तक भर दिया जायेगा ?

(3) जोधपुर शहर के उच्च सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में कितने व्याख्याताओं के पद सृजित हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं ? विषयवार विद्यार्थियों की संख्या दर्शाते हुए कितने व्याख्याता प्रतिनियुक्ति पर हैं, कितने सरप्लस हैं ? सरप्लस को रिक्त पदों पर नहीं लगाये जाने के क्या कारण है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ एवं बिलाड़ा में संचालित सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में 15 व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं। विषयवार रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के पद आबंटित किये जाने का प्रावधान नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ एवं बिलाड़ा के सीनियर माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याताओं के किये गये स्थानान्तरण एवं इन विद्यालयों में पदस्थापित व्याख्याताओं का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) विभाग द्वारा वर्ष 1996-97 की विभागीय पदोन्नति समिति में 2922 अध्यापकों का चयन कर व्याख्याताओं के पद पर पदोन्नत किया जाकर पदस्थापित किया गया, परन्तु 20-30 प्रतिशत तक ही पदोन्नत व्याख्याताओं द्वारा कार्य ग्रहण किया गया। इसी प्रकार लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थियों का भी पदस्थापन किया गया। शेष रिक्त पदों की पूर्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा विभागीय चयन समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलबध करवाये जाने पर ही की जानी संभव हो सकेगी।

(3) जोधपुर शहर में सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त व्याख्याताओं के पदों तथा छात्र संख्या सहित विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के पद सृजित करने का प्रावधान नहीं है।

जोधपुर शहर में कोई भी व्याख्याता प्रतिनियुक्ति पर नहीं है, तथा न ही कोई व्याख्याता सरप्लस (अधिशेष) है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विद्युत मण्डल के मृत कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति

289. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि मृतक कर्मचारी के आश्रितों को उसके स्थान पर राज्य सेवा में नौकरी पर लेने के नियम हैं? यदि हां, तो कब से ? उक्त नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि एक मृतक कर्मचारी जिस पद पर उसकी मृत्यु हुई है, उसके आश्रितों को भी उसी पद पर नियुक्ति देने के नियम है ? यदि हां, तो कब से ? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान राज्य विद्युल मण्डल के आदेश संख्या 624 दिनांक 18-10-1993 द्वारा किस मृतक कर्मचारी के पद पर उसके आश्रित को किस पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी ? मृत्यु के समय कर्मचारी किस पद पर कार्यरत था ? क्या यह नियुक्ति नियमानुसार सही थी ?

(4) क्या यह भी सही है कि विभाग के आदेश संख्या आर.एस.ई.बी/भर्ती एफ. 249/96/प्रे387, 473/प्रे549 दिनांक क्रमशः 12-3-1996 एवं 6-4-1996 एवं क्रमांक संख्या आर.एस.ई.बी/एफ.ए.एण्ड सी.ओ.ए/संस्थापन/00-682/1838 दिनांक 20-11-1995 द्वारा के आश्रित को कनिष्ठ लिपिक के पद पर कर्मचारी की मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के आश्रित को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति दी गई है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत तथा क्या यह सही था ? विवरण सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

(5) क्या सरकार जो एक लेखाकार के पद पर रहते हुए मृतक कर्मचारी के आश्रित को जिसके आदेश क्रमांक 624 दिनांक 18-10-93 थे, कनिष्ठ लिपिक के पद के स्थान पर कनिष्ठ लेखाकार के पद पर संशोधित आदेश पुनः निकालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) वित्तीय वर्ष 1993 से अब तक कितने व्यक्तियों को विभाग में मृतक कर्मचारी के आश्रितों को किस-किस पद पर कब-कब से नियुक्ति प्रदान की गयी तथा कितने को कनिष्ठ लिपिक से कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयीं उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति के थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार ऐसे भेदभाव को समाप्त करने का विचार रखती है? वर्तमान में भेदभाव करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो क्या? और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, विद्युत मण्डल में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अधिमानता के आधार पर नियुक्ति देने हेतु प्रशासनिक आदेश एवं दिशा निर्देश जारी किये हुए हैं। विद्युत मण्डल द्वारा जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। ऐसे नियम नहीं हैं कि आश्रित को उस ही पद पर नियुक्ति दी जावे जिस पर मृतक कर्मचारी कार्यरत था। मृत कर्मचारी के आश्रित की शैक्षणिक योग्यताओं एवं अर्हताओं तथा रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर नियुक्ति दी जाती है।

(3) मण्डल के उक्त आदेश के द्वारा किसी एक व्यक्ति की नहीं अपितु कुल 45 आश्रितों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्तियां दी गई थी। मृतक कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। उक्त नियुक्तियां नियमानुसार सही थी।

(4) मण्डल के आदेश संख्या 387 दिनांक 12.2.95 आदेश संख्या 473/549 दिनांक 6.4.1995 आदेश संख्या 682/1838 दिनांक 20.11.95 क्रमशः श्रीमती मधुबाला अग्रवाल (शैक्षणिक योग्यता बी. ए) पत्नी स्व० श्री आनन्द प्रकाश अग्रवाल तत्कालीन सहायक अभियन्ता, श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री बहोरी लाल तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी एवं श्रीमती उषा जैन पत्नी स्व. श्री ओमप्रकाश जैन तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता के आश्रितों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्तियां दी गई। श्री सुनील कुमार शर्मा को शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर (वाणिज्य) एवं विशिष्ट योग्यता एवं अर्हताओं के कारण उन्हें कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति दी गई है। इन तीन व्यक्तियों को कनिष्ठ लेखाकार को

(ऊर्जा मंत्री)

पद पर इनकी विशष परिस्थितियों के कारण नियुक्ति दी गई थी। मोटे रूप से विद्युत मण्डल में राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है और इन तीन मामलों में भी उसी अनुसार कार्यवाही की गई है। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ. 3 (6) डी. ओ. पी/11/75 दिनांक 1.4.1989 के अन्तर्गत अधिकारियों में अन्तर रखा गया है। राज्य सेवा के अधिकार को सेवा के दौरान मृत्यु पर उसके वारिस को राज्य सेवा में नियुक्ति का प्रावधान है, जब कि अधीनस्थ सेवाओं के मामलों में नियुक्ति अधीनस्थ/मंत्रालयिक /चतुर्थ श्रेणी में ही हो सकती है। इसी प्रकार मंत्रालयिक सेवाओं के कर्मचारी को मंत्रालयिक सेवा/चतुर्थ श्रेणी सेवा में ही नियुक्ति दी जा सकती है। इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के वारिस जो कनिष्ठ लेखाकार की योग्यता रखते थे, उन्हें उन पदों पर लगाया गया। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है।

(5) जी नहीं। मृत कर्मचारी के आश्रित जिनकी शैक्षणिक योग्यता सैकण्डरी एवं उससे अधिक उन्हीं को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति दी गई है। पूर्व आदेशों को रिव्यू करने का कोई ठोस आधार नहीं है।

(6) विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ब" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(7) मण्डल के सेवारत मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को तत्परता से नियुक्तियां प्रदान की जाती हैं। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। अतः किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है। नियुक्ति करते समय मृतक कर्मचारी के द्वारा रिक्त पद का ध्यान रखा जाता है। अधिकारों व कर्मचारियों के स्टेटस तथा वेतनमान के दौरान मृत्यु के मामलों में नियुक्तियों में भी यह अन्तर रखना अनुचित नहीं है।

(प्रति एवं विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

करौली (सवाईमाधोपुर) के ग्रामों का विद्युतीकरण

290. श्री हंसराम (करौली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जिला सवाईमाधोपुर की तहसील करौली में शेष रहे निम्नांकित गांवों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

1. खूंडरी, वृहदा, वृहटी, सेवली, सिरियाकापुरा, दाऊदपुर, पिपरानी, देवरी।

2. जमूरा, झझरपुरा, खेरटपुरा, तमकोली, चीलपुरा, सीगनपुर, आलमपुर, अमरी, नवलापुर, डांगा, पितरामपुरा, खांडापुरा।

उत्तर

जिला सवाईमाधोपुर की तहसील करौली में शेष रहे अविद्युतीकृत ग्रामों में से वर्ष

(ऊर्जा मंत्री)

1996-97 में गांव खूंडरी व विरहटी को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। गांव सिरियाकापुरा, झझरपुरा, चीलपुरा, चितरामपुरा, खांडपुरा, अमरी जनगणना पुस्तिका 1991 में वर्णित नहीं हैं। प्रश्न में वर्णित शेष गांवों का विद्युतीकरण आगामी वर्ष में निर्धारित विद्युतीकरण की नीति, आबंटित लक्ष्यों तथा वित्तीय संसाधनों को उपलब्धि के अनुसार विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों को रोस्टर प्रणाली का लाभ

291. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विभाग में बी. ए. एस., वी. एस. एस. सहायक निदेशक, जिला पशुपालन अधिकारी, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक, निदेशक के पदों में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कुल कितने अधिकारी कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पदोन्नतियों में रोस्टर प्रणाली की पूर्ति की जाती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभाग में वी.ए.एस, वी.एस., सहायक निदेशक, जिला पशु पालन अधिकारी, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक, निदेशक के पदों में से अनुसूचित जाति के कुल 92 एवं अनुसूचित जनजाति के कुल 34 अधिकारी कार्यरत हैं।

(2) पदोन्नति रोस्टर प्रणाली के अनुसार ही की जाती है।

क्रय विक्रय सहकारी समिति, इटावा (कोटा) द्वारा खाद वितरण

292. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या क्रय विक्रय सहकारी समिति, इटावा जिला कोटा में 5 कट्टे देने की राजस्व अधिकारी द्वारा 1,2,3 नम्बर की बुक जारी की गई थी ? यदि हां, तो इन बुकों से किन-किन किसानों को कितना-कितना खाद वितरित किया गया ? विवरण बुक की फोटो प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि डी. ए. पी. खाद के साथ-साथ प्रति किसान 5 कट्टे यूरिया के भी जबरदस्ती दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस आदेश के तहत ?

(3) क्या सरकार उक्त कारणों की जांच करवाकर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं, उक्त प्रकरंण में जांच का कोई कारण नहीं बनता है।

क्रय-विक्रय समिति, बेगूं का आय-व्यय प्रकरण

293. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्रय-विक्रय सहकारी समिति बेगूं की वर्ष 1990-91 से 1996-97 तक वार्षिक आय व्यय मदवार क्या रही ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आमदनी घटने और समिति के घाटे में जाने के क्या कारण रहे ? क्या कारणों की जांच कर ऐसे अक्षम कर्मचारियों के खिलाफ विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि व्यवस्थापक स्थानीय व्यक्ति है और कई दिन तक आफिस का कार्य नहीं देखने और घटिया व अनुपयुक्त अनावश्यक खरीददारी से समिति को भारी घाटा हुआ ? यदि हां, तों अब तक इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि0, बेगूं की वर्ष 1990-91 से 1995-96 तक वार्षिक आय व्यय मद पर परिशिष्ट "एक" पर उपलब्ध है एवं वर्ष 1996-97 के आय व्यय इस वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर ही दिया जाना संभव हो पायेगा।

(2) समिति में वर्ष 1990-91 से 1995-96 तक आय में लगातार वृद्धि हुई है तथा समिति द्वारा लाभ अर्जित किया है। अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) जी हां। व्यवस्थापक स्थानीय है जो दिनांक 15.6.1995 से समिति में कार्यरत है, वे नियमित रूप से कार्यालय में बैठते हैं तथा उनके द्वारा किसी किस्म की घटिया खरीददारी नहीं की गई है। संस्था में घाटा नहीं है तथा वर्तमान व्यवस्थापक के समय संस्था के लाभ में वृद्धि हुई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

राज्य भूमि विकास बैंक का अंकेक्षण

294. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक का वर्ष 1994-95 का अंकेक्षण हो चुका है ? यदि हां, तो कब तथा क्या अंकेक्षण प्रतिवेदन के पेज नं. 8,9 व 10 पर यह एतराज किया गया है कि जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की गोल्डन हैण्ड शेक योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की गई है वह गलत है। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? अंकेक्षण प्रतिवेदन व

(श्री हरजीराम बुरडक)

उसकी अनुपालना रिपोर्ट की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह योजना सिर्फ सरप्लस हुये अधिकारियों व कर्मचारियों पर ही लागू होती है ? यदि हां, तो इस बैंक में कोई अधिकारी व कर्मचारी सरप्लस नहीं था फिर भी यह योजना कैसे लागू की गई तथा सरकार ने ध्यान में आने के बाद इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

(3) इस प्रकरण में कौन अधिकारी दोषी है, जिसके विरुद्ध कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक का वर्ष 1994-95 का अंकेक्षण पूर्ण हो चुका है। अंकेक्षण दिनांक 29.6.1996 को पूर्ण हुआ है। अंकेक्षण प्रतिवेदन के पेज नम्बर 8,9, व 10 पर एतराज किया गया है कि गोल्डन हैण्ड शेक योजनान्तर्गत कर्मचारियों को दी गई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति गलत है। राज्य भूमि बैंक ने उक्त अंकेक्षण की अनुपालना कर दी है। अंकेक्षण प्रतिवेदन की सारांश प्रति व राज्य भूमि बैंक द्वारा की गई अनुपालना रिपोर्ट संलग्न परिशिष्ट पर उपलब्ध है। प्रशासनिक व्यय को कम करने हेतु बैंक ने चार अधिकारियों का स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के तहत सेवानिवृत्ति कर उनके पद समाप्त कर दिये हैं। वर्ष 1994-95 की ऑडिट में आक्षेप बाबत प्रशासक बैंक के प्रस्ताव संख्या 924 दिनांक 28.12.1995 के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति किए गए अधिकारियों के पद सरप्लस मानते हुए समाप्त किए गए हैं, जो गलत नहीं है। बैंक की साधारण सभा दिनांक 30.12.1995 में उक्त प्रस्ताव की पुष्टि करते हुए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के मामलों को नियमित कर दिया गया था।

(2) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना की मुख्य शर्त यह है कि जिस संस्था में मानव शक्ति सरप्लस हो, वहां यह योजना लागू की जावे एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पदों को भरा नहीं जावे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पदो को बैंक ने समाप्त कर दिया है एवं कोई नई नियुक्ति नहीं की गई है।

(3) सहकारी विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक फा. 15(26) सविस/बैंक-2/89 दिनांक 13.2.1992 के द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर में लागू की गयी है तथा उपरोक्त नियमानुसार ही चार अधिकारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गयी है, जो नियमानुसार है। वक्त ऑडिट भी बैंक के क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी एवं आडिटर्स को सही वस्तुस्थिति की जानकारी करा दी गयी थी। ऑडिट आक्षेप की पूर्ति रिपोर्ट का सर्वसम्मति से अनुमोदन साधारण सभा द्वारा किया जा चुका है। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(रिपोर्ट के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

पर्यवेक्षकों के पदों पर महिलाओं की नियुक्ति

295. श्री मुल्कराज थिंद (रायसिंह नगर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जयपुर मुख्यालय एवं जयपुर जिले में महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं पर्यवेक्षकों के कुल कितने पद हैं ? इनमें स्वर्ण जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने व्यक्ति कब से कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर मुख्यालय एवं जयपुर जिले में महिला पर्यवेक्षकों को पक्षपात एवं जातीयता के आधार पर पद स्थापित किया गया ? यदि हां तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति की कितनी महिला पर्यवेक्षिकों ने जयपुर मुख्यालय एवं जयपुर जिले में अधिकारियों द्वारा जान-बूझकर नाजायज परेशान करने, भेद-भाव पूर्ण रवैया, एवं पक्षपात करने वालों के विरुद्ध मुख्यालय एवं उच्च स्तर पर शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि महिला पर्यवेक्षकों में से अनुसूचित जाति की महिला पर्यवेक्षकों को सरकारी सेवा हटाने एवं नाजायज परेशान करने, जातीयता भावना को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत नोटिसेज, जांच संबंधी चार्ज शीट आदि दी गई हैं ? यदि हां, तो किस-किस को ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिला पर्यवेक्षकों ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सभी आरोपों को तथ्यहीन करार करने संबंधी निष्पक्ष जांच उच्च स्तर पर कराने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किये थे ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण मय जांच रिपोर्ट के सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध महिला पर्यवेक्षकों द्वारा लगाये गये कारण सही पाये गये ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर मुख्यालय एवं जयपुर जिले में महिला पर्यवेक्षकों के कुल 109 पद स्वीकृत हैं जिनके विरुद्ध 94 महिला पर्यवेक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 62 सामान्य जाति, 17 अनुसूचित जाति, 6 अनुसूचित जनजाति एवं 9 अन्य पिछड़ी जाति की हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "अ")

(2) जी नहीं।

(3) अनुसूचित जाति की एक महिला पर्यवेक्षक द्वारा इस आशय की शिकायत मुख्यालय एवं उच्च स्तर पर की गई है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया। (परिशिष्ट "ब")

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। अनुसूचित जाति की महिला पर्यवेक्षक द्वारा लगाये गये सभी आरोप प्रथमा दृष्टया तथ्यहीन पाये जाने पर तथ्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत की गई जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट "स")

(6) जी नहीं क्योंकि आरोप तथ्यहीन पाये गये।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

माडा योजना अन्तर्गत व्यय

296. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में माडा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में राशि व्यय की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में माडा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में कुल 462.02 लाख रुपये व्यय हुए हैं। पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति

297. श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या जनजाति उप योजना क्षेत्र की वार्षिक योजना वर्ष 1994-95 से 1996-97 के लिए विभिन्न विभागों में निर्धारित राशि का वास्तविक उपयोग/प्रवाह/भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य पूर्ण कर लिए हैं ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उपयोजना क्षेत्र में जनजाति बालकों/बालिकाओं के छात्रावासों का निर्माण पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कहां-कहां कितने-कितने छात्र/छात्राओं के छात्रावास ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) स्वच्छ परियोजना के विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति, निर्धारित मापदण्ड एवं लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की सूची ग्रामवार/पंचायतवार तहसीलवार एवं जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1994-95 से 1996-97 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विभिन्न विभागों में निर्धारित राशि के विरुद्ध किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है : —

वर्ष	वित्तीय आबंटन	व्यय	प्रतिशत व्यय
1994-95	343.80	301.77	87.77
1995-96	427.92	378.45	88.44
1996-97	456.72	230.46	50.46

माह जनवरी 97 तक

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

शत-प्रतिशत व्यय नहीं होने के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं : —

1. निर्माण कार्य व विद्युत उत्पादन व ट्रांसमीशन जैसे कार्यक्रमों में एक वर्ष में कार्य पूर्ण नहीं हो पाना।

2. कुछ स्वीकृतियों का वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में जारी होना।

3. उपयोजना क्षेत्र में पद रिक्त रहना।

(2) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 37 छात्र/छात्राओं के छात्रावास निर्माणाधीन थे। जिनमें से 16 छात्रावासों का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 21 छात्रावासों का कार्य प्रगति पर है। जिलेवार पूर्ण/अपूर्ण छात्रावासों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) परियोजना द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति एवं निर्धारित मापदण्ड की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की सूची ग्रामवार तहसीलवार एवं जिलेवार परिशिष्ट-स (1 से 5) पर संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला विकास अभिकरणों का अंकेक्षण

298. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य के विभिन्न जिला विकास अभिकरणों का अंकेक्षण किस-किस के द्वारा किया जाता है तथा किस-किस वर्ष तक का अंकेक्षण पूरा कर लिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनके द्वारा किये गये अंकेक्षण में उठाये गये मुददों (ड्राफ्ट पैरा) तथा एतराजों का निस्तारण किस प्रकार किया जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पिछले पांच वर्षों में अभिकरणोंवार कितने ड्राफ्ट पैरा बने तथा उनमें से कितनों का निस्तारण किया गया तथा कितनी राशि वसूल की गई ?

(4) क्या सरकार चालू व्यवस्था से सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो इसे सुधारने हेतु सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य के जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का अंकेक्षण महालेखाकार, राजस्थान एवं विभागीय आंतरिक जांच दल द्वारा किया जाता है वहीं सनदी लेखाकार द्वारा भी वाणिज्यिक लेखा पद्धति आधार पर अंकेक्षण किया जाता है। वर्ष 1996-97 से आन्तरिक जांच दल द्वारा संपादित किया जाने वाला अंकेक्षण कार्य राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प3(23)वित्त/राले/1/93 दिनांक 18.9.96 के द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को स्थानान्तरित किया जा चुका है।

जिन वर्षों तक का अंकेक्षण पूरा कर लिया गया है, उसके अनुसार महालेखाकार, राजस्थान के अंकेक्षण की सूची परिशिष्ट-"क", सनदी लेखाकार की सूची परिशिष्ट-"ख" एवं आन्तरिक जांच दल तथा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किए गये अंकेक्षण की सूची परिशिष्ट-"ग" पर संलग्न हैं।

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

(2) महालेखाकार, राजस्थान से प्रथमतः तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त होता है, जिसका प्रत्युत्तर विभाग द्वारा 8 सप्ताह की अवधि में प्रेषित करना होता है। तथ्यात्मक प्रतिवेदन के प्रत्युत्तर से संतुष्ट न होने की स्थिति में महालेखाकार द्वारा इस पर ड्राफ्ट पैरा प्रस्तावित किया जाता है, जिसका प्रत्युत्तर विभाग को 3 सप्ताह में देना होता है। इस प्रत्युत्तर से भी संतुष्ट न होने पर महालेखाकार द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट पैरा को भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाता है, जिसका परीक्षण जन लेखा समिति द्वारा किया जाकर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश राज्य सरकार को दिए जाते हैं।

इसी प्रकार सनदी लेखाकार द्वारा अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में सुझाए गये बिन्दुओं की अनुपालना संबंधित अभिकरण से कराई जाकर सनदी लेखाकार के अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति भारत सरकार एवं महालेखाकार, राजस्थान जयपुर को प्रेषित किए जानें पर भारत सरकार द्वारा प्रत्येक योजना के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में तृतीय एवं चतुर्थ किश्त प्रचलित की जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त आन्तरिक जांच दल द्वारा सम्पादित अंकेक्षण की पालना सम्बन्धित अभिकरण से प्राप्त कर विभाग द्वारा उसका मूल्यांकन एवं निस्तारण किया जाता है। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की पालना अभिकरण द्वारा तैयार की जाकर सम्बन्धित संयुक्त निदेशक,स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को भिजवाई जाती है।

(3) पिछले पांच वर्षों में महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा अभिकरणों हेतु प्रस्तावित कुल 78 ड्राफ्ट पैराज में से 47 ड्राफ्ट पैराज का निस्तारण किया जा चुका है तथा राशि 93.91 लाख रुपये वसूल की गई है।

(4) हां।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट -15 देखें)

डूंगरगढ़ (चूरू) में "तीस जिला तीस काम" योजनान्तर्गत कार्य

299. श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू में "तीस जिला तीस काम" कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य कब-कब कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये ?

(2) उक्त कार्यों में कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो गये तथा कौन-कौन से कार्य अधूरे हैं? अधूरे कार्यों को सरकार कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र डूंगरगढ़ जिला चूरू में "तीस जिला तीस काम" योजनान्तर्गत वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक कुल 32

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

कार्य 61.09 लाख रूपये की राशि के स्वीकृत किये गये हैं। वर्षवार कार्यों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर अंकित है।

(2) उक्त 32 कार्यों में से पूर्ण हुए 25 कार्यों का विवरण परिशिष्ट-"ब" एवं 5 अधूरे एवं 2 चालू नहीं किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "स" पर अंकित है। 5 अधूरे कार्यों में से 4 कार्य डामर के अभाव में बंद है। तथा एक कार्य प्रगति पर है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें)

उच्च प्राथमिक कन्या पाठशाला नांगल बैरसी (दौसा) के कक्ष निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

300. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत नांगल बैरसी पंचायत समिति, दौसा को हाल ही में राजकीय उच्च प्राथमिक कन्या पाठशाला में कमरों के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या यह भी सही है कि उक्त स्वीकृत राशि किसी अन्य जगह व अन्य कार्यों पर व्यय कर दी गई है ? यदि हां, तो कहां पर और क्यों ? क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दौसा के पत्र दिनांक 12-12-95 के द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय नांगल बैरसी में एक कमरा निर्माण हेतु 55,000/- रूपये की राशि पूर्व में स्वीकृत की गई थी।

इसके पश्चात् पंचायत समिति दौसा के पत्र दिनांक 5-1-96 द्वारा प्रेषित संशोधित प्रस्ताव के अनुसार राजकीय प्राथमिक कन्या पाठशाला, नांगल बैरसी में एक कमरा निर्माण हेतु 55,000/- रुपये की संशोधित राशि अभिकरण के पत्र दिनांक 16-2-96 द्वारा जारी की गई थी। यह कार्य पूर्ण हो चुका है तथा स्वीकृत राशि का उपयोग इस कार्य पर कर लिया गया है।

चूंकि इस कार्य की क्रियान्विति में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

नागौर जिले में सांसद क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत व्यय राशि

301. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) गत पांच वर्षों में नागौर जिले में सांसद क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों में से अभी तक कई कार्य अधूरे पड़े है? यदि हां, तो कौन-कौन से ?

उत्तर

(1) सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 में प्रारम्भ की गई है। वर्ष 1993-94 से माह जनवरी, 97 तक स्वीकृत कार्यों पर व्यय राशि एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी यह सही नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21 जनवरी, 1997)

श्रम निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति

16. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जनवरी, 1992 से जून, 1996 की अवधि में विभाग के किस-किस श्रम निरीक्षक को वर्षवार कुल कितने निरीक्षण करने थे और उनमें से कितने किये ? प्रत्येक निरीक्षक का पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निर्धारित निरीक्षणों से कम निरीक्षण करने वाले श्रम निरीक्षकों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 1992 से जून, 96 की अवधि में विभाग के प्रत्येक श्रम निरीक्षक द्वारा किये गये निरीक्षणों का वर्षवार विवरण संलग्न है।

(2) निर्धारित निरीक्षणों से कम निरीक्षण करने वाले श्रम निरीक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है : —

श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में बिजली की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य में विद्युत की स्थिति पर कल दिनांक 10 मार्च, 1997 को सदन में चर्चा हो चुकी है अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में कर्मचारियों की कथित कमी के कारण ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिल समय पर नहीं मिलने से हो रही

(श्री उपाध्यक्ष)

परेशानी के सम्बन्ध मे प्राप्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी चाही गयी थी। राज्य में विद्युत की स्थिति पर कल दिनांक 10 मार्च, 1997 को सदन में चर्चा हो चुकी है, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले में कार्यरत एक विकलांग महिला अध्यापिका का स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन कर बार-बार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बूंदी की तहसील नैनवां के करवर नसबन्दी कैम्प में 12.11.94 को बिना पर्याप्त जांच किये एक महिला का आपरेशन कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर अंचल में सेरीकल्चर ट्रेनिंग और उत्पादन का कार्य बंद करने से आदिवासियों के बेरोजगार होने की सम्भावना के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की जमवारामगढ़ पंचायत समिति के ग्राम चैनपुरा में लगाये गये कारकस प्लान्ट को तुरन्त हटाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

शोकाभिव्यक्ति

शोकाभिव्यक्ति। नेता महोदय।

श्री बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी, भूतपूर्व मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश के निधन पर

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता सेनानी श्री बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री भी थे और जो 1937 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें भी मंत्री पद उन्होंने सम्भाला था। केन्द्र में भी वे पण्डित जवाहर लाल नेहरू के मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे और आन्ध्र प्रदेश में भी संजीव रेड्डी के मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे। स्वतन्त्रता संग्राम में उनका योगदान महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय रहा।

ऐसे श्री बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी का निधन 9 फरवरी, 1997 को हो गया। स्वतन्त्रता सेनानी के स्वर्गवास के कारण जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को परमात्मा शांति दे, इसकी प्रार्थना करता हूं और उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर सदन में माननीय सदन के नेता ने आन्ध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री बी. गोपाल रेड्डी के प्रति जो शोक प्रस्ताव किया है और संवेदना प्रकट की है उसमें

(श्री उपाध्यक्ष)

मैं अपने आपको भारी दिल से सम्मिलित करता हूं।

आन्ध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री एवं वयोवृद्ध, स्वतन्त्रता सेनानी श्री बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी का जन्म 5 अगस्त, 1907 को नेल्लोर जिले के बुचीरेड्डीपेलम गांव में हुआ। अपने छात्र जीवन में ही आप स्वतन्त्रता आन्दोलन में कूद पड़े। 'नमक सत्याग्रह' आन्दोलन में भाग लेने पर आपको तीन माह तथा 'सविनय अवज्ञा' आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाने पर 18 माह की जेल-यात्रा करनी पड़ी।

फरवरी, 1937 में आपको राजाजी के मंत्रिमण्डल में मंत्री बनाया गया तथा सत्याग्रह आन्दोलन में सक्रिय होने पर आपको पुनः 3 वर्ष के लिये जेल भेज दिया गया। वर्ष 1955 में आम चुनावों के बाद आप आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री बनाये गये। आप नवम्बर, 1956 तक इस पद पर आसीन रहे। बाद में आप डॉ. नीलम संजीव रेड्डी के मंत्रिमण्डल में वित्त मंत्री भी रहे।

श्री रेड्डी दो बार लोक सभा के भी सदस्य रहे। पण्डित जवाहरलाल नेहरू की मंत्रिपरिषद में आप सूचना और प्रसारण मंत्री रहे तथा वर्ष 1963 में आपने मंत्री पद से त्याग-पत्र दे दिया। इसके बाद आप वर्ष 1967 से 1972 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे।

आप लगभग 25 वर्ष तक आन्ध्र प्रदेश साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे। आपने विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यहां अध्ययन करते समय टैगोर के साहित्य के प्रति आपकी रूचि जागृत हुई और आपने टैगोर साहित्य का तेलुगू में अनुवाद किया। नब्बे वर्ष की आयु में भी श्री रेड्डी सार्वजनिक जीवन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे।

वयोवृद्ध राजनेता श्री बी. गोपाल रेड्डी का 9 फरवरी, 1997 को निधन हो गया।

मैं दिवंगत श्री रेड्डी को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक सन्तप्त परिजनों को इस बिछोह को सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे दो मिनट के लिये संवेदना प्रकट करें।

(तद्नन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)। (अनुपस्थित)

श्री रामनारायण मीणा। (अनुपस्थित)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, कई लोग आपको मास्टरजी भी कहते हैं ना।

(66)

श्री उपाध्यक्ष : हां, कहते हैं।

उदयपुर अंचल में सेरीकल्चर कार्य की समाप्ति

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा नियम संख्या 295 के अन्तर्गत उदयपुर अंचल में सेरीकल्चर को बन्द करने की स्थिति पर विशेष उल्लेख द्वारा माननीय जनजाति विकास मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र विशेषकर उदयपुर के झाड़ोल आदि क्षेत्र में सेरीकल्चर का काम गत कुछ वर्षों से चल रहा है। इस कार्य के फलस्वरूप आदिवासियों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं और रेशम कीट पालन तथा रेशम बनाने की प्रक्रियाओं से कई व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। ज्ञात हुआ है कि राजस्थान विद्यापीठ और राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में सेरीकल्चर ट्रेनिंग और उत्पादन का जो कार्य किया जा रहा है, उसे बन्द करने का मानस बना लिया गया है। उदयपुर एवं राजसमंद के आदिवासी पंचायत समिति क्षेत्र झाड़ोल, गिर्वा, कोटड़ा क्षेत्र के कुछ गांव, केलवाड़ा तथा रेलमगरा के करीब 36 गांवों में इस कार्यक्रम का विस्तार जनजाति विभाग, केन्द्रीय रेशम बोर्ड एवं राजस्थान विद्यापीठ के सम्मिलित प्रयासों से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से वर्ष 1983-84 से आज तक करीब 2500 आदिवासी परिवार रेशम, ककून उत्पादन शहतूत की खेती, शहतूत नर्सरी, रेशम कीटपालन, बांस उपकरण निर्माण, रेशम धागाकरण एवं रेशमवस्त्र बुनाई की प्रक्रियाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। जिसको क्षेत्र में देखा जा सकता है कि किस प्रकार उन्हें स्थायी आमदनी प्राप्त हो रही है। इन गांवों में रेशम उद्योग के विभिन्न कार्यों से लाभ प्राप्त कर गरीब आदिवासी ऋण मुक्त तो हुआ ही है, वरन् अपने सिंचाई के साधन, बच्चों की शिक्षा व खेती को बढ़ाने में भी इससे प्राप्त अतिरिक्त आय का उपयोग किया है। राज्य सरकार ने 10 + 2 में व्यावसायिक सेरीकल्चर, स्कूल, तीन रेशम धागाकरण प्लान्ट, एक सेरीकल्चर रिसर्च सेन्टर, बुनाई केन्द्र, पांच चौकी रिपेयरिंग एवं एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये हैं। शहतूत लगाने से लेकर रेशमवस्त्र बुनाई तक की सभी प्रक्रियाएं अब आदिवासी परिवार को अतिरिक्त आय दिलवाने के लिये स्थापित हैं। ऐसी स्थिति में इन आदिवासियों के हित में इन्हें बंद करने की बजाय विभाग से क्रियान्वित कराते रहना चाहिये। जनजाति विभाग, स्वैच्छिक संस्थाएं, सहकारी समिति एवं राजस्व संघ के मिले-जुले प्रयास से इनको आदिवासी क्षेत्र में अधिक विकसित करना गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के हित में होगा। यह सम्पूर्ण योजना सिर्फ लाभ-हानि के आधार पर नहीं होकर आदिवासियों को अपने पैरों पर खड़े करने और उन्हें विकास की प्रक्रियाओं से जोड़ने के लिये है, अतः इसे लाभ-हानि के आधार

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

पर नहीं देखा जा सकता है। सेरीकल्चर कार्यक्रम को बन्द कर देने से आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के हमारे प्रयासों को धक्का लगेगा। अतः माननीय जनजाति विकास मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। आप जवाब दें। जवाब दे रहे हैं क्या, मंत्री महोदय?

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मंत्री, कृषि) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा सनाढ्य जी ने बताया, वैसे राज्य सरकार के विभाग के विचाराधीन था कि सेरीकल्चर को कई कारणों से हटाया जाए लेकिन श्री नन्दलाल मीणा जी व हमने अन्य लोगों की मांग पर यह निर्णय किया है कि ट्राइबल एरिया डवलपमेंट में सेरीकल्चर विभाग को निश्चित रूप से चालू रखा जाएगा, उसको और ज्यादा गति दी जाएगी नयी टैक्निक के रूप में और ज्यादा से ज्यादा सहायता देकर।

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास) : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उदयपुर संभाग में आदिवासी उप योजना क्षेत्र में जो सेरीकल्चर का कार्य चल रहा है उसके बन्द होने की आशंका व्यक्त की है___

श्रीमती उजला अरोड़ा : बन्द होने के आदेश ही दे दिये थे।

श्री नन्दलाल मीणा : आज जो आशंका इन्होंने व्यक्त की है वह निर्मूल है। उप योजना क्षेत्र में उदयपुर जिले के अतिरिक्त माही सिंचित क्षेत्र, कड़ाणा का बैक वाटर का सिंचित क्षेत्र, सोम कमला, अम्बा और जाखम का सिंचित क्षेत्र धरियावद, इन इलाकों में भी सेरीकल्चर का कार्य आने वाले वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ किया जाएगा ताकि आदिवासियों को रोजगार और रोजी-रोटी का साधन उपलब्ध कराया जा सके। जहां तक इस सेरीकल्चर को बन्द करने की भ्रांतियां उदयपुर में फैली हैं, उपाध्यक्ष महोदय, ट्राइबल सबप्लान एरिये के अतिरिक्त राजसमंद जिले और राज्य के अन्य जिलों में भी सेरीकल्चर का काम चलता है। उस पर जो प्रशासनिक व्यय होता है वह भी जब इस ट्राइबल सबप्लान एरिये के साथ जोड़ा गया और इसका लेखा-जोखा हुआ तो उसमें यह पाया गया कि यह योजना लाभकारी नहीं है, पैसा अधिक व्यय हो रहा है। उदयपुर से लेकर सोम तक पई, उंदरी, अलसीसर, झाड़ोल, फलासियां, जब यह समस्या ये आशंकाएं वहां फैलायी गयीं तो मैंने पूरे क्षेत्र का दौरा किया और वहां के सेरीकल्चर में काम करने वाले जो भाई बहन हैं, उन सबको आश्वस्त किया कि इस तरह की योजना राज्य सरकार ने न तो बन्द की है, न बन्द की जानी है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको सनाढ्य साहब से भी सम्पर्क कर लेना चाहिए था।

श्री नन्दलाल मीणा : सनाढ्य साहब से सम्पर्क तो मुझे करना चाहिये परन्तु वह थोड़ा___

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कम्युनिकेशन गैप है।

श्री नन्दलाल मीणा : कम्युनिकेशन गैप है क्योंकि वे जो फीड होते हैं उसका तरीका अलग है। क्योंकि ये जनार्दनजी नागर के माध्यम से फीड होते हैं इसलिये गलत भ्रांतियां फैलती हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप लोग एक ही जगह से आते हैं। दोनों को एक दूसरे से सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात यहां रखी थी वह यहां सैक्रेटरीज की मीटिंग में तय हुई थी। उसको बन्द करने के लिए आदेश हुए। यह शंका नहीं, बन्द होने वाला था। मैं मंत्रीजी से मिला हूं, मैंने मंत्रीजी से निवेदन किया कि यह बन्द नहीं होना चाहिये। मंत्रीजी ने भी कहा कि यह बन्द नहीं हो इस बात के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं—

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न आया इसलिये सतर्क हो गये, बन्द नहीं हुआ, यह है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : कृषि मंत्रीजी को भी धन्यवाद देता हूं लेकिन इसे बन्द नहीं किया जाए, मेरा यही आग्रह है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र स्थित कारकस प्लान्ट का स्थानान्तरण

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में कारकस प्लान्ट को तत्काल हटाये जाने के बारे में ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी।

जमवारामगढ़ जयपुर के निकटस्थ एक पर्यटन स्थल है तथा धार्मिक क्षेत्र है। मान्यवर, उक्त क्षेत्र की जमवारामगढ़ पंचायत समिति की पंचायत सायपुरा के ग्राम चैनपुरा में स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से एक कारकस प्लान्ट लगाया गया है जिससे धार्मिक प्रवृत्ति के ग्रामीणजनों में भयंकर असन्तोष व्याप्त है। मृत पशुओं के अस्थि, मांस और खाल अलग किये जाने व सर्वत्र इनके गलित टुकड़ों के फैलने तथा सड़ने से आस-पास के क्षेत्र में भयंकर दुर्गन्ध, सड़न व वीभत्स स्थिति सामने होने से नजदीक आबादी और मार्ग में चल रहे वाहनों पर लोगों को मीलों चलना मुश्किल है, गांवों में लोगों का रहना दूभर है। इसको तत्काल हटाया जाना चाहिये। जहां ऐसे पर्यटन केन्द्र नहीं हों. . . .

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। नियम में यह है कि जो लिखा होता है वही पढ़ा जाता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लिखा हुआ तो पढ़ने दें।

गर्मी में आने वाले मौसम की भयावह स्थिति से आशंका है कि उक्त क्षेत्र में भयंकर बीमारियां फैल सकती हैं। एतदर्थ उक्त प्लांट को अन्य किसी स्थान को तय

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

करके यहां से ले जाया जाना चाहिये। गांव के लोग ऐसे वातावरण में रहने के अभ्यस्त नहीं हैं, अतः उनमें भयंकर आक्रोश व क्रोध व्याप्त है। यदि ये मृत पशुओं की गाड़ियां वहां जानी बन्द नहीं की गयी तो परेशान ग्रामीण गाड़ियों और गाड़ियों को ले जाने वालो से क्या व्यवहार करेंगे उस सबकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आते जाते डेढ़ दो किलोमीटर दूर से ही बदबू आनी शुरू हो जाती है, नाक बन्द करके लोग आते जाते हैं, यह गांव वालों को बर्दाश्त नहीं है। ये जो ले जाने वाले लोग हैं इनकी गाड़ियों—

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह लिखा हुआ है?

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, लिखा हुआ है। आप पढ़िये तो सही।

लोग आन्दोलित हैं। विधान सभा के सामने आने से पूर्व मेरा आग्रह है कि उक्त कार्य को चैनपुरा से हवामहल क्षेत्र में या अन्य कहीं भी स्थानान्तरित किये जाने की व्यवस्था के आदेश प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल। समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पिछले दिनों जमवारामगढ़ क्षेत्र में एक अस्पताल के नये ब्लाक के लोकार्पण के अवसर पर मेरे साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री भी जमवारामगढ़ गये थे। उन्हें और मुझे स्थान-स्थान पर रोककर लोगों में घेराव किया व मांगपत्र दिये थे। स्थिति भयावह है अतः आज की कार्यवाही को रोककर मुझे इस विषय पर चर्चा की अनुमति प्रदान करें तथा मुख्य मंत्रीजी व स्वायत्त शासन मंत्रीजी इस पर हस्तक्षेप कर प्लांट हटवाएं। मंत्री महोदय, जवाब दें कि इस प्लांट का क्या करने वाले हैं और कहां ले जाने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। एक मिनट विराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो निर्णय है, वह सरकार का निर्णय नहीं है। यह नगर निगम निर्णय करती है और माननीय सदस्या सदस्य हैं निगम की। यह आपका ही निर्णय है, सरकार ने थोड़े ही किया ही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वहां जाना ही बन्द कर दिया। मैं किसी मीटिंग में नहीं जाती हूं वहां। जिस तरह का वे कार्य कर रहे हैं, जिस तरह का आप उनसे मिलकर करवा रहे हैं इसलिये मैंने जाना ही बन्द कर दिया वहां।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह आपकी मर्जी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में कुछ महीनों से फसल के नाम से जंगली जानवरों को मार दिया जाता है चाहे वह नील गाय हो, चाहे और कोई जानवर।

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

मंत्रीजी तो यहां नहा है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि हमें जानवरों को बचाना अति उत्तम रहेगा। उनको अगर नहीं बचा पाएंगे तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे क्योंकि पशु पंछी के पेशाब व बीट से खाद पैदा होती है लकड़ियों की हमें आवश्यकता है। 90 परसेण्ट महिलाएं अभी भी लकड़ियों से चूल्हा जलाकर रोटी बनाती हैं। इसके अलावा लकड़ी से कारखाने चलते हैं, लकड़ियों से हमारा अंतिम संस्कार तक भी होता है। इसके अलावा दवाइयां बनती हैं, शहद होता है, पत्ते काम आते हैं। फसल बचाने के पुराने तरीके जैसे थे, तार का बाड़ बना दिया, या काली हांडी बनाकर कपड़े लटकाकर रखते थे, इस तरह के और अन्य तरीकों से फसल बचाएं। फसल बचनी भी अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इस बात के लिए रुकावट करें कि हमारे पशु पंछी का नुकसान नहीं हो। आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिनारायण।

श्री हरिनारायण (खण्डार) : उपाध्यक्ष महोदय, 7.3.97 को मेर निर्वाचन क्षेत्र में घूमणखुर्द के 35 व्यक्ति एक ट्रैक्टर में बैठकर एक जागरण में जा रहे थे। रामपुरा मोड़ के पास में उगलाना के सामने पीछे से आ रहे गैस सिलेण्डर के एक ट्रक ने भारी टक्कर मारी जिससे ट्राली घिसटती हुई उलटकर के चली गयी और 35 व्यक्ति उसके नीचे दब गये, जिनमें से 4 व्यक्ति मौके पर ही मर गये। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसके लिये निवेदन करता हूं कि घायलों को और जो मृतक व्यक्ति हैं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। धन्यवाद।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा, परिवहन राज्य मंत्री राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 सदन की मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 1997

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। श्री कैलाश मेघवाल, गृह मंत्री, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य ? प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 1997 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष माहेदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 1997 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य ? प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 1997 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 1997 पारित किया गया।

राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार

राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार। डा. उजला अरोड़ा। आप वक्तव्य देंगे ? पहले वक्तव्य सुन लीजिये। बिराजें ।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में पुलिस प्रशासन के समक्ष उत्पन्न हुई अनेकानेक चुनौतियों के उपरान्त भी वर्ष 1996 के दौरान पुलिस ने राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित रखा है और यह पूर्णतया संतोषजनक रही है। आतंककारियों, तस्करों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गई तथा इनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गयी है। पुलिस प्रशासन एवं जनता के मध्य बेहतर सामंजस्य एवं सहयोग के वातावरण के फलस्वरूप इस वर्ष के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव एवं सौहार्द की स्थिति बनी रही और राजस्थान इस वर्ष जातिवादी तनाव से मुक्त रहा है। ख्वाजा साहब का उर्स, पुष्कर मेला, रामदेवरा मेला, दशहरे के विभिन्न स्थानों पर मेले, मोहर्रम, होली व दीपावली के समस्त त्यौहार भी बड़ी शांति व सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण में मनाये गये। 11वीं लोकसभा के चुनाव भी शांतिपूर्ण संपन्न करवाये गये। वर्ष 1996 में विभिन्न श्रमिक संगठनों के द्वारा कुल 240 आंदोलन व किसानों के द्वारा 77 आंदोलन व विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा 129 आंदोलनों में पुलिस और प्रशासन की त्वरित कार्यवाही से कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में रही।

वर्ष 1996 में प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही के अंतर्गत धारा 109 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में 10300 इस्तगासे

(श्री कैलाश मेघवाल)

तथा धारा 110 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में 8743 इस्तगासे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये। गुण्डा एक्ट के अंतर्गत 327 एवं अभ्यस्त अपराधी अधिनियम के अंतर्गत 24 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। इससे असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में पुलिस को सहायता मिली है। वर्ष 1995 में भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत पंजीबद्ध हुए 1,48,266 अभियोगों की तुलना में वर्ष 1996 में 1,61,621 अभियोग पंजीबद्ध हुए। पंजीकरण में करीब 9 प्रतिशत की वृद्धि का मुख्य कारण जनसंख्या में उत्तरोतर वृद्धि एवं त्वरित गति से हो रही सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां हैं। उपरोक्त संख्या में 21 प्रतिशत अपराध कतिपय स्वार्थी एवं असामाजिक तत्वों द्वारा झूठे दर्ज करवाये गये। लूट, बलवा व बलात्कार के अभियोगों में 25 प्रतिशत अपराध कतिपय स्वार्थी तत्वों द्वारा झूठे दर्ज करवाये गये हैं। यह मनोवृत्ति चिन्ता का विषय है। पुलिस का व्यर्थ का समय इस प्रकार के अनुसंधान में नष्ट होता है। इस पर नियंत्रण के उपाय किये जा रहे हैं। जनता में शिक्षा का प्रसार व उनमें सामाजिक चेतना लाने व न्यायालय द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने से इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। पंजीकृत अपराधों के त्वरित गति से अनुसंधान करने के राजस्थान पुलिस को विशिष्ट परिणाम मिले हैं। अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत अनुसंधान के लंबित रहने का 22 प्रतिशत है तथा राजस्थान में यह 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है। यह स्वयं में राजस्थान की पुलिस पर विशेष टिप्पणी है। माननीय सदस्यगण इस परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की कानून व्यवस्था को बनाये रखने वाली पुलिस के प्रशासन की विवेचना करेंगे तो उन्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि राजस्थान पुलिस प्रशासन प्रभावी रूप से कानून व व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित किये हुए है। वर्ष 1996 में अवैध रूप से भारत ने पाकिस्तान में प्रवेश करते समय 445 व्यक्तियों को पकड़ा गया जिनमें 42 भारतीय, 6 पाक नागरिक, 174 बांग्लादेशी, 222 बर्मी तथा एक अन्य हैं। इसी प्रकार पाकिस्तान से भारत में अवैध रूप से प्रवेश करते समय कुल 285 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनमें 53 भारतीय, 20 पाक नागरिक, 141 बांग्लादेशी, 70 बर्मी तथा एक अन्य हैं। वर्ष 1996 में 28 करोड़ 25 लाख 70 हजार रुपये मूल्य की हेरोइन, 87 लाख 70 हजार मूल्य का चरस तथा 31 लाख 33 हजार 6 सौ रुपये मूल्य का ऐसिटिक हाइड्राइड रसायन तस्करों से बरामद किया गया है। इस प्रकार सीमा पार से लाये जा रहे अति विस्फोटक पदार्थ 75 किलो 8 सौ ग्राम आर.डी.एक्स. तथा अन्य प्रकार के हथियारों, गोला-बारूद की बरामदगी भी हुई है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा राज्य सरकार अपना बहुत बड़ा कर्तव्य मानती है। इसी कारण इस वर्ग के खिलाफ जो अपराध दर्ज होता है, उन समस्त प्रकरणों के अनुसंधान में विशेष ध्यान दिया जाता है और इनका अनुसंधान पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा कराया जाता है। जहां तक पुलिस उप अधीक्षक के स्तर पर अनुसंधान कराने की बात आती है वहां एक आंतरिक समस्या भी उठ खड़ी हुई है। वह समस्या यह है कि इन अपराधों का त्वरित गति से अनुसंधान सुनिश्चित कराने के पूर्ण प्रयासों के उपरान्त भी भौगोलिक दृष्टि से एक वृत्ताधिकारी का क्षेत्र काफी बड़ा होने के कारण इन प्रकरणों के अनुसंधान में विलम्ब होता है। इसके अतिरिक्त वृत्ताधिकारी जब किसी अन्य कार्य एवं कर्तव्यों में व्यस्त हो जाते हैं तो भी इन प्रकरणों के अनुसंधान में विलम्ब होता है। गत माह दिसम्बर में राजस्थान के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के समक्ष यह बात कही गयी कि इन अनुसंधानों को अब थानाधिकारी के स्तर पर कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस राय को आयोग ने अत्यंत रचनात्मक रूप से ग्रहण किया है तथा इस नियम में संशोधन की संभावना बलवती हो गयी है। इस क्षेत्र में एक विशेष चिन्ता जो है, वह है इस प्रकार के दर्ज अभियोगों में लगभग 45 प्रतिशत से भी अधिक अभियोगों का जांच में झूठा पाया जाना। परन्तु ऐसे अभियोग जो सच्चे पाये गये हैं उनमें चालान का प्रतिशत 98 से 100 प्रतिशत रहा है। यह अपने आपमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। यह भी प्रयास किया जा रहा है कि इन विशिष्ट न्यायालयों में जो सहायक लोक अभियोजक कार्यरत हैं उनके लिए एक विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाए जिससे वे इन अभियोगों का प्रभावी रूप से निस्तारण करवाने हेतु और अधिक सक्षम बन सकें।

महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में त्वरित गति से प्रभावी कार्यवाही की दृष्टि से राज्य में जयपुर शहर में दो, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर जिले में एक-एक महिला पुलिस थानों की स्थापना की गयी है। ऐसे अपराधों के सम्बन्ध में जिला स्तर पर भी 72 पर्यवेक्षण व त्वरित कार्यवाही की दृष्टि से राज्य के 22 जिलों में महिला प्रकोष्ठ गठित किये जा चुके हैं। ये जिले निम्न हैं :—

जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, अलवर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर, पाली, कोटा शहर, कोटा ग्रामीण, बून्दी, झालावाड़, बारां, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमन्द।

महिला अत्याचार के प्रकरणों के अनुसंधान में विशेष परेशानी यह आती है कि इनमें निष्पक्ष साक्ष्य बहुत कठिनाई से मिलती है व दोनों पक्ष यदि उनके हक में फैसला नहीं होता दिखाई देता है तो

(श्री कैलाश मेघवाल)

अनुसंधान को येन केन प्रकारेण उलझा कर काफी दिनों तक लम्बित करने की चेष्टा में जुट जाते हैं। विवाहित महिलाओं की मृत्यु के सभी संदिग्ध मामलों में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। इस सम्बन्ध में महिलाओं के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की अब नियमित रूप से बैठकें अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) एवं न्याय विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में होती हैं। महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के बारे में वे अपनी बात रखती हैं। उनके द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर दिया जाता है। इस प्रकार महिला अत्याचारों के मामले में एक विशेष प्रकार के वातावरण का सृजन हुआ है। महिला वर्ग पुलिस विभाग को अपने अधिकारों की रक्षा हेतु अपना सहयोगी मानता है। इस व्यवस्था से जन चेतना भी जाग्रत करने में सफलता प्राप्त होगी।

वर्ष 1996 में दस्यु उन्मूलन हेतु डकैती प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस एवं आर. ए. सी. चौकियां स्थापित कर गश्त व्यवस्था करने के परिणामस्वरूप डकैतों के साथ हुई 11 मुठभेड़ों में 7 डकैतों को मार गिराया गया है, 94 डकैतों को जिन्दा गिरफ्तार किया गया है तथा 31 हथियार एवं काफी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। अन्य दस्युओं के विरुद्ध सुनियोजित अभियान जारी है और सन् 1997 में गोपाल काछी डकैत का पुलिस मुठभेड़ में मारा जाना एक अत्यन्त उल्लेखनीय उपलब्धि है। राजस्थान पुलिस में क्राइम ब्रांच ने थाना महुआ ग्राम समलेटी में रोडवेज की बस में हुए भीषण बम विस्फोट के अनुसंधान के दौरान कश्मीर व पंजाब के उग्रवादियों की एक ऐसी गैंग का पता लगाने में सफलता प्राप्त की जिसके अस्तित्व के बारे में पहले कुछ भी पता नहीं था। इन अपराधियों ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व श्रीनगर में बम विस्फोटों की वारदातें स्वीकार करना स्वीकार किया और धन भी प्राप्त किया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई. एस. आई. से इनके सम्बन्धों का होना स्पष्ट रूप से पाया गया। श्री राजेन्द्र मिर्धा अपहरण काण्ड के मुख्य अभियुक्त दयासिंह लाहौरिया व उसकी पत्नी सुमन सूद के विरुद्ध किये गये सफल अनुसंधान के फलस्वरूप उनके अमरीका से भारत में प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया का पूरा होना अनुसंधान की सफलता का एक अत्यंत अद्भुत दृष्टान्त है। इन अपराधों से सी. आई. डी., सी. बी. के अधिकारियों की जांच पड़ताल के दौरान जो जानकारी प्राप्त हुई है वह समय आने पर अवगत करा दी जाएगी। आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली शक्तियों के विरुद्ध अभियान से पुलिस प्रशिक्षण के द्वारा एक सीमा तक ही सफलता प्राप्त की जा सकती है परन्तु यदि जनता के द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त हो जाता है तो घटनाओं के लिए न कोई क्षेत्र और न कोई अवसर

(श्री कैलाश मेघवाल)

आतंकवादियों को उपलब्ध होगा। पुलिस द्वारा इस क्षेत्र में की गयी प्रगति पूर्णतया सन्तोषप्रद है। राजस्थान पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अन्य राज्यों को आतंकवादी गतिविधियों के बारे में बहुत-सी सूचनाएं दी हैं जो अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। अन्य राज्यों की पुलिस को प्राप्त सूचनाओं से कई सफलताएं भी मिली हैं। सी. आई. डी., सी. बी. में अब एक ऐसी टीम का गठन हो गया है जिसके सदस्य आतंकवाद से सम्बन्धित अन्वेषणों में विशेषज्ञ की भूमिका निभाने में समर्थ हैं।

राज्य में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना एक चिन्ता का विषय है। वर्ष 1994, 1995, 1996 के दौरान कुल सड़क दुर्घटनाएं 1994-13916, 1995-16613, 1996–18879, इसमें 1996 में जो बढ़ोतरी हुई है वह 2266 की हुई है। व्यक्ति मारे गये 1994 में 4188, 1995 में 4865 और 1996 में 5420, यह 1995 के मुकाबले 1555 ज्यादा है। व्यक्ति घायल हुए 16746-1994 में, 1995 में 20512 और 1996 में 24,203 यह 3691-1995 की तुलना में ज्यादा है।

इन दुर्घटनाओं का मानसिक दबाव जनता, पीड़ित परिवार, पुलिस तथा चिकित्सालयों पर भारी रूप से पड़ने लगा। अनुसंधानकर्ताओं द्वारा इन दुर्घटनाओं के अनुसंधान में जितना समय लगता है उतना ही अन्य अपराधों के अनुसंधान पर प्रभाव पड़ता है और उसमें अपराधी और गवाह दूसरे राज्यों के भी होते हैं। दूसरे राज्यों के अपराधियों का पता लगाना, उनके वाहन मालिकों व परिवारों का पता लगाना स्वयं में एक कठिन समस्या है। इस समस्या का समाधान राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समन्वय स्थापित कर प्रभावशाली कदम उठाने से ही सम्भव है। इसके साथ एक अन्य समस्या अन्य राज्यों से आने वाले अपराधियों के बाहुल्य की है। उसका मुख्य कारण आवागमन व संचार साधनों का सुलभीकरण है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बाहर से आने वाले अपराधी राष्ट्रीय राज मार्गों पर बसों व ट्रकों की लूट व कभी-कभी हत्याएं भी कर देते हैं। वायरलैस, संचार साधनों की कुशलता और पुलिस की त्वरित गति से विभिन्न राज मार्गों पर वाहनों की चैकिंग की व्यवस्था तथा उच्चाधिकारियों के स्तर पर इसका पर्यवेक्षण समस्त पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने में सहायक रहा है। उनके द्वारा त्वरित गति से अन्य राज्यों से आये हुए अपराधियों को पकड़ लेने से जनता में एक नये विश्वास का संचार हुआ है।

माननीय, सदस्यगण को जो पुलिस प्रतिवेदन दिया गया है उसमें पुलिस की कुछ उपलब्धियों का विवरण प्रकाशित किया गया है। उनके अवलोकन से स्पष्ट हो जाएगा, कि अन्य राज्यों से राजस्थान में आने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उनको निष्प्रभावी करने में हमारी पुलिस कितनी सक्षम रही है।

राज्य विशेष शाखा को सुदृढ़ करने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु स्पेशल सिक्योरिटी विंग का गठन किया जा रहा है। राज्य में सभी रेंज स्तर पर व

(श्री कैलाश मेघवाल)

13 संवेदनशील जिलों में एंटीसबोटेज चैक बम डिस्पोजल टीमों का गठन किया गया है। विशेष शाखा में कम्प्यूटरीकरण एवं सुरक्षा ट्रेनिंग स्कूल में विशेष प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। राज्य स्वान दल को विशेष तौर से बी. एस. एफ. के प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित करवाया गया है।

राज्य सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु पूर्ण रूप से सजग है और इसी दिशा में पुलिस के आधुनिकीकरण की योजना को चरणबद्ध एवं सुनियोजित रूप से प्रारम्भ कराया गया है। आर्थिक रूप से भी पुलिस का विशेष धन विभिन्न मदों में उपलब्ध करवाया जाता रहा है। सबसे बड़ा कार्य पुलिस विभाग के लिए पुलिस प्रशिक्षण में अनवरत सुधार, अन्वेषण अनवरत निखार तथा आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सतत् प्रयास है। इन तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य सरकार ने योजनाबद्ध रूप से निर्देश दिये हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की दो क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं अब शीघ्र ही उदयपुर और जोधपुर में कार्य करना प्रारम्भ कर देंगी। इनके लिए वहां भवन ले लिये गये हैं। अनुसंधान में विशेष रूप से दक्षता हेतु विशेष प्रकार का प्रशिक्षण कोर्स दिया जाता है। यह प्रशिक्षण राजस्थान पुलिस अकादमी में दिया जा रहा है जिसमें अब तक 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों, 130 उप अधीक्षकों, 164 निरीक्षकों तथा 636 उप निरीक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में 1 करोड़ 9 लाख 35 हजार 400 रुपये के वाहन क्रय करने हेतु राज्य सरकार ने धनराशि प्रदान की है। सीमावर्ती जिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए वाहन एवं उपकरण हेतु 407 लाख रुपये व आर. ए. सी. के वाहन क्रय करने हेतु 404.89 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है। वर्ष 1996-97 में वर्दी व गोला बारूद हेतु 963.63 लाख रुपये व स्टेशनरी व अन्य साज सामानों के लिए 135.65 लाख रुपये की स्वीकृति राज्य सरकार ने प्रदान की है। राजस्थान पुलिस के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलायी जा रही हैं। पुलिस बेनेवोलेंट फण्ड से सेवारत कार्मियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चों के शैक्षणिक अध्ययन हेतु राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती है। खेलकूद, कल्याण कार्यों, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु भी राशि स्वीकृत की जाती है। इस प्रकार राजस्थान पुलिस कार्मिक कल्याण न्यास के सदस्य की सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के मनोनीत सदस्य को 18 हजार रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।

नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों के सम्बन्ध में भी यह वर्ष उपलब्धियों का वर्ष रहा है। वर्ष 1996 में राजस्थान लोक सेवा

(श्री कैलाश मेघवाल)

आयोग, अजमेर से सीधी भर्ती हेतु चयनित 324 उप निरीक्षक अभ्यर्थी, मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों में से 4 उप निरीक्षक, प्लाटून कमाण्डर एवं खिलाड़ी कोटे से 5 अभ्यर्थियों को प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति दी गयी है। विभाग में सम्पूर्ण जिलों, यूनिटों में कांस्टेबलों के रिक्त पदों एवं सम्भावित पदों पर कुल 3540 पदों के विरुद्ध सीधी भर्ती प्रक्रिया करवायी जाकर भर्ती सम्पन्न करवायी गयी है। जिला जयपुर शहर में 114 कांस्टेबल ड्राइवरों के पदों की भर्ती हेतु सीधी भर्ती सम्पन्न करायी गयी है। वर्ष 1996 के दौरान विभागीय परीक्षाएं आयोजित कर कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के 346 पदों, हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के 224 पदों, सहायक उप निरीक्षक के उप निरीक्षक के 76 पदों पर पदोन्नति प्रदान की गयी है।

पुलिस कर्मियों का मनोबल ऊंचा रखने के उद्देश्य से उल्लेखनीय कार्यों के लिए वर्ष 1996 में 23 विभिन्न स्तर के पुलिस कर्मियों को विशेष पदोन्नतियां प्रदान की गयीं तथा असाधारण कार्यों के लिए दो पुलिस अधिकारियों को असाधारण कार्य पुरस्कार प्रदान किये गये। इसके अतिरिक्त 492 पुलिस कर्मियों को सम्पूर्ण राजस्थान में उत्तम सेवा चिन्हों से सम्मानित किया गया।

पुलिस संवेदनशीलता की ओर अग्रसर हो रही है। इस दिशा में वर्ष 1996 में सम्पूर्ण राज्य में पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस लाइनों एवं अन्य पुलिस परिसरों में 2 लाख 30 हजार पौधे लगाकर पर्यावरण संतुलन में महत्त्वपूर्ण योगदान किया गया है। पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर दिनांक 21.10.96 को सम्पूर्ण राज्य में पुलिस कर्मियों द्वारा 566 यूनिट रक्तदान किया गया एवं 67 पुलिस कर्मियों द्वारा नेत्रदान करने का संकल्प किया गया।

पुलिस हिरासत में मृत्यु एवं पुलिस द्वारा उत्पीड़न की यदा-कदा कुछ घटनाएं हो जाती हैं। प्रशासन इन घटनाओं के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील तो है ही ऐसी घटनाएं समाप्त करने के लिए प्रयत्नरत भी है। निर्धारित नीति के अनुसार दोषी पाये गये व्यक्ति के विरुद्ध तुरंत अभियोग पंजीबद्ध किया जाता है और अन्वेषण में दोषी पाये गये पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्रशासनिक स्वीकृति लेकर उनके चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं। इन प्रकरणों में यह भी नीतिगत निर्णय लिया गया है कि ऐसे पुलिस कर्मियों का पद-स्थापन पुलिस थानों पर तब तक नहीं किया जाए जब तक उनके विरुद्ध अभियोग का निर्णय न्यायालय से न हो जाए। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार पीड़ित पक्षकार को मुआवजा भी देती है और इन विशेष प्रयासों के उपरांत पुलिस सजग एवं संवेदनशील भी हुई है। पुलिस पुनर्गठन योजना मद में अब तक 685.12 लाख रुपये हर वर्ष आवर्तक मद में तथा 2086.12 लाख रुपये अनावर्तक मद में, कुल 2771.24 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय मंत्री महोदय ने यहां विस्तार से कानून और शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में किये गये कार्यों पर एक नजर डाली है। यह बात सच है कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले में हमारे प्रदेश में शांति और व्यवस्था का अगर तुलनात्मक रूप से कुछ उल्लेख किया जाए तो यहां उनके मुकाबले बहुत अच्छा है लेकिन कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी हमें तत्परता से काम करना होगा।

हमारी बहुत बड़ी सीमा पाकिस्तान से लगती हुई है। उस तरफ बड़े पैमाने पर तार लगने का कार्य किया जा रहा है लेकिन उसमें गति थोड़ी धीमी है। अब तक तारबंदी पूरी कर ली जानी चाहिए थी। तस्करों की जो स्थिति इधर-उधर से माल ले जाने की, अपराधों को गति देने की है उस पर पूरा अंकुश लग सकता था। मुझे आशा है और विश्वास है कि बहुत जल्दी ही केन्द्रीय सरकार के माध्यम से, दोनों के द्वारा मिल करके इस काम को पूरा कर लिया जाएगा और आने वाले समय में एक तरफ का रास्ता तो अपराधों का बंद हो जाएगा। मान्यवर, तस्करी के प्रकरणों में आपने बहुत सारे लोगों को पकड़ा है। उस तरफ के तस्करों को किस तरह से रोका जा सकता है, इस बारे में विचार विमर्श हुआ होगा, तत्परता से इस ओर काम करने की जरूरत है।

यह बात सच है कि जिस प्रकार की व्यवस्था हमारे राज्य में है वह निश्चित रूप से सराहनीय है लेकिन इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि हमारे पास पुलिस थानों और पुलिस फोर्स में कांस्टेबलों की कमी है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अगर पुलिस बल ज्यादा हो तो वहां और सक्षमता से कार्य किया जा सकता है।

पिछले दिनों पुलिस की भर्ती के लिए प्रयास किये गये लेकिन वे अभी तात्कालिक रूप से उपलब्ध नहीं हुए हैं। मैंने विवरण जानने का प्रयास किया तो मालूम पड़ा कि अभी जो भर्ती की गयी है, एक वर्ष के करीब प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये उपलब्ध होंगे, लेकिन ये पुलिस फोर्स को उपलब्ध होंगे। हमने यातायात पुलिस के लिए चिंतन नहीं किया। अच्छा रहता कि आप यातायात पुलिस के लिए भी चिंतन करते, उनकी फोर्स भी बढ़ाने का प्रयास करते। इंटेलीजेंस ब्यूरो में भी इस तरह की फोर्स उपलब्ध कराने का प्रयास करते, इनके पास भी फोर्स बहुत कम है। यह मेरी जानकारी के आधार पर मैं आपसे कहना चाहती हूं।

(12.46)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि अपराध न हो इसके लिए कांस्टेबल, उपकरण एवं उनकी सुविधाएं, इनकी तो आप पूर्ति करेंगे ही लेकिन इनकी पूर्ति से भी काम चलने वाला नहीं है। आपके इस

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नजरिये को बदलने के लिए, दृष्टिकोण को बदलने के लिए एक अच्छा रूख अपनाया जाए, इसका चिंतन किया जाना बहुत जरूरी है, पुनरावलोकन किया जाना बहुत जरूरी है, व्यवहार में बदलाव जरूरी है। उसके लिए पुलिस को प्रशिक्षित किया जाना भी जरूरी है।

अभी आप चर्चा कर रहे थे कि आपने महिला थाने खोले हैं, महिला प्रकोष्ठ भी खोले हैं। महिल प्रकोष्ठ के क्या कार्य हैं? किस प्रकार से वे कार्य कर रहे हैं? महिला थानों में जिस प्रकार की प्रवृत्तियां काम कर रही हैं उन पर अंकुश लगाया जाना नितांत आवश्यक है। हम अनेक प्रकरणों में देखते हैं कि सब लीपापोती होती है और उन पुरुषों को ही जिनके द्वारा अत्याचार किये जाते हैं, प्रोत्साहित किये जाने के लिए कार्य किया जा रहा है। मैं बड़े तर्क के साथ कहना चाहती हूँ, इस बात को आप अच्छी तरह से देखें और इस मानसिकता को बदलने के लिए भी आप निश्चित रूप से कार्य करें। ट्रेनिंग में यह कोई विषय लिखा हुआ नहीं है कि आप उन्हें ट्रेन करें लेकिन आदतों में बदलाव की जरूरत है। यह नितांत आवश्यक है।

मैं यह निवेदन करूंगी कि हमने व्यवस्था की दृष्टि से काफी थाने पूरे प्रदेश में खोले हैं, जयपुर में भी खोले हैं। इन थानों पर मैंने व्यक्तिगत रूप से जाकर देखा है कि कई थाने दुकानों में चल रहे हैं, कई दो-दो कमरों में चल रहे हैं, कोई टैण्ट के नीचे चल रहे हैं। व्यवस्था अच्छी नहीं है। उनको हथियार रखने की जगह, मालखाने की जगह नहीं है, अनेकों जगह, मालखाने कहीं दूसरी जगह हैं। जो बंदी करके लाये जाते हैं उनको रखने के लिए भी दूसरे थानों का उपयोग किया जा रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि आने वाले बजट में प्रावधान कराएं, सक्षमता से प्रावधान कराएं जिससे इनकी व्यवस्था सुचारू हो सके। यह व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी तब तक उचित व्यवस्था नहीं होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि पुलिस चौकी जला दी गयी खण्डार के रास्ते में उसकी पुनर्स्थापना नहीं हुई। यह संवेदनशील इलाका है। मैं एक चौकी को इंगित करके जयपुर में जो एक-दो घटनाएं हुई उनकी बात कह रही हूं लेकिन यह अव्यवस्था सब जगह है। इसमें आप बदलाव लाइये, यह बदलाव लाना बहुत जरूरी है। यही नहीं पुलिस थानों की भी दिक्कतें हैं, पुलिस चौकियों की भी दिक्कतें हैं, आप आधुनिकतम उपकरणों से उन्हें सुदृढ़ करें, यह तो मेरा सुझाव है ही लेकिन इनको व्यवस्थित सुदृढ़ करें, इनके थानों के भवनों की व्यवस्था सुदृढ़ करें। यह बहुत जरूरी है कि आप पानी, बिजली व आधुनिकतम व्यवस्थाओं से इनको व्यवस्थित करें।

सतर्कता के लिए पुलिस को सुदृढ़ किया जाना बहुत जरूरी है। यह सही है कि बहुत से थानों पर अभी आपने वाहन उपलब्ध कराये हैं और अच्छे वाहन

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

उपलब्ध कराए हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूं। आपने थानों में तो उपलब्ध करा दिये, किन्तु कार्यपालिका के जो मजिस्ट्रेट, एस.डी.एम., ए.डी.एम. आदि हैं उनके पास साधन नहीं हैं। उनके पास भी साधन होने चाहिए। यहां प्रशासन के लोग बैठे हैं, मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं समझती हूं कि वे इस ओर दृष्टिपात करेंगे। पुलिस प्रशासन के पास अगर जिप्सियां हुई और मजिस्ट्रेट, एस.डी.एम, ए.डी.एम आदि के पास नहीं हुई तो कैसे चलेगा। इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है, इसलिए उनको भी इस प्रकार के साधन मुहैय्या कराए जाए।

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन यह है कि वायरलैस सैटों की भी व्यवस्था करें। मैं नहीं जानती कि आप उनमें किस तरह से परिवर्तन करेंगे। इसमें होता यह है कि वायरलैस सैटों के माध्यम से यदि एक सूचना देनी हो तो जहां पर वह सूचना नहीं देनी है वहां भी वह भी वह सूचना पहुंचती है। इसके लिए यह होना चाहिए कि बटन दबाकर जहां हमें सूचना देनी है वहीं सूचना दें। इसके अभाव में हम गोपनीयता नहीं रख पाते और वायरलैस सैटों के माध्यम से जो बात गोपनीय है वह भी प्रचारित कर देते हैं।

मैं स्टेशनरी की व्यवस्था के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगी कि थाने में जो मुकदमा दर्ज कराने आते हैं उनसे ही स्टेशनरी मंगाई जाती है। मैं समझती हूं कि इस सम्बन्ध में एक अलग से व्यवस्था किए जाने की जरूरत है। स्टेशनरी का अलग से बजट होना चाहिए और उस बजट के माध्यम से स्टेशनरी उपलब्ध होनी चाहिए। स्टेशनरी में केवल कागज ही नहीं होते, कागज के अलावा भी और बहुत चीजें होती हैं। अगर इस तरह की चीजें जो रिपोर्ट दर्ज कराने आएं उनसे मंगाई जाएं तो क्या यह अपराध नहीं है? मैं चाहती हूं कि इसमें सुधार के लिए आप निश्चित रूप से व्यवस्था कराएं।

अब मैं पुलिस लाइन्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। पुलिस लाइन में लोग सुव्यवस्था से नहीं रह पाते। अनेक सिपाही, जो दूर-दराज के क्षेत्रों, जैसे—जैसलमेर, बाड़मेर आदि जिलों के हैं, उनके लिए पुलिस लाइन में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वे रहें और आवासीय कालोनी में बहुत ऊंचे किराये पर मकान मिलते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा मैनिपुलेशन करके जो आवासीय कालोनियां बनी हैं उनमें पुलिस बल को आवास उपलब्ध कराएं। इसके अलावा जो फोर्स यहां बराबर रहती है, उसके लिए कम से कम एक-ढेड़ हजार मकान लें और उनको उपलब्ध कराएं, जिससे वे ठीक तरह से रहकर यह कार्य कर सकें।

सभापति महोदया, हमारे पास जितना पुलिस बल है उसको भी आप देखें। बात कहने में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन कहना भी बहुत जरूरी है। हमारे पुलिस बल का बहुत बड़ा हिस्सा अधिकारियों के यहां काम करता है। जिनको थानों में काम करना चाहिए वे बड़ी संख्या में उच्चाधि-

(81)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कारियों से लेकर कांस्टेबल तबके के लोगों के घरों में काम करते हैं। आप उनको विथड्रा करें। अगर व्यवस्था करानी आवश्यक हो तो एकाध कांस्टेबल से भी काम चल सकता है, लेकिन 10-10, 15-15 कांस्टेबल उनके घरों पर काम करते हैं। यदि ऐसा ही होगा तो फिर थानों का क्या करेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था क्या करेगी? इसकी ओर भी निश्चित रूप से ध्यान देना पड़ेगा।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि थानों में ऐसा प्रशिक्षण दें जिससे कि जो प्रकरण सामने हों उन सबका पूरा उल्लेख वे उन रिपोर्टों में दर्ज कराएं। मैंने जानकारी प्राप्त की है और मैं केवल एक ही बिन्दु पर उदाहरण देना चाहूंगी, उसी को आप सब जगह के लिए मानें। जहां किसी व्यक्ति की तलाशी ली गयी और उसके पास कुछ रुपये मिले, लेकिन रुपयों का उल्लेख थाने में नहीं है। यह बस्सी थाने का हवाला है। अगर इस तरह के कुछ तथ्य छिपाए गए, कुछ प्रकरण छिपाए गये तो उन प्रकरणों में से कुछ और बात भी उभरकर सामने आ सकती है, कुछ भी मैनिपुलेशन हो सकता है। थाना इंचार्ज ने जामा-तलाशी में पांच हजार रुपये प्राप्त किये, लेकिन उसमें उल्लेख नहीं किया।

एक प्रकरण बगराना का है। माली की कोठी का एक विवाद था। जिसके ऊपर मर्डर का आरोप थोपा गया वह व्यक्ति वहां पहुंचा ही था। मर्डर करने वालों ने मर्डर किया, थाने में रिपोर्ट की शक्ल बदली गई, जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई उसके हस्ताक्षर बदल गये। यह प्रकरण जांच में है। मैं कहना चाहती हूं कि थानों में इस तरह से प्रकरण बदल गये, इस तरह से बातें छिपाई गयीं, कुछ बातें बढ़ाकर मनाई गयीं तो यह न्याय नहीं होगा। वर्षों तक जांच चलती है, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। जब लेबोरेटरी की रिपोर्ट आती है तब तक 90 दिन तक चालान करने की अवधि खतम हो जाती है। जब तक चार महीनों में फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट आती है तब तक प्रकरण कहीं का कहीं पहुंच जाता है। इसलिए इन सबमें आप सुधार करें। शीघ्र न्याय की तमन्ना सब लोग करते हैं और यह शीघ्र न्याय सबको मिलना चाहिए।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि अनुसंधान में सहायता करने वाले स्क्वॉड हैं उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। यही नहीं, मुख्य रोड्स पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको रोकने के लिए, तात्कालिक रूप से सहायता पहुंचाने के लिए आपको सक्षमता से काम करना चाहिए। दिल्ली रोड पर हम आते-जाते देखते हैं कि ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। यह बात सही है कि वहां सड़क बन रही है, चौड़ी हो रही है, लेकिन यह बात भी सच है कि वहां आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट में यदि तत्काल सहायता नहीं पहुंचाई गयी तो यह बात सच है कि वह आदमी वहां प्राण दे देगा। अगर वहां एम्बुलेंस या पुलिस की सहायता हो, वहां से उसको किसी नजदीक के अस्पताल तक ले जाया जा सके तो वह बच सकता है। मैंने इस बारे में भाई

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

राजेन्द्र जी से भी बा‌त की है कि वहां पर इस तरह की व्यवस्था हो कि जांच तात्कालिक रूप से हो जाए और इलाज तात्कालिक रूप से शुरू करा दिया जाए। हमें मुख्य मार्गों पर, चाहे वह बीकानेर मार्ग हो, चाहे अजमेर रोड हो-अजमेर रोड, आगे उदयपुर तक जाती है, 8,9,11,12 नं0 के मुख्य मार्गों पर ये सुविधाएं उपलबध कराएंगे तभी काम चल सकता है। कुछ पाइण्ट तो तयशुदा हैं जिन पर आम तौर पर एक्सीडेंट होते हैं, जैसे- दूदू। ऐसे मार्गों पर सहायता मिल सके, इसकी आप निश्चित रूप से व्यवस्था करें।

सभापति महोदया, हमारे पास आधुनिकतम उपकरण नहीं हैं। समलेटी कांड को लेकर बातचीत हुई। उसमें एक अच्छा कार्य आप लोगों ने उत्साह से किया है। 26 जनवरी को यहां स्टेडियम में बम-काण्ड हुआ, जब पुलिस के पास मिट्टी में दबे बम की जांच करने के लिए उपकरण नहीं हैं तो इसमें पुलिस का क्या दोष है ? आपने जयपुर के एस. पी. को तत्काल हटा दिया, लेकिन हटाने से बात खतम नहीं हुई। अच्छा तो यह होता कि हम पुलिस को ऐसे उपकरण उपलब्ध कराते जिससे भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं रुकतीं। इस तरह के उपकरण हम इंटेलीजेंस ब्यूरो को जुटा देते। हमको उन्हें ऐसे उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए थे ताकि वे जांच कर लेते। लेकिन इसकी बजाय पुलिस के एस. पी. को हटा दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह की हालत में यहां थानवी जी को लाया गया और उन्होंने जिस तरह का अच्छा प्रशासन यहां संभाला वह प्रशंसनीय है। मैं चाहूंगी कि आने वाले लोग भी अच्छा कार्य करें और जो अच्छा कार्य करें उनको पुरस्कृत करना चाहिए, जो काम नहीं संभाल सकते हैं उनको निश्चित रूप से सजा देने की बात करनी चाहिए।

सभापति महोदया, पुलिस की स्थान-स्थान पर आवश्यकता महसूस की जाती है। वी. आई. पी. को लाने के लिए पुलिस के एस. पी. जाएं, कलेक्टर जाएं, तो आप अलग से एक व्यवस्था क्यों नहीं कर देते कि वे चले जाएं और प्रशासन का काम, कानून-व्यवस्था सुधारने का काम है उसके लिए वे उपलब्ध रहें। यह बड़ी विचित्र स्थिति है, मुझे आशा है इसमें आप निश्चित रूप से कुछ बदलाव लाने का कार्य करेंगे।

(13.00)

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पुलिस बल को अतिक्रमण हटाने के लिए चाहा जाता है। इनके लिए भी अलग-अलग से फोर्स जुटा ली जाए। जिन विभागों को अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस फोर्स की आवश्यकता है वे विभाग अपनी अपनी ऐसी फोर्स जुटा लें। मुझे तो दुःख यह होता है कि बहुत-सी पुलिस अतिक्रमण करवाती है। जो करा रही है, उसकी शह से जो कर रहे हैं उनको रोका जाना चाहिए। इन सारी चीजों को, सारे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आप कार्य करेंगे। मैं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

निवेदन करना चाहूंगी कि शेष सलाह मैं आपको मेरी रिपोर्ट के माध्यम से देने वाली हूं, उन सबको भी आप देखेंगे, आप उनको संभालेंगे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि आजकल जो अनुसूचित जाति, जनजाति के सम्बन्ध में कानून बने हुए हैं उनको भी थोड़ा देखें। तात्कालिक रूप से कोई किसी के सम्बन्ध में अपहित करता है तो कार्य किया जाना चाहिए। लेकिन जो रिपोर्ट आती है उसका अनुसंधान भी नहीं हो, यह बात भी गलत है। हमारे यहां थाना जमवारामगढ़ में वहां के प्रधान ने रिपोर्ट दर्ज करायी, उस रिपोर्ट को सालों बीत गये, कोई कार्य नहीं हुआ। एक पुलिस के अधिकारी ने यह कहा है और अन्य मामले में भी यह कहा है कि यह मामला मीणा जाति का है, अगर आप अपना हक प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो आप बंध जायेंगे। ये कौन से सवाल-जवाब हैं ? सवाल तो यह है कि अनुसंधान करके यह निकाला जाए कि कौन सही है, कौन गलत है, उसके लिए कार्य किया जाना चाहिए। लेकिन वह न होकर उल्टी-सीधी धमकियां देकर जो कार्य किये जाते हैं उन पर निश्चित रूप से हमारा नियंत्रण होना चाहिए।

महिलाओं के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि महिलाओं के सम्बन्ध में जब भी कोई बात आती है तो ऐसा उपस्थित कर दिया जाता है कि जैसे महिलाएं कोई पुरुष विरोधी हों। यहां न महिला का विरोध है, न पुरुष का विरोध है और न पुलिस का विरोध है, ये सारी हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जिनके कारण से महिलाएं प्रभावित हैं। कहते हैं कि महिला महिला को दुःख देती है। इस प्रकार से घर वालों को सम्मिलित करके प्रकरण बनाये जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बलात्कार के केसेज को ले लें, बड़े शर्म की बात है कि थाने में ऐसे प्रकरण होते हैं। यह भी शर्म की बात है कि थाने में जिसको पूछताछ के लिए बुलाया जाए उसको मार दिया जाए। ऐसे लोगों को यदि आपने दण्डित नहीं किया तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या का सामना आगे आने वाले समय में करना पड़ेगा। ऐसे प्रकरण कहने में भी शर्म आती है लेकिन निश्चित रूप से सम्भाले जाने चाहिए जो इस प्रकार का काण्ड करने वाले हैं उनके लिए कठोरतम सजा की व्यवस्था निश्चित रूप से सरकार करेगी, यह मैं कहना चाहूंगी। जिन महिलाओं को जला दिया जाता है या जलने के लिए बाध्य किया जाता है या दहेज प्रकरण में उनको जीवनभर प्रताड़ित किया जाता है उनके लिए अच्छी तरह से कानून में व्यवस्था रखते हुए अनुसंधान ठीक-ठाक हो सके, पुलिस के रवैये को बदले, यह मेरा आपसे आग्रह है। मैं यह चाहूंगी कि महिला प्रकोष्ठ जो बनें, महिलाओं के थाने बनें, वैसे ही महिला आयोग का निर्माण किये जाने में क्या दिक्कत है। अगर सरकार वह भी कर दे

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

तो महिलाएं वहां जाकर अपनी बात कह सकेंगी और एक सुझाव के रूप में, एक और सुव्यवस्था के रूप में हमें कुछ उपलब्धि हो सकेगी।

मैं आपके किये हुए अच्छे कार्य की तारीफ करते हुए, शेष कार्यों को आप सम्भालें, इसके लिए आपसे आग्रह करते हुए कहना चाहूंगी कि चुनौतियों का सामना हम सबको मिलकर करना है, अच्छी राशि इस सम्बन्ध में उपलब्ध कराएं। यह बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भंवरसिंह डांगावास।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदया, पुलिस का मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था बनाये रखना, बने हुए कानूनों को लागू करना और समाज में अव्यवस्थाएं होती हैं उन पर नियंत्रण करना है। जब सृष्टि की रचना हुई उस वर्ष से ही अपराध साथ अवतारित हुए। सृष्टि की रचना के साथ ही अपराध अवतारित हुए, कुव्यवस्थाएं अवतरित हुईं। अपराध के मुख्य तीन कारण जर, जमीन और जोरू- जिसे कहा जाए जोरू नहीं स्त्री, ये हैं। ये तीन मुख्य कारण हैं जिनके कारण अपराध घटित होते हैं। सभापति महोदया, आज हम सिर्फ पुलिस बजट की चर्चा न करते हुए पुलिस के पिछले वर्ष के कार्यकलाप—

श्री सभापति : पुलिस बजट नहीं है।

श्री भंवरसिंह डांगावास : बजट की चर्चा न करते हुए पिछले वर्ष के पुलिस के कार्यकलापों पर चर्चा कर रहे हैं और वर्तमान में कानून और व्यवस्था के क्या हालत हैं उसके सम्बन्ध में बात कर रहे हैं। प्रतिपक्ष की तरफ से हमेशा यह आरोप लगता है कि अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं। अपराध बढने का कारण सिर्फ यह नहीं है कि पुलिस निष्क्रिय है, अपराध बढ़ने के कारण हैं हमारी आबादी बढ़ना, आर्थिक उपलब्धता में असमानता होना, राजनैतिक और धार्मिक वर्गों में बंटकर के द्वेषता पैदा होना। और अन्य विभिन्न कारण भी हैं। अगर उपरोक्त कारणों से अपराधों में बढ़ोतरी होती है तो इसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है। हमें सिर्फ यह देखना है कि पुलिस को जहां नियंत्रण करना है, रोकथाम की कार्यवाही करनी है वहां पुलिस करती है या नहीं करती है। इस पुस्तिका, इस वार्षिक प्रतिवेदन के आप अगर आंकड़ों का अवलोकन करें तो पुलिस ने यथेष्ट चेष्टा की प्रीवेंटिव एक्शन के तहत, जुर्मों की रोक-थाम के तहत, इसके लिए पुलिस विभाग को मैं बधाई देता हूं।

अपराधों के सम्बन्ध में 1996 में जो अपराध घटित हुए, उनका प्रतिशत आपके सामने रखना चाहूंगा। गत वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष में डकैती 10.22 प्रतिशत, लूट 9.86 प्रतिशत, हत्या 9.22 प्रतिशत, बलवा 5.09 प्रतिशत, नकबजनी 5.58 प्रतिशत,

(श्री भंवरसिंह डींगावास)

चोरी 6.71 प्रतिशत, बलात्कार 12.16 प्रतिशत और अन्य 10.51 प्रतिशत के हिसाब से बढ़े। जो मैंने ऊपर कारण बताये, जो आपसे ऊपर निवेदन किया उन कारणों के कारण कुल अपराधों में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी नहीं है, यह साधारण बढ़ोतरी है, इसके लिए सदन को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

मैं बड़े हर्ष के साथ गृह मंत्री जी को, राज्य सरकार को और पुलिस के अधिकारियों को बधाई देते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी पुलिस ने, राजस्थान की पुलिस ने विशेष अपराधों के सम्बन्ध में उत्कृष्ट उपलब्धि अर्जित की है। उदाहरणतः 8 वर्षीय बालिका सेहल माहेश्वरी अपहरण, दौसा जिले का समलेटी बस बम विस्फोट, भीलवाड़ा जिले में बस लूटने के सम्बन्ध में, हरियाणा की बस की लूट, बाड़मेर जिले में तस्करी के माल की बरामदगी और अवैध हथियारों की बरामदगी। इसके अलावा जिन आंकड़ों से पता पड़ता है, हमारा चालान प्रतिशत पिछले सालों से बहुत अच्छा है, हमारा बरामदगी का प्रतिशत बढ़ रहा है, हमारा डिटैक्शन प्रतिशत बढ़ रहा है। कोई भी पुलिस को निष्क्रिय कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये तथ्यात्मक आंकड़े हैं, कोई झूठे आंकड़े नहीं हैं। इन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो पुलिस का कार्य सराहनीय रहा है।

एस. सी. और एस. टी. एक्ट के तहत हरिजनों के साथ जो अत्याचार होते हैं उनके सम्बन्ध में मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से मैं बधाई देता हूं कि इन अपराधों में जैसी कमी होनी चाहिए उससे भी अधिक कमी हुई है। वर्ष 1994 में ये अपराध 3337 पंजीबद्ध हुए। ये इस वर्ष के अपराधों से 2376 अधिक थे। वर्ष 1995 में 1567 अपराध पंजीबद्ध हुए, इस वर्ष के आंकड़ों से 606 अपराध अधिक पंजीवद्ध हुए और इस वर्ष 1996 में, आलोच्य वर्ष में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस वर्ष में 951, सिर्फ 951 पूरे राजस्थान में एस. सी. और एस. टी. के खिलाफ अत्याचारों के अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि पुलिस की मुस्तैदी से, उनके सही अनुसंधान से इन अपराधों के ऊपर अंकुश लगा है वरना पापूलेशन वैसे ही बढ़ी, दोनों की ही बढ़ी। सामान्य वर्ग की बढ़ी, एस. सी. और एस. टी. की पापूलेशन बढ़ी। अपराध बढ़ने चाहिए थे लेकिन इस पर अंकुश लगा है और इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं।

बहुत हल्ला होता है महिलाओं के साथ अत्याचार का, महिलाओं के साथ यह हो गया, महिलाओं के साथ वह हो गया। मैं मानता हूं, यह एक पूजनीय वर्ग है, मातृशक्ति है। हर नागरिक का, हर अधिकारी का, हमारा यह फर्ज है कि हम इसकी रक्षा करें, इसको इज्जत दें लेकिन सिर्फ राजनैतिक स्तर पर बात करने के

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

लिए कि अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे झूठे शब्द उच्चारण करना सदन में और बाहर, मैं इसको वाजिब नहीं समझता हूं।

मैं यह और बधाई दूं कि राजस्थान पुलिस में जुर्म हो या नहीं हो, थाने में आये हुए प्रत्येक की प्रथम इत्तला रिपोर्ट को पंजीबद्ध किया है। ये आंकड़े इस बात का द्योतक हैं कि कहीं पर आफेंस वर्क नहीं हुआ। इस बात का द्योतक है कि अपराध बढ़े, अपराधों में अनुसंधान हुआ और खुले दिल से अपराध दर्ज किये गये। वास्तव में इन जुर्मों को नियंत्रण करने के कारण महिला अपराधों की संख्या कम आनी चाहिए। सामाजिक दोष इसमें एक जिम्मेदार कारण है। आर्थिक लाभ हर मनुष्य येन-केन-प्रकारेण प्राप्त करना चाहता है और उसका माध्यम बहुएं बनी हुई हैं, दहेज बना हुआ है। इसमें अंकुश समाज लाएगा। समाज को ऐसे व्यक्तियों को बहिष्कृत करना चाहिए। पुलिस तो अपनी कार्यवाही कर रही है। समाज में चेतना आनी चाहिए, महिला मंडलों को और महिला समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जो इनके साथ अपराध करें, दहेज मांगें, परेशान करें, उनकी मौत हो, उनको समाज से बहिष्कृत करें, इसकी भी आवश्यकता है। जन चेतना की आवश्यकता है, समाज चेतना की आवश्यकता है। मैं आपको आंकड़े प्रस्तुत करता हूं कुल अपराधों के सम्बन्ध में कि राजस्थान के अन्दर 1994 में 3007 अपराध पंजीबद्ध हुए। इनमें से 2971 का निस्तारण हुआ और इस निस्तारण में से 1807 अपराधों का चालान हुआ। 1995 में 3662 अपराध पंजीबद्ध हुए। इनमें से 3607 अपराधों का निस्तारण हुआ और 2177 का चालान हुआ। वर्तमान वर्ष में कुल अपराध 4378 पंजीबद्ध हुए। इनमें से 4042 का निस्तारण हुआ और 2441 का चालान हुआ। कुछ मुकदमे इसमें विचाराधीन हैं, उससे भी प्रतिशत बढ़ेगा।

मैं आपको एक यह निवेदन कर दूं कि यह ऐसा विभाग है, मारवाड़ी में एक कहावत है "गर्दन काटकर देने के बाद कहते हैं कि गर्दन तिरछी कट गई, हमारे काम नहीं आएगी। तुम्हारी गर्दन तिरछी कट गई इसलिए काम में नहीं आएगी। रात-दिन 24 घंटे हर रेतों में ये व्यक्ति काम करने वाले और इनके ऊपर दोषारोपण करने वाले बहुत हैं। मैं री-ऑर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में मंत्री महोदय और महानिदेशक महोदय को बधाई देता हूं कि पिछले तीन वर्षों में यथेष्ट चेष्टा की है, राज्य सरकार ने पूर्ण धन उपलब्ध कराया है और दिनों-दिन दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। यह सही है कि सीमित साधनों के कारण हम किसी महानगर जैसी व्यवस्था कर नहीं पाये। इतना बड़ा राजस्थान जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भारत-पाक सीमा आई हुई है, भिन्न तरह के टेरेन सबसे ज्यादा। कहीं रेगिस्तान है तो कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं नदियां हैं,

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

इन सबके ऊपर नियंत्रण करने के लिए साधनों की और अधिक आवश्यकता है। मैं आपसे यह आग्रह कर दूं कि जब से मैं इस सदन में आया हूं, इस विभाग की कार्य शैली प्रतिदिन पढ़ता हूं, सुनता हूं और मुझे खुशी है कि यह दिन-प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। शारीरिक शिक्षा, प्रशिक्षण सारे दिये जा रहे हैं।

मैं एक बात कहूंगा। कोई भी व्यक्ति अगर मानसिक रूप से विचलित नहीं होगा तो वह काम कर पाएगा। शारीरिक पुष्टता कितनी ही आ जाए, मनुष्य का मानसिक संतुलन होना आवश्यक है। वह अपने परिवार से इस तरह से उऋण होना चाहिए कि जब वह ड्यूटी दे तो उसको परिवार याद नहीं आये, उसको कष्ट नहीं हो। इसके लिए मैं थोड़ा-सा वैलफेयर के सम्बन्ध में निवेदन कर दूं। मैं विस्तार से योजना बजट भाषण के समय अगर मौका मिला तो प्रस्तुत करूंगा। प्रत्येक जवान से लेकर उच्च अधिकारी तक हमारा विभाग जिसमें वैलफेयर शाखा दी हुई है, क्या उसको पूरी तनख्वाह देते हैं, एक बात? क्या उसको पूरा आवास मिलता है, दूसरी बात? क्या उसके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में निगरानी होती है, तीसरी बात? क्या उसके बच्चों के लिए शिक्षा के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही होती है, चौथी बात? जैसे परिवार के अन्दर सारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, क्या इन पुलिस परिवारों के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं? सभापति महोदया, गत वर्ष भी मैंने प्रार्थना की थी, राजस्थान पुलिस के उन कर्मचारियों के लिए जो ऐसी दूर-दराज जगहों पर सेवाएं दे रहे हैं जहां न तो पाठशाला है, और है तो उस बच्चे के समकक्ष कक्षा नहीं है। उस बच्चे के लिए शिक्षा के सम्बन्ध में कक्षाएं नहीं हैं। क्या ऐसी व्यवस्था वहां दूर-दराज में है कि वह अगर बीमार पड़ जाए तो चिकित्सा के लिए वहां पर व्यवस्था हो जाए? यह सम्भव भी नहीं है तो मैंने प्रार्थना की थी कि राजस्थान पुलिस अकादमी में सेन्ट्रल स्कूलों के आधार पर वैसा ही स्तर बनाकर हमारी पुलिस के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाए। अगर आप यहां पर जमीन उपलब्ध नहीं समझें तो राजस्थान के केन्द्र बिन्दु के नजदीक अजमेर में यह किया जा सकता है। दूसरा, मैंने आग्रह किया था कि इन परिवारों के लिए एस. एम. एस. अस्पताल में कोई जगह नहीं है, कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। कुछ समय पहले टी. बी. वालों के लिए व्यवस्था की गई थी। वह तो बीमारी ही हट गई है, आजकल नई-नई बीमारियां आ गई हैं। सेवारत होते हुए एक्सीडेंटस में मर जाएं, एनकाउंटर में नुकसान होता है शरीर का, घातक चोटें लगती हैं, और अन्य बीमारियां होती हैं। गृह मंत्री महोदय, ध्यान आपका आकर्षित करूंगा सभापति महोदया के माध्यम से कि एक चिकित्सालय आर.पी.ए. के अन्दर सिर्फ पुलिस कर्मचारियों के लिए और उनके परिवार के लिए इस वर्ष के

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

बजट में आप लाएं और घोषणा करें कि चिकित्सालय खुल जाएगा। आखिर में राजस्थान की पुलिस को पुनः बधाई देता हुआ ईश्वर से यह प्रार्थना करते हुए कि यह और सक्षम हो, सशक्त हो और राजस्थान पुलिस का नाम पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी रहे, अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री किशन गोपाल कोगटा।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : आज भी नाम काट दिया सभापति महोदया, + + +

श्री सभापति : काटा नहीं है, है। प्रतीक्षा कीजिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : सभापति महोदया, आज सदन में राजस्थान में कानून और व्यवस्था पर चर्चा हो रही है। मैं उसमें सम्मिलित होता हुआ। सबसे पहले राजस्थान सरकार, माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब, मुख्य मंत्री, गृह मंत्री और सभी पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा। जैसा देश में वातावरण है, जो देश की स्थिति बनी है, उसमें राजस्थान पुलिस विभाग जिस तत्परता से और जिस सूझबूझ से कार्य कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान पाकिस्तान के बॉर्डर पर, पश्चिमी सीमा सारी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है और पाकिस्तान हिन्दुस्तान में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को समाप्त कर ऐसी योजना बनाने की निरंतर कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान गुप्तचर शाखा आई.एस.आई. द्वारा भारत में तोड़-फोड़ की कार्यवाही, अशांति फैलाना, विशिष्ट व्यक्तियों को हानि पहुंचाने की निरंतर योजना बनाता रहा और उनके एजेंट भारत में और खासकर राजस्थान की सीमा के माध्यम से भेजता रहा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान पुलिस को कि उन्होंने इसका दृढ़ता से मुकाबला किया और विदेशी नागरिकों को, खासकर पाकिस्तान द्वारा भेजे गये नागरिकों को पकड़ा। इसके उदाहरण—5 जनवरी, 1996 को जोधपुर में गुप्तचर पुलिस ने उमाउसला व युसुफ नामक दो व्यक्तियों को पकड़ा, 29 फरवरी, 1996 को लूण खां उर्फ आसफ खां को और ऐसे ही 6 अप्रेल, 1996 को पाकिस्तान निवासी बगनू, जो बंगाल देश से आया, उसको पकड़ा। उसके साथ हथियार भी थे। इसी प्रकार 2 जुलाई, 1996 को जोधपुर जिले के सीमावर्ती गांव देदासरी की मस्जिद में रह रहे एक बंगाली, बंगाल देश के चार व्यक्तियों को पकड़ा और मस्जिद के मौलवी को, बंगाल देशी नागरिक को अवैध शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया। 19 जुलाई, 1996 को जैसलमेर जिले के वलसूंड थाना क्षेत्र के बिकोड़ाई गांव के पास अवैध रूप से निवास कर

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

रहे तीन पाकिस्तानी नागरिक मलूके खां, जियादे खां, श्रीमती जानी को गिरफ्तार किया। 23 जुलाई, 1996 को दो पाकिस्तानी महिलाएं श्रीमती मटिल्डा एवं श्रीमती किसवेवता को जिला पुलिस ने पकड़ा। इसी प्रकार 8 अगस्त, 1996 को पाकिस्तानी नागरिक सलाम पुत्र अमीर खां को वीजा नियम के उल्लंघन करने में गिरफ्तार किया गया। यह इस बात का प्रतीक है कि पाकिस्तान राजस्थान में विभिन्न माध्यमों से षड्यंत्रकारी भेज रहा है। राजस्थान पुलिस का दायित्व बनता है कि केवल इतने से ही अपने को संतोष नहीं करे। इसमें और अधिक से अधिक आधुनिकीकरण और पुनर्गठित पुलिस को कर आपराधिक शाखां की जो सूचनाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता है क्योंकि आने वाला समय इससे भी ज्यादा खराब है और निश्चित रूप से कानून-व्यवस्था में इसका फर्क पड़ेगा। राजस्थान में नये जिले बने लेकिन नये जिलों में गोपनीय सूचनाएं प्राप्त करने के अभी कोई साधन की व्यवस्था नहीं हो पाई, विशेष शाखाओं की इकाइयां नहीं बनी। ऐसे संवेदनशील स्थानों पर भी इकाइयों की आवश्यकता है, जैसे राजसमंद, बारां, दौसा, मकराना, ब्यावर, पुष्कर, नसीराबाद, बहरोड़, फतेहपुर सीकरी, हिण्डौन, कामां, मालपुरा, नाथद्वारा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, माउण्ट आबू, कोटला में नई इकाइयां खोली जाएं और अधिक स्टॉफ स्वीकृत किया जाए। ये जिले नये बने हैं और कुछ संवेदनशील स्थान हैं जिनमें आपराधिक तत्त्वों को छिपने का, रहने का स्थानीय लेवल पर बहुत-सी बार सहयोग मिलता है। अगर गोपनीय सूचनाएं समय पर मिलीं और पुलिस प्रशासन अगर एक्टिव हुआ तो निश्चित रूप से इसमें और सुधार होगा।

माननीय सभापति महोदया, राजस्थान में एक और समस्या है कि पाकिस्तानी आई. एस. आई. एजेंटों के साथ-साथ बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से निकाले गये आपराधिक तत्त्व राजस्थान में शरण लेते हैं। खासकर भीलवाड़ा जिला और अजमेर जिला, जहां औद्योगिक क्षेत्र हैं, रोजगार के माध्यम से वे इस एरिया में घुसते हैं। पहले एक बार अपना स्थान बनाते हैं और फिर वही पुरानी आपराधिक प्रवृत्ति प्रारम्भ करते हैं। भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र है लेकिन अधिकांश मजदूर बिहार और यू. पी. से आये हुए हैं। यहां जमने के बाद व्यापारियों को, उद्योगपतियों को धमकियां देना, पैसे वसूल करना और नहीं तो हत्या तक करने का उन लोगों ने प्रयास किया। मेरे विजयनगर के पास दो औद्योगिक क्षेत्र हैं, गुलाबपुरा के पास मयूर मिल और सुपर सिमकोटैक्स, उनमें अधिकांश यूपी. और बिहार के मजदूर काम करते हैं। अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि किनारे लगता है विजय नगर, वहां वे रहते हैं। उन्होंने अभी दो महीने पहले ऐसी एक घटना की जिसकी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं,

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

जिससे उनके आपराधिक तत्त्व का पता लगता है। बाड़ी पंचायत विजय नगर के पास एक आसन गांव है, उसमें ये बिहारी लोग रहते थे। उन्होंने वहां के एक नागरिक को चिट्ठी लिखी दो महीने पहले ही कि तीस हजार रुपये पन्द्रह दिन में, सात दिन में पहुंचाएं, नहीं तो तेरे बच्चे की हत्या कर दी जाएगी। और सात दिन बाद, सभापति महोदया, उस छोटे से बालक की जो आठ वर्ष का था, हत्या कर पास के कुएं में उसे डाल दिया। आज तक अपराधी पकड़ा नहीं गया। ऐसे ही गुलाबपुरा के पास गागेड़ा गांव है उसमें लूटपाट की। पहले किरायेदार रहे फिर लूटपाट करके बिहार भग गये। तो मेरा यह आग्रह है कि ये बिहार और उत्तर प्रदेश से जो असामाजिक तत्व निकालने के बाद राजस्थान आते हैं, वहां की सरकार या वहां का प्रशासन निकालता है जो अपने यहां शरण लेते हैं, उनके लिए एक व्यवस्था की जाए। माननीय गृह मंत्री का जिला भी है, उसमें जिस प्रकार के अपराधी तत्व बढ़ रहे हैं, उसको निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए।

सभापति महोदया, इतना ही नहीं, ब्यावर और उसके आसपास बंगाल देशी और बिहार से मौलवी और मुल्ला आकेर रह रहे हैं। आज दो सौ से ज्यादा संख्या में बंगाल देश से आये हुए मौलवी वहां बस गये। शिकायत करने पर भी आज तक उसकी कोई न तो इन्क्वायरी हुई और न उनको बाहर निकाला गया। बंगला देश से जो आये हैं—बिहार और बंगाल और यू.पी. से आने वाले तो देश के ही हैं लेकिन बंगलादेश के भी मुल्ला और मोलवी आकर शरण लेते हैं। जिनके ठिकाने भी थे, पुलिस वालों को भी पता है। ब्यावर के पास रूपनगर एक गांव है, पंचायत है वहां बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है, वहां एक ट्रेनिंग सेन्टर खोल रखा है। जब शिकायत की जाती है तो पुलिस वाले, वहां के अधिकारी, एस. एच. ओ. या डिप्टी साहब कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हम जाएं तब वहां मिलते नहीं हैं। हम जाते हैं वहां पकड़ने के लिए, कोई गवाही देता नहीं। लेकिन केवल इतना मात्र कहना ही पर्याप्त नहीं है। मेरा आग्रह है कि इस ओर भी ध्यान दें। इन दिनों ब्यावर और उसके आसपास काफी संख्या में गौ-हत्याओं का मामला सामने आया है। मसूदा थाने के पास एक चौरसिया गांव है वहां चार गायें कटीं। उसकी शिकायत हुई, डेढ़ महीने बाद उस पर कार्यवाही हुई। ऐसे ही ब्यावर के पास अंधेरी देवरी गांव है, उसमें आये दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। उस पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए जब नागरिक बन्धु वहां जाते हैं पुलिस स्टेशन में तो वे कहते हैं कि गवाह लाओ। जब वह गाय कट गयी, उसके उसके अस्थि-पंजर सामने हैं तो जांच करनी चाहिए। शिकायत भी करे और उसके साथ-साथ वह गवाह लेकर भी जाए, यह सम्भव नहीं है। जब एक बार सूचना मिल जाती है तो निश्चित रूप से कार्यवाही

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

करनी चाहिए। हमारे अजमेर जिले के पालमपुर में अभी पिछले दिनों एक विदेशी षड़यन्त्र का पता लगा और विदेशी नागरिकों के पास हथियारों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया। उसमें अजमेर का एक नागरिक सम्मिलित है। अजमेर का जब नागरिक सम्मिलित है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि अजमेर भी एक अड्डा बनने जा रहा है। तो इस पर उचित कार्यवाही हो। उस व्यक्ति को पकड़ें और उसे पकड़ने के बाद उसकी सारी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि उसके और कहां-कहां ठिकानें हैं, कैसे अजमेर का आदमी पाकिस्तानी नागरिकों के साथ सम्मिलित हुआ, मेरा यह सुझाव है। इससे विभाग की गुडविल बनेगी और पैठ भी जमेगी।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि विभिन्न सदस्यों ने पिछले ढाई-तीन साल में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करवाने के लिए कई पत्र लिखे, उन पत्रों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कार्यवाही नहीं हुई इसके कारण उन विधायकों को जानकारी भी नहीं दी गयी है। मेरा यह आग्रह है कि विधायक द्वारा अगर कोई शिकायती पत्र किसी अधिकारी या कान्स्टेबल, हैड कान्स्टेबल या थानेदार के खिलाफ हो तो उसकी जांच कर उनको भी सूचना दें। भारत स्वतन्त्र हुआ उसके बाद से जितना स्टॉफ पुलिस थानों में चला आ रहा है वह आज तक है। जनसंख्या बढ़ी, अपराध बढ़े, साधन-व्यवस्था बढ़ी लेकिन स्टाफ की वह की वह कमी है। इसके कारण पुलिस वाले भी, थानाधिकारी भी कुछ करना चाहें तो स्टाफ की कमी की वजह से वे कर नहीं पाते और समय पर पहुंच नहीं पाते हैं।

आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि थानों में संख्या बढ़ाएं कांस्टेबल, ए. एस. आई. आदि की और पापूलेशन के हिसाब से, एरिये के हिसाब से इसको पुनर्गठित करें। अजमेर जिले में विजयनगर सबसे छोटा थाना है, उसमें करीब 17 गांव पड़ते हैं और सबसे बड़ा है भिनाय थाना। वह इतना बड़ा थाना है जिसमें 156 गांव हैं। नागरिकों को किसी छोटी-मोटी बात के लिए भी अगर पुलिस स्टेशन जाना हो तो अपना सामान कपड़े वगैरह लेकर जाते हैं, क्योंकि दो दिन लगते हैं, दो बसें बदलकर जाना पड़ता है। मेरा यह आग्रह है कि दो-तीन चौकियां बड़े थानों में हो, यह निश्चित रूप से करें। इसके साथ-साथ, सबसे बड़ा थाना है लेकिन वहां जीप नहीं है। आखिर 156 गांवों के पुलिस स्टेशन में एक थानेदार कैसे कंट्रोल करेगा? दो बसें बदलकर ठेठ-ठिकाने जाएगा तो लगभग 100-125 किलोमीटर का रास्ता रहता है दूरदराज का।

एक माननीय सदस्य : ऊंट तो होगा न?

श्री किशन गोपाल कोगटा : नहीं, ऊंट भी नहीं है। अतः मेरा यह आग्रह है कि जो बड़े थानें हैं उनको खास तौर पर

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

पुलिस की जीप दी जाए। वायरलैस व्यवस्था तो आपने की उसके लिए धन्यवाद।

नेशनल हाइवे चित्तौड़ से अजमेर तक का ट्रेफिक इतना बढ़ गया है कि विजयनगर और बांदनवाड़ा के बीच में आये दिन एक्सीडेंट हुआ करते हैं और इन एक्सीडेंट्स की व्यवस्थाओं में स्टाफ की आवश्यकता होती है। अब एक्सीडेंट में किसी के लगती है या घायल होता है या डैथ हो जाती है तो पुलिस थाने में पता लगता है कि यहां तो स्टॉफ ही नहीं है। सुबह होता है और शाम तक पुलिस वाले पहुंचते हैं। अतः मेरा यह आग्रह है कि जहां नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे हों, जहां ट्रेफिक ज्यादा हो वहां थानों में तो कम से कम आप संख्या बढ़ाएं जिससे व्यवस्था सही हो। ऐसा ही अजमेर और जयपुर के बीच में आये दिन जाम लगता रहता है ट्रैफिक का। मेरा उसमें सुझाव है कि आप निश्चित स्थान 10-15 किलोमीटर पर पुलिस की चौकी की व्यवस्था करें, उसमें वायरलैस की व्यवस्था करें जिससे सुविधा हो। कहीं भी ट्रेफिक रुकता है तो कभी 6-6 घंटे और कभी 8-8 घंटे लग जाते हैं और पुलिस की इमदाद आने में समय लग जाता है, सूचना नहीं पहुंचती है। लेकिन अगर आप कोई आधुनिक व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से यह ट्रेफिक मेन अजमेर और किशनगढ़ और जयपुर के बीच में है उसमें सुविधा होगी।

माननीय सभापति महोदया, विजयनगर में इन दिनों, और विजयनगर ही क्या पूरे जिले में, अजमेर और भीलवाड़ा की सीमा पर चोरियों की आजकल बहुतायत हो रही हैं। मैं अभी पिछले एक महीने का पूरा आपको विवरण दूं कि मेरे विजयनगर में श्री रामस्वरूप कछावा एक अध्यापक हैं उनके यहां शादी थी। वे अपने परिवार सहित शादी में गये तो पीछे से चोरी हो गयी। उसके 15 दिन बाद वे फिर एक शादी में गये तो फिर चोरी हो गयी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि चोर और बाकी सब मिले हुए हैं, उनको पता है कि ये कब बाहर जा रहे हैं और कब चोरी करें। इतना ही नहीं श्री रामस्वरूप जी कछावा के पास में एक व्यापारी का गोदाम है श्री महावीर प्रसाद पारसमल का, उनके यहां 15 बोरी नारियल निकल गयी, नारियल के बूरे की एक पेटी चोरी चली गयी। कालूराम केवलचंद के यहां दुकान में से 11 बोरी शक्कर चली गयी, कृषि उपज मण्डी में 20 बोरी जीरे की उठाकर ले गये।

श्री सभापति : फिर तो हलवाई बनेगा। जब बुरादा भी चला गया और शक्कर भी। हलवाई बनेगा वह तो।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मेरा यह कहना है कि जिस रफ्तार से माननीय गृह मंत्री महोदय के जिले में कृषि उपज मण्डी गुलाबपुरा में से 31 बोरी चोरी चली गयी 15 दिन पहले तो यह क्या लगता है? ये व्यापारी कहां सुरक्षित हैं? कहां सामान रखेंगे? कहां व्यापार करेंगे? ऐसे ही बाजार के बीच में नारायण लाल सोहन

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

लाल के किराने की दुकान है, शटर खोलकर रात को सामान निकाल कर ले गये मेन सड़क पर से। ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें सारा दिमाग जाता है कि पुलिस की व्यवस्थाओं में कहां क्या कमी है। मेरा यह आग्रह केवल उदाहरण है आलोचना नहीं है, कि इसमें सुधार करने के लिए क्या-क्या किया जाय। इसी प्रकार से पिछली 16 मई को मैं सीकर शादी में गया था। बस स्टैण्ड पर ही किसी की जेब कट गयी, किसी का सामान उठाकर ले गये। दिन भर में यह कर गये। जब मैं रात को वापस आया तो, साहब, कोई 12-14 किस्से थे। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं सीकर डिस्ट्रिक्ट का कि वहां पर भी बस स्टैण्ड पर यह व्यवस्था देखी। तो, सभापति महोदया, कहीं-न-कहीं थोड़ी ढिलाई रही है। निश्चित रूप से उसमें सुधार करें। जहां व्यापारिक मण्डी है वहां रात्रि को गश्त हो। विजयनगर में पहले होमगार्डस लगा करते थे वे भी विथड्रा हो गये। पुलिस का स्टाफ भी कम। कोई छुट्टी पर भी जाता है, कोई बीमार भी पड़ता है, कहीं नेशनल हाइवे पड़ता है तो ड्यूटी पर भी जाता है। अतः मेरा यह आग्रह है कि मुस्तैदी से चोरियां रोकने के लिए, अपराध रोकने के लिए आप कुछ न कुछ व्यवस्था करें तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। राजस्थान का नाम सारे हिन्दुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में ठीक है, क्योंकि प्रवासी राजस्थानी जो आज बाहर रह रहे हैं वे राजस्थान आना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि सबसे सुरक्षित स्थान अपना जन्म स्थान है। वहां उद्योग-धन्धे भी लगाना चाहते हैं, व्यापार भी करना चाहते हैं। अतः ये कुछ बातें जो होती हैं उनको रोकना चाहिए। रोकने के लिए प्रयत्न होगा तो निश्चित रूप से जो प्रवासी राजस्थानी हैं, जो बाहर रह रहे हैं, मद्रास रह रहे हैं, बंगलौर रह रहे हैं, कलकत्ता रह रहे हैं, आसाम में रह रहे हैं वहां उनको तकलीफ है लॉ एंड ऑर्डर की वहां के निवास और वहां के बिजनेस में, वे राजस्थान आना चाहते हैं। राजस्थान का वातावरण अगर ठीक हुआ तो निश्चित रूप से अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बद्री प्रसाद गुरुजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय सभापति महोदया, चर्चा हो रही है कानून और व्यवस्था पर वैसे तो यह बाद में होने वाली थी पर प्रतिपक्ष की मंशा थी कि प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है इसलिए हम चर्चा करना चाहते हैं। सरकार ने उसको माना और आज इस चर्चा को रखा। माननीय सभापति महोदया, अभी भंवरसिंह जी बोल रहे थे कि जब से सृष्टि की रचना हुई तब से अपराधों की भी रचना हुई और उसकी भी व्यवस्था हुई। माननीय सभापति महोदया, व्यक्ति में हमेशा से सद-प्रवृत्तियां और असद् प्रवृत्तियां रही हैं, देव प्रवृत्तियां भी रही हैं और आसुरी प्रवृत्तियां भी रही

हैं और जहां आसुरी प्रवृत्तियां हैं वहां निश्चित रूप से अपराध होते ही हैं। त्रेता, द्वापर और सतयुग में भी जब अपराध होते थे तो यह तो कलयुग है, कलयुग में अपराध होते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होता है। मैं, सभापति महोदया, यह कह रहा था कि व्यक्ति की मानसिकता, समाज की व्यवस्था, समाज का वातावरण ये अपराध के कारण हैं। माननीय भंवरसिंह जी कह रहे थे कि जर, जोरू, जमीन ये अपराध के कारण हैं। ठीक हैं, जर, जोरू, जमीन ये अपराध के कारण हैं परन्तु एक सबसे बड़ा कारण जो आज दिखायी देता है, माननीय सभापति महोदया, कि आज टेलीविजन के द्वारा सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाया जा रहा है। कहीं स्टार टी.वी., कहीं जी टी.वी., इन पर जिस ढंग के दृश्य दिखाये जा रहे हैं उसको भी मैं बड़ा कारण मानता हूं। अब "पीछे क्या हैं," ऐसे गाने आते हैं तो निश्चित रूप से अपराध बढ़ेंगे ही और उसका परिणाम माननीय सभापति महोदया, इस विधान सभा ने देखा है। उसका परिणाम इस विधान सभा ने 20, 21, 22 तारीख को देखा है कि पीछे क्या है। वैसी घटनाएं विधान सभा में भी घटित हो गयीं। ये अपराध की प्रवृत्तियां हमेशा टी.वी. संस्कृति की वजह से होती हैं। टी.वी. में देखते हैं पुलिस अफसर को मार रहे हैं इसीलिए विधान सभा में भी मार्शल को मार दिया, तो यह टी.वी. संस्कृति का कारण है। कानून की रक्षा करने वाले, कानून बनाने वाले माननीय विधान सभा के सदस्य ही जब कानून हाथ में लेने लग जाएंगे, अपराध की प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे तो कैसे मां-बाप इनसे अपेक्षा करेंगे कि अपराध नहीं बढ़ें। माननीय सभापति महोदया, माननीय गृह मंत्री जी ने प्रदेश में कानून और व्यवस्था के बारे में कई जानकारियां दीं। निश्चित रूप से प्रदेश में कानून-व्यवस्था बहुत सन्तोषजनक है। भंवरसिंह जी तो कह रहे थे, उनके कहने में तो यह मान सकते हैं कि जीवन भर पुलिस को उन्होंने अपनाया, बिताया तो वे कैसे आलोचना करें पर यह वास्तविक स्थिति है। माननीय गृह मंत्री महोदया,...(व्यवधान) क्षमा चाहता हूं।

श्री सभापति : सीट बदलो, अब सीट बदलना जरूरी है। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : सभापति महोदया, ये माननीय गृह मंत्री जी चिर-कुंवारे हैं इसी कारण से इनको इस सम्बोधन से महोदया भी कहा जा सकता है, मेरी दृष्टि से।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय सभापति महोदया, मेरा आपकी तरफ से देखते देखते उधर ध्यान चला गया था इसलिए स्लिप हो गयी जबान।

माननीय सभापति महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि निश्चित रूप से प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है हम उस पर संतोष व्यक्त कर सकते हैं। पुलिस विभाग चुस्त-दुरूस्त रूप में काम करता है, यह एक बहुत अच्छी बात है। सीमा पर तस्करी को रोका है, यह भी एक अपने आप में उपलब्धि है। घुसपैठ को रोका है, यह भी अपने आप में एक उपलब्धि है। हमने आतंकवादियों को मारा

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

ही नहीं, वरन् राजस्थान सरकार को मैं बधाई देना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार के पीछे पड़ पड़ाकर अपने जितने एफर्ट हो सकते थे वे करके दयासिंह लाहौरिया को वापस राजस्थान में बुलवाकर जिस ढंग से आतंकवाद की जड़ तक, उस गैंग की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की गयी है यह बहुत ही साधुवाद की बात है। परन्तु माननीय सभापति महोदया, आखिर में इंटेलीजेंस विभाग जो राजस्थान का है उसको चुस्त-दुरूस्त करना पड़ेगा ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं हों। इसके लिए जितने इन्तजाम किये जाएं वे इन्तजाम करने चाहिए। माननीय गृह मंत्री महोदय, आप थोड़ा इस पर ध्यान दें कि अपना जो इंटेलीजेंस विभाग है वह चुस्त-दुरूस्त हो। ऐसी घटनाओं की पूर्व सूचना यदि हमको उपलब्ध हो जाए तो हम इनको रोकने में कामयाब हो सकते हैं। अब अपराध बढ़ते हैं। माननीय सभापति महोदया, अभी माननीय किशन गोपाल जी कोगटा बोल रहे थे कि बिहारी आ गये या वे आ गये। पहले तो यह तय था कि चोरी की है तो फलानी गैंग होगी। पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी चोरी की वारदात को देखकर, जिस प्रकार से चोरी हुई है उसको देखकर ही, मुझे स्मरण है अच्छी तरह, माननीय सभापति महोदया, कि गैंग का नाम बता देते थे वहीं मौके पर कि यह फलां गैंग की चोरी है। पर जो स्थितियां बन गयी हैं, विविध प्रकार से चोरियां होने लग गयीं। माननीय सभापति महोदया, हत्या के पीछे तो कोई न कोई उद्देश्य होता है इसलिए उस उद्देश्य का पता लगने पर हत्या का पता लग जाता है। पुलिस के लिए हत्या का पता लगाना तो मैं आसान मानता हूं, जितना मैं समझता हूं पर चोरी का पता लगाना नहीं क्योंकि चोरी एक ऐसी चीज है जो न जाने कौन कर गया, कैसे हो गयी, उसके कई कारण होते हैं। तो चोरी के बारे में मैं कह रहा था कि आज अपराधी व्यक्ति बिहार से आ गये या वहां से आ गये तो नये नये लोग चोरी करने लग गये, और यह समस्या पुलिस के सामने सबसे बड़ी है। माननीय सभापति महोदया, पहले तो थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती थी, पुलिस जब पकड़ती थी। (व्यवधान) नहीं नहीं, इनका अपना टार्चर का तरीका था। जैसे व्यक्ति को बैठा देते हैं, मैं बता देता हूं। (व्यवधान) तो उससे अपराधी टूटता था, अपनी घटनाएं बता देता था, बरामदगियां बता देता था पर आज कोई अफसर रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई सिपाही रिस्क नहीं लेना चाहता। मानवाधिकार आयोग में बात चली जाती है, कहां चली जाती है। तो उनके जो परम्परागत तरीके थे वे तरीके आज बन्द हो गये। अब मान लो कोई अपराध करता है और वह सत्य बात नहीं बताए तो पुलिस के पास क्या चारा है ? फिर तो मानना ही पड़ेगा कि नहीं किया, नहीं किया। इसके लिए, माननीय सभापति महोदया, आज सुनते हैं कि बहुत वैज्ञानिक

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

उपकरण भी बन गये हैं, अनुसंधान की कई वैज्ञानिक विधियां भी बन गयी हैं। तो जो वैज्ञानिक उपकरण या अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धतियां बनी हैं उनको हमारे राजस्थान में लागू किया जाए, अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए, प्रशिक्षण दिये जाएं।

माननीय सभापति महोदया, अभी बम विस्फोट की चर्चा हो रही थी। अब कहीं से टेलीफोन आ जाता है, आजकल रोज आ जाता है कि सचिवालय में बम रख दिया है। पुलिस भागती है। माननीय गृह मंत्री महोदय, आज सचिवालय में ही बम की अफवाह आ रही है। टेलीफोन आ रहे है कल यदि एक साथ जयपुर में 50 जगह आ गया कि इस समय बम विस्फोट होंगे या बम रख दिये हैं तो आपके पास खोजी कुत्ते तो 8 हैं, आपके पास खोजी कुत्ते जिनको बोलते हैं। इन्होंने जो प्रशिक्षित किये हैं बम खोजी दस्ते के रूप में, अभी शायद 3-4 तो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस पर ध्यान दीजिए, यह बहुत जरूरी है। हम इसे क्या बोलते हैं?

श्री सभापति : डाग स्क्वैड।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : जो भी है। मैं मेरी भाषा में ही "कुत्ता स्कवैड" बोल देता हूं। उसको व्यवस्थित और चुस्त-दुरूस्त कर प्रशिक्षण दीजिए, खरीदिए अच्छी नस्ल के जो इसमें समझते हैं। क्योंकि जो सूंघने की शक्ति होती है, जहां आपका उपकरण काम नहीं कर सकता वहां ये काम कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदया, पुलिस को सब कोसते हैं। पुलिस में कमियां भी होती हैं, मैं यह नहीं कहता हूं। अपराध भी करते होंगे पुलिस कर्मी, मैं इसको स्वीकार करने में नहीं हिचकिचाता हूं। पर पुलिस वाले अच्छा काम भी करते हैं। 24 घण्टे पुलिस का सिपाही ड्यूटी देता है। कहते हैं पुलिस में भ्रष्टाचार बहुत है। जब समाज में लोगों का वह रहन-सहन देखता है तो क्या पुलिस का सिपाही समाज से अलग है? उसको तनख्वाह कितनी मिलती है? 2800 रुपये और घर में खाने वाले 10 हैं। अब आप ताज्जुब करोगे कि मैस का भत्ता 210 रुपये देते हैं। मेरे अंदाज से अगर वह मैस में खाना खाता होगा तो 200-300 रुपये और उसकी जेब से लगते होंगे। आखिर में एक अध्यापक सात-सात, आठ-आठ हजार रुपये तनख्वाह लेता है और 8 घण्टे पढ़ाता है, तो इनको भी थोड़ी सुविधाएं दें जिससे ये स्वयं भी अपराध की ओर प्रवृत्त नहीं हों और अपराधों को रोकें भी।

माननीय सभापति महोदया, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस चाहती है कि अपराधी तुरन्त पकड़ा जाए परन्तु जो वाहन थानों में इनके पास हैं वो वाहन आप देखें तो कई-कई थानों में तो ऐसे वाहन हैं कि जीप को धक्का लगाएं बहुत देर तक,

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

उसके बाद जाकर कहीं जीप स्टार्ट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेंटीनेंस के पैसे उनको मिलते नहीं हैं। ऐसी कमियां हैं उन कमियों को भी हमें निकालना चाहिये, चुस्त-दुरूस्त करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदया, अभी उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का प्रकरण चल रहा है। राज्यपाल महोदय ने एक बात कही है कि मेरे यहां कानून-व्यवस्था सबसे बढ़िया है क्योंकि मेरे कार्यकाल में एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। माननीय सभापति महोदया, 1980 से 1990 का समय, इस सदन में कितने साम्प्रदायिक दंगों की चर्चा हुई, कितने मुकदमें साम्प्रदायिक दंगों के बने? पुलिस का अपना एक पैटर्न है। उस समय का जो शासन था उसमें यह था कि 70 तो बहुसंख्यक वर्ग से ले लो और 30 अल्पसंख्यक वर्ग से। 70 मुकदमे इन पर बना दो और 30 अल्पसंख्यक वर्ग पर बना दो। मुकदमे दोनों पर बना दो, दोनों पेशी पर जाते रहें। जो वहां होते ही नहीं थे उनके भी नाम मुकदमों में लिख दिये जाते थे। पूरा प्रदेश साम्प्रदायिकता की आग में धू-धू जल रहा था। माननीय सभापति महोदया, आज हमें कम से कम गर्व है, हमारे मुख्य मंत्री जी पर गर्व है, हमारे गृह मंत्री जी पर गर्व है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गर्व है कि इसकी नीतियों, इसकी कार्य प्रणाली से आज प्रदेश साम्प्रदायिक दृष्टि से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठा है। माननीय सभापति महोदया, मुझे ध्यान है, मैंने तो देखा है, शिवचरण जी माथुर मुख्य मंत्री हुआ करते थे। मेरा बिगोद 67 दिन तक बंद रहा है। बिगोद में दंगे हुए, आज भी हमारी आत्मा जानती है। मांडलगढ़ में दंगे हुए, जिले में दंगे हुए हैं, हमने तो उसको देखा है और भोगा है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि जो अनावश्यक फौजदारी मुकदमे लगाये गये 1994, 95, 96, 97 में अब तक 3364, एक कमेटी जिला कलेक्टर, एस. पी., गृह मंत्री, मजिस्ट्रेट की बनाकर उनमें राहत देने के लिये अनुसंधान किया और 3364 मुकदमे फौजदारी के उठाये। इसी प्रकार सड़क दुर्घटनाओं के 10116 अनावश्यक मुकदमे थे, वो उठाये। इससे आखिर में लोगों को राहत मिली है। माननीय सभापति महोदया, साम्प्रदायिक दंगों के 76 मुकदमे तो इसी वर्ष उठाये हैं। एक कमेटी माननीय भाभड़ा जी की अध्यक्षता में बनायी जिसमें माननीय चतुर्वेदी जी और गृह मंत्री जी मैम्बर हैं, 76 मुकदमे उठाये। भारतीय जनता पार्टी पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगाते हैं प्रतिपक्ष के नेता, मैं माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि पहली बार मुस्लिम वर्ग के भी साम्प्रदायिकता के मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाये हैं। यह सबसे बड़ी साम्प्रदायिक सौहार्द की स्थिति है। हमारे पर जो आरोप लगाते हैं कि हम

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

साम्प्रदायिक हैं, हमने कर के दिखाया है कि तुम साम्प्रदायिकता के नाम पर वोटों की राजनीति करते हो और हमने साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने के लिये सच्चे मन से उनके भी मुकदमे उठाये। उठाने वाली तो सरकार थी। हमारे मन में पाप होता तो उठाते, नहीं नहीं उठाते। पर चूंकि अनावश्यक रूप से उनको परेशान किय गया, मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। मेरे क्षेत्र में आप इसकी संख्या देखिए, माननीय सभापति महोदया, भीलवाड़ा जिले की मैं स्थिति कह रहा हूं, जो वापस लिये गये मुकदमे हैं उसमें सबसे ज्यादा मुकदमे जहां से वापस लिये हैं वो 12 भीलवाड़ा जिले में हैं। सबसे ज्यादा मुकदमे उठाये हैं 12 भीलवाड़ा जिले से। उसके बाद अजमेर के 9 उठे हैं। ऐसे हर जिले के हैं। जिसके मुख्य मंत्री जी शिवचरण माथुर रहे हों उनके समय के ही हैं ये सब मुकदमें जिस मुख्य मंत्री ने उसके जिले को साम्प्रदायिकता की आग में झोंक दिया था। आखिर में माननीय गृह मंत्री जी ने जो ये मुकदमें उठाये हैं और मेरे मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सारे मुकदमे, चाहे बहुसंख्यक वर्ग के हों चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के हों, साम्प्रदायिक सौहार्द के वातावरण का निर्माण किया है, मैं बहुत-बहुत आभारी हूं माननीय गृह मंत्री जी का और मुख्य मंत्री जी का।

कुल मिलाकर मेरा इतना ही निवेदन है कि सरकार बराबर उसका ध्यान रखे। गृह मंत्री महोदय जो कमियां है उनको दुरूस्त करें। पुलिस के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दें, कर्मचारियों को भी। आपके पास कोई आता है तो निश्चित रूप से खुश होकर जाता है। न्यायोचित और पुख्ता कार्यवाही का कागज आपके पास से लेकर जाता है। हर कागज पर न्यायोचित और पुख्ता कार्यवाही का आश्वासन लेकर जाता है। आश्वासन के बाद मानीटरिंग भी करते हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय कि मैंने जो कागज भेजा है उस पर क्या निर्णय अधिकारियों ने किया, क्या अनुसंधान किया। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदया, उसकी मानीटरिंग भी करते हैं। आदमी खुश होकर जाता है। पूरा कागज पढ़ते है, उसकी पीड़ा को समझते हैं। पुलिस के जो कर्मचारी हैं, गृह मंत्री जी, वे भी सीख लें ताकि उनको यह लिखने की जरूरत न पड़े कि यह कार्यवाही की जाए। राजस्थान की कानून व्यवस्था बेहतर है, इसके लिये मैं राज्य सरकार का पुनः आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदया, आपने जो समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

(14.00)

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल जी धाकड़।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय सभापति महोदया, राजस्थान में कानून की

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

व्यवस्था के बारे में जो चर्चाएं आई हैं, वास्तव में हमारे गृह मंत्री जी इसके बधाई के पात्र हैं कि पिछले समय से बहुत कुछ व्यवस्थाएं बनाये रखने के लिये आप तत्परता से कार्यवाही करते हैं। आपकी फौज, पुलिस भी ध्यान से सुनती है। इस बारे में मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें और करनी हैं। मेरे क्षेत्र में चोरियां, विशेष तौर से पिछली बार मण्डावरी काण्ड हुआ। उसका एक कारण यह था कि वहां पर बसने वाले कंजर जाति के लोग अक्सर चोरियों में लिप्त रहते हैं। किसान खेत पर होता है तो घर से एण्डा पाड कर चले जाते हैं। दीवार में जो छेद करते हैं उसको हमारे यहां एण्डा बोलते हैं। खलिहान में होता है तो खेतों से लेकर चले जाते हैं, घर पर होता है तो खलिहान से बांध कर चले जाते हैं। गांव में पशु, गाय, भैंस, बकरी आदि चुराना आये दिन का काम होता है। इस ओर ध्यान दिया जा रहा है लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये लोग उनको गिरफ्तार भी करते हैं लेकिन व्यवस्था कुछ ऐसी है कि ये जल्दी वापस छोड़ दिये जाते हैं या माल बरामद नहीं हो पाता। अगर कुछ माल कभी बरामद होता भी है तो कानूनी प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि कई वर्षों तक उसको सुपुर्द नहीं होता। इस वजह से जनता में और ग्रामीणों में कुछ असंतोष-सा रहता है। कई लोग तो छोटी-मोटी चोरियां हो जाने के बावजूद थाने में रिपोर्ट करने नहीं जाते। इस ओर भी हमें थोड़ा देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों। थाने के आतंक से, टैरर से या उनकी रिपोर्ट पर ध्यान कम देने की वजह से या प्रकरण लम्बा हो जाने की वजह से, कुछ कारण ऐसे हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए।

थाने में आज रिपोर्ट दी और मान लो 3 दिन तक कोई आदमी उसकी जांच करने नहीं पहुंचा तो उनमें एक निराशा-सी होती है कि आखिर रिपोर्ट दें तो होना क्या है। और यदि पहुंचा तो उसके घर वालों को ही ज्यादा तंग किया गया, उसको ही बार-बार तंग किया गया। रिपोर्ट हो जाए और पुलिस की यह तत्परता हो कि पौ फटने के पहले, सूर्योदय होने के पहले गांव में जाकर एकदम ऐसा धमाका करें कि लोगों को पता पड़ जाए कि रिपोर्ट होते ही पुलिस तत्परता से कार्यवाही करती है तो उसकी धाक जमेगी और वह चोरों के दिल पर बड़ी चोट करेगी, मेरा यह सुझाव है। कई जगह ऐसा देखा गया है कि 2-2, 3-3 दिन तक पुलिस वाले पहुंचते नहीं हैं, चोरियों की तरफ ध्यान कम देकर अफीम की तस्करी करने वालों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उनको पकड़ने में ज्यादा दिलचस्पी है। रात-रात भर जाग जाएंगे, ठण्ड में मर जाएंगे, कहीं से साधन कबाड़ लेंगे। और जब चोरी की रिपोर्ट हो जाएगी तो कहेंगे कि हमारी तो गाड़ी धक्का-प्लेट है, इसमें बैटरी नहीं है। कई तरह की बातें करेंगे। वास्तव में यह बात भी सही है।

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

उनके पास जो साधन हैं, विशेष तौर से मेरे इलाके के बेगूं थाने की गाड़ी बिलकुल अत्तु गाड़ी है। इतना बड़ा क्षेत्र है लेकिन डिप्टी के पास कोई सही गाड़ी नहीं है। उनको आए दिन रास्ते में छोड़कर दूसरी बस से आना पड़ता है। इसलिए हमें उनके पास ऐसे साधन भी उपलब्ध कराने चाहिए जिससे वे जनता को राहत पहुंचा सकें।

भैंसरोड़गढ़ थाने में जावदा-नीमड़ी बिलकुल अलग-थलग क्षेत्र है, जहां कुछ लोगों का आतंक भी है। आए दिन कुछ लोग कई गरीब लोगों को तंग किया करते हैं। पिछली बार भी रामनारायण नाम के एक आदमी को डराया धमकाया गया, उससे पैसा वसूल किया गया। यह तो मजिस्ट्रेट ने ठीक किया कि उसकी अग्रिम जमानत नहीं ली। वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसने ऐसा कुकर्म किया। उस इलाके में कानून व्यवस्था के लिये कोई थाना नहीं है। 5 पंचायतों का वह क्षेत्र है जो कि बिलकुल अलग-थलग क्षेत्र है, बेगूं से 55 किलोमीटर दूर है, भैंसरोड़गढ़ से 70 किलोमीटर दूर है। वहां काफी समय से मांग रही है। गृह मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वहां की व्यवस्था ठीक करने के लिये वहां पर थाना स्थापित होना चाहिए। मण्डावरी के लिये भी पहले मांग कर चुका हूं कि वहां पुलिस की चौकी होना बहुत आवश्यक है। वहां पर काफी संख्या में कंजर जाति के लोग रहते हैं तथा पहले जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये वहां तत्काल चौकी स्थापित होनी चाहिए।

अभी जैसा बद्री प्रसाद जी गुरुजी ने कहा कि उनके पास स्टाफ पूरा नहीं होता, यह बात सही है कि स्टाफ नहीं होने की वजह से सभी गांवों को नहीं सम्भाल सकते। लेकिन गांव के बीच में बैठकर थानेदारजी, डिप्टी पहुंचकर गांव में पहरा चालू करा दें कि बारी-बारी से चार आदमी अगली रात को रहेंगे, चार आदमी पिछली रात को रहेंगे, इस तरह से वक्त-वक्त पर इनको सम्भाला करें तो चोरियां रुक सकती हैं, कम होंगी। ग्रामीणों और पुलिस के बीच में सम्पर्क बना रहेगा तो यह टैरर वाली बात भी नहीं रहेगी और उनको भरोसा रहेगा कि जब कभी भी कोई बात होगी तो हमारी सुनवाई शीघ्र होगी। गांव-गांव में इस तरह से पहरे होने चाहिए।

बसों के लिये बताया गया कि बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। वास्तव में यह सही बात है। कुछ बसें तो ऐसी होती हैं जो जर्जर हालत की होती हैं, चलने के काबिल नहीं होती हैं उनको भी मालिक लोग घसीटा करते हैं। कई बसें ओवर-लोड आती हैं, बसों की कैपेसिटी से दूनी-ढाई गुनी सवारियां इनमें रहती हैं। हमारे कुछ सुरक्षाकर्मी ओवरलुक कर जाते हैं, जरा विशेष कड़कपन से काम नहीं लेते। उनके चालान बनाने में भी ढिलाई बरती जाती है। अगर वे कड़कपन से काम लें, सख्ती से काम लें तो ये दुर्घटनाएं भी कम हो सकती हैं।

इस तरह से, माननीय सभापति महोदया, गृह मंत्रीजी से आपके मार्फत यह निवेदन

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

है कि चोरियों को रोकने के लिये जैसा मैंने सुझाव दिया, गांव-गांव में पहरों की व्यवस्था और आतंकवाद को रोकने के लिये जावदा-नीमड़ी में थाने की स्थापना की व्यवस्था हो। आपने मुझे समय दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय सभापति महोदया, पूरे देश में राजस्थान की कानून और व्यवस्था के बारे में, खासकर इन 3 सालों का एक इतिहास है कि आज तक ऐसी बढ़िया व्यवस्था कोई भी सरकार नहीं दे पायी। पूरे देश में राजस्थान एक मात्र राज्य है, जहां कल क्या होने वाला है, उसकी खबर पहले ही रहती है। जैसे मिर्धाजी का अपहरण किया तो तुर्त-फुर्त पकड़ लिया। ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं है, यह मात्र राजस्थान में है, उसकी ही देन है। माननीय मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी इसके लिये धन्यवाद के पात्र हैं। सभी वर्ग अपने आपको सुरक्षित और संरक्षित समझते हैं। राज्य में अपराध दर में कमी आयी है। पुलिस बल का पुनर्गठन हुआ है और खासकर राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों पर पहले जो अत्याचार होते थे, इन तीन सालों में उनका प्रतिशत बहुत कम हो गया है। इसके लिये भी गृह मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ-साथ कानून में अनुसूचित जाति के लिये आप सबने जो किया, गृह मंत्रीजी ने जो किया, सभी वर्गों के लोगों ने उसको गलत नहीं माना और इसमें सहयोग दिया कि अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार नहीं होने चाहिये। जो सहयोग दिया, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को, उसमें सभी समाज के लोगों ने सहयोग दिया और वे साथ में हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सभी वर्गों में अन्याय या भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य में कहीं भी जातीय वैमनस्य या जातीय दंगे नहीं हुए। जहां कहीं भी ऐसी घटनाएं हुई माननीय मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी ने दलीय भावना से ऊपर उठकर तत्परता से उनका मुकाबला किया और जल्दी उनको दूर किया। विपक्ष ने कई बार तूल देकर राज्य में कानून और व्यवस्था का प्रश्न खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी माननीय गृह मंत्रीजी ने शीघ्रातिशीघ्र उस पर व्यवस्था दी और तुरत-फुरत जांच करवा कर उनको मौका नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदया, मकराना में एक थाने में हत्या हुई। पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों की कमी के कारण से या गलती के कारण से हुई। अगर वे जनता के बीच में उस हत्या को, वहां भी वह हत्या हुई, थाने में हुई, उसका सही समाधान या सही जनता के बीच में आपसी सामंजस्य बैठाते तो जो दूसरे दिन गोली काण्ड हुआ वह नहीं होता। एस. पी. साहब पधारे थे और कलेक्टर साहब पधारे थे, वे दोनों, कलक्टर साहब अलग दूसरी जगह या नगरपालिका में मीटिंग लेते और एस. पी. साहब थाने में आ जाते तो आधी जनता नगरपालिका में रुक जाती और आधी जनता थाने पर आ जाती और दोनों

(श्री राकेश मेघवाल)

के आपसी समझौते में काफी बल मिलता और दुर्घटना नहीं होती। फिर भी राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी पधारें, गृह मंत्रीजी पधारे थे, उप मुख्य मंत्रीजी भी पधारे थे, सरकार के काफी मंत्रीजी गये और सभी उच्चाधिकारी भी गये थे, उन्होंने उस पर शीघ्र ही रोकथाम की और उन सबको सन्तुष्ट कर दिया। एक थाने में गोलीकाण्ड हुआ, एक थाने में हत्याकाण्ड हुई, वहां माननीय गृह मंत्रीजी पहुंच जाते हैं, वहां माननीय मुख्य मंत्री जी पहुंच जाते हैं और सभी उच्चाधिकारी पहुंच जाते हैं। उसी गांव में इसी विधान सभा के माननीय सदस्य, जो चार बार सदस्य रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक माननीय जेठमल जी बरबड़ के घर पर तीन लोगों की रात को हत्या कर दी और चौथा जो बचा था वह हास्पिटल में मर गया, वह राज आज तक क्यों नहीं खुला? मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह परिवार मेघवाल समाज का था, मेघवाल समाज का पूरा परिवार था। माननीय गृह मंत्रीजी, आप भी मेघवाल हैं, मैं भी मेघवाल हूं, अगर उसका राज नहीं खुला तो यह आपके लिये और एक मेघवाल समाज के लिये शर्मनाक बात है। अभी लोक सभा के चुनावों में हम जब गये थे और हमने कहा कि माननीय गृह मंत्रीजी आ रहे हैं तो कहा, क्या करें, आ रहे हैं तो? जहां दो आदमियों की मौत हो गयी, वहां सब आ गये मकराना में और यहां चार आदमी एक ही परिवार के खतम हो गये, वहां गृह मंत्रीजी आये हैं क्या? मैंने कहा, उनको ध्यान नहीं होगा। कहा, सबको ध्यान है, विधान सभा में भी यह बात उठी थी। उन लोगों को कैसे विश्वास दिलाया जाए? माननीय गृह मंत्रीजी, मैं हाथ जोड़कर यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस हत्या का शीघ्रातिशीघ्र विशेष टीम बनाकर या सी. आई. डी. से या सी. आई. डी. (सी. बी.) से जांच करवाकर पर्दाफाश कराना चाहिये। यह हमारे समाज के लिये एक कलंक बना हुआ है। मुझे तो रोज कोसते हैं, मैं जब भी बात करता हूं मेघवाल की। एक समाज की मीटिंग हुई थी, उसमें भी मुझे बेइज्जत किया गया कि होंगे आपके कैलाशजी मेघवाल और आप मेघवाल होंगे, मेघवालों का तो यह हत्या का राज ही नहीं खुला। उसी तरह परबतसर थाने में एक बुजुर्ग आदमी को मर्डर के मामले में जीप से पूछताछ के लिये बुलाया गया था और वापस जीप से उस बुजुर्ग आदमी को छोड़ने के लिये गये थे। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं बुजुर्ग हूं, घर नहीं जा सकता, आप अपनी जीप से मुझे छुड़वा दीजिये तो आपकी मेहरबानी होगी। जिस तरह से आप मुझे लाये थे, उसी तरह आप मुझे मेरे घर छुड़वा दीजिये। पुलिस जीप से उसे छोड़ने गयी। भगवान जाने वह खुद गिरा या किसी ने गिरा दिया होगा रोड पर, मर गया। उसमें थाना पूरा बदल दिया गया। सब अधिकारी वहां पर पहुंच गये, सस्पैण्ड सबको कर दिया गया, सी. आई. डी. से जांच हो गयी। उसके बाद

(श्री राकेश मेघवाल)

भी वह थानाधिकारी दोषी नहीं है क्योंकि वह थाने में था, उसके सब आरोप निराधार थे। आज आठ महीने से वह दर-दर की ठोकरें खा रहा है और भटक रहा है। माननीय एस. पी. साहब ने भी लिखा है उसको बहाल करने के लिये और माननीय डी. आई. जी. साहब ने भी लिखा है कि इसके आरोप थे वे सिद्ध नहीं हो पाये, पूरी सी. आई. डी. से जांच हो गयी, अब इसको बहाल कर दिया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आरोप सिद्ध नहीं हुआ और जिस धारा में उसका हुआ है उस धारा में उसका चालान हो जाएगा लेकिन उसको बहाल तो करवा दिया जाए (व्यवधान) थानाधिकारी के खिलाफ नहीं हुआ वह। पुलिस थानों में जनता के साथ में इन तीन सालों में अच्छा व्यवहार कर रही है, लेकिन खाली व्यवहार से काम नहीं चलता है। कागज नहीं है थानों में, पैन नहीं है। जो सामग्री सरकार ने घोषणा की थी, वह साल भर की सामग्री है महीने ही नहीं चलती है इसलिए वहां सामग्री पूरी उपलब्ध करवायी जाए।

पुलिस प्रशिक्षण, माननीय गृह मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि पुलिस बल को समय-समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि पुलिस आधुनिक परिवेश में सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन को समझ सके व उनके अनुरूप अपनी योजनाएं बना सकें। आधुनिक साधन, नयी संचार सुविधा, अपराधियों द्वारा अपनाये जाने वाले नये तरीकों से निबटने के लिये नवीनतम जानकारी स्थानीय पुलिस बल को मिल सके ताकि अपराधी आधुनिक तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकें। माननीय गृह मंत्रीजी, यातायात व संचार के आधुनिक साधनों की भारी कमी है, बढ़ती आबादी, आपराधिक तत्त्वों के असीमित संसाधनों को देखते हुए नवीनतम वाहन, नये वायरलैस सैट उपलब्ध करवाये जाएं। कई स्थानों में तो टेलीफोन भी नहीं हैं, वहां उन थानों में टेलीफोन कनेक्शन दिलवाये जाएं। जहां पर जीप नहीं है, वहां जीप दिलवायी जाए। जहां जीपें हैं, वहां धक्का स्टार्ट है, पुरानी हैं, उन जीपों को बदलवाया जाए ताकि इस पर पुलिस भी पूरी तत्परता से कार्य कर सके। एक तहसील में करीब तीन या चार थाने होते हैं और उस तहसील की जनसंख्या होती है एक लाख साठ हजार, एक लाख पचास हजार। एक थाने में तीन या चार थानेदार और पन्द्रह और बीस सिपाही। पांच सिपाही हमेशा अपने गांव गये हुए रहते हैं या एबसेंट भी रहते हैं, छुट्टी पर भी रहते हैं तो डेढ़ लाख की आबादी वाली तहसील में अस्सी का स्टाफ कैसे कण्ट्रोल करेगा? इसलिए हर तहसील में एक-एक थाना, जहां पर चार थाने हैं, वहां पांच लगवाएं। कम से कम प्रत्येक तहसील में पांच थाने तो होने ही चाहिये और वहां का स्टाफ 100-125 के बीच होना चाहिये। प्रत्येक तहसील में कुछ आर. ए. सी. के नौजवान भी अलग से होने चाहिये। ताकि अगर कोई ऐसी समस्या आ जाए तो तुरन्त वे वहां पहुंच जाएं। परबतसर में हुआ यह झगड़ा, उस समय उस हत्या को लेकर गांव के आस-पास के

(श्री राकेश मेघवाल)

पांच हजार लोग वहां इकट्ठे हो गये। अब पुलिस के सिपाही अजमेर से कब आएं, नागौर से कब आएं? तब तक तो झगड़ा हो सकता था। यही मकराना में हुआ। स्टाफ की कमी है तो पूरा स्टाफ, ज्यादा से ज्यादा स्टाफ आप दें। लाइन में जो बैठे रहते हैं, अगर नागौर लाइन में हैं तो वे मकराना तीन घण्टे में पहुंचेंगे, ऊबड़-खाबड़ सड़क है और साधनों की कमी है। इसलिए इस कमी की पूर्ति की जाए। पुलिस थाना पीलवा, आज कितने समय से वह थाना है। वह डेजर्ट एरिया है और वहां अगर कोई आदमी परबतसर से होकर थाने में जाए तो कम से कम डेढ़ घण्टा लगता है। वहां आज तक टेलीफोन की कोई व्यवस्था नहीं है, जो जीप है उसमें वायरलैस सैट नहीं है। कोई मंत्री महोदय आते हैं तो पूछते हैं मंत्री महोदय की लोकेशन बताइये। इस पर कहते हैं कि वायरलैस सैट ही नहीं है लोकेशन बताएंगे, हम को तो हमारी ही लाइन पता नहीं है। माननीय नरपतसिंहजी राजवी ठापरवाड़ा पहुंचे तो यही का यही चक्कर हुआ। थानेदार थाने में जाकर या हंसोल जाकर लोकेशन पूछ कर आया। एक पुलिस अधिकारी के पास या थानेदार की जीप में वायरलैस सैट नहीं होगा तो दूसरे थाने से आप सूचना करोगे कि अपराधी भाग रहा है, आप आगे नाकाबंदी कर दो, तो नाकेबंदी कैसे करेगा? न टेलीफोन है, न वायरलैस सैट है, नाकाबंदी वहीं की वहीं रह गयी और तब तक वह अपराधी अजमेर पहुंच जाएगा। इसलिए प्रत्येक थानेदार की जीप में वायरलैस सैट होना चाहिए। आजकल तो प्राइवेट सैक्टर में भी लोगों के पास वायरलैस सैट है और आपके यहां पुलिस के पास थानों में भी वायरलैस सैट नहीं हैं। यह बड़ी ही शर्म की बात है कि थाने में, थाने की जीपों में वायरलैस सैट नहीं है।

आप इधर देखते हैं तो मैं बोल नहीं पाता हूं।—(व्यवधान)—

एक माननीय सदस्य : आंखें निकालते हैं?

श्री राकेश मेघवाल : नहीं, नहीं। आंखें नहीं निकालते हैं। ये मेरे गुरुजी भी हैं और भाई भी हैं। बड़े भाई का आदर करना पड़ता है, सामने बोल नहीं सकते।

सभापति महोदया, जहां लम्बा-चौड़ा एरिया है और थाने दूर हैं अगर वहां छोटी-छोटी चौकियां स्थापित की जाएं तो यह अच्छा कदम होगा। अगर एक थाने से दूसरे थाने की दूरी 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है तो इसका आप यह क्राइटेरिया बनाइये कि एक थाने से दूसरे थाने के बीच में इतनी दूरी होनी चाहिए और अगर ज्यादा दूरी है तो आस-पास वहां चौकी तो खोल दी जाए। जिस तरह ग्राम मंगलाना में एक तरफ परबतसर है, एक तरफ कुचामन है और एक तरफ मकराना है, यह सेण्टर एरिया है यहां चौकी की आवश्यकता है। इतनी भीड़ लगती है आस-पास की, कम से कम रोजाना 100-

(श्री राकेश मेघवाल)

200 ट्रक निकलते हैं मार्बल के। उधर नेशनल हाई-वे है, आजकल पंजाब के जितने भी ट्रकं आते हैं इस रोड से जाते हैं, इसलिए मंगलाना में एक चौकी स्थापित की जाए। इसी तरह से ग्राम बागोट में एक चौकी की स्थापना करवायी जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदया, अनुसूचित जाति के जो मुकदमे दर्ज होते हैं वे होते तो सही हैं लेकिन गांव का माहौल इस तरह का बन जाता है। अगर 100 घर हैं और उसमें पांच घरों में ही अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, तो मुकदमा तो उन्होंने सही दर्ज करवाया लेकिन आस-पास के लोगों के दबाव से क्या थानेदारजी करेंगे और क्या डी.वाई. एस. पी. साहब करेंगे? आपने कहा अभी कि डी.वाई. एस. पी. साहब इसकी जांच करेंगे। डी.वाई. एस. पी. साहब को उच्च अधिकारी से जो निर्देश मिलता है उसी आधार पर उसकी जांच होती है और अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति को जो न्याय मिलना चाहिए उसको वह न्याय नहीं मिल पाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे मुकदमों में सख्त से सख्त नियम बनाकर उनकी जांच की जाए। या तो फर्जी दर्ज ही नहीं किये जाएं या दर्ज किये जाएं तो उसकी पूरी पुख्ता कार्यवाही के लिए एक बार उसमें एडिशनल एस. पी. स्तर के अधिकारी से जांच करवायी जाए। डी.वाई. एस. पी. जिस मुकदमे में एफ. आर. देता है उसमें ऐसा कानून बनाया जाए कि उस डी.वाई. एस. पी. के एफ. आर. देने के बाद में उस मुकदमे की एडिशनल एस. पी. स्तर के अधिकारी से जांच करायी जाय। आज सौ मुकदमे दर्ज होते हैं और साठ में एफ. आर. लग जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गरीबों को दबाया जाता है और शिड्यूल्ड कास्ट के गरीब उस गांव में दब जाते हैं। कभी सरपंच साहब के दबाव में आ जाते हैं तो कभी एम. एल. ए. साहब के दबाव में आ जाते हैं और कभी अधिकारी के दबाव में आ जाते हैं। एक गरीब आदमी अगर मुकदमा दर्ज कराता है तो उससे कहते हैं कि हजार रुपये दे। उसने हजार रुपये दे दिये तो सामने वाले ने पांच हजार दे दिये और उसमें एफ. आर. लग जाती है। अगर उस गरीब आदमी के पास हजार रुपये नहीं हैं तो भी उसके मुकदमे में एफ. आर. लग जाती है। इसलिए इसमें पुख्ता कार्यवाही होनी चाहिए। अगर वह झूठा पाया जाता है तो उसके खिलाफ धारा 182 लागू की जानी चाहिए जिस डी.वाई. एस. पी. ने उसकी जांच की है या उसमें एफ. आर. दी है।

इसी तरह एक मुकदमा मर्डर का आया था। एक राजपूत के बच्चे का मर्डर हुआ था और कंकाल कुएं से निकाला था। मकराना के डी.वाई. एस. पी. और उससे पहले दो अधिकारियों ने उसमें एफ. आर. दे दी कि कोई मर्डर हुआ ही नहीं। दो

(श्री राकेश मेघवाल)

अधिकारियों ने एफ. आर. दे दी उसके बाद में वह मर्डर खुल गया। 40 दिन बाद में वह लाश कुएं से निकाल ली गयी और उन अधिकारियों का आज तक कुछ नहीं हुआ। आज तक उन अधिकारी डीवाई. एस. पी., डीडवाना और गजानन्दजी वर्मा, दोनों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की। दोनों ने उस मुकदमे में एफ. आर. दी थी, उस राजपूत के बच्चे की लाश को कंकाल के रूप में निकाल कर लाये थे। यह माननीय गृह मंत्रीजी को भी ध्यान में है और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी ध्यान में है। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। मर्डर जैसे मामलों में वे एफ. आर. दे देते हैं।

माननीय सभापति महोदया, नागौर जिले में पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी है, अधिकारी भी बहुत अच्छे हैं। अभी गृह मंत्रीजी ने दौरा किया है तो सब ठीक कर दिया लेकिन जो कुछ कमियां हैं उनको भी दूर किया जाए।

श्री सभापति : फिर लेकिन क्यों? बहुत अच्छी व्यवस्था के बाद लेकिन लगाते हो तो सब काम खतम हो जाता है। अच्छे को अच्छा कह कर धन्यवाद दो।

श्री राकेश मेघवाल : सभापति महोदया, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में कहीं भी साम्प्रदायिक दंगे जैसी घटनाएं नहीं हुई व आज अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में अपने आपको सुरक्षित समझते हैं। परबतसर विधान सभा क्षेत्र में अल्पंख्यकों ने मदरसों में सम्मेलन आयोजित किया और सम्मेलन में भाजपा नेताओं का अभिनन्दन किया। मकराना में भी 13 मुसलमान पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी जोइन की। आज मकराना के मुसलमान भी जहां कई बार दंगे हुए, भारतीय जनता पार्टी में अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हैं। इस तीन साल में अल्पसंख्यक लोगों को भी भारी राहत मिली है औ वे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं, जहां आज एक भी दंगा नहीं हुआ। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्रीजी का, मुख्य मंत्रीजी का कानून और व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए तहे दिल से आभारी हूं और बार-बार धन्यवाद देता हूं। राजस्थान का गृह मंत्री माननीय मुख्य मंत्रीजी जब भी बनाएं कैलाश मेघवाल जैसे को ही बनाएं ताकि राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी चलती रहे और ऐसा सद्भावनापूर्ण वातावरण और कार्य चलता रहे। सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द। जय भारत। भारतीय जनता पार्टी जिन्दाबाद।

श्री सभापति : श्री राकेश मेघवाल को नहीं बनायें। श्री उगमराज जी मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदया, माननीय गृह मंत्रीजी ने आज जो लॉ एण्ड आर्डर का स्टेटमेंट दिया और जो उन्होंने आंकड़ें प्रस्तुत किये हैं, कुछ हद तक वे सही भी हैं। सीमा क्षेत्र में तस्करी रोकने के लिये पुलिस ने जो सफलता प्राप्त की है उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आई. एस. आई. द्वारा भारत में दूषित वातावरण बनाने हेतु एक प्रकार का षड़यन्त्र करने की जो योजना थी उसको देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पुलिस को आधुनिक हथियार, वायरलैस सैट, गाड़ियां बजट से उपलब्ध करायीं। आज भारत में पाकिस्तान से अवैध हथियार, तस्करी से सोना आना बन्द हुआ। 1966 में आतंकवादी घटनाओं पर पूरी तरह काबू पाया गया। अवैध रूप से भारत से पाकिस्तान जाते हुए 443 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिसमें 42 भारतीय, 6 पाकिस्तानी और 174 बंगलादेशी, 222 बर्मी व अन्य नागरिक थे।

(14.31)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री, श्री भैरोंसिंह शेखावत ने प्रारम्भ से ही सीमा पार की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने तथा सीमांत की चौकियों में संचार साधनों व अन्य साज-सामान उपलब्ध कराने की ओर अधिक ध्यान दिया। मैं उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय गृह मंत्रीजी, मैं अपने क्षेत्र अजमेर और ब्यावर की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिस प्रकार माननीय सदस्य, श्री कोगटा जी ने विचार रखे, मेहसाणा में दाऊद इब्राहिम के साथी और पाकिस्तान के गुप्तचरों का पुलिस ने वहां पर एक जखीरा पकड़ा उसमें अजमेर के भी बहुत से संदिग्ध व्यक्ति शामिल हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि अजमेर में भी इस प्रकार का अड्डा बनाने की उनकी योजना थी। अभी तक शायद महाराष्ट्र पुलिस ने उस व्यक्ति को राजस्थान पुलिस को सौंपा नहीं। जब राजस्थान पुलिस उस व्यक्ति को लेकर आएगी तब मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से अजमेर में इनकी योजना थी। मैंने गत सत्र में भी गृह मंत्रीजी से निवेदन किया था, उनको चेताया था कि अजमेर में अवैध रूप से बंगला देश के व्यक्ति रह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि चीला की घाटी में आप देखिये, पूरा अवैध कब्जा उन्होंने कर रखा है, अवैध रूप से रह रहे हैं और किस प्रकार की उनकी गतिविधियां हैं? उन पर निगरानी रखने के लिये मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं। ब्यावर क्षेत्र के आस-पास का क्षेत्र ऐसा है जहां बंगलादेश के अवैध रूप से आये हुए व्यक्ति बिहारी के नाम से और उत्तर प्रदेश के नाम से आ रहे हैं और वहां रह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में उनका ट्रांसफर होता है हर हफ्ते या महीने भर में, काली कार में हफ्ते में एक बार या 15 दिन में वे ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं और उनको रुपया बांटते हैं। यह पुलिस वालों को मालूम

(108)

(श्री उगमराज मेहता)

है। हम पुलिस वालों को बार-बार कहते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करते हैं लेकिन पुलिस वाले अपनी मजबूरी बताते हैं। क्या मजबूरी है, क्यों नहीं उनके ऊपर चौकसी रखी जाती है? माननीय गृह मंत्रीजी, आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप इस ओर ध्यान दें, कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है।

पिछले दिनों, आपको मालूम है कि देवगढ़ में एक ट्रक कवर से ढका हुआ था और उसमें गायें भरी हुई थीं, उसको पुलिस ने पकड़ा, वहां के नागरिकों ने पकड़ा, उस ट्रक को जब्त किया। ज्यों ही उस ट्रक को खोला उसमें से चार-पांच गायें तो वहीं मर गयीं, उनका दम घुट रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसे ही वायरलैस से उनके पास समाचार गया उन्होंने उस गाड़ी को रोका और उन गायों को गौशाला में भेजा। हमें मालूम हुआ तो ब्यावर के नागरिकों ने एक लाख रुपया इकट्ठे करके देवगढ़ भेजा उन गायों के चारे की व्यवस्था के लिये। अभी पिछले दिनों मसूदा और आस-पास के क्षेत्रों में गायें काटी गयीं। गायें काटने के बाद में जैसी इनकी योजना है उस पर योजनाबद्ध तरीके से काबू नहीं पाया गया तो कुछ भी हादसा हो सकता है।

गृह मंत्रीजी, स्टाफ की बहुत कमी है। बीस साल पहले, तीस साल पहले थानों में जो स्टाफ था वे उसी संख्या में काम कर रहे हैं। आज शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी आबादी बढ़ रही है, उसका क्षेत्र भी बढ़ रहा है। गत विधान सभा सत्र में आपने ब्यावर में स्टाफ बढ़ाने की घोषणा की थी, सदर थाने में सी. आई. की एक पोस्ट की भी घोषणा की थी और यातायात व्यवस्था के लिये भी आपने स्टाफ बढ़ाने की घोषणा की थी, वह स्टाफ नहीं बढ़ाया गया। मुझे आशा है कि आप इस बार उस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि अजमेर से आपका पुराना रिश्ता है और उसको भूले नहीं आप। भीलवाड़ा भी जाना पड़ता है तो वही रास्ता है आपके जाने के लिये।

नई पुलिस चौकियों के लिये मैंने आपसे निवेदन किया था। बराकंद ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है जहां पांच पंचायतें हैं। टाडगढ़ थाना है। टाडगढ़ से 30 किलोमीटर इधर बन्जोर होकर आना पड़ता है, तो उन पांचों पंचायतों का निरीक्षण कौन करे? मैंने निवेदन किया बराकंद में एक चौकी होनी चाहिये। इसी प्रकार से साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड एरिया में कितनी आबादी हो गयी वहां पर कितनी चोरियां होती हैं, उनको रोकने के लिये पुलिस चौकी बहुत जरूरी है। पुलिस चौकी में तीन-चार कांस्टेबल लगा दें, यही नहीं बल्कि वायरलैस सैट सहित पुलिस चौकी की घोषणा करिये ताकि वहां की सूचना समय पर मिल सके।

आपको मालूम है कि पहले तो जयपुर और अजमेर के बीच में एक्सीडेंट बहुत होते थे, अब भी होते हैं पर बहुत कम

(श्री उगमराज मेहता)

होते हैं। आजकल अजमेर, ब्यावर और बर के बीच में रोज इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं कि रोज चार-पांच व्यक्ति घटना स्थल पर मर जाते हैं। ये एक्सीडेंट क्यों होते हैं, इस पर विचार करना चाहिये। मैंने जहां तक देखा है, जीपों के अन्दर बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस सवारियां बैठाकर रफ्तार से जाती हैं और फिर आपस में भिड़ती हैं या ट्रक से भिड़ती हैं और फिर वहीं व्यक्तियों की मृत्यु होती है। कुछ दिन पहले जैतारण के पास में सुबह पांच बजे ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि कार में दो सगे भाई एक ही परिवार के और बाप-बेटे एक ही घर के दोनों ही सगे, चारों की लाशें थीं। ब्यावर मैं भी गया उनका पोस्टमार्टम कराने। अभी कल एक्सीडेंट हुआ उसमें एक ही परिवार के पांच सदस्य मर गये। कितने भयंकर एक्सीडेंट होते हैं। आपके पास में चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हुए हैं। ब्यावर में एक ऐसा अस्पताल है, भीम क्षेत्र, पाली क्षेत्र और दूसरे जिलों के एक्सीडेंट के केसेज ब्यावर में आते हैं। मैंने कई बार आपको कहा कि वहां और डॉक्टर भेजिये। (व्यवधान) नहीं, और भेजिये। आपसे वार्ता बाद में करूंगा, जिस समय डिमाण्ड आएगी, आप करते ही हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : जितने भेजे उसके लिये तो धन्यवाद दे दो।

श्री उगमराज मेहता : उसके लिये तो बहुत-बहुत धन्यवाद। वहां व्यवस्था करवाइये। हम भी कर रहे हैं। कोमा वार्ड के लिये हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वहां कोमा वार्ड बने। चोरियां हो रही हैं उनको रोकने का प्रयास पुलिस वाले कर रहे हैं। एक पैट्रोल पम्प लुट गया नेशनल हाई-वे पर। पुलिस वालों ने चोरों को पकड़ा है, मैं कह रहा हूं। इसके लिये धन्यवाद। पर शहर के अन्दर जो चोरियां हो रही हैं, अभी तीन दिन पहले एक फोटोग्राफर के यहां ढाई लाख रुपये के रील, कैमरे सब उठाकर ले गये। यहां तक कि लड़कियों के जो फोटो थे वे भी उठाकर ले गये। आज दिन तक पता नहीं चला। गृह मंत्रीजी, इसके लिये तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा आपको कि जो पहले थाने बिकते थे वे आज बिकते नहीं हैं। यह सही बात है, पहले थानों की कीमतें होती थीं कि यह ब्यावर का थाना कितने लाख में है। आजकल थाना नहीं बिकता। मैं ब्यावर की बात कर रहा हूं, दूसरी जगह की बात नहीं करना चाहता। यह बात जरूर है कि इस समय जो सी. आई. आया है और सी. ओ. है, मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि इतने साल से मैंने बहुतों को देखा है, बार-बार फोन आते थे कि इस प्रकार की लूट-खसोट हो रही है, इस सी. आई. ने थाने के सिपाहियों को डांट-डपटकर रखा और दारू छुड़ाई है, दारू नहीं पीने दी। दारू पीया हुआ यदि कोई कांस्टेबल वहां है तो उसको उसी समय सस्पैण्ड और लाइन हाजिर किया। उसने दारू के ऊपर सख्ती की। उसके बाद किसी के चक्कर में नहीं खुद सी. आई. ही

(श्री उगमराज मेहता)

जांच करने जाएगा। किसी से एक पैसा नहीं लेता। वहां तत्परता से सी. आई. और सी. ओ. आज काम कर रहे हैं उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसा ही स्टाफ होना चाहिए। यह भ्रष्टाचार मिटेगा कैसे? आप उनकी तनख्वाह बढ़ाइये, उनकी तनख्वाह डबल करिये। मैं तो सुझाव देता हूं आज पुलिसकर्मी की तनख्वाह ज्यादा होगी तो वह किसी की तरफ मुंह नहीं मोड़ेगा और पांच रुपये, दस रुपये की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा। आज पुलिस वालों के व्यवहार के ऊपर जो ऊंगली उठती है वह इसी कारण से उठती है, हालांकि भ्रष्टाचार सारे देश में है, थानों में। मैं यह नहीं कहता कि राजस्थान में ही थोड़ा बहुत है, सब जगह है। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार है पर महाराष्ट्र में अगर आप 100 रुपया देंगे तो कहेगा कि आइये, बैठिये सरकार। सैल्यूट ठोकता है वह आदमी को और यहां अगर कुछ भी लेगा तो उसको गाली भी देगा और उसको कहेगा कि बैठा रह। इसलिये यहां के थानों में व्यवहार आदमी के साथ अच्छा होना चाहिए, पैसा दे या नहीं दे। आज अगर आदमी थाने में जाता है तो व्यवहार सही होना चाहिए और थानेदार और सिपाही का। आज यदि कोई एक्सीडेंट होता है और उसकी रिपोर्ट लिखानी होती है तो कहेगा कि पहले दस्ता लाइये, कलम और पैन लाइये, कार्बन लाइये। यह व्यवस्था आपको सुधारनी पड़ेगी। कागज पैन के लिये मांगते हमें शर्म आती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि हर पांच साल में सब इंस्पेक्टर एवं उसके ऊपर के अधिकारियों का फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। इसमें आप यह रखियें कि इंस्पेक्टर और ऊपर के अधिकारियों का फिटनेस होना बहुत जरूरी है। फिटनेस होगा तो काम भी करेगा। यदि एक सिपाही चोरों को पकड़ने के लिये दौड़ता है और उसका अधिकारी धीरे-धीरे चलता है तो क्या होगा? इसलिये उनका फिटनेस होना चाहिए। जरूरी है हर पांच साल में। माननीय गृह मंत्रीजी तो मेरे ख्याल से सुबह उठते ही नीम की पत्तियां खाते हुए रोज ही घूमते हैं।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : सीरियसली सुन रहे हैं आपकी बात को।

श्री उगमराज मेहता : यह भी कि ब्यावर में पिछले जो केसेज थे राजनीतिक केस, उनको आपने विथड्रा किया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं तो कार्यकर्ता हर पेशी पर जाते थे 60-60, 70-70 इकट्ठे होकर। राजस्थान में सभी जगह के केसेज आपने लिये इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से थोड़ी व्यवस्था के लिये मैंने आपको कहा है। बिना किसी भेदभाव के व्यवस्था में आप सुधार लाएं थानों में ताकि किसी को किसी प्रकार की शिकायत करने का मौका नहीं मिले।

एक और सुझाव देना चाहता हूं, पिछले दिनों गुजरात हाई कोर्ट का एक फैसला हुआ है। क्या होता है कि जब चोरियां होती हैं और किसी का अगर जेवर पकड़ा

(श्री उगमराज मेहता)

जाता है तो कभी-कभी वह झूठा नाम भी लगा देता है कि अमुक सर्राफ की दुकान पर चलो, वहां से यह माल बरामद करना है। चोरी की है, यदि उसने वहां माल बेचा है और अगर वह कहता है कि मैंने लिया है तो उसकी बरामदगी वहीं कर लीजिये, उसको परेशान नहीं करें। यह गुजरात हाई कोर्ट का फैसला है कि उस दुकान पर आप नहीं जाएंगे, उस व्यापारी को आप तंग नहीं करेंगे। उसको आप बुला सकते हैं, उससे पूछताछ कर सकते हैं। जिस प्रकार से व्यापारी के यहां जाकर घेरा डाल देते हैं तो वह व्यापारी क्या करता है। कहता है कि पुलिस आ गयी और उस समय यदि उसने कुछ लिया है या नहीं लिया है फिर भी वह कह देता है कि ले लो जितना चाहिए आपको। कुछ देकर अपनी जान छुड़ाता है। आप हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है उस फैसले की कॉपी मंगवाइये। उस फैसले के अनुसार व्यापारियों को इस प्रकार से तंग नहीं किया जाए। (व्यवधान) चोरी का माल लेने के लिये नहीं कहा। चोरी का माल अगर लिया भी है और वह कहता है कि मैंने लिया है, मेरे यहां जमा खर्च है, लीजिये और उसके बदले में दूसरा दे देता है तो उसको परेशान नहीं करे, यह मैंने कहा है। इसी प्रकार से गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको आप ध्यान से देखे। मैं भी आपको कॉपी लाकर दे दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीराम जाट। (अनुपस्थित) श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में कानून और व्यवस्था की चर्चा हो रही है और मैं इस विषय पर हमारे गृह मंत्रीजी, हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारी सरकार को बधाई देना चाहती हूं। यह बधाई का ही विषय है क्योंकि हम लोग जन प्रतिनिधि हैं और जन प्रतिनिधि होने के नाते सारे राजस्थान में घूमना होता है, राजस्थान के बाहर भी जाना होता है। जब ट्रेन वगैरह में अन्य-अन्य प्रान्तों की बात छिड़ती है तो निश्चित रूप से निष्कर्ष सामने आता है और लोगों के मुख से यही निकलता है कि और प्रान्तों के मुकाबले में राजस्थान ला एण्ड आर्डर, शांति एवं व्यवस्था के मामले में बहुत अच्छा है, राजस्थान बहुत शांत है। मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रही। मैं कल ही बम्बई से आयी हूं। मेरे साथ जो बैठे हुए थे, कुछ लोग बिहार के थे, यू. पी. और असम के भी थे। जब राजस्थान की बात चली तो उन्होंने कहा कि साहब, आप भाग्यशाली हो कि आप राजस्थान की हो और राजस्थान विधान सभा में प्रतिनिधित्व करती हो, यह बात उन्होंने मुझे कही। क्योंकि आपने भी सुना होगा पिछले दिनों बिहार में जिस प्रकार का वातावरण बना है, रेलों में लूटपाट की घटनाएं बढ़ी हैं। और तो और केन्द्रीय रेल मंत्री जो बिहार से संबंधित हैं, उनको यह

(श्रीमती तारा भण्डारी)

कहना पड़ा कि अगर मेरी रेलें बिहार के उन भागों में सुरक्षित नहीं होंगी और बार-बार इसी प्रकार से डकैतियां होंगी तो ऐसे भागों में मैं रेल चलाना बंद कर दूंगा। मैं समझती हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि हम इस मामले में परम भाग्यशाली हैं कि राजस्थान में इस मामले में अन्य प्रान्तों की अपेक्षा बहुत अच्छा माहौल है। लोग राजस्थान आना पसन्द करते हैं। आप आंकड़े दिखाएंगे तो ट्यूरिस्टों की संख्या में भी जो अभिनव वृद्धि हुई है उसमें हमारी ला एण्ड आर्डर, हमारी शासन व्यवस्था का भी एक बहुत बड़ा रोल है।

पिछले दिनों पुलिस में काफी फेरबदल किये गये, आवश्यकतानुसार पद बढ़ाये गये। पुलिस कर्मियों के लिए भत्ते एवं सुविधाएं भी बढ़ायी गयीं, अमला भी बढ़ाया गया। मैं समझती हूं जितना कुछ बढ़ाया है उसके लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं ही लेकिन आज की चर्चा में हमारे सदस्यों ने जिस प्रकार की बातें कही हैं, अगर हमारे गृह मंत्रीजी ने उन्हें ध्यान से सुना होगा तो निश्चित रूप से हमारे सदस्यों ने जो अमूल्य सुझाव दिए हैं उनसे बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा, फायदा होगा और हम और कुछ बढ़िया करने में सक्षम होंगे। मैं एक बात की और बधाई देना चाहती हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारी सरकार और हमारे शासन की निष्पक्षता है, पारदर्शिता है कि इस वर्ष राजस्थान में कांस्टेबल की भर्ती के इन्टरव्यू हुए हैं, आपने किसी के मुंह से या कहीं पेपर में एक लाइन भी नहीं पढ़ी होगी कि इन भर्तियों में कोई भ्रष्टाचार हुआ है। यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है।

इसी प्रकार से मैं सुझाव देना चाहूंगी। निश्चित रूप से हमारे यहां पर अपराधों में कमी तो नहीं हुई क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी है उसके अनुपात में जरूर कमी हुई है। उसके रेशो में जो अपराध पंजीकृत हुए हैं वे कम हुए हैं। लेकिन अपराध होते हैं और ये अपराध कोई पुलिस से ही नहीं होते या पुलिस का कोई दोष नहीं है अपराधों में। अपराधों में दोष है हमारे समाज का, हमारी व्यवस्थाओं का, हमारे वर्ग-भेद का, ऊंच-नीच का और इन्सान-इन्सान के बीच जितनी ऊंच-नीच है उसके कारण से भी अपराध होते हैं। लालच से भी होते हैं, मनोवृत्ति खराब होने से भी होते हैं, बुरे संस्कारों से भी होते हैं। और तो और मीडिया और हमारी फिल्में, जिस प्रकार का साहित्य वगैरह हमें पढ़ने को मिलता है उससे भी अपराध होते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे यहां एक लड़के ने एक दूसरे लड़के का केवल इसलिए मर्डर कर दिया कि वह टी. वी. में देखे हुए दृश्य को खुद देखना चाहता था। मारने वाला भी स्कूल का लड़का और मरने वाला भी, उसने एक बच्चे की छुरा घोंपकर उसी स्टाइल में हत्या की जैसा उसको बताया गया। आंते उसकी बाहर आ गयीं। उसको पूछा कि

(श्रीमती तारा भण्डारी)

ऐसा काम क्यों किया तो कहा कि मैंने टी. वी. में देखा था। टी. वी. में देखकर बच्चे आजकल तो फांसी तक लगा लेते हैं। कई प्रकरण ऐसे हुए जहां बालकों ने बिना किसी दोष के, न कहीं कोई झगड़ा-टंटा, फांसी ही लगा दी तो, जो अपराध होते हैं उनका एक ही कारण नहीं होता, अनेक कारण होते हैं। लेकिन उन अपराधों से मुस्तैदी से निपटने के लिए हमें सावधान रहना चाहिए और, उपाध्यक्ष महोदय, सावधान रहने के लिए आवश्यकता पड़ती है साधनों की। अभी जैसा हमारे साथी सदस्यों ने बताया, कहीं टूटी जीप है और किसी थाने में तो टेलीफोन भी नहीं, वायरलैस भी नहीं तो यह निश्चित ही हमारी कमजोरी है। अगर थाने में वायरलैस भी नहीं होगा, टेलीफोन भी नहीं होगा तो वह थाना हमारे किस काम आएगा? कैसे उसके कर्मचारी काम करेंगे? वारदातें करने के तरीके जो नये-नये बन गये, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो वैज्ञानिक युग है और इस वैज्ञानिक युग में जो भी काम होता है चाहे सृजनात्मक हों चाहे नष्ट करने वाले हों, दोनों में ही आजकल विज्ञान अग्रणी है। अपराधियों ने भी अपराध करने के लिए नये-नये तरीके खोज लिये हैं और उन नये-नये तरीकों से निपटने के लिए हमारी पुलिस के पास, हमारे विभाग के पास भी अच्छे से अच्छे साधन होने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं जिसे मैं महसूस करती हूं कि पुलिस एक ऐसा महकमा है जिसको हर समय इस्तेमाल कर लिया जाता है। चाहे तो अमिताभ बच्चन के लिए भीड़ जमा हो जाए, चाहे ला एण्ड ऑर्डर की प्राब्लम हो जाए, कहीं बलवा हो जाए, चोरी हो जाए, लूट हो जाए, वी. आई. पी. आने वाला हो, चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षाएं हों, ईवन बच्चों की, पुलिस की ड्यूटी लगती है और हार्ड ड्यूटी पुलिस वाला करता है। जब वह इतनी हार्ड ड्यूटी करता है तो हमें उसके घर परिवार और उसके बच्चों के पालन पोषण का भी ध्यान जरूर रखना होगा। साथ ही साथ, जब तक हम उनको आधुनिक हथियार, आधुनिक तरीके, आधुनिक वाहन और जो भी जरूरत हो वह नहीं दिलवाएंगे तब तक अनुसंधान ठीक से नहीं हो पाता और मुकदमों में इसीलिए देरी होती है। कई बार तो वे मुकदमें खुलते ही नहीं।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी। मैंने यह सवाल कई बार उठाया है कि फोरेन्सिक जांच के बिना मुकदमों में अनुसंधान ठीक समय पर और सही नहीं हो पाता। बहुत सारी हत्याएं इसीलिए नहीं खुल पातीं कि समय पर उसकी रिपोर्ट नहीं आती। हमारे गृह मंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि हम दो विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं खोल रहे हैं। अभी उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जल्दी ही शुरू कर रहे हैं। पिछले बजट में आपने दो विधि विज्ञान

(119)

(श्रीमती तारा भण्डारी)

प्रयोगशालाओं की बात की, इस साल भी अगर वे शुरू नहीं हुई तो गृह मंत्री महोदय यह टेन्योर चला जाएगा और इन विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, इसलिए उनको थोड़ा त्वरित गति से आप आगे बढ़ाएं। आप कोई इस प्रकार का तरीका निकालें कि ये विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं जल्दी से जल्दी काम करें। यदि प्रयोगशालाएं जल्दी काम नहीं करतीं तो मैं आपको निश्चित रूप से बता सकती हूं कि कई सारे मुकदमों में गवाह होस्टाइल हो जाते हैं। जो मुकदमें दर्ज कराने वाले होते हैं वे भी निराश हो जाते हैं क्योंकि उनका सब तरफ से शोषण होता है। शोषण के रहते भी जब नतीजे सामने नहीं आते तो लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए जो भी दो प्रयोगशालाएं आप जोधपुर और उदयपुर में करना चाहते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी शुरू करवाएं। उसमें क्या कमी रह गयी है, आप स्वयं देखें।

मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करके कुछ सुझाव ही देना चाहूंगी। जैसाकि हमारे साथियों ने कहा कि डाग स्क्वाड में यहां चार या पांच ही डॉग हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान इस प्रकार से बना हुआ है कि एक तरफ गुजरात प्रान्त, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ हरियाणा, देहली और अन्य प्रान्त, मध्यप्रदेश वगैरह से हम जुड़े हुए हैं। अपराधियों को पकड़ने के लिए हमारे पास अच्छी जीप भी नहीं, अच्छे वायरलैस सैट भी नहीं और फिर कोई ऐसा साधन भी नहीं तो कैसे पकड़ेंगे? अपराध करके वे दूसरे प्रान्तों में और पाकिस्तान में चले जाएंगे। अगर डॉग स्कवाड से हमें फायदा मिल सकता है तो हमें डॉग स्कवाड्स बढ़ानी चाहिए। हमें फिंगर प्रिन्ट लेने के आधुनिक यंत्रों को उस टैक्नीक को अधिक से अधिक अपनाना चाहिए। अगर हम अपनी पुलिस व्यवस्था को अच्छे से अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे सामने होगी। मैं आपको बताना चाहूंगी, फोरेंसिक विभाग का ही आंकड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, जनवरी, 1996 से 31 दिसम्बर, 1996 तक 12,211 प्रकरण फोरेंसिक विभाग में जांच के लिए भेजे गये जबकि जांच होकर जिन प्रकरणों की रिपोर्ट प्राप्त हुई वे 7,964 हैं। यह गृह मंत्री जी के विभाग का ही आंकड़ा है, इसीलिए मैं इस बात पर फिर बल देती हूं कि हमें फोरेंसिक जांच व्यवस्था ज्यादा करनी चाहिए।

(15.00)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी के साथ-साथ अपने जिले की ओर भी हमारे गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मैंने तो डी. जी. साहब से, मुख्य मंत्री जी से, गृह मंत्रीजी से लगातार इस मामले में चर्चा की। पिछले एक वर्ष से सिरोही में जिस प्रकार से लूट, डकैती, चोरियां, चार-सौ-बीसी, वाहन चोरियां शुरू हुई हैं, ऐसा कोई साल हमने देखा नहीं। मैं 26 जनवरी की बात बताऊं, 26 जनवरी के दो

(श्रीमती तारा भण्डारी)

दिन पहले शिवगंज में एक धोखाधड़ी करके चोरी प्रकरण हुआ था। एक छोटा-सा लड़का दुकान पर खड़ा, दुकान का मालिक अन्दर आया। उसके पास पचास हजार रुपये थे। उसने रुपये अपनी टेबल पर रखकर दुकान साफ करना शुरू किया इतने में उस बच्चे ने कहा कि देखना-देखना आपका क्या गिरा है। उस गिरे हुए को ढूंढने को जैसे ही व्यापारी झुका, वह बच्चा बैग लेकर, उसका कोई साथी पास में छुपा हुआ था, फरार हो गया। जो बच्चा बैग लेकर फरार हुआ वह तो भाग गया लेकिन जिस बच्चे ने कहा कि नीचे क्या गिरा, वह पकड़ में आ गया। वह आज पुलिस थाने में बन्द है लेकिन वह अपना मुंह नहीं खोल रहा है। अभी थर्ड ग्रेड डिग्री की बात कर रहे थे। अब तो सवाल यही है कि थर्ड ग्रेड डिग्री का प्रयोग करें तो मानवाधिकार आयोग और दुनिया भर के जितने भी संवेदनशील आयोग हैं वे सब कहेंगे कि अत्याचार, राजस्थान में छोटे बच्चे को मार डाला। मैं यह कहना चाहती हूं कि इतना छोटा बच्चा जिसने चोरी की, लोगों ने आंखों से देखा, आज हमारे थाने में बन्द है। पुलिस सारे प्रयास करके हार गयी, वह मुंह नहीं खोलता। मुंह खोलने के लिए भी ऐसा आधुनिक यंत्र दिया जाए जिससे कि चोरियां खुलें, वरना चोरियां होती जाती हैं। दिन में तो व्यापारियों के साथ मैं स्वयं भी थी। इसी चोरी के मामले में एस. पी. से मिले। एस. पी. ने हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा, मैं गश्त वगैरह बढ़ा देता हूं, पूरी व्यवस्था करता हूं। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, 16 जनवरी के दिन में हमने बात की, रात को एक दुकान का ताला टूट गया, ढाई लाख के जेवर लेकर चोर फरार हो गये। उसके पांच दिन भी नहीं निकले, एक व्यापारी अपनी वसूली करके स्कूटर पर सड़क पर आ रहा था। सड़क पर स्कूटर पर ही दूसरे दो लोग आये और कोई ज्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ, उसकी आंखों में मिर्ची झोंकी और उसको मारा। उसके पास पांच लाख रुपये थे, लेकर भाग गये। एक दिन के लिये भी हमारे जिले से कोई बाहर जाता है तो वापस आकर देखता है कि मैदान साफ। पूरा घर साफ कर जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहने में बड़ी शर्म महसूस होती है कि उनके घर में लेट्रीन वगैरह करके घर पर गन्दगी और कर जाते हैं। घर वाले चोरी के साथ उस गन्दगी को देखकर और घबरा जाते हैं। यह हकीकत है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे एक नहीं अनेक प्रकरण हो गये। उन प्रकरणों में मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि ये चोरियां जल्दी नहीं खुलीं, अगर इस प्रकार के वातावरण में कमी नहीं आयी तो निश्चित रूप से जो प्रतिष्ठा राजस्थान ने बनायी है कि लॉ एण्ड ऑर्डर अच्छा है, दंगे हमारे नहीं हैं, शांति व्यवस्था कायम है वह धूमिल हो जाएगी। चोरियों का जो वातावरण अब बना है इससे लोग भयभीत हैं और बहुत ही आशंकित हैं। इसलिये मैं एक सुझाव देना चाहती हूं। हमारा जिला औद्योगिक एरिया है और बड़े उद्योग लगे

(श्रीमती तारा भण्डारी)

हुए हैं। हमारे एक सदस्य ने यह भी सुझाव दिया था कि इन उद्योगों में बाहर से, यू. पी., बिहार और जाने कहां-कहां से मजदूर लाये हुए हैं। भिन्न प्रकार का कल्चर हमारे यहां आया है चाहे वह ब्राडगेज के जरिये आया हो, चाहे उद्योगों के माध्यम से आया हो। इतनी चोरियां हमारे जीवन में, कम से कम मेरी उम्र के हिसाब से मैं कहती हूं कि मैंने एक वर्ष पहले तक इतनी चोरियां कभी नहीं देखी। जब सुनते हैं आज वराड़ा में ताले टूट गये, आज अरटवाड़ा में ताले टूट गये, आज सिरोही के बाजार की दुकान के ताले टूट गये, आबू रोड में ताले टूट गये, इण्डस्ट्रियल एरिया में डकैती पड़ गयी, पैट्रोल पम्प लुट गये, समझ में नहीं आता कि इतनी तेजी से ये वारदातें क्यों हो रही हैं। इसके लिये मेरा सुझाव है—अभी हमारे उद्योग मंत्रीजी तो नहीं हैं लेकिन हमारे गृह मंत्रीजी बैठे हैं और लॉ एण्ड ऑर्डर कायम करना उनका काम है, वे इस बात को भी ध्यान में रखें कि सिरोही जिले में फैक्ट्रियों में जो मजदूर लाएं उनका एक बार सर्वे करवाया जाए। सरकार ने कानून निकाला हुआ है, नियम बना है कि जो भी उद्योगपति उद्योग लगाएगा, 50 प्रतिशत स्किल्ड लेबर और 75 प्रतिशत अनस्किल्ड लेबर उसी एरिया और उसी भू-भाग के होंगे। परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिये इतनी चोरियां और डकैतियां यहां हो रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहती हूं। आपने भी सुना होगा, पिछले दिनों सांचौर में बहुत ही दर्दनाक काण्ड हुआ। 13-14 ट्रक गायों से पूरे भरे हुए, सांचौर की जनता ने वे ट्रक रुकवाये और गायें निकालीं। अभी हमारे नेताजी कह रहे थे कि उन गायों को निकाला, वह किसी दूसरी जगह की बात थी लेकिन मैं आपको सांचौर की बात निवेदन करना चाहती हूं। जब गायों को खाली करवाया तो हरेक ट्रक में इतनी बुरी तरह गायें ठुसी हुई थीं कि उसमें 2-2, 3-3 गायें मरी हुई निकलीं। रोकने पर भी ये ट्रक वाले नहीं रुके और पुलिस ने कोई मदद नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार की मंशा है कि गौ-रक्षा हो, गौ-संवर्द्धन हो लेकिन सांचौर के रास्ते से जिस प्रकार सैकड़ों ट्रक तस्करी होकर गायों की कटनी में जा रहे हैं उसमें पुलिस की मिलीभगत रही। मोब ने रोका और रोककर जानवर उतारे, इससे बहुत बुरी वहां लॉ एण्ड ऑर्डर की प्रोब्लम हो गयी। लोगों ने गुस्से के मारे ट्रक फूंक दिये तथा और भी वहां पर अशांति हुई। पुलिस समय पर पहुंची नहीं। जब पुलिस पहुंची तो वहां सारा स्वाहा हो चुका था। उपाध्यक्ष महोदय, हम संवेदनशील हैं, संवेदनशील सरकार के प्रतिनिधि हैं और हमारी राजस्थान की जनता का मानस गौ हत्या के विरुद्ध है। अगर हमने कानून बनाकर लोगों को यह बात जाहिर की हुई है कि हमारे राजस्थान में गौ हत्या अब नहीं होगी तो, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात

(श्रीमती तारा भण्डारी)

पर विचार कर सकते हैं कि 14-14, 15-15 ट्रक भरकर गायों को एक मुश्त जाने जनता कैसे देगी? मैं गृह मंत्रीजी से अपील करना चाहती हूं कि सारे मामले की आप निष्पक्ष जांच करवाएं। उस मामले में जिन लोगों ने वास्तव में ट्रक वगैरह जलाये, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं हुए। जैसा इनकी पुलिस का हिसाब है कि 10 इधर से कर लें और 15 उधर से कर लो, जिसका मर्जी आये मुकदमा दर्ज कर दिया। जो लोग गौ बचाव के काम में चल रहे थे, जो गायों के बचाव का काम कर रहे थे, दोषी नहीं थे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गये और जो दोषी थे, पुलिस कर्मचारी या पुलिस अधिकारी जिन्होंने समय पर इस सबकी व्यवस्था नहीं की, मौके पर नहीं पहुंचे वे सब आज बरी हैं। इसलिये मैं इस सांचौर के मामले में हमारे गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी, निष्पक्ष जांच करवा कर राजस्थान की जनता को एक मैसेज दें कि गौ हत्यारों को हम नहीं बख्शेंगे। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि लॉ एण्ड ऑर्डर की प्राब्लम हुई तो क्यों हुई, इस गौ-रक्षा कानून को एक बार कानूनविदों के पास भेजकर दिखवाया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जरूर इसमें कोई लेकूना है। हमारे सिरोही में भी हमने दो ट्रक पकड़े थे, ठुसी हुई गायें थीं। उन लोगों ने क्या किया, एक-एक गाय की परचेज रसीद उनके पास, जिस मालिक को देना है, बेचने के सारे कागजात अप टू डेट थे उनके पास। उसके बावजूद भी दो ट्रक भरे हुए थे, जनता ने मिलजुलकर वे रुकवाये। लेकिन यहां मैं अपने थानेदार की प्रशंसा किये बिना भी नहीं रहती कि उस गांव के थानेदार ने जनता का पूरा सहयोग किया, उन जानवरों को छुड़ाने में सहयोग किया और उसने संकल्प भी लिया कि जब तक ये गायें छूट कर गौशाला में नहीं जातीं मैं पानी नहीं पीऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। मैं धन्यवाद देती हूं सिरोही के जिला कलक्टर, हमारे एस. पी. और हमारे थानेदार को जिन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से दो ट्रक छुड़वाये, उनको गौशाला में भेजा। लेकिन सवाल यह है कि कोई एक थाना तो है नहीं, राजस्थान बड़ा है। गायों की अगर हत्या रोकनी है तो गायों के मामले में विशेष प्रशिक्षण होना चाहिये, विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

एक बात और कहूंगी, उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस कहीं पर नाक देख कर टीका भी निकालती है। काम अच्छा करती है लेकिन कभी-कभी पुलिस की जिसे यह कहना चाहिये अपनी आदत है। अभी महिला अपराध की बात चल रही थी। महिलाओं के साथ बलात्कार की बात होती है और इस साल तो छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। 7-8-9-10 वर्ष की बच्चियों की घटना, वह बहुत ज्यादा वेदनादायक है। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि किसी भी अपराध के लिये जनता अगर थाने में जाती है तो,

(श्रीमती तारा भण्डारी)

आपने थानों में लिखा है "सेवा मन्दिर", कम से कम इस सेवा मन्दिर को तब तक मत लिखो जब तक आपके लोगों में वास्तविक रूप से सेवा करने का भाव नहीं आ जाएं। पुलिस वालों को प्रशिक्षण तो देना ही है, उन्हें आप तैयार तो करते ही हैं लेकिन मैं चाहूंगी कि आप मोरली भी उनको रिपोर्ट दें, उनका मोरल भी ऊंचा हो, उनका नैतिक आचरण भी ऊंचा हो। जब तक उनका नैतिक आचरण सही नहीं होगा, थानों से सही जवाब नहीं मिलता है। आज कल लोग थाने में जाने से भी बहुत ज्यादा राजी नहीं होते। बहुत ही कोई बोल्ड हो तभी थाने में जाता है, नहीं तो कतराता है और पुलिस का तरीका है कि नाक देख कर टीका निकालते हैं। पिछले दिनों आज ही के दिन मेरी जीप मेरे दरवाजे से चोरी हुई थी। 3-4 महीनों में पुलिस ने उस जीप को ढूंढ निकाला, जीप वापस मेरे घर आयी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस जीप के सम्बन्ध में सारे अधिकारियों से मिली, मैंने डी. जी. साहब, डी. आई. जी. साहब, एस. पी. और हमारे गृह मंत्री, सबसे कहा कि जीप मेरी आयी उसकी मुझे कोई खुशी नहीं लेकिन मेरे दरवाजे से जीप उठा कर कौन ले गया और किसने यह हिमाकत की, कम से कम उन अपराधियों का पता तो चलना चाहिये। और मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं कि अगर मेरी जीप के अपराधियों का पता आप निकालेंगे तो जो हमारे पूरे इस देश में एक गैंग काम कर रही है उसका पता लगा लेंगे। इस प्रान्त से उस प्रान्त में माल भेजना, उस प्रान्त का माल दूसरे प्रान्त में भेजना। सबसे बड़ा मेरे को अभी बताया था एक गुजरात का स्टेशन है, मैं स्वयं देखकर भी आयी हूं, नाम भी है कानोदा, वहां पर आप देखेंगे कि जितनी जीप या वाहन चोरी होते हैं, तेजी से उनका हुलिया बदलने का काम होता है। यह जीप जिसने भी बरामद की, पुलिस अगर उनका सूत्र लगाए, अपराधियों का पता ढूंढकर निकाले तो निश्चित रूप से राजस्थान में जो सैकड़ों वाहन चोरी हुए हैं, सिरोही जिले में जो अनेक वाहन चोरी हुए हैं, उन सब दो हजार से ज्यादा वाहनों की गैंग का पता चलेगा और जब गैंग का पता चलेगा तो अपराध कम होंगे। वरना एक ट्रक पकड़ा है कल-परसों ही, ट्रक पकड़ लिया, ट्रक चालक भाग गया। ट्रक चालक को पुलिस भागने देती है, उपाध्यक्ष महोदय। इस प्रकार से ट्रक कोई अकेले ही तो नहीं चल रहा था, उसको चलाने वाले थे। ऐसी कई सारी बातें हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं और उनको विचार करके ठीक कर सकते हैं। किसी प्रकार की आलोचना किये बिना मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हम कुछ और सुझाव लाएं, कुछ और सुधार लाएं और हमारी कानून और व्यवस्था इतनी पुख्ता हो। विधान सभा में जो हमारे जन प्रतिनिधियों ने आचरण किया, वह भी कानून और व्यवस्था की दृष्टि से बड़ा खराब था। वे भी सबक लें, ऐसे आचरण नहीं करें।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी, उपाध्यक्ष महोदय, और वह बात यह है कि हमारे सिरोही के जिला प्रमुख श्री सूरमाराम मासिया की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई। वे दिल्ली बूटासिंह से मिलने गये थे और उनके साथ दो कांग्रेस मैन थे। हमारे जिला प्रमुख दिल्ली गये हुए थे और पूर्ण स्वस्थ थे तथा बड़ी उम्र के नहीं थे। वहीं पर उनकी बिलकुल अनजान कारणों से मौत हो गयी। दिल्ली से उनकी डैड बॉडी आयी, उसको जलाकर बात खतम कर दी। उन्हीं का उप जिला प्रमुख ठाठ से जिला प्रमुखी करता है। आज किसी को चिन्ता नहीं कि हमारे जिला प्रमुख असमय मारे गये, क्यों मारे गये, उनकी मृत्यु के क्या कारण रहे। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री श्रीमान् भैरोंसिंहजी शेखावत को भी, जब वे सिरोही आये तो मैंने और सिरोही जिले के सभी लोगों ने एक स्वर में कही थी कि हमारे जिला प्रमुख की मौत की जांच करायी जाए। परन्तु मुझे इस बात के लिए बहुत अफसोस है कि आज डेढ़-पौने दो वर्ष होने के बाद भी उनकी मौत का कोई सुराग नहीं मिला, जांच की कोई प्रक्रिया नहीं चलायी गयी। अगर जांच की कोई प्रक्रिया चल रही है, अगर कोई अनुसंधान चल रहा है, उसमें कोई प्रगतिशील बात है तो मैं हमारे गृह मंत्रीजी को धन्यवाद भी दूंगी और चाहूंगी कि वह जानकारी हमें भी उपलब्ध कराएं कि हमारी सरकार सभी के लिए बराबर सोचती है और सभी को न्याय देना चाहती है। अभी हमारे भगोरा जी कह रहे थे आदिवासी, सवाल आदिवासी का नहीं है, सवाल एक मौत का है। उनकी मौत की जरूर जांच होनी चाहिये, फिर आदिवासी होने से उनका हक तो ज्यादा बनता ही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां एस. सी., एस. टी. के मुकदमे भी बहुत लम्बित हैं। पुलिस तो पंजीकरण कर देती है, अनुसंधान भी कर देती है लेकिन अनुसंधान के बाद कोर्ट में कई-कई वर्षों तक चलने के कारण लोगों को न्याय नहीं मिलता। लोग नहीं समझते कि कोर्ट न्याय नहीं दे रही है, लोग तो पुलिस को ही दोषी बताएंगे। क्या हुआ? मुकदमा दर्ज हुआ था, हुआ तो कुछ नहीं। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहूंगी कि सिरोही जिला आदिवासी यानि एस. सी., एस. टी. बहुल जिला है और यहां पर सैकड़ों प्रकरण लम्बित हैं एस. सी., एस. टी. एट्रोसिटीज के, इसलिये सरकार हमारे यहां पर एस. सी., एस. टी. कोर्ट की भी स्थापना करें ताकि लोगों को न्यास मिले, राजस्थान खुशहाल बने। हमारे गृह मंत्रीजी को एक बार पुनः धन्यवाद देती हूं कि हम सबकी बातों को गंभीरता से लेते हुए अपने प्रशासन को और सुदृढ़ करे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था पर चर्चा हो रही है सदन में। व्यवस्था के लिए कानून

(120)

(श्री महावीर भगोरा)

है, या कानून के लिए व्यवस्था है? मैं यहीं से शुरूआत कर रहा हूं। हमारे देश में कई व्यवस्थाएं संवैधानिक तौर पर ठीक ही हैं लेकिन वर्तमान पुलिस व्यवस्था कानून व्यवस्था के नाम पर जो भी मुकदमे दर्ज करती है या अनुसंधान करती है उसमें बिलकुल दिशा ही बदल देती है। थानों में जो लोग पहले पहुंचते हैं और पहले हमेशा अपराधी पहुंचते हैं, यही परम्परा भी इन दिनों में चल रही है और फिर पुलिस अपनी तरफ से कहानी गढ़ती है। घटना एक तरफ रह जाती है और पुलिस की घटना अपनी शुरू हो जाती है। इस तरह से वह धाराओं का निर्धारण करती है और निर्धारण करके मामले की जो हकीकत है उसको ही बदल देती है। मेरा यह कहना है, मेरा यह आग्रह है माननीय गृह मंत्रीजी से कि तुरन्त जो प्रभावित लोग हैं उनसे मिलकर और आस-पास से सम्पर्क करके अगर धाराओं का निर्धारण हो तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

नम्बर दो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आज रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। जितने अपराध पुलिसकर्मी कर रहे हैं उतने अपराधी भी नहीं कर रहे हैं। थाने में जाने के पहले, मतलब पहले प्रवेश से ही अपराध शुरू हो जाते हैं पुलिस के।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से आपके आंकड़े गलत हैं।

श्री महावीर भगोरा : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं——

श्री उपाध्यक्ष : हां, करिये।

श्री महावीर भगोरा : मेरे यहां जो व्यवस्था है, मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। यह हकीकत बोल रहा हूं। हमारे ट्राइबल एरिये की क्या स्थिति है? अभी तीन दिन पहले गृह मंत्रीजी ने उदयपुर की घटना पढ़ ली होगी। पुलिस का सिपाही एक गैंग के सहित घर में घुसा। मकान मालिक के आ जाने के बाद हो-हल्ला हुआ जब उसको पकड़ा गया और उसका मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि प्रताप नगर थाने ने यह कहा कि उसके अलावा उसमें कोई नहीं था। तीन दिन की घटना बता रहा हूं ताजा। एक घटना और मैं बता रहा हूं। दइया चौकी पर जो हैड-कांस्टेबल है, मैंने हमारे एस. पी. साहब को यह बता दिया, क्या हो रहा है आपके यहां। स्वयं लकड़ी भर कर गुजरात में बेचने गया ट्रक में और वहां गुजरात में मुकदमा दर्ज हुआ। राजस्थान पुलिस तो देखने वाली है नहीं कि हमारे सिपाही और हैड कांस्टेबल के विरुद्ध क्या हो रहा है। वह एक चौकी का सिपाही रोज ट्रक दारू के निकाल रहा है। यही हाल कोटड़ा के हैं, मैं आपको बता रहा हूं। बार्डर क्षेत्र है हमारा, गुजरात सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां क्या स्थिति हो रही है? हैड-क्वार्टर के अधिकारियों को तो फुर्सत है ही नहीं कि कभी जाकर चौकियों की चैकिंग करे। हमारे एस. पी. साहब दफ्तर का काम अच्छा कर सकते हैं इसमें

(श्री महावीर भगोरा)

दो राय नहीं है। परन्तु कानून व्यवस्था कायम करने के लिए तो दौरे इस ट्राइबल क्षेत्र में बहुत करने चाहिये। 160-160 किलोमीटर तक बार्डर है हमारा, उस बार्डर तक कितनी बार ये अधिकारी गये? उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी थोड़ा-सा आंकड़े मंगवा लेंगे तो आपको पता होगा कि क्या स्थिति है? पुलिस द्वारा नाजायज गरीबों को तंग करने की वजह से, माण्डवा थाने की घटना माननीय गृह मंत्री जी को मालूम होगी कि वहां पुलिस ने किस तरह से अत्याचार किये हैं आदिवासियों पर। आदिवासी वहां का रिवेंजपुल है, शोषण कुछ सीमा तक सहन करता है उसके बाद नहीं करता है। इसका नतीजा यह हुआ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि थानेदार साहब की वर्दी उतार दी, रिवाल्वर छीन लिया। अच्छा हुआ कि मेरी जागृति से वहां मैंने फोर्स भेजी वरना थाना ही जला देते। इसके पहले अभी एक गरीब हमारा शिड्यूल्ड कास्ट का थानेदार उसमें फंस गया, मार खा गया, वर्दी उतर गयी। परन्तु इसके पहले जो थानेदार था उन्हीं घरों में जाकर शराब पीता था, उन्हीं बदमाशों के साथ उठता-बैठता था, उन्हीं बदमाशों से उसके अवैध सम्बन्ध थे, उन्हीं बदमाशों के घरों से लूट का माल लाकर अपने थाने में रखता था और इस सारी हकीकत की जानकारी में जिला पुलिस प्रशासन को निरन्तर देता रहा हूं। आज स्थिति क्या है, मैं बता रहा हूं। कभी एक थाने में लेटेस्ट घटना जो हुई है कल परसों कोटड़ा में, इसके पहले एक गुजरात का आदमी मरा हुआ हमारे क्षेत्र में लाकर डाल दिया। वहां के आदिवासी लोग चढ़ाई करके आते हैं और गांव के गांव बरबाद कर डालते हैं, परिवार के परिवार उजाड़ देते हैं, जब तक उसका वे बदला नहीं लेते हैं। वह धमकी भर के पूरा गांव आ गया। हमारा थानेदार वहां बिचौलियापन करने पहुंच गया, पैसा हड़प लिया और जिन्दा आदमी को मृत बताकर लाश सौंप दी। कम से कम पड़ौसी थाना जिस क्षेत्र का वह आदमी था, उसको चलकर पूछते, उससे तो रूबरू करते नहीं कराया और आदमी जिन्दा है आज की तारीख में। उसको एस. पी. के सामने पेश किया कि यह जिन्दा है, इसको मृत बताकर पुलिस आपकी बिचौलियापन करके पैसा खा रही है। दुबारा उस गांव के लोग हमला करने आ गये, जिस गांव का वह आदमी मरा था। आज पुलिस क्या काम कर रही है? कानून से काम कर रही है या बिचौलिये का काम कर रही है? मुझे यह कहते हुए इसलिये दुःख हो रहा है कि सीमावर्ती क्षेत्र में, हमारे आदिवासी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं पुलिस द्वारा की जा रही है। आदिवासी क्षेत्र पूरा शांत क्षेत्र रहा है, परन्तु मुझे अफसोस है। राज्य का कानून कायदा और क्या है, मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। आज जितनी भर्ती होती है स्टेट लेवल पर उदयपुर में होने लग गयी। बाहर का आदमी आने लग गया वहां और वह आकर इस तरह की प्रवृत्ति वहां कर रहा है। आज कौनसा थाना और कौनसा सिपाही ऐसा है जो, गृह

(श्री महावीर भगोरा)

मंत्रीजी आप कह सकते हैं कि वह शराब नहीं पीता है? या शाम के टाइम शराब पीकर गरीबों को तंग नहीं करता है? एक आध कोई उदाहरण आपके पास मिल सकता है, सबके लिये मैं नहीं कह सकता। ये दुर्गतियां क्यों हो रही हैं? किस तरह का प्रशिक्षण हम दे रहे हैं? आज जो सागवाड़ा में डकैती कांड हुआ है, कहां से आये गैंग? वे किस तरह से हरकत करके गये? घटना आपको मालूम हो तो 6 बजे शाम को, थाना और उस बाजार के बीच में दो फर्लांग का फर्क है। कट्टा लेकर आये, बंदूक छोड़ी है। लोगों को कहते हुए कि हम चोर हैं, लूट कर गये हैं। आप यहां क्या कर रहे हो? गांव में चोरी हो गयी, क्या व्यवस्था है? उदयपुर में 7 लाख की व्यापारी की घटना हुई। मुझे लेटेस्ट खबर मिली है कि उनमें से 2-3 पकड़ लिये गये। चलो परन्तु ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं और कोई दिन ऐसा बाकी नहीं है जिस दिन अपराध कार्य के लिये अखबारों में समाचार नहीं छपते हों।

उदयपुर में गैंगवार हो गयी है दारू की। वहां दाउद इब्राहिम जैसे लोग वारदात करके अहमदाबाद में शरण ले रहे हैं, सबको पता है। पर मुस्तैदी कौन दिखाये, सवाल इस बात का है। इसके लिये माननीय गृह मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि पुलिस को चुस्त और दुरुस्त बनाएं। मैं आज नहीं मानता, हमारे पुलिस का आदमी भर्ती होने पर तो गरीब हो सकता है लेकिन भर्ती होने के बाद पांच साल बाद उसकी आमदनी का जायजा करवा लिया जाए कि कितनी आमदनी उसने कमाई है, कहां से कमाई है। कभी-कभी तो इसका मूल्यांकन होना चाहिये। क्या कर रहा है एक सिपाही? क्या कर रहा है एक ए. एस. आई.? क्या कर रहा है एक थानेदार? कहां से उसकी संपत्ति आ गयी? हम मांग बहुत करते हैं इनके लिये कि यह सुविधा होनी चाहिये। हो सकता है सुविधा उनके अभाव के लिये हो रही है। उनसे कई गुणा और कहीं अधिक संख्या में लोग गरीबी की हालत में ईमानदारी से जीवन-यापन कर रहे हैं, इनको तो डंडा दिया हुआ है राज्य की तरफ से। उस डंडे का मेहरबानी करके दुरुपयोग नहीं करें। कम से कम गरीबों की रक्षा के लिये उस डंडे का प्रयोग करें, मेरा यह आग्रह है। विशेष रूप से ट्राइबल एरिये की बात कर रहा हूं। सीमावर्ती जिले हैं मध्यप्रदेश स्टेट के, गुजरात स्टेट के वहां निश्चित रूप से भौगोलिक परिस्थितियां आदिवासी क्षेत्रों की अलग हैं। वहां सड़के नहीं हैं। पहाड़ी क्षेत्र हैं। कोई भी अपराधी इंटरस्टेट का आकर यहां वारदात करके चला जाता है। थाने में सिपाही कितने हैं, किस तरह के सिपाही हैं, इसके लिये मैं नहीं कहना चाहता हूं। अब बिना साधनों के वे किस तरह से अपराधियों को पकड़ेंगे? आज स्थिति यह नहीं है। आज स्थिति यह है कि थाने में बैठकर, इसलिये यह बात बार-बार कह रहा हूं कि थानेदार, सिपाही सब मिलकर अपराधी के साथ दारू पी रहे

(श्री महावीर भगोरा)

हैं। ऐसी सैकड़ों घटनाएं और सूचनाएं निरन्तर, माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपके जिला प्रशासन को देता रहता हूं। इसका कारण है कि मुझे आपकी कृपा से हर कौने की सूचना दो या तीन घण्टे में मिल जाती है कि कहां क्या हो रहा है, दुर्घटनाओं में क्या हो रहा है, किसकी वजह से ओवरलोडिंग हो रही है। कानून तो बना दिया है आपने पर क्या परिवहन विभाग और आपका कोई तालमेल है? सामूहिक चैकिंग दल बना दिये इन्होंने। कमेटी क्या करती है? ट्रैफिक का इंसपेक्टर कहां नौकरी लगायी और हाइ-वे पर क्या करता है? हाइ-वे ट्रैफिक में क्या हमारे पास नार्म्स के हिसाब से सब लोग पर्याप्त हैं? मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं परन्तु हकीकत को हमें पहचानना पड़ेगा। हकीकत को हम नहीं पहचानेंगे तो निश्चित रूप से हमारे शासन की जो छवि है वह आप जनता में बहुत ही खराब है। मेरी आपसे विनंती है कि ओरिएंटेशन की जो बात हो रही है, ओरिएंटेशन की बात आप निश्चित रूप से निरन्तर जारी रखें। अच्छे लोगों को आप पुरस्कृत करते हैं इसमें दोराय नहीं है। परन्तु अगर अच्छे लोग हों तो करो और बुरे लोग हों तो निश्चित रूप से उनको सजा मिलनी चाहिए।

मैं उदयपुर के लिये विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर संभागीय मुख्यालय है, वहां आये दिन वी. आई. पीज. का आना-जाना होता रहता है। विदेशी भी आते हैं, देशी भी आते हैं। और वहां पुलिस की संख्या तो इतनी ही है। हमारे हाथीपोल थाने के सी. आई. साहब तो एक्सीडेंट केसेज में हास्पिटल में ही रहते हैं। उस थाने की वारदातों को तो कोई संभालने वाला ही नहीं है। सैकण्ड अफसर हैं उनकी ड्यूटी वी. आई. पीज. में लग जाती है। तो वी. आई. पीज. के लिये उदयपुर में अलग से कोई थाना गठित कर दें, ऐसी कोई व्यवस्था करें, माननीय गृह मंत्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह है। मैं ज्यादा इस बारे में नहीं कहना चाहता हूं, परन्तु जो भी व्यवस्थाएं आप वर्तमान में करें, उदयपुर संभाग जो आदिवासी संभाग है वहां संवेदनशील अधिकारी रहें, यह हमारा आग्रह है। स्थानीय लेवल के जितने अधिकारी हमारे हैं उन सबको पुलिस लाइन में लगा रखा है। जो स्थानीय परिस्थितियों और तकनीकों को समझते हैं उनको पुलिस लाइन में लगा रखा है और बाहर के जितने अधिकारी हैं वे सारे अधिकारी पुलिस थानों में डंडे बजा रहे हैं। अच्छा काम करके डंडे बजाएं तो हमें कोई दर्द नहीं है। हमारा तो दर्द है कि, माननीय गृह मंत्रीजी कि क्योंकि आपने उदयपुर छोड़ा है, अब हमारे उदयपुर की तरफ देख नहीं रहे हो। आप उदयपुर के वासी हो, मेहरबानी करके आप अपने गृह जिले का और गृह संभाग को भी देखें, यह मेरी विनती है। आग्रह है मेरा कि आप इस व्यवस्था को सुधारने के लिये अपने स्तर से और अधिक प्रयास करें,

(श्री महावीर भगोरा)

ताकि हमारे जो शासन की छवि है वह जनता में अच्छी हो। इसी बात को कहते हुए मुझे जो समय दिया इसके लिये उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज का विषय बहुत ही गम्भीर है और सुरक्षा जरूरी है। सबसे पहले मैं मुख्य मंत्रीजी को हृदय से धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने पिछले बजट में 10 परसेन्ट पुलिस विभाग में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है। साथ में मैं राजस्थान में और प्रान्तों से अपराध कम होने के लिये भी गृह मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाह रही हूं कि हमारे यहां अलवर जिला एक बहुत बड़ा फैक्ट्री एरिया है, भिवाड़ी है, अलवर है, राजगढ़ है, बहरोड है, खैरथल है, नीमराना है, शाहजहांपुर है। अलवर में करीब 7-8 एरिया में तो बहुत ही अच्छे और बड़े रूप में काम चल रहा है। मैं इसको छोटे रूप में यह कहना चाहूंगी कि वहां ऐसी गैंग बनी हुई है कि ट्रक लेकर आते हैं, दुकान के ताले तोड़ते हैं और ट्रक भर कर सामान ले जाते हैं। फैक्ट्री के ताले तोड़ते हैं और चौकीदार को बन्द करके उनका सामान ले जाते हैं। इसके अलावा पैट्रोल पम्प को चाहे राहत के 8 बजे हों, लूट कर ले जाते हैं। तो व्यापारियों में एक भय भरा हुआ है। यह 4-5 तारीख की घटना, दो दिन तक रेगूलर यह घटना हुई है। उस फैक्ट्री में काफी दिन पहले तो वे तार चोरी हुए, उसके बाद पैट्रोल पम्प में हो गया। यह मैं आपके माध्यम से इनको दुबारा से याद दिलाना चाहती हूं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूं कि अलवर में दिसम्बर के महीने में खेड़ली-अलवर जिले का गांव है उस गांव में डाका जब पड़ा तो पुलिस प्रशासन को बुलाने गये, पुलिस प्रशासन नहीं आया। संघर्ष में एक चौकीदार की मौत हुई, एक महिला पार्षद की मौत हुई। उसके बच्चे रोते गये और पुलिस प्रशासन देखता रहा। वार्षिक रिपोर्ट में इन्होंने लिखा है कि उनका माल बरामद हो गया और अपराधी गिरफ्तार हो गये। मैं यह कहना चाहती हूं कि उनकी लाश के ऊपर उन्होंने माल बरामद किया, उनकी लाख के बाद गिरफ्तार किया। हमारे लिए यह घटना बड़ी शर्मनाक है कि एक महिला पार्षद ने इस तरह से जान संघर्ष में गंवायी है और उसके बच्चे रोते-बिलखते रह गये।

पुलिस यह कहती है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, हमारे पास हथियार की कमी है और जनसंख्या ज्यादा है। मैं यह कहना चाहूंगी कि क्या हमारे यहां सुविधाएं नहीं बढ़ीं? मैं तो यह समझती हूं कि हमारी सरकार में कोई पैसे की कमी नहीं है और सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। ठीक है कोई चीज किसी थाने में न हो।

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

मगर अलवर राष्ट्रीय राजधानी में है, अलवर जिले में कोई कमी नहीं होगी मैं यह मानकर चलती हूं। अगर थोड़ी बहुत कमी___

श्री उपाध्यक्ष : अलवर शहर में कमी नहीं है।

श्रीमती मीना अग्रवाल : अलवर शहर ले लीजिये। मैं तो पूरा जिला लेकर चल रही हूं, साहब। आपका भी एरिया है, मैं ही बोल रही हूं। आपके एरिया में पिछली बार पैट्रोल पम्प पर लूट हुई है इसलिए आपका एरिया भी लेकर बोल रही हूं। क्या आपके बदले में मैं बोल लूं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : जब लूट हो रही है तो कमी कहां है।

श्रीमती मीना अग्रवाल : हमारे यहां तो क्राइम बढ़ रहा है यह मैं भी मानती हूं कि बेरोजगारी के कारण से क्राइम बढ़ रहा है। खानें बन्द हैं, फैक्ट्रीज बन्द हैं अलवर की काफी और ठेला-पटरी वालों को भी अतिक्रमण के नाम से हटा दिया जाता है चाहे शुल्क नगर परिषद में मार्च तक का जमा हो। तो यह बेरोजगारी का भी कारण हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं। घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ, दिन दहाड़े जंजीर खींची जा रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ दहेजवृत्ति भी हो रही है, अपहरण हो रहा है। यह रोज अखबारों में आ रहा है। रोज आपसे भी मिलते होंगे, मुझ से भी मिलते हैं। क्योंकि आप पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं हमारे जिले के और आप राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष भी हैं। इतना कुछ बढ़ रहा है और इनकी वार्षिक रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि महिलाओं के बारे में हम अनुसंधान नहीं कर पाते। इन्होंने लिखा है कि महिला अत्याचार के प्रकरण के अनुसंधान में विशेष परेशानी आ जाती है। मैं यह बात इनकी मानती हूं। बराबर मैं यह गृह मंत्रीजी से कह रही हूं कि वहां महिला पुलिस थाना खोला जाए, वहां पुलिस चौकियां खोली जाएं। दुर्घटनाएं होती हैं पर हमारे गृह मंत्रीजी के अभी जूं नहीं रेंगी है। हमारे बालों की जूं देंगे इनको। मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस दिन प्रशासन चाहेगा उस दिन वहां पुलिस चौकी अस्पताल के अन्दर खुल जाएगी। अभी डॉक्टरों में और मरीजों में मार-पिटाई हुई है और उन्होंने भी मांग की है पुलिस चौकी की मैंने भी मांग की है कि दुर्घटना की रिपोर्ट लिखवाने में देरी होती है तो अस्पताल के अन्दर ही चौकी हो। लेकिन पुलिस प्रशासन जिस दिन चाहेगा उस दिन खुलेगी।

मैं एक क्राइम और बताना चाहूंगी कि महिला के साथ शोषण होते होते बच्चों के साथ भी शोषण हो रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनका अपहरण हो रहा है, वे घर वापस नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा अपराधी अगर पकड़ में नहीं आएं

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

तो छोटे बच्चों को पकड़ कर जेल में बन्द कर दिये जाता है चाहे उसकी परीक्षा का समय हो। बच्चा बिलखता रहता है कि भई मेरा क्या कसूर है। वे 12-15 साल से भी छोटी उम्र के होते हैं और कहते हैं कि साहब, मेरा क्या कसूर है। पुलिस प्रशासन क्या कहता है? इनको पकड़ेंगे तो अपराधी पकड़ में आएंगे, वे यह बहाना लगाते हैं। मैं आपसे यह कहती हूं कि क्राइम पर इनकी कोई निगाह नहीं लगती क्योंकि एस. पी. और जिलाधीश उद्‌घाटनों में लगे रहते हैं। आज इसका उद्‌घाटन कर रहे हैं, आज उसका उद्‌घाटन कर रहे हैं। रोज ही कार्ड छप रहे हैं तो वे क्राइम की चिन्ता क्या करेंगे, साहब। तो क्राम बढ़ रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी में, दिल्ली और आगरा और जयपुर के पास में। मैं आपके जरिये मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि वे इस चीज को ज्यादा से ज्यादा सख्ती से करें और पुलिस प्रशासन में कोई सुविधा नहीं हो तो उनको सुविधा भी दी जाए।

मैं पुलिस विभाग की एक बात और कहना कहती हूं कि अभी कुछ दिन पहले नगर परिषद चुंगी ठेका चालू करने के लिए तैयार थी तब व्यापारी और जनप्रतिनिधियों ने मिल कर प्रदर्शन किया कि चुंगी ठेका नहीं होना चाहिये। उस पर पुलिस प्रशासन ने जन प्रतिनिधियों के ऊपर और व्यापारियों के ऊपर लाठी चार्ज किया। इसके अलावा जन प्रतिनिधियों के सामने पुलिस प्रशासन सिगरेट पीता है। आप यह देखिये, हमारे राज में यह हो रहा है। मैं मंत्रीजी से बोल चुकी हूं। कई बार अलवर की व्यवस्था के बारे में बताती मैं थक गयी पर मंत्रीजी नहीं थके।

आखिर में एक बात और कहना चाहती हूं कि अपने यहां अतिक्रमण के बारे में चल रहा था कि अतिक्रमण हो रहे हैं। अगर गलत है तो इसको हटाना चाहिये। मगर जिस अतिक्रमण की रिपोर्ट लिखवायी गयी कि सरकारी नाले पर दुकानें बना दी गयीं, उस रिपोर्ट को दबा कर रख देते हैं, कोई चोरी की रिपोर्ट है तो उसको लिखते ही नहीं है। रिपोर्ट लिखवाने पर साल-साल लग जाता है और उस रिपोर्ट का क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है। इस तरह से मैं अब छोटे रूप में करके मांग रखना चाहती हूं और अपने सुझाव देना चाहती हूं।

गृह मंत्रीजी से मैं उम्मीद भी और आशा भी करती हूं कि हमारे अलवर में करीब 15 महिला कांस्टेबल हैं, उनको 14 साल हो गये सेवा करते-करते और उनको अभी तक कोई प्रमोशन नहीं मिला है, तो यह एक भेदभाव नहीं करें महिलाओं के साथ और इनको प्रमोशन दिया जाए। दूसरा, साथ में उनके शौचालय और बैठने की व्यवस्था भी करें। अपराधी के साथ अकेली पुलिस महिला नहीं बैठे, दो महिलाएं एक साथ बैठें। महिला कुछ भी हो, कमजोर है, चाहे हम बराबर का

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

अधिकार मांग रहे हैं मगर हम कमजोर हैं। पुरुष बच्चे पैदा नहीं कर सकता, बच्चे तो पैदा महिला ही करेगी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए, बराबर अधिकार की बात नहीं कह कर कमजोर महिला को देखते हुए हमारे को हक दिया जाए। मैं मंत्रीजी से एक निवेदन और करूंगी कि हमारे यहां मैगजीन, टी.वी. सीरियल पर अश्लीलता दिखायी जाती है। अश्लीलता दिखाने से हमारे समाज में दोष पैदा होता है। ऐसे सीरियल दिखाये जाते हैं जैसे जुनून, स्वाभिमान है। परिवार को बिगाड़ने वाली बातें दिखायी जाती हैं। जैसे हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में वहां की सरकार ने बन्द किया कि केवल दिखाना बन्द करें, मैं यह उम्मीद करती हूं, मंत्रीजी आश्वासन देंगे कि हमारे यहां राजस्थान में भी केवल बन्द किया जाए। मंत्रीजी से यह भी कहूंगी कि हमारे यहां पुलिस थाने में निर्माण नहीं है या उनकी बिल्डिंग टूटी हुई है तो उनकी मरम्मत भी कराएं और निर्माण अलवर जिले में कराये जिससे वे झुग्गी झौपड़ी में रहते हैं वह नहीं हो। आखिर में मैं गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं जो इन्होंने 22 जिलों में महिलाओं के प्रकोष्ठ का गठन किया। उसके बारे में हमें डिटेल जरूर दें। हमारा क्या सहयोग चाहिये और हमें किस का सहयोग लेना चाहिये, इस बारे में हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल जीनगर।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश में लूटपाट, चोरी, डकैती, आतंकवादी गतिविधियां, साम्प्रदायिक दंगे जो कांग्रेस के राज में होते थे वे आज नहीं हैं। जब से हमारे गृह मंत्रीजी कैलाशजी मेघवाल ने यह भार सम्भाला है तब से कानून और व्यवस्था की अच्छी स्थिति बनी है। इसके लिए मैं राज्य के मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन साथ ही मैं मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में इस मौके पर जरूर कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

मेरे क्षेत्र के राशमी थाने की स्थिति के बारे में बताना चाह रहा हूं। स्थिति इस प्रकार है, थानेदार बीमार, सैकण्ड थानेदार का पता नहीं, ए. एस. आई. बिलकुल दुर्बल-निर्बल, सिपाही पूरे नहीं, थाने के अंदर जीप खटारा, धक्का देने पर चलती है, वायरलैस सैट नहीं। राशमी एरिये के अंदर अफीम की खेती अधिक होती है, अफीम की तस्करी भी बहुत अधिक हो रही है लेकिन हमारे एस. पी. साहब ने न जाने किस कारण से इस थाने को पंगु बना रखा है, या वे चाहते हैं कि इस एरिये में जितनी भी अफीम की तस्करी हो, होनी चाहिए। सड़क के किनारे जितने भी होटल हैं उनमें अफीम बिकती है लेकिन उनकी धर-पकड़ नहीं है। इससे पहले जो एस. पी. साहब काम कर रहे थे उन्होंने इन सभी होटलों पर बिकने वाली अफीम पर अंकुश लगाया, काफी मुकदमे बने। मेरे एरिये में काफी अफीम रातों रात तस्करी के लिए जा रही है लेकिन उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। अंकुश हो तो भी कैसे हो सकता है? जब साधन-सुविधाएं थानों के

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

अंदर नहीं होंगी, स्टाफ पूरा नहीं होगा तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली ही है। जांच के अंदर देर होती है और देर होने का कारण भी यही है कि स्टाफ नहीं है। थानेदारजी को एफ. आई. आर. दर्ज कराने जाते हैं तो कहते है कि मेरी तो तबियत ठीक नहीं है, कल किसी सिपाही को भेजूंगा, परसों किसी को भेजूंगा।

इसका एक उदाहरण दे देता हूं आपने सामने। ग्राम पंचायत पवना के एक सरपंच ने एक व्यक्ति के खेत के अंदर नाला खुदवा दिया। अकाल राहत का काम चल रहा था, नाला खुदवाया। व्यक्ति ने कहा कि आप नाला मत खुदवाइये, यह मेरी निजी जमीन है। सरपंच ने सुनाई नहीं की, नाला खुद गया। व्यक्ति ने एफ. आई. आर. दर्ज करायी। आज अकाल राहत कार्यों को बंद हुए 6-7 महीने हो गये लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। न होने का यही कारण है कि वहां पर स्टाफ की कमी है या यह कि वे नहीं चाहते कि इस प्रकार की वहां कार्यवाही हो।

कुछ उदाहरण और प्रस्तुत करना चाहूंगा। 6-7 महीने पहले 5 वर्ष के बालक को कुएं में डाल दिया गया। 5 रोज बाद उसकी लाश बरामद हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टमार्टम हुआ। उन्हें कहा, 302 में मुकदमा दर्ज करो लेकिन दर्ज नहीं किया। 4 महीने बाद फिर धारा 302 में मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम खुले आम घूम रहे हैं। गाडरी परिवार का पांच वर्ष का इकलौता सपूत, उसे मार दिया गया, मुलजिम घूम रहे हैं लेकिन उनको आज तक पकड़ा नहीं गया है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के हत्यारों को अविलम्ब सजा दिलायी जाए।

मेरे क्षेत्र में दो प्रकार की जातियों का आंतक अधिक है, कालबेलिये और कंजर। काली चट्टान के कालबेलिये फेमस है। आज से दो ढाई वर्ष पूर्व एक वकील का हाइ-वे पर खून कर दिया रात्रि में, उन्हें आज तक नहीं पकड़ा गया। कंजर जाति के लोग कंजर कॉलोनी के अंदर रहते हैं, पूरे ग्रुप के अंदर रहते हैं। रात में चोरी के लिए निकलते हैं, पुलिस की पूरी व्यवस्था न होने के कारण अधिकांश मात्रा में मेरे एरिये में चोरी होती है। कंजर मर्डर भी कर देते हैं। अतः मैं सरकार से चाहूंगा कि इन चोरी करने वाली जातियों की या तो पकड़ करे या इनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करें ताकि इनको पूरे वर्षभर काम मिलता रहे और वे चोरियां न करें।

पुलिस किस तरह से काम कर रही है, गंगरार तहसील के एक बाबू की व्यथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस बाबू ने चित्तौड़ में अपना भवन बना रखा है, उसमें 5-6 कमरे हैं। 5 कमरों को एक किरायेदार को किराये पर दे रखा है। 7-8 वर्ष से किरायेदार खाली नहीं कर रहा है, एक कमरा उसने अपने निजी कार्यों के लिए रख रखा है। 10 दिन पूर्व वह उसमें रहने के लिए जाता है तो किरायेदार उसको पीटता है, लहू-लुहान करता है। बाबू दौड़ा-दौड़ा एस. डी. ओ. के पास जाता है। एस. डी. ओ. ने फोन किया थानेदार को।

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

थानेदार ने एफ. आई. आर. दर्ज की लेकिन होता क्या है? मारपीट करने वाले तो छूट गये और जिसका मकान था उसका चालान किया दूसरे दिन। उस किरायेदार को इतनी छूट दी गयी कि उसने अग्रिम जमानत करवा ली। ऐसी व्यथा एस. पी. साहब ने उस बाबू से सुनी लेकिन कोई कारगर कदम नहीं उठाया। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन पर ध्यान दिलाया जाए।

अंत में, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए माननीय गृह मंत्रीजी ने दो वर्ष पूर्व इस सदन में आश्वासन दिया था कि बस्ती के अंदर थाना खोला जाएगा लेकिन मैं समझता हूं कि दो वर्ष पूरे होने को आये लेकिन आज तक थाना नहीं खुला है। इन कंजर और कालबेलियों को पकड़ने के लिए या पुलिस व्यवस्था बढ़ाने के लिए मातृकुंडिया में एक चौकी प्रस्तावित है। गृह मंत्रीजी ने सदन में कहा है कि दोनों स्थानों पर बस्ती में थाना और मातृकुंडिया के अंदर पुलिस चौकी कायम की जाएगी ताकि कंजरों और कालबेलियों का आतंक कम हो, ऐसी व्यवस्था मैं चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि ये दोनों थाने और चौकी स्वीकृत कर दें और पुलिस विभाग में गाड़ी, वायरलैस, स्टाफ की कमी को दूर करते हुए हमारे क्षेत्र को सुरक्षित रखें। इन्हीं शब्दों के साथ समय दिया, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत (अनुपस्थित) श्री वी.पी. सिंह।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सभी सदस्य साथियों ने जो साधुवाद और स्वागत किया है गृह मंत्रीजी का और मुख्य मंत्रीजी का, मैं भी साधुवाद देना चाहता हूं कि लॉ एण्ड आर्डर...

श्री उपाध्यक्ष : साधुवाद और धन्यवाद देने की परम्परा बाद में होनी चाहिए, आप पहले ही शुरू कर रहे हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं पहले दे दूं, फिर मेरे सुझाव आएंगे, आगे सुझाव आते जाएंगे। फिर ऊपर से नीचे लाना पड़ेगा। साधुवाद देना चाहता हूं, पर यह सही है कि ये साधुवाद लेकर यह न समझें...(व्यवधान)...आप यह न सोचें कि बिहार के अंदर लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है, यूपी. में बहुत खराब है और राजस्थान में बहुत अच्छी है तो कम्पलेसेंसी आ जाए कि बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है, एक रोजी पिक्चर हम सामने लाएं कि राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन जैसी है। ऐसी बात नहीं है। कम्पलेसेंसी न आएं और उसके साथ-साथ सिनिक भी न बनें। सिनिक इसलिए न बनें कि आप क्या कर रहे हैं, मैं जो कुछ कर रहा हूं उससे ज्यादा नहीं कर सकता, यही कर सकता हूं, तो कम्पलेसेंसी भी नहीं आनी चाहिए और सिनिक भी न हों, मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं। आप भाग्यशाली हैं। यह आपको एक मौका

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

मिला है, पुलिस डिपार्टमेंट में आप बहुत कुछ कर सकते हैं।

आप एक ही मुद्दा ले लें करप्शन का, सब जनों ने कहा है। मैं यह नहीं कहता कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर_(व्यवधान)_ आप एक ही मुद्दा ले लेकर करप्शन का। ऐसा तो है नहीं कि खाली पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन है लेकिन यह भी नहीं सोचें कि दूसरे विभागों में है तो पुलिस विभाग में भी है। आप एक ही मुद्दा ले लें करप्शन का, आपने अगर पहल की और कुछ कर बताया तो बहुत कुछ आप राजस्थान के लिए कर पाएंगे। मैं आपको बताऊं, मैंने एक किताब पढ़ी है, वह रिसर्च स्टूडेंट ने लिखी थी अमेरिका में करप्शन के ऊपर। एक पुलिस का कर्मचारी था, उसने वह किताब लिखी। उसने कहा कि मैं अपने नाम से प्रकाशित नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि पुलिस के लोग कहेंगे कि इसमें ये बातें क्यों लिखीं। अमेरिका में ऐसी वड़ी बात हुई कि सब उस किताब की बात करने लग गए। हुआ क्या? उसके बाद में एक सोच शुरू हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सब जगह पुलिस के खुफिया छोड़े गए और उनसे ही इन्फार्मेशन ली गई कि किसने, कहां और कब पैसे लिए। आप लोग क्या करते हैं? जब यह बात सामने आती है कि पुलिस ने किसी केस में हजार-दो हजार रुपया ले लिया तो उसको लाइन हाजिर कर दिया, यह पनिशमेंट दे दिया। वह थोड़े दिन तक लाइन में रहा, निकला और फिर वही का वही। इस पर आप विचार करें और कोई ऐसी बात रखें कि किसने बताया, किसने चोरी की। जिसने अच्छा काम किया, जो करप्ट नहीं है उसको आप इंसेंटिव दें या प्रमोशन दें या और कोई अच्छी बात सामने लाएं।

अभी जो बात सामने रखी वह सही है कि आई. पी. एस. के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, ये बड़े ऑनेस्ट हैं, उनका आप सही तरीके से लाभ ले सकते हैं। पुलिस थानों के अंदर या डिपाटमेंट के अंदर वे पुलिस वाले भी क्या करें ? वे कहते हैं कि उन्हें भी पैसा देना पड़ता है, वहां भी देना पड़ता है। कहां देना पड़ता है उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। यह सही है कि पैसा तो देना पडता है। जहां उसकी पोस्टिग हुई है, जिसने पोस्टिग कराई है उसको भी देना पड़ता है। इसलिए आप कुछ ऐसी बात रखें, ऐसा कुछ करें कि करप्शन कम हो।

एक बात और है। जो क्राइम रिसर्च की बात आई है उसमें एक बात आई है कि क्राइम क्यों होता है। उन्होंने देखा है कि मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग "गेटोज", जो मेनहटन, न्यूयार्क में है, उसमें सबसे ज्यादा क्राइम है। वहां पर इतना क्राइम है कि उसके मुकाबले राजस्थान में कुछ भी नहीं है। उन्होंने रिसर्च करके देखा है। यह स्थिति हमारे यहां नहीं आई है, लेकिन आप विचार करें।

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

यह आपके डिपार्टमेंट का तो नहीं है, लेकिन मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो बड़ी-बड़ी कालोनियां बंन रही हैं, जैसे-मानसरोवर है, वहां के जो यूथ हैं, वहां के जो लड़के हैं उनके लिए एक क्लब हो, उनके लिए वहां पर मार्केट हो, योगा का एक कम्युनिटी सेंटर हो। ऐसी चीजें होनी चाहिए, इससे उनका मन उधर लग जाता है। जैसा सिरोही से आने वाली माननीया सदस्या कह रही थीं कि टी. वी., स्टार टी. वी. से बच्चे करप्शन सीख रहे हैं। उनमें जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए कि सही तरह से यूटिलाइज हो, वे क्राइम में न जाए, आपके सामने ये सुझाव मैं रख रहा हूं।

मैं एक बात और रखना चाहता हूं। अभी भर्ती की बात की गई और कहा गया कि पुलिस विभाग के अंदर भर्ती अच्छी हुई, करप्शन कम था। मेरा उसमें एक सुझाव है। आज हरियाणा और दूसरे आसपास के क्षेत्रों से जो लड़के आ रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। हमारे राजस्थान के जो लड़के है वे उनके कारण से पुलिस में नहीं जा सकते हैं। इसलिए इनको भी रोकने का मेरा सुझाव आप मानें।

मैंने गत बार भी एक बात सामने रखी थी कि जयपुर के अंदर पुलिस कमिश्नर का पद और होना चाहिए। यह बात पहले भी उठी है और कई बार उठी है, लेकिन यहां कि जो आई. ए. एस. लॉबी है वह नहीं होने देती। आप जानते हैं कि आज जो आई. पी. एस. अधिकारी हैं उनमें जो अच्छे अधिकारी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर वे चाहते तो आई. ए. एस. को यह पद सौंप देते। जो नया वेतन आयोग आया है उसने भी आई. पी. एस. की उपेक्षा की। आई. ए. एस. को तो बहुत सारे स्कोप्स दे दिए और इनको नहीं दिए। इसलिए आप यह भी करने की चेष्टा करें।

मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं। काफी सदस्यों ने यह बात भी उठाई कि राजस्थान में आई. एस. आई. सक्रिय हो रही है, उसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं। मैंने सुना है कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, आई. जी. डिपार्टमेंट से एक चिट्ठी आई है कि कुछ अधिकारियों का भी आई. एस. आई. से कुछ लेना-देना है। अगर ऐसी बात आई है तो क्या आप हमें उनके नाम बताएंगे कि कौन-कौन ऐसी अधिकारी हैं ? क्या मधुकर टण्डन भी उनमें से हैं या कोई दूसरे भी हैं ?

आखिर में, भंवरसिंह जी डांगावास ने जो बात रखी कि पुलिसकर्मियों के बच्चों व बालिकाओं के लिए एक स्कूल खोलें, उसका मैं समर्थन करता हूं। यह बहुत अच्छा सुझाव सामने रखा है। मैं इतनी ही बात कहकर आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भवानी जोशी।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस एवं कानून व

(श्री भवानी जोशी)

व्यवस्था पर हो रही इस चर्चा पर मैं अपने आपको सम्मिलित करता हुआ सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी एवं गृह मंत्रीजी को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि माननीय भैरोंसिंह जी के शासन में अभी तक कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। हमारे यहां कानून व व्यवस्था की स्थिति अन्य प्रदेशों की तुलना में बढ़िया है। हमारे जिले में भी जो अधिकारी लगे हैं वे नेक हैं, ईमानदार हैं। लेकिन पुलिस के बजट के अभाव में कई प्रकार की चोरियां या घटनाएं घटती हैं। जब हम अधिकारियों से कहते हैं तो वे यह कहते हैं कि आप सब एम. एल. ए. मिलकर कम से कम पुलिस का स्टाफ तो बढ़ाओ। हमारे जिले में कई थाने ऐसे हैं जिन्हें अपग्रेड करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है।

उदयपुर संभाग में कुछ गिरोह इसी तरह के सक्रिय हैं। मैंने देखा है कि तीन टाइप के गिरोह काम करते हैं। एक गिरोह मूर्ति चोरी करने का काम करता है, लेकिन वह दूसरी चोरी नहीं करता। दूसरा गिरोह ऐसा है जो मेला लगाकर लूटने का काम करता है, लेकिन वह वाहन चोरी का काम नहीं करता। वाहन चोरी का जो काम करता है वह मूर्ति चोरी का काम नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आपस में कोआपरेशन है।

(16.00)

श्री भवानी जोशी : मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन है कि इसको एक अभियान के रूप में लें। पिछले दिनों उदयपुर संभाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर में एक तरह की ही घटनाएं घटी। कुछ लोग मेला लगा लेते हैं, मेला लगाने के बाद वे अपनी कमीज या शर्ट साफ करने के लिए जाते हैं तथा हाथ से अटैची लेकर भाग जाते हैं। कहीं जेवर की दुकान है उसमें चोरी होती है तो इसी तरह से मेला लगाकर ही घटना घटती है। पिछले समय हमारे बांसवाड़ा क्षेत्र में मूर्ति की चोरी हुई, डूंगरपुर में दूसरे दिन हुई, तीसरे दिन उदयपुर में हुई। वह गिरोह अपना काम करके चला जाता है। आपके माध्यम से मेरा यही निवेदन था कि इसे अभियान के तहत लें और एक योजना बनाकर इस गिरोह को समाप्त किया जाए।

बांसवाड़ा क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र है और इस जनजातीय क्षेत्र में कुछ इस तरह के लोग सक्रिय हो गये हैं जो एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग करते हैं। डराने धमकाने के लिए या ब्लैकमेलिंग करने के लिए आम व्यक्तियों को यह कहते हैं कि आपके खिलाफ एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज करवा देंगे, आप इतना पैसा दे दो। वह पैसा दे देता है और अपने आपको यह समझता है कि इस केस से मैं बरी हुआ हूं। माननीय गृह मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि एट्रोसिटी एक्ट के मुकदमों में बिलकुल बढ़िया ढंग से इन्वेस्टीगेशन किया जाए

(श्री भवानी जोशी)

और वास्तव में अगर दोषी हो तो सजा दी जाए वरना उन केसों में एफ. आर. लगाई जाए।

पिछले समय उदयपुर क्षेत्र में हमारे जन प्रतिनिधि विधायक माननीय चुन्नीलाल जी गरासिया के साथ एक घटना घटी। उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। 15 दिन तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया। हम सभी एम. एल. एज. ने मांग की उसके बाद एस. पी. साहब ने यह कहा कि मेरा ट्रांसफर करवा दीजिये। जब एस. पी. साहब अपना ट्रांसफर करवाकर जाना चाहते हैं और किसी केस का इन्वेस्टीगेशन नहीं करना चाहते हैं तो मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों को किसी भी जिले में एस. पी. नहीं लगाया जाए और उनको ऐसी जगह लगाया जाए जहां उनसे कुछ काम लिया ही नहीं जा सकता हो। जब बार-बार उनसे यह निवेदन करते हैं तो वे कहते हैं कि मेरा ट्रांसफर करवा दीजिये। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है—मैंने वहां देखा भी है और कई लोगों के मुंह से सुना भी है कि शराब की जितनी गाड़ियां तस्करी की जाती हैं उन लोगों से उनका कोई लेन-देन है। ईमानदार अधिकारी को, ईमानदार सिपाही को थाने पर नहीं लगाया जाता और जो भी बेइमान या भ्रष्ट हैं उन लोगों को ही थानों में लगाया जाता है। मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि पुलिस में जो ईमानदार सिपाही हैं, अधिकारी हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उन्हें उत्साहित किया जाए और पुरस्कार के स्वरूप कुछ न कुछ ऐसा दिया जाए जिससे उनका हौसला बढ़े और नेक दृष्टि से वे आम जनता की सेवा करें।

बांसवड़ा जनजातीय क्षेत्र में एक एस. सी. और एस. टी. कोर्ट खोली जाए। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में महिला थाने खोले जाएं क्योंकि हर तीसरे, चौथे दिन अखबार में इस तरह की घटना छपती है कि आज इस महिला के बलात्कार हुआ, आज इस महिला से बलात्कार हुआ। कई महिलाएं पुरुषों के सामने अपनी वेदना कह नहीं पातीं। कुछ केसों में ऐसा है कि आपसी झगड़ों में भी वे मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। तो मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि बांसवाड़ा और डूंगपुर जिले में एस. सी. और एस. टी. की कोर्ट खोली जाए।

हमारे बांसवाड़ा के सागवाड़ा में जो चोरी हुई और तीन दिन में पुलिस ने जिस त्वरित गति से उनको गिरफ्तार किया, मैं माननीय गृह मंत्रीजी को उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आम लोगों में पुलिस का मतलब चोर ही होता है लेकिन वास्तविकता में जब हम जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि पुलिस को हम जितना चोर समझते हैं, वास्तव में चोर नहीं है। पिछले समय हमारे क्षेत्र में घटना घटी। हमारे ही कार्यकर्ता ने एक किलो 800 ग्राम सोना कुवैत से किसी के साथ भिजवाया। जिस व्यक्ति के साथ में भिजवाया उसने उसमें से मात्र 10 बिस्किट

(श्री भवानी जोशी)

दिये और 6 बिस्किट नहीं दिये। झगड़ा बढ़ा और पुलिस तक गया। पुलिस ने उसका फैसला करवाने का प्रयास किया पर फैसला नहीं हुआ लेकिन बांसवाड़ा में एक जनचर्चा चल गयी कि 15 किलो सोना पुलिस खा गयी, पुलिस खा गयी। जब सरपंच ने आकर मुझे बताया कि वह सोना मेरे ही परिवार का था और वास्तव में एक किलो 800 ग्राम था तो मैं तुरन्त उनको डी. आई. जी. के पास ले गया। उनसे बातचीत की तो आदरणीय डी. आई. जी. साहब ने यही कहा कि देखो, पुलिस के बारे में आम लोगों का क्या व्यू है, आप जन प्रतिनिधि मिलकर अगर पुलिस की छवि नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। मेरा गृह मंत्रीजी से भी निवेदन है कि पुलिस की छवि अच्छी बने, उस दृष्टिकोण से भी हमें काम करना चाहिए। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राज्य की पुलिस व्यवस्था के ऊपर विचार हो रहा है। काफी माननीय सदस्यों ने समस्याओं के सन्दर्भ में अपनी बात उठायी है, मैं भी अपने आपको इस बहस में जोड़ता हुआ आपके द्वारा माननीय गृह मंत्रीजी से यह आग्रह करता हूं कि पर्यटन राजस्थान के अन्दर बढ़ रहा है—

(16.05)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

और राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से उन्नति करता चला जा रहा है। जिस तरह हमारे किले, हमारी हवेलियों को हैरिटेज होटल बनाया जा रहा है, ट्यूरिस्ट को आकर्षित किया जा रहा है उसी तरीके से हमारे यहां का जो हैंडीक्राफ्ट है उस हैंडीक्राफ्ट की बढ़ोतरी हो रही है। जगह-जगह बड़े-बड़े शोरूम बन रहे हैं, बड़ी-बड़ी सिटीज के अन्दर ट्यूरिज़्म के नाम पर मेले और ये सब लग रहे हैं। यह सब जो उन्नति हो रही है, आर्थिक उन्नति भी हो रही है उसी के साथ-साथ लॉ एण्ड आर्डर की कुछ समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। उदयपुर में हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें बढ़ी हैं। हमारे यहां खासकर के श्रीनाथ जी का मन्दिर होने की वजह से, द्वारकाधीश का मन्दिर होने की वजह से, ऋषभदेव में जैन मन्दिर होने की वजह से गुजरात का ट्यूरिस्ट बहुत आता है। वह रणकपुर भी जाता है, वह आबू भी जाता है और उदयपुर की तरफ भी वह आता है। वह ट्यूरिस्ट आ रहा है, तो जो वहां पर दलाल कहें, कन्वींसर कहें, थ्री व्हीलर वाले हैं, टैक्सी वाले हैं वे कई तरह से उनको ठगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दुकानदार उनको बहुत कमीशन देते हैं। जो चीज 50 रुपये की है वह 100 रुपये में बेचेगा और परिणाम यह है कि ये जो कन्वींसर हैं इनको उस पर बहुत बड़ी दलाली मिल जाती है। हमारे यहां पर उन्होंने दलाली रोकने का प्रयत्न किया, लोगों को पकड़ा भी लेकिन यह बीमारी बढ़ती चली जा रही है।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

ये जो होटल्स बने हैं, सारे होटल्स वहां पर अवैध रूप से चल रहे हैं। इसलिए अवैध रूप से चल रहे हैं कि उनको म्युनिसिपैलिटी रेस्टोरेंट के नाम पर परमीशन देती है। आज जैसे मैं उदयपुर का ही उदाहरण दूं, उदयपुर में इतने होटल खड़े हो गये हैं और खासकर पेइंग गैस्ट हाउस। पेइंग गेस्ट हाउस का मतलब तो यह है कि मेरा बड़ा मकान हो, मेरे पास 10-5 कमरे हों और 2-4 कमरे खाली रहते हों तो मैं यात्रियों को वे कमरे उपलब्ध करवा दूं। लेकिन आज पेइंग गैस्ट के नाम पर सर्वे करवाया जाए तो वहां पर ऐसे होटल्स हैं जहां पर फैमिली नहीं रहती है, वे केवल पेइंग गैस्ट हाउस के नाम पर चल रहे है और उन पेइंग गैस्ट के माध्यम से ट्यूरिस्ट को ठगा जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स होटल की वहां पर बन गयीं, ये नहीं बननी चाहिए थीं क्योंकि इनके पार्किंग की जगह नहीं। पार्किंग हरेक होटल की सड़क पर होती है जिससे यातायात रुकता है लेकिन होटल्स खड़े हो गये। 65 फीट की ही बिल्डिंग बननी थी लेकिन 75-75 फीट की बिल्डिंग बन गयीं। यह सीधे आपसे सम्बन्धित नहीं है, स्वायत्त शासन मंत्रीजी से सम्बन्धित है, यू. आई. टी. से सम्बन्धित है, नगरपालिका से सम्बन्धित है लेकिन आपका भी सम्बन्ध लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन में आता है कि उनके पार्किंग की जमीन होना आवश्यक है।

वहां पर जिस तरीके से अवैध धन्धे पनपने शुरू हुए हैं, माननीय गृह मंत्रीजी, आप भी उदयपुर के हैं और उदयपुर के नाते मैं वे दृश्य आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं। पिछौला झील के किनारे, जो लालघाट कहलाता था उस सम्पूर्ण लालघाट पर, नागघाट पर लोगों ने अपने मकानों को होटल में कन्वर्ट कर लिया गैस्ट हाउस के नाम पर। रूफ रेस्टोरेंट और न जाने कैसे अजीब-अज़ीब तरह के नाम उनको दिये हैं।

उनका जो सीवरेज का पानी है वह भी उसी तालाब में जा रहा है जिस तालाब का पानी गांव के लोग पीते हैं, शहर के लोगों को सप्लाई होता है। लेकिन उन होटल्स को रोकने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। उन होटल्स के माध्यम से जिस तरीके से अवैध धन्धे पनप रहे हैं, हेरोइन वगैरह के जो अपराध चल रहे हैं, इन अपराधों को रोकने की आवश्यकता है क्योंकि हमारा एरिया गुजरात से जुड़ा हुआ एरिया है, हमारे यहां मध्य प्रदेश की सीमा भी लगती है। जिस तरह से चित्तौड़ की पुलिस ने छानबीन की कि अफीम की तस्करी में ये सारे लोग लिप्त हैं, उससे लगता है कि उदयपुर भी अड्डा बनता चला जा रहा है। आज दाउद इब्राहीम की बात इस सदन में कही गई कि अजमेर के अन्दर, मेहसाणा के अन्दर पुलिस आई, उन्होंने देखा। उदयपुर में भी इस तरह के केन्द्र स्थापित हो रहे हैं। वहां पर जिस तरीके से तस्करी और शराब का धंधा हो रहा है, पिछले सालों का रिकार्ड उठाकर देखो तो इसमें तस्करों का और शराब के

(130)

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

ठेकेदारों का आपस में लेनदेन है। मर्डर केसेज हुए हैं और कुछ तो नामी-गिरामी लोग उसमें शामिल हैं। जिनको, दुर्भाग्य तो यह है कि पुलिस पकड़ कर ले जाती है और वे कोर्टस के माध्यम से, कानून के माध्यम से पुनः छूट जाते हैं। इस तरीके से पुलिस डिमोरलाइज होती है। पुलिस कितनी मेहनत करके उन अपराधियों को पकड़ती है और पकड़ने के बाद में उनको कोर्ट के सामने पेश करती है? कहीं न कहीं उसमें लेकुना है। अगर उसमें कमी नहीं होती, अगर वे संगीन अपराध बनाये गये होते तो शायद कोर्ट उनको छोड़ता नहीं। ऐसे अपराधों के लिए कानून में टाडा और जाने क्या-क्या है लेकिन टाडा में कई केसेज के अन्दर सैकड़ों लोग बन्द हैं और ऐसे अपराधी खुले हुए हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए भी निश्चित रूप से कुछ होना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस एक्टिव है। पुलिस की एक्टिवनैस की बात बताऊं कि हमारे यहां पंचवटी के अन्दर रात को आदमी अपने सारे रुपये इकट्ठे करके, चूंकि उस दिन उसके यहां पर गाड़ियां बिकी थीं, लेकर आता है। लोग उसके दरवाजे के ऊपर जीप लेकर आते हैं, उसे रोकते हैं और उसके हाथ से अटैची छीनकर ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह सूचना देता है, एडिशनल एस. पी. तुरन्त वहां पर पहुंचता है। ग्रामीण का एडिशनल एस. पी. पहुंचता है, सिटी का एडिशनल एस. पी. पहुंचता है। काफी दौड़-धूप करते हैं लेकिन अपराधी बीच शहर से लेकर चले गये। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने अपराधियों की जड़ को ढूंढ लिया और अपराधियों को पकड़कर ले आये और मैं यह निश्चित सोचता हूं कि वह जो डकैती केस है वह निश्चित रूप से खुल गया। केवल एक यही डकैती नहीं, मानपुर की डकैती हुई, वादी आखिर उसके पकड़े गये। पुलिस के थानेदार को लोग पीटकर चले गये और ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि पुलिस के थानेदार के कपड़े उतार लिये लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान की साहसी पुलिस ने पहल की, अपनी जान को खतरे में डाला। एडिशनल एस. पी. स्वयं आगे बढ़ा, उसके साथ सिपाही बढ़े और आखिरकार वे उन अपराधियों को अरेस्ट करके ले आये जिन अपराधियों ने कुकृत्य किया था। लेकिन पुलिस बदनाम भी इसीलिए होती है । यह जो आपका कोटड़ा है, आपका गोगुन्दा है, झाड़ोल क्षेत्र है, यह सारा का सारा क्षेत्र बनवासी क्षेत्र है, आदिवासियों की बस्तियां हैं। इनके अपने रीति-रिवाज हैं। अगर इनके यहां पर कोई मर्डर हो जाए, अगर किसी की हत्या हो जाए, अगर असामयिक मृत्यु हो जाए किसी महिला की तो जब तक उसके पीहर के लोग नहीं आएं तब तक वे लोग उसकी लाश को जला नहीं सकते अगर जला दी तो कई गांव के गांव खड़े हो जाते हैं। इसके अपने रीति-रिवाज हैं और इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर जिन

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, खास तौर से थानेदार को नियुक्त करते हैं, सी. आई. को नियुक्त करते हैं, जब अपराधों का सारा रिकार्ड रखते हैं तो आप अपने कम्प्यूटर में यह भी फीड करके रखें कि किसका कैसा रोल है, किसका कैसा करेक्टर है। आपके थानेदारों में तो वहां कुछ संवेदनशील थानेदार भी हैं, अधिकारी भी हैं लेकिन बनवासी क्षेत्र के अन्दर, जनजाति बहुल क्षेत्र के अन्दर उनको लगाएं जो उनके ट्रेडिशन्स को समझते हों। अगर ट्रेडिशन्स को नहीं समझेंगे तो कई बार मिस अण्डर स्टेंडिग होने की वजह से आपस में तनाव पैदा हो जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप वहां पर जो नियुक्ति करें वह सलेक्टेड लोगों की करें। जब जन प्रतिनिधि किसी थानेदार की शिकायत करता है, व्यक्तिगत रूप से उसके साथ दुश्मनी नहीं है लेकिन जो वहां पर पुलिस अधिकारी हैं या गृह मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, उनको उस पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। यह तुरन्त कार्यवाही नहीं होने की वजह से जिनकी शिकायत की जाती है, जैसे बेकरनी का थाना है या उस क्षेत्र के और थाने हैं, रात को आप चले जाएं अगर उस समय सारे शराब पिये हुए पड़े हों तो वे किसकी रक्षा करेंगे जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाते हों? तो, ऐसे आकस्मिक निरीक्षण भी होने चाहिए और जन प्रतिनिधियों की शिकायत पर एक्शन भी होना चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समय-समय पर अखबारों में छपता रहता है, मेरे पास उनकी कटिंग्स आती हैं। मेरे पास बहुत-सी कटिग्स हैं, ये सारी कटिंग्स अखबारों से ली गई हैं और केवल जयपुर जिले के ही अपराध जो छपे हैं उनके बारे में हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि कोई न कोई ऐसा ब्यूरो होना चाहिए जो इन अपराधों के बारे में बराबर देखता रहे, इनके बारे में कार्यवाही होती रहे। आपने जो डाकूमेंट दिया है, उसमें अपराधों की गणना वगैरह करके बताई गयी है। हम बहुत राज्यों से बहुत अच्छे हैं लेकिन हमको अगर एक आदर्श राज्य के रूप में राजस्थान को आज दिखाना है तो मेरा आपसे आग्रह है कि कहीं न कहीं रिव्यू होना चाहिए। जो भी कोई घटना अखबारों में छपती है उसका रिव्यू होना चाहिए। अगर हमने उसका रिव्यू करना शुरू किया तो निश्चित रूप से उसका असर होगा।

एक मेरा आपसे निवेदन है कि पुलिस की ट्रेनिंग में जिस तरीके से बदलाव पैदा किया गया है, अब तो पढ़ा-लिखा आदमी आता है। यहां भी काम्पीटिशन की भावना पैदा होगी। अच्छे से अच्छा आदमी अच्छा काम करना चाहता है। वह जो पुलिस की छवि थी वह ब्रिटिश राज की छवि थी। हम आये थे ब्रिटिश राज से और तब तो ब्रिटिशर्स ने पुलिस को केवल इसलिए रख रखा था कि वे जुल्म करने के लिए आमादा थे। उनको तो केवल जुल्म करना था लेकिन आजादी के बाद से पुलिस की

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

सोच में भी बदलाव आया है तो इनकी ट्रेनिंग में भी बदलाव आना चाहिए। आज मिलिट्री के बारे में सोचा जाता है, उसकी सुख और सुविधाओं के बारे में सोचा जाता है। आप नसीराबाद को देख लें, आप जयपुर को देख लें, जो मिलिट्री के ट्रेनिंग सेन्टर हैं, जहां पर मिलिट्री के लोग रहते हैं। कोई जमाना था, ब्रिटिश हुकूमत में जब किसी फैमिली को वहां नहीं रहने दिया जाता था लेकिन आज फैमिली के साथ मिलिट्री के लोग रह रहे हैं। आप जिन थानों के अन्दर क्वार्टर्स बना रहें हैं, उसमें अगर सारे सिपाहियों के लिए क्वार्टर्स आपने बनाये तो निश्चित रूप से ये फैमिली के साथ रहेंगे और वह जो कभी-कभी गलती होती है, वैसी गलती नहीं होगी। ट्रेनिंग में भी सुधार होना चाहिए, ट्रेनिंग के मैथड में भी सुधार होना चाहिए वैज्ञानिक तरीके से। जिस तरीके से आज पुलिस विभाग, अन्वेषण ब्यूरो वगैरह सारे के सारे मिलकर काम कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि बहुत अच्छी तरह से उन पर काम चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रहे हैं। लेकिन जो कानूनी कमियां हैं उनके लिए जो सक्षम लोग हैं, जो पैरोकार हैं या ऐसे ही लोग हैं, हमें उन लोगों को दण्डित करने के लिए अच्छे वकीलों की भी नियुक्ति करनी चाहिए और इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। हम जितने अपराधी पकड़ते हैं, इतना अखबारों में आता है, मर्डर होता है, यह होता है, वह होता है, सारा उसमें हो रहा है, बहुत एक माहौल खड़ा होता है लेकिन वही अपराधी बाद में जाकर अगर छूट जाए, बलात्कार करने वाला आदमी छूट जाऐ तो यह आखिर कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है और उस कमी का लाभ देकर वह अपराधी छूटता है।

जैसा कि मैंने आपसे कहा, उदयपुर टयूरिस्ट सेन्टर है, उसी तरह से वी. आई. पीज. का भी सेन्टर है। कितने जजेज आते रहते हैं सारे देश से वहां पर घूमने के लिए। कितने एम. एल. एज. आते हैं, कितने एम. पीज. आते हैं। वहां पर वी. आई. पीज. आने के बाद जो पुलिस बल है, अगर उनको वहां पर प्रोटोकोल के नाम से लगा दिया, उनकी सुरक्षा के नाम से लगा दिया तो थाने तो खाली ही रहने वाले है। अगर सर्किट हाउस में उन थाने वालों की डयूटी लगा दी गयी तो थाने का काम तो रुकने ही वाला है। इसलिए ऐसे जो स्थान हैं, मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा उदयपुर के लिए कि ट्यूरिस्टस को दृष्टिगत रखते हुए वहां पर ट्यूरिस्टस के लिए अलग से एक थाना होना चाहिए। वी. आई. पीज को दृष्टिगत रखते हुए जो उनके एस्कार्टस का काम कर सकें, पायलेटस का काम कर सके, ऐसे लोगों की अलहदा नियुक्ति होनी चाहिए। अपराधों की दृष्टि से अगर आप देखें तो भी आप जयपुर के किसी भी थाने से उदयपुर के किसी बड़े थाने की, सिटी के थाने की तुलना कर लें। लेकिन यहां जितना स्टाफ है और वहां जितना स्टाफ है

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

उसकी भी तुलना कर लें तो निश्चित रूप से यह मन करेगा आपका कि वहां पर पुलिस बल की संख्या बढ़नी चाहिए। आज ट्रैफिक के लोग जितने चाहिए उतने ट्रैफिक के लोग उदयपुर में नहीं हैं, जबकि ट्रैफिक के लोगों को व्यवस्था करनी पड़ती है वे जो सारे वी. आई. पीज आते हैं उनकी। आज हमारा जो नेशनल हाइवे है उदयपुर से लेकर रतनगढ़ तक, उस पर घटों ट्रैफिक जाम रहता है। किस तरीके से व्यवस्था होगी आखिर उसकी? वायरलैस की गाड़ियां हैं लेकिन वे समय पर दौड़ती रहें, समय पर काम करती रहें, तो निश्चित रूप से ट्रैफिक की भी ठीक तरह से व्यवस्था होगी।

आज ट्यूरिस्ट सेंटर होने की वजह से कितने ही यह वीडियो कोच आते हैं, अवैध वीडियो कोच आते हैं, अवैध वीडियो कोच जाते हैं। इन अवैध वीडियो कोचेज के माध्यम से चुंगी की चोरी होती है, वह अलग। ये सब सामान लेकर आते हैं और चुंगी नहीं चुकाते। वीडियो कोच शहर के मध्य में खड़े रहते हैं, ट्रैफिक भी उसकी वजह से गड़बड़ होता है। वहां के अधिकारियों से हम लोग बात करते हैं लेकिन वे कई लोग केवल इतना ही कह कर अपना पिण्ड छुड़ा लेते हैं कि इनको कहा खड़ा करें, इनको कहां रखें, जगह कहां है। और दूसरे वे कहते हैं कि हमारे पास पुलिस की कमी है, हम इन अपराधों को नहीं रोक सकते। लेकिन अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसी तरीके से पुलिस भी बढ़ रही है, उसका बजट भी बढ़ रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह सब कोआर्डिनेशन बैठकर होना चाहिए, इस पर चिंतन होना चाहिए।

एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं कि जन प्रतिनिधियों के साथ बैठकर आपके अधिकारी बातचीत करें। हम जब जाएं तभी वे बात करें, यह आवश्यक नहीं है। हम यह चाहते हैं कि एस. पी. साहब, डी. आई. जी.साहब कभी डिवीजन के संदर्भ में जन प्रतिनिधियों को बुलाएं। जन प्रतिनिधियों के सामने एक प्रयोग अभी उदयपुर में हुआ, एस. पी. साहब ने एक प्रयोग रखा। आपका पुलिस दिवस था उस दिन। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को बुलाया, कुछ जन प्रतिनिधियों को बुलाया, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बुलाया, डाक्टर्स को बुलाया, और आखिर हमारी पुलिस से अपेक्षा क्या है, यह संवाद उन्होंने कराया। एक घंटे का समय था, वह एक घंटे का समय समाप्त हो गया। लेकिन पुलिस वालों की भी अपनी कठिनाइयां हैं, पुलिस अधिकारी भी कुछ कहना चाहते हैं, पुलिस अधिकारियों के सामने भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। उन अधिकारियों की जो अपनी समस्याएं हैं, कई बार अपने अफसरों से नहीं कह सकते लेकिन जन प्रतिनिधियों के बीच में कह सकते हैं। तो जन प्रतिनिधियों की, अफसरों की पुलिस के अधिकारियों की और मैं तो कहता हूं कि पुलिस कांस्टेबल्स के भी प्रतिनिधियों को लेकर उनके साथ चर्चा की जाए। राजस्थान में पुलिस के अधिकारियों में एक फ्रस्ट्रेशन रहा, कितने लंबे समय से

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

आर. पी. एस. जो आई. पी. एस. बन सकते थे, उनके प्रमोशंस रुके रहे और जब ऊपर से प्रमोशंस रुकते हैं तो नीचे तक के प्रमोशंस पर उसका इफैक्ट होता है। कभी कभी ईयर के, कैडर के लोगों को इधर से उधर प्रमोशन दे दिया जाए तो भी फ्रस्ट्रेशन पनपता है। जब बड़े लोगों में फ्रस्टेशन पनपता है तो छोटे जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके मन में कितना फ्रस्ट्रेशन पैदा होता होगा? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने-अपने क्षेत्र में, आप निर्देश दीजिएगा उन पुलिस के अधिकारियो को कि वे कभी-कभी जन प्रतिनिधयों को बुलाकर चर्चा करें। अगर ये चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से अपराधों को रोकने की दृष्टि से काम होगा।

मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि उदयपुर और राजसमंद ये ऐसे जिले हैं जो संवेदनशील जिले हैं। संवेदनशील जिले होने की वजह से, गुजरात के नजदीक होने की वजह से जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, मुझे आशा है आप निश्चित रूप से उस दिशा में प्रयत्न करेंगे। उदयपुर के लिए मैंने पहले भी कहा था कि बोरवाड़ी में एक पुलिस चौकी थी, वह पुलिस चौकी जल गई और उसके बाद वहां पर पुलिस चौकी नहीं बनाई गई। वहां पर कुछ जमीन पड़ी हुई है, वहां पर पुलिस चौकी का निश्चित रूप से निर्माण होना चाहिए। क्योंकि वह जो धोली बावड़ी का एरिया है वह सारे का सारा बहुत संवेदनशील स्थान है इसलिए वहां पर पुलिस चौकी बननी चाहिए। सुखेर औद्योगिक क्षेत्र बन गया है, मार्बल का व्यवसाय वहां पर है, कितने गैंगसा लगे हुए हैं और हमारे माननीय गरासियाजी का तो यह कहना है कि पहले घोषणा भी हो चुकी थी कि सुखेर के अन्दर थाना बनाया जाएगा। आज सुखेर का थाना निश्चित रूप से बनना चाहिए, आप घोषणा करें सुखेर के थाने की। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गुडली जो औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है इस औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से भी अभी से विचार होना चाहिए कि वहां अगर उद्योग-धंधे बढ़ेंगे तो क्या स्थिति होगी। मैं आपसे पुनः यह आग्रह कर रहा हूं कि वी. आई. पीज की दृष्टि से, टूरिस्ट की दृष्टि से, सीमा की दृष्टि से उदयपुर के ऊपर विचार होना चाहिए। यही निवेदन करता हुआ मेरी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री जयन्तिलाल कोली।

श्री जयन्तिलाल कोली (रेवदर) : सभापति महोदय, आज पुलिस के ऊपर चर्चा हो रही है, मैं भी अपने आप को इसमें शरीक करता हुआ सरकार को और गृह मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस तरह से पुलिस की व्यवस्था और कानून प्रक्रिया हमारे राजस्थान में और विशेषकर हमारे सिरोही जिले में सुदृढ़ हुई है उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा। साथ- साथ क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में भी अवगत कराना चाहूंगा कि सिरोही जिला पूरा औद्योगिक

(श्री जयन्तिलाल कोली)

क्षेत्र है। वहां पर मजदूरी करने लोग बाहर से आये हैं, उनका वहां पर निवास है। स्थानीय लोगों में समस्या यह है कि आये दिन चोरी या डैकती या पम्प लूटने जैसी कोई वारदात हो जाती है। आज तक किसी की चोरी खुली नहीं है। अतः माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस विषय को थोड़ा गंभीरता से लेकर कानून के अन्दर परिवर्तन करें। यह आवश्यक रहेगा कि कम से कम वहां पर जितने भी मजदूर हैं उनकी एक वीडियोग्राफी हो या कार्ड्स इनके बना दिये जाएं ताकि बाहर से आने वाले लोग जो वहां पर कार्यरत हैं, उनमें से कोई अगर दूसरी जगह भी चोरी करके वहां पर कार्यरत रहता है तो उसकी पहचान की जाए। आज से एक महीने पहले हमारे सरूपगंज में तीन लाख रुपये की चोरी हो गई और एक पैट्रोल पम्प लूटा गया। पिण्डवाड़ा में भी पैट्रोल पम्प लूटा गया। उसके बाद में गुजरात जाने वाली सीमा के पूर्व में रात्रि को दस-पन्द्रह लोगों ने एक बस को रोक लिया ट्रक को आड़ा रोड के बीच में खड़ा कर दिया और आने वाले हर व्हीकल को रोकते गये। पूरी रात कम से कम बारह-तेरह साधनों को उन्होंने लूटा और लूटने के बाद में वहां से लुटेरे भाग खड़े हुए। आज तक उनका कोई भी अता-पता नहीं रहा। हालांकि, हमारे वहां एस. पी. साहब सक्रिय हैं, उसी समय वहां पर कम से कम अठारह किलोमीटर, बीस किलोमीटर उन पहाड़ियों के अन्दर घूमे भी, भागे भी लेकिन अभी तक कोई स्रोत भी नहीं मिला। मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस तरह से ये आये दिन चोरियां बढ़ती हैं उनका निराकरण करने के लिए हमें जो गुजरात से जुड़ी हुई सीमा है उस पर येन-केन-प्रकारेण पुलिस की बढ़ोतरी करनी होगी। हमारा सिरोही जिला गुजरात सीमा से जुड़ा हुआ है, आये दिन कोई न कोई तस्करी का माल-शराब का हो या और भी कोई सामान हो, वहां से जाता रहता है। उसके लिए हमे वहां पर पुलिस व्यवस्था में सुधार लाना पड़ेगा और व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी। आबू रोड में एक पुलिस चौकी है, वहां पर जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें पुलिस थाना खोलने की घोषणा की थी वह अभी तक नही खोला गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां पर पुलिस थाना खोलने का कष्ट करें।

दूसरे मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदंर में आये दिन छोटी-मोटी चोरियां होती रहती हैं। इससे पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया था, विधान सभा में भी कहा था कि एक समय था जब सिरोही और जालौर जिले में गुजरात सीमा पर आये हुए जो क्षेत्र हैं वहां पर घरों पर पथराव होते रहते थे। उस समय हमारे वहां के थानाधिकारी संवेदनशील कहें या अपने जोश में कहें, इतनी जल्दी किसी के सूचना करने पर वहां से निकल गये कि वे अपनी बनियान और अण्डरवियर में ही वहां से 15 किलोमीटर तक पहुंच गये। वहां की जनता के कहने पर वहां से वापस आकर अपनी वर्दी

(श्री जयन्तिलाल कोली)

पहनी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जहां पर ऐसे थानाधिकारी हैं, जिनको शराब के नशे में यह भी मालूम नहीं रहता कि मैं वर्दी में हूं या कपड़े में हूं या नहीं हूं, उनको भी पुलिस व्यवस्था के अनुसार सही करने की व्यवस्था करें।

माननीय गृह मंत्री जी से मेरा एक और निवेदन है कि हमारे वहां पर गुजरात सीमा में एक झगड़े में पांच लोगों की मृत्यु हो गयी, मर्डर हो गया और उसमें मरने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम उजागर नहीं हुआ। उनमें एक तो 60 साल की बुढ़िया थी, एक उसकी पुत्रवधु थी और एक उसका भाई था। एक उसमें मेघवाल था और एक चारण था। ये पांच लोग वहां पर आपस में मारे गये। इसमें किसी भी दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। अतः मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनको न्याय दिलवाया जाए, उसकी उचित जांच कर जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ उचित कार्यवाही कराएं। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री भीमराज भाटी। (अनुपस्थित) माननीय श्री लक्ष्मण सिंह रावत। (अनुपस्थित) माननीय श्री राधेश्याम गंगानगर। (अनुपस्थित) माननीय श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : सम्माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस की चर्चा में मैं अपने-आपको शरीक करते हुए आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसमें यदि पुलिस विभाग की करतूतों का यहां पर कहा जाए तो उनके अनेक उदाहरण हैं लेकिन अधिकारियों के जो उदाहरण हैं सारे हिन्दुस्तान में कि राजस्थान के पुलिस अधिकारी किस कुकृत्य तक पहुंच जाते हैं। मुझे कहते हुए शर्म आती है। श्रीमती मल्ली मीणा जो एक पुलिस कांस्टेबल की पत्नी थी, राजस्थान के डी. आई. जी. टण्डन के द्वारा स्वयं जाकर उसको घर से यह बहाना बनाकर कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है उठाकर ले आना और उसके साथ कुकृत्य करना। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रकरण को सुना और सुनकर तुरन्त उसको सस्पेंड किया। पर मुझे दुःख के साथ यह भी कहना पड़ेगा कि इतना कुकृत्य करने के बाद, इतनी घटना घटने के बाद आज तक उस व्यक्ति को अरैस्ट नहीं किया गया। आज उस बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। सी. बी. आई. की आड़ लेकर पुलिस अधिकारी उसके उच्च पुलिस अधिकारी होने के नाते उस पर हाथ ही नहीं डाल रहे हैं। यदि रक्षक ही भक्षक बने या जो डी. आई. जी. रैंक का पुलिस अधिकारी हो वही इस तरह का कुकृत्य करे तो वह आम जनता की क्या रक्षा कर सकता है? उसने क्या-क्या कारनामे किए हैं वे आपने सब पेपरों में पढ़े हैं, उसके बावजूद भी आज तक वह अधिकारी न

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

पकड़ा जाए? जबकि उसको सात दिन से ज्यादा का मौका नहीं देना चाहिए था। मैं आज इस सदन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आज घोषणा करें कि ऐसे दुष्ट, ऐसे घिनौनी अपराधी प्रवृत्ति के डी. आई. जी. को एक हफ्ते के अन्दर गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति किसी से छिपा हुआ नहीं है, कहीं छिप नहीं सकता। सब जानते हैं कि डी. आई. जी. रैंक का अफसर कहां जा सकता है। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, कि क्योंकि एक अनुसूचित जनजाति की महिला है, किसी सदस्य ने इसके बारे में चर्चा भी करना उचित नहीं समझा। आज अगर दूसरी किसी जाति की महिला होती तो पूरे हिन्दुस्तान में बवेला खड़ा हो जाता। क्या अरैस्ट नहीं कर सकते थे वे लोग? आज एस. सी./एस. टी. के लिए कानून बना हुआ है कि इनके साथ जो भी घटना घटेगी तो कोई भी अधिकारी बच नहीं सकेगा। लेकिन बड़े शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वह व्यक्ति खुले आम घूम रहा है, पुलिस की नजरों में घूम रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री महोदय, कि आपने जिस प्रकार से कदम उठाकर उसको सस्पैंड किया उसी प्रकार उसको सात दिन के अन्दर-अन्दर गिरफ्तार करवाएं और एक उदाहरण प्रस्तुत करें, ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को कम से कम यह महसूस हो कि माननीय गृह मंत्री महोदय किस प्रकार से पुलिस के ऊपर अपनी पकड़ रखते हैं। इस प्रकरण में वहां लोगों ने अनेक बार बैठकें कीं। मीटिंगें होने के बावजूद, माननीय मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद कि उसको अतिशीघ्र पकड़ लिया जाएगा, गृह मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद कि उसको अतिशीघ्र पकड़ लिया जाएगा, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। आज मुझे आशा है कि आप उसको एक हफ्ते में पकड़ने की घोषणा करेंगे। उसके लिए मैं ही नहीं सारी जनता भी आपका आभार व्यक्त करेगी। ऐसे व्यक्ति या दूसरे अन्य छोटे अधिकारी-कर्मचारी भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं कर सकें, सब लोगों को सबक मिले इस बात का कि कुकृत्य करने वालों के साथ कैसा घोर अत्याचार होता है। अन्यथा वह व्यक्ति आराम से घूम रहा है मस्ती से। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि मल्ली देवी मीणा के यहां अड़ौस-पड़ौस में धौंस देने की, धमकियां देने की कार्यवाहियां करता जा रहा है। मैं इसके साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसी प्रकार की एक घटना मधुसूदन जी वकील साहब के साथ में हुई।

मैं इसके साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसी प्रकार की एक घटना मधुसूदनजी वकील साहब के साथ हुई। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पुष्पा देवी का जिस लड़के ने अपहरण किया है जयपुर से, पुष्पा के पिता की एक साल भर, पहले वाटर वर्क्स में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, करंट लग जाने से डैथ हुई, उसके स्थान पर उसकी मां को लगाया गया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वह थी और वह अकेली लड़की के साथ वहां पर रहती थी। छोटे-मोटे दो बाल बच्चे और हैं

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

उसके। बालिग भी वह लड़की नहीं थी। शकुंतला नाम की औरत भी वहां रहती थी, जिसके कारनामे पुलिस को पूरी तरह से पता हैं कि इसने अनेक लड़कियों को बहला फुसलाकर उनको ब्लैकमेल किया जिनकी एफ. आई. आर. लॉज माणक चौक थाने में भी लाज है, अन्य थानों में भी है। अनेक लोगों ने इस प्रकरण पर कहा कि हम नाम नहीं बताना चाहते हैं, हमारी बच्चियों के समाज में शादी-विवाह कुछ करेंगे तो कोई करेगा नहीं। इस प्रकार के उसने अनेक केस किये, इस बात को पुलिस अच्छी तरह से जानती है। दुःख का विषय है कि 12 फरवरी को केस दर्ज कराया अपहरण का उसने और 18 फरवरी को यह घटना वकील साहब के साथ घटी। गलता गेट के इन्चार्ज साहब ने, वहां के डीवाई. एस. पी. साहब, ने एस. पी. साहब ने बावजूद इसके कि इतनी घटना घट गयी, एफ. आई. आर. लॉज है, विडो ने दर्ज करवायी कि मेरी बालिका का अपहरण हुआ है शकुंतला नाम से नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी, उन्होंने बताया कि यहां पर यह है उसे गिरफ्तार नहीं किया और गिरफ्तार नहीं करने की बदौलत सब कुछ होता है। एक विडो मां जिसने अपनी बेटी के लिए एफ. आई. आर. दर्ज करायी, वह किसी काम की नहीं हुई। वकील साहब के साथ में वह थी भी नहीं और उसकी विडो मौसी गायत्री देवी, जो आज भी जेल में बन्द है, कांस्टेबल थी। अब वह मधुसूदन और शकुंतला जो इस लड़की की मां थी, इन्होंने किस प्रकार से क्या क्या कुकृत्य किये मैं कहना नहीं चाहता लेकिन यदि पुलिस तफतीश ईमानदारी से करे तो उसके सामने वह सारा स्पष्ट नजारा आ जाएगा। इस प्रकरण की भी आप सी. आई. डी. से अगर जांच करवाएं तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे कि इस मामले में वास्तविकता क्या है और क्या नहीं है। आपके सामने अन्य तथ्य भी बनकर सामने आ जाएंगे कि वास्तव में वह लड़की कितनी दोषी है, जो विडो है उसकी मां वह कितनी दोषी है। मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर पूरी तरह से ध्यान देकर आप पुलिस को आवश्यक निर्देश जारी करें। इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। एफ. आई. आर. दर्ज करने की शिकायतें हरेक सदस्य ने की है कि एफ. आई. आर. दर्ज कराते वक्त चाहे वे कागज की स्टेशनरी मंगाएं, चाहे वहां पर हैड कांस्टेबल मिले या कांस्टेबिल रास्ते में मिले, लेकिन सही ढंग से सलूक नहीं किया जाता। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर ड्यूटी आफिसर जो होता है एफ. आई. आर. दर्ज कराने का कार्य उसी के हाथ में होता है। उन्हें पाबन्द किया जाए कि कम से कम एक व्यक्ति वहां पर डयूटी आफिसर रहे, एस. एच. ओ. रहें या उनके अधीनस्थ कोई भी कर्मचारी रहे। होता यह है कि छोटे कर्मचारियों के जाने से आज पुलिस इस बात से भी बदनाम होती है कि एफ. आई.

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

आर. दर्ज नहीं करवायी जाती। स्टेश्नरी का जो मामला है करीब दो हजार रुपये की स्टेश्नरी हर महीने आती है, इसमें दो राय नहीं हैं कि स्टेश्नरी के लिए पैसे मांगे जाते हैं। यदि बजट का प्रावधान नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनके बजट का प्रावधान किया जाए जिससे लोगों की रोजाना की जो शिकायत है कि जो रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है उससे पैसे मांगे जाते हैं वे नहीं मांगे जाएं। इस छोटी सी बात के लिए पुलिस बदनाम होती है तो वह नहीं हो पाएगी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जितना पुलिस स्टाफ है थानों में उसमें से 80 प्रतिशत रात्रि के वक्त में, आप कहीं भी चैक कर लें, शराब पिये वहां मिलते हैं। इसमें मेरा सुझाव है कि जो 80 प्रतिशत शराब पीकर थानों में ड्यूटी देते है। इसको सब जानते है, यह तभी छूट सकती है जबकि उनके आवास की वहां व्यवस्था करवायी जाए। वे परिवार के साथ में वहां रहें तो काफी कुछ इसमें सुधार हो सकता है।

दूसरा मेरा आपसे यह निवेदन है कि जिन रिश्वतखोर अधिकारियों या कर्मचारियों को पकड़वाते हैं, ए. सी. डी. में जाकर पैसा जमा कराते है कि 10 हजार रुपये फलां व्यक्ति मांग रहा है और वे रंगे हाथें पकड़े जाते हैं। लेकिन दुःख का विषय है कि 10 हजार रुपये जमा कराने के बाद में पैसे लौटाये नहीं जाते। इसमें ऐसा परिवर्तन होना चाहिए कि व्यक्ति को वापस वे 10 हजार लौटा दें। जो व्यक्ति जमा कराते हैं वे कोर्टों में चक्कर काटते रहते हैं और जब तक फैसला नहीं होता है तब तक उनका पैसा वापस मिलता नहीं है। तो यह इसमें प्रावधान किया जाना चाहिए रद्दोबदल करके कि वह पैसा कम से कम उनको लौटा दिया जाए।

इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चतरपुरा गांव के अन्दर आज बिजली के हजारों खम्भों से तारों की चोरी हो रही है। चतरपुरा गांव में गांव वालों ने पकड़कर उस चोर को दिया कि यह तार चोर गिरोह का व्यक्ति है। उसके एक महीने बाद में ही बस्सी के अन्दर एक ड्रम जो ऊंट गाड़ी में भरकर जा रहा था, एक्सीडेंट होने से वह तारों का ड्रम नीचे आया। उसी गिरोह का हाथ निकला जो 5-7 दिन पहले तार चोरों का गिरोह पकड़ा गया था। ये व्यक्ति सबसे मिले हुए थे। अब एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है और छोड़ दिया जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की बहुत बड़ी परेशानी हल हो सकती है अगर सख्ती से अगर इस गिरोह का पर्दाफाश किया जाए। अनेक जगह इन लोगों ने ढाबे खोल रखे हैं। मोहनपुरा में एक ढाबा था, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के ढाबे के पास में ही ये तार मिले हैं। उस व्यक्ति ने अड़ौस-पड़ौस के जो लोग बिजली में जो कर्मचारी हैं उनका गिरोह बना रखा है और तार काटकर वहां सप्लाई होती है। मेरा

१४६

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

निवेदन है कि इस तार चोरी के मामले में भी आप पुलिस को सतर्क करें ताकि वह जो गिरोह है उसका पर्दाफाश हो।

मैं इसके साथ ही, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बस्सी जैसे एरिया में जहां हजार के करीब मुकदमे दर्ज हो चुके हैं वहां पर सब-इन्सपेक्टर लेवल के एस. एच. ओ. होने चाहिए या उस थाने को क्रमोन्नत किया जाए। आपने पूर्व में भी कानोता और तूंगा के बारे में कहा था कि दोनों जगह थाने खोले जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कानोता और तूंगा में थाने खोले जाएं अन्यथा बस्सी थाने को क्रमोन्नत करके वहां सी. आई. स्तर का आफिसर लगाया जाए। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाद-विवाद समाप्त होने और माननीय मंत्री जवाब दें तब तक के लिए समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय जब तक माननीय मंत्री जी जवाब दें तब तक बढ़ाया गया।

श्री बाबूलाल। (अनुपस्थित) श्री हरिनारायण बैरवा।

राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार

श्री हरिनारायण (खण्डार) : सभापति महोदय, आज सदन में कानून और व्यवस्था पर चर्चा हो रही है, उस में अपने आप को शामिल करते हुए आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान मेरे क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र खण्डार में लगभग 20 पंचायतें डांग क्षेत्र में आती हैं। डांग क्षेत्र में रामसिंह डाकू सक्रिय है और उसकी सक्रियता को रोकने के लिए डांग क्षेत्र में पुलिस चौकियां लगा रखी हैं। अब डांग भावपुर की पुलिस चौकी को हटाया जा रहा है। इस चौकी के हटाने से बनास नदी में बाड़िया करने वाले लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि प्रति वर्ष रामसिंह डाकू इन बाड़ी वालों से चौथ वसूली करता है। एक तरफ तो डाकू चौथ वसूली करता है दूसरी ओर पुलिस वाले इन बाड़ी वालों को परेशान करते हैं कि डाकू तुम्हारे पास में आता है। जिन लोगों ने रामसिंह डाकू को पकड़वाने में पूर्व में पुलिस की मदद की थी उन लोगों से बदला लेने के लिये भी वह आतुर है। अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि डांग भावपुर की चौकी को वहां से नहीं हटाया जाए जब तक कि डाकू की समस्या का समाधान नहीं हो। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो कि मैंने बताया है कि डांग क्षेत्र है, बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए पुलिस चौकियां

(श्री हरिनारायण)

बढ़ाई जाएं। सिंगोरकला, लसोड़ा, बालेर, भगवतगढ़, कुण्डेरा, सूरवाल में पुलिस चौकियां और बढ़ाई जाएं तथा बहरावण्डा खुर्द को थाना बनाया जाए।

एक बड़ी शर्म की बात है कि सरिया डकैत ने सवाई माधोपुर की पुलिस से सांठ-गांठ की सरिया डकैत को मरा हुआ दिखा दिया जाए जिससे सरिया डैकत जिन व्यक्तियों से बदला लेना चाहता था उन व्यक्तियों के यहां से मध्य प्रदेश में से पुलिस चौकियां हटा ली जाएं। हुआ यही कि सरिया डकैत के हुलिये के एक साधु को पुलिस ने पकड़ा। 15 दिन तक अपने पास में रखा। डाकुओं की ड्रेस उसको पहनाई गई। एक बंदूक लाकर उसके हाथ में थमा दी और जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी गयी। सवाई माधोपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को सूचना दी कि हमारी इनाम भिजवाओ, हमने सरिया डैकत को मार दिया है। जिन व्यक्तियों से सरिया डकैत बदला लेना चाहता था उन व्यक्तियों ने कहा कि सरिया डकैत अभी तक जिन्दा है पुलिस चौकियां नहीं हटाई जाएं। उस घटना के करीब डेढ़ महीने बाद में सरिया डकैत मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुआ। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो गिरफ्तार हुआ वह सरिया डकैत है या सवाई माधोपुर पुलिस ने जिस व्यक्ति को मारा वह सरिया डकैत है? मैंने इसकी तफ्तीश के लिये पूर्व में भी आपको प्रार्थना की है लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। जिन व्यक्तियों ने सरिया डकैत को मारा है, उसकी शिनाख्त की है उन व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया गया है, वह पुलिस के 302 के मुलजिम खुले-आम घूम रहे हैं। डकैत मुठभेड़ में, जब भी मुठभेड़ होती है एस. पी. मौके पर जाते है पर इस मुठभेड़ में एस. पी. सवाईमाधोपुर मौके पर नहीं गये। जब साधु रामदास को मार दिया उसके बाद में भी एस. पी. महोदय वहां पर नहीं गये। पंचनामा और पोस्टमार्टम के समय पर भी वे नहीं गये। पुलिस ने साधु रामदास को डकैत मानकर जो हत्या की है उसमें उसके कपड़े सीज नहीं किये गये। इसलिये मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि साधु रामदास को डकैत बनाकर मारने वाले हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए।

इसी के साथ एस. पी., सवाईमाधोपुर का स्थानान्तरण हो गया है उसके बाद भी उन्होंने दो महीने की अल्पावधि में 70 स्थानान्तरण किये हैं जिनमें 16 थानेदार, 12 ए. एस. आई., 15 हैड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल हैं। अतः स्थानान्तरण के बाद में जो थानेदार, ए. एस. आई., हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल के स्थानान्तरण किये हैं उनको निरस्त किया जाए। सभी पुलिस थानों पर फोन की व्यवस्था करायी जाए। क्योंकि जिन थानों पर फोन नहीं है उनको समय पर हम सूचना नहीं दे सकते, इसलिए फोन की व्यवस्था करायी जाए। जिन थानों पर जीप नहीं है उन थानों पर जीपों की व्यवस्था करायी जाए जिससे पुलिस अपराधी लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ने में सफल हो सके। इसी प्रकार

(श्री हरिनारायण)

जहां पर चौकियां हैं उन चौकियों पर मोटर साइकिल की व्यवस्था करायी जाए।

पिछली बार मैंने विधान सभा सत्र में पुलिस के दो मुद्दे उठाये थे। एक शून्य काल में और एक 295 में। शून्य काल में यह था कि छारोदा की एक बालिका की हत्या कर दी गयी थी, पहले उसके साथ में बलात्कार हुआ। पुलिस इसकी तफ्तीश करने के लिये गयी लेकिन पुलिस के थानेदार वगैरह वहां पर रात भर रहे, वहीं पर उन्होंने दारू पी और मुलजिमानों के साथ बैठकर जैसी तफ्तीश उन्होंने बतायी, वह करके ले आये। उस थानेदार के बिना कपड़े पहने हुए, दारू में धुत्त मेरे पास में फोटो है। माननीय गृह मंत्री महोदय चाहेंगे तो मैं उनको पेश कर दूंगा।

दूसरा, दोलाड़ा में एक 14 वर्ष की बालिका को रात्रि में किवाड़ तोड़ कर ले गये और उसके साथ में निरन्तर बलात्कार होता रहा। इसको मैंने नियम 295 के तहत सदन में उठाया था। लेकिन आज दिन तक भी बालिका बरामद नहीं की, यह बड़ी शर्म की बात है।

इसी प्रकार अभी भागप्रयोजना क्षेत्र के नजदीक सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियंता ने कुछ जमीन खरीदी है और बाकी की सरकारी भूमि के ऊपर उन्होंने तारगढ़ी की है। उस तारगढ़ी को वहां के बैरवों ने रोका कि यह सरकारी भूमि है, हमारे गांव की है, इस पर तारगढ़ी नहीं कर सकते। इस पर अधिशासी अभियंता ने किसी एक व्यक्ति से मिलकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी, उन बैरवों को वहां पर पीटा। डी. एस. पी. शहर, सवाई माधोपुर ने इसकी तफ्तीश की। उन बैरवों ने जिस सरकारी भूमि के ऊपर से अतिक्रमण हटाने की कोशिश की उस पर ध्यान नहीं दिया। बल्कि उनके खिलाफ चोरी का मुकदमा बनाकर चालान पेश कर दिया जिसमें उनकी सवाई माधोपुर से जमानत खारिज हो गयी। अब हाई कोर्ट में उन्होंने जमानत लगा रखी है। सरकारी भूमि के ऊपर एक बड़ा अधिकारी अतिक्रमण करे और पुलिस उसमें मिल जाए, यह भी शर्म की बात है। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

(17.00)

श्री सभापति : धन्यवाद। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज कानून और पुलिस के बारे में जो चर्चा हो रही है उसमें मैं भी अपने आपको सम्मिलित करती हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं कि हमारे जोधपुर शहर के अन्दर पुलिस अधिकारियों ने आते ही एक धोतीधारी को पकड़कर, छोटी बालिकाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था, उसके अन्दर बचाव किया।

माननीय सभापति महोदय, मेरे को कोई ज्यादा लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना है, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो-चार बातें

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कहना चाहती हूं। ऐसे पूरे जिले के बारे में कहें तो उसका कोई पार ही नहीं है मगर मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर हिसाब से नफरी बढ़नी चाहिए। जयपुर के बाद जोधपुर का दूसरा नम्बर आता है। नफरी कम होने की वजह से जोधपुर के अन्दर काफी असुविधाओं का सामना वहां के पुलिस अधिकारियों को करना पड़ रहा है। जब हम उन पर बारबार हर काम के लिये दबाव डालते हैं तो वे हमको ऐसी जानकारी देते हैं कि यहां पुलिस कांस्टेबलों वगैरह की कमी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि जयपुर को देखते हुए जोधपुर के अन्दर भी उतनी नफरी बढ़ायी जाए जिससे जोधपुर की सुरक्षा में, जोधपुर में काम करने में अधिकारियों को सहयोग मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहूंगी कि जोधपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मेरे यहां पर पुलिस चौकियां बहुत पुरानी हैं। सिवानची गेट पुलिस चौकी को थाने के अन्दर क्रमोन्नत किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह से सोजती गेट पुलिस चौकी को भी थाने में कन्वर्ट किया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।

मैं पुलिस के बारे में ज्यादा तो नहीं कह सकती हूं और न ही मैं उनकी बुराई कर सकती हूं क्योंकि स्वयं पुलिस की लड़की होने से मेरे को बड़ा गर्व है। मैं पुलिस के बारे में तारीफ ही कर सकती हूं, बुराई तो कर ही नहीं सकती हूं। मुझे बोलना भी अति आवश्यक था तो मैं थोड़ा कुछ कहना चाह रही हूं। मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि जोधपुर शहर के अन्दर जो थाने हैं उनकी मरम्मत के लिए कोई सुविधा नहीं है। थानों की मरम्मत के लिए भी अनुदान राशि ज्यादा से ज्यादा उपलबध करायी जाए जिससे थानों में रहने वालों को सुविधा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जोधपुर के अन्दर ऐसे-ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिनको सब बात मालूम है फिर भी जोधपुर के अन्दर चोरियां होती हैं उनको रोकने में वे असमर्थ हैं। उन पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाए कि वे चोरों को तुरन्त पकड़ें। ऐसी कोई बात नहीं है कि उन अधिकारियों से कोई भी व्यक्ति छिपा हुआ होता हो। एक जमाने के अन्दर तो थानों के अन्दर उनकी फोटो, लगायी जाती थी कि ये बदमाश लोग हैं। मगर आज की व्यवस्था क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों की थानों के अन्दर फोटो लगायी जानी चाहिए ताकि हमें उनको पकड़ने के लिये काफी कुछ सुविधा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे को जो बोलने का मौका दिया है, उसके लिये तो मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं समझती हूं कि मैंने मेरी जो बातें कहीं

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

हैं, उनके बारे में मैं माननीय गृह मंत्रीजी ध्यान देंगे तो जोधपुर शहर की समस्याओं में काफी कुछ सुधार होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, आज हमने इस सदन में राजस्थान प्रदेश की कानून और व्यवस्था पर चर्चा की। सभापति महोदय, राजस्थान के प्रतिनिधि सदन के इस प्रांगण में राजस्थान की कानून और व्यवस्था के महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा हुई है, उसमें कुल मिलाकर 18 माननीय विधायकों ने हिस्सेदारी की है। मैं यह मानता हूं कि सार्थक और सकारात्मक चर्चा हुई है लेकिन उचित रहता कि आज हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण भी यहां उपस्थित रहकर अपनी आलोचना, प्रत्यालोचना या समालोचना से इस चर्चा को और प्रभावी बनाने में मदद करते। यह उनके सोचने का विचार है लेकिन यह प्रांगण इसलिए है कि यहां पर हम चर्चा करें ताकि उस चर्चा से कार्यप्रणाली को सही दिशा निर्देश मिले और उस सही दिशा निर्देश से हम राजस्थान की जनता की अधिक से अधिक सेवा कर सकें। इसलिए, सभापति महोदय, कांग्रेस के मित्रों की अनुपस्थिति के बारे में मैं खेद ही प्रकट कर सकता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने अपने मत व्यक्त करते हुए, विवाद में अपना हिस्सा लेते हुए राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दिया और बधाई भी दी। यह बधाई इसलिए दी कि आज सारे देश में कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से राजस्थान सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। इस स्थिति के लिए, माननीय सभापति महोदय, अगर किसी को वास्तव में बधाई दी जा सकती है तो राजस्थान की जनता को दिशा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी जा सकती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय भैरोंसिंह शेखावत को इस बात के लिए बधाई दी जा सकती है।

मैं जब आपके सामने यह निवेदन करता हूं तो मैं आपके सामने देश में जो परिस्थितियां बनी हैं उनका थोड़ा-सा विश्लेषण इसलिए प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हम क्यों राजस्थान को उन आवेशों से, उन परम्पराओं से, उन आवेगों से और उन दुष्प्रवृत्तियों से दूर रख सके जो कि आज हमको आसाम में देखने को मिल रही हैं, पूर्वांचल में देखने को मिल रही हैं, उत्तरप्रदेश में देखने को मिल रही हैं, बिहार में देखने को मिल रही हैं और अन्य प्रांतों में देखने को मिल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि राजस्थान में राजस्थान की शासक पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी इच्छा-शक्ति है, एक ऐसा दर्शन है, एक ऐसी कार्यप्रणाली है कि जिसके कारण राजस्थान में जातिवादी कट्टरता को प्रोत्साहन नहीं मिला है, साम्प्रदायिक कट्टरता को प्रोत्साहन नहीं मिला है। किसी भी एक समूह की कट्टरता को राजस्थान की राजनीति में प्रोत्साहन न मिलने का ही यह परिणाम है

(श्री कैलाश मेघवाल)

कि आज राजस्थान जातिवादी तनावों से मुक्त है। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि अपवाद स्वरूप कहीं यह स्थिति आ सकती है लेकिन हमारे राजस्थान का पुलिस बल जब अपने कर्तव्य पालन में लगा रहता है, जब क्षेत्र में अपना कार्य करता है, उस समय हमारा पुलिस बल किसी जातिवादी दुराग्रह से, किसी धार्मिक दुराग्रह से, किसी वर्गवादी दुराग्रह से ग्रसित होकर कार्य नहीं करता है। इसी का परिणाम है कि आज हम राजस्थान को कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से एक सही दिशा की ओर ले जाने में अग्रसर हो सके हैं, अन्यथा माननीय सभापति महोदय, देश के दूसरे प्रान्तों में क्या हो रहा है? सुरक्षा जो पुलिस बल का प्रथम कर्तव्य है, उस सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए दूसरे प्रान्तों में अपनी अलग-अलग जातिवादी सेनाएं, वर्ग की सेनाएं, दूसरी तरह की सेनाएं बना-बना कर लोग अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध कर रहे हैं। यह राज्य नाम की संस्था के लिए अपने आप में एक चुनौती है। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि जब से सभ्य समाज का पहला कदम उठा, तब से किसी न किसी रूप में पुलिस बल का अस्तित्व रहा है और पुलिस बल ने उत्पन्न होकर कार्य करना प्रारम्भ किया है।

(17.09)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर कई माननीय बंधुओं ने कई विषयों पर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। माननीय सदस्यों को मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने उनके सभी बिंदुओं को नोट किया है। कुछ ने कुछ अपराधों की ओर, कुछ ने घटनाओं की ओर, कुछ न कुछ असुविधाओं की ओर, कुछ न कुछ कमियों की ओर और कुछ ने कुछ मांग की ओर। मैं सभी माननीय सदस्यों को एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने राजस्थान में पुलिस बल के पुनर्गठन की एक महत्वाकांक्षी योजना स्वीकार की है। उस महत्वाकांक्षी योजना के अधार पर हम चरणबद्ध और सुनियोजित तरीके से इस पुलिस बल की कार्य प्रणाली के फैलाव, इसके कार्य करने के स्टैण्डर्ड्स की ओर, इसकी कार्य दिशाओं को सही करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ऐसे कई प्रस्ताव आये हैं कि जिसमें कहीं पर थानों की मांग की गयी है, कहीं पर थानों को क्रमोन्नत करने की मांग की गयी है, कहीं पर चौकी की मांग की गयी है। माननीय सदस्यों की यह चिन्ता भी सही है, माननीय सदस्यों ने जब क्षेत्र से जानकारी लेकर यह अभिव्यक्ति की है कि कई जगह पुलिस के अधिकारी या पुलिस बल के लोग उनको इस बात के लिए कहते हैं कि नफरी कम है, हमारे पास पुलिस बल कम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और मैं माननीय सदस्यों को इस बात के लिए सूचित करना चाहता हूं कि माननीय राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी स्वयं भी इस बारे में चिन्तित हैं हमने पुनर्गठन की योजना ली है, यहं जो अपराधों का एक अंकगणित है उस अंकगणित को ध्यान में रखते हुए, अपराध

(श्री कैलाश मेघवाल)

से ग्रस्त जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से लिहाज से। दूसरे, माननीय उदयपुर से आने वाले विधायक ने जो कहा या मावली के बारे में जो कुछ कहा गया, इन सब दृष्टिगत रखते हुए यथोचित रूप से जहां पर जिस तरह की बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता होगी वह बढ़ोत्तरी करने के प्रस्ताव हमने किये भी हैं। हमने इस पुलिस विभाग के प्रतिवेदन में सारा दिया है और इसके बाद भी कुछ सहमतियां हमको प्राप्त हो चुकी हैं, हम इस प्रतिवेदन में नहीं दे सके हैं और कुछ अभी चल रही हैं क्योंकि एक निरन्तर प्रक्रिया चलेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य की आर्थिक स्थिति और राज्य की आवश्यकता इन दोनों में समन्वय बैठाते हुए पुलिस बल को हम नफरी में भी बढ़ा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्रत्येक माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज यातायात की दृष्टि से, पुलिस में अनुसंधान की दृष्टि से, गश्त की दृष्टि से जिस स्तर पर भी जिस तरह के अधिकारी की कमी महसूस की जा रही है, वह पूरी की जाएगी। हमने की भी है और आगे भी करेंगे। राजस्थान के पुलिस बल को हम ऐसे सशक्त पुलिस बल, ऐसे प्रभावी पुलिस बल के रूप में निर्मित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे आज जो कुछ कमियां रखी गयी हैं, आज जिस तरह की कमियां सामने लायी गयी हैं, ये कमियां लाने का मौका नहीं मिले। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है यह काल-खण्ड।

यह काल खण्ड इसलिए महत्वपूर्ण कहता हूं कि अभी तीन चार साल बाद हम 21वीं सदी में प्रवेश करेंगे। 21वीं सदी में जब हम प्रवेश करेंगे तो उपाध्यक्ष महोदय, ने केवल राजस्थान, न केवल हिन्दुस्तान बल्कि विश्व स्तर पर कई तरह की चुनौतियां सामने आएगी वे चुनौतियां ऐसी है कि आज हथियारों के क्षेत्र में, माफिया गिरोह काम कर रहे है, आज ड्रग्स के क्षेत्र में माफिया गिरोह काम कर रहे हैं, आज तस्करी के क्षेत्र में माफिया गिरोह काम कर रहे हैं, आज सोने-चांदी की तस्करी में माफिया गिरोह काम कर रहे हैं और आज राजनैतिक दृष्टि से कई प्रान्तों, कई राज्यों में अस्थिरता पैदा करने के लिए भी माफिया गिरोह काम कर रहे हैं। और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर, सुनियोजित तरीके से, षड्यंत्रकारी तरीके से आधुनिकतम उनके पास हथियार हैं, इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया है, इलैक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेशंस हैं। इसके आधार पर आज जिस रूप में ऑपरेट किया जा रहा है, उन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हमको राजस्थान की पुलिस को भी तैयार करना पड़ेगा, हमको हिन्दुस्तान की पुलिस को भी तैयार करना पड़ेगा। इन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए 21वीं सदी में हम ऐसे शिक्षित, प्रशिक्षण युक्त पुलिस बल को ले जाना चाहते हैं जिनसे हमारी जनता की हम अधिक से अधिक सेवा कर सकें। जब राजस्थान में हम इस बात की चिन्ता करते हैं तो वह सारे देश की चिन्ता है, सारी दुनिया की चिन्ता है। जैसा कि घटनाचक्र

(श्री कैलाश मेघवाल)

है, आज हमारे यहां पर दुबई में बैठे हुए लोग अपराध करा देते हैं, आज हमारे यहां पर दूसरे देशों में बैठे हुए लोग अपराध करा देते हैं। उनके यहां पर एजेन्सीज है। हमारे पड़ौसी देश की आई. एस. आई. एजेन्सी हमको अस्थिर करने में लगी हुई है, हमारे दूसरे पड़ौसी देशों के मार्ग से भी हमको किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती रही। तो, राजस्थान सारे देश के लिए तो उदाहरण बने और एक अच्छा पुलिस बल, हम तैयार करें, इस दिशा में हम पुनर्गठित योजना के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस की कार्य-प्रणाली में कई तरह के दबाव हैं और सभी कोशिश करने के बावजूद, सभी कोशिशें और सभी व्यवस्था को ठीक करने के बावजूद सारे समाज की कार्यप्रणाली में बल काम करते हैं। हमारे सारे व्यवहार में आप देख लीजिये, कार्य-प्रणाली को आप देख लीजिये। बाहुबल का प्रभाव रहता है, धनबल का प्रभाव रहता है, बुद्धिबल का प्रभाव रहता है और और सत्ताबल का प्रभाव रहता है। ये बल हैं, जिनके प्रभाव हमारी सारी कार्य प्रणाली को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम एक आदर्श व्यवस्था स्थापित करने के लाख संकल्प करने के बावजूद उस आदर्श व्यवस्था की ओर बढ़ नहीं पा रहे हैं, इन बलों का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारी कार्य-प्रणाली पर भी असर पड़ता है। इसीलिए है, लगातार चौकसी, लगातार जागरूकता, लगातार निगरानी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय सदस्यों को मैं यह स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं, कि यह पुलिस विभाग तो हमेशा ही परीक्षण पर है। उस परीक्षण में, मुझे इस बात की खुशी है कि आज सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई। आलोचना भी हुई लेकिन केवल आलोचना। केवल आलोचना, पुलिस को डॉक्स में खड़ा करने की दुष्प्रवृत्ति कहीं-कहीं देखने को मिलती है, उसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुधार नहीं ला सकते, उससे ढिठाई आती है। इसलिए आज मैं सदस्यों का हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूं। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, 1,61,621, 1996 में हमारा रजिस्ट्रेशन क्राइम का हुआ और इसमें 21 प्रतिशत, असत्य प्रकरण हैं, असत्य दायर करवा दिये गये। आपको, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, याद होगा कि 1977 से 80 तक हम यहां बैठते थे, उसके बाद भी यहां बैठे हैं, लगातार एक शिकायत थी कि थानों पर एफ. आई. आर. नहीं ली जाती, थानों पर आदमी को प्रताड़ित किया जाता है, उसको लौटाया जाता है। तो हमने लगातार इस बात की कोशिश की और आज अपवादस्वरूप कहीं यह हो सकता है लेकिन विनिश्चयपूर्वक यह निवेदन कर सकता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान के पुलिस विभाग में जहां कहीं भी, जो कोई भी जिस तरह की प्राथमिकी

(श्री कैलाश मेघवाल)

लेकर जाता है, उसको निर्बाध रूप से दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं और इसमें कोई भी कोताही करने वाले के खिलाफ हम शिकायत आने पर कार्यवाही करते हैं। ऐसी स्थिति में दरख्वास्त देने वाले, जैसा मैंने कहा कि कई मिसचीफ मोंगर्स भी होते हैं, कई मजे देखने वाले भी होते हैं, कोई वैसे ही पुलिस बल का दुरुपयोग। मिसयूज आफ दी प्रोसेस आफ दी लॉ भी होता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और मिसयूज आफ दी वर्किंग आफ दी पुलिस डिपार्टमेंट भी। एक एफ. आई. आर दे दीजिये, एफ. आई. आर. के साथ कुछ गवाह लगा दीजिए, एक बार तो प्राथमिकी सामने आ ही जाती है। लेकिन एक सूक्ष्म छानबीन और गहन अनुसंधान के बाद यह स्थिति सामने आती है कि प्रकरण असत्य है। ऐसे प्रकरणों की संख्या, प्राथमिकी दर्ज करने की जो हमारी लिबरल नीति है, उसके कारण बढ़ रही है। हम कोशिश करेंगे कि इसमें कमी आए। लेकिन असत्य प्राथमिकी दर्ज करवाने वालो के विरुद्ध जिस तरह की कार्यवाही की जानी चाहिये उस तरह की कार्यवाही सामने आ नहीं रही है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अनुसंधान के जितने भी तरीके हैं, हम उनको काम में ले रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों की उस भावना का भी आदर करता हूं जैसा कि हमने कहा कि कुछ बल और कुछ लोग प्रभावित करते हैं अनुसंधान को। उससे हम कई बार बचना चाहते हैं, हमारे सारे अधिकारी इस मामले में बहुत संवेदनशील हैं, हमारे यहां पूरी व्यवस्था भी है, एस. एच. ओ. है, उसके खिलाफ डीवाई. एस. पी. को जांच दी जा सकती है। डीवाई. एस. पी. से सन्तुष्ट नहीं, ए. एस. पी. को दी जा सकती है। पिछले दिनों हमने सारे बलों में एडिशनल एस. पीज की नफरी बढ़ायी है। हम इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि डी. आई. जी. रेंज पर सबको एम क्राइम एण्ड विजिलेंस का एडिशनल एस. पी. दें, ताकि हर दृष्टि से अनुसंधान पूर्ण हो, ठीक हो और उसमें आने वाले दबावों से हम बच सकें। हमारा सी. आई. डी. (सी. बी.) डिपार्टमेंट भी है, हमारे यहां विजिलेंस का डिपार्टमेंट भी है। डी. आई. जी. और एस. पी. विजिलेंस का काम करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि जब-जब भी कोई गम्भीर घटना या कोई बड़ी घटना होती है तो उस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी विशेष संवेदनशील होकर पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को भी फील्ड में लगातार भेजते रहे हैं, भेजते रहेंगे। क्योंकि एक निरन्तर प्रक्रिया है पर्यवेक्षण, एक पकड़, एक निगरानी, एक जागरूकता, एक सतर्कता। इससे हमारी पुलिस का कार्य ठीक ढंग से आगे बढ़े, यह हमारी कोशिश रहेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में

(श्री कैलाश मेघवाल)

सबकी चिन्ता है। हमारी भी चिन्ता है और राज्य की भी चिन्ता है। 1989 में देश की पार्लियामेंट ने शिड्यूल्ड कास्ट, शिडयूल्ड ट्राइब्स प्रीवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट का वहां निर्माण किया है। इसके पीछे एक सीधी-सादी भावना है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स परम्परा से, पृष्ठभूमि से एक गरीब पृष्ठभूमि वाले, शिक्षा की दृष्टि से पीछे, आर्थिक दृष्टि से पीछे समाज के वातावरण में, सोशियो इकॉनोमिक जो हमारा एटमोस्फियर है उस सोशियो इकॉनोमिक स्ट्रक्चर में जो पीछे रहते हैं इनको स्वाभिमान का जीवन जीने को मिले, ये अपने आप सिर उठाकर चल सकें। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इस कानून की रचना हुई थी। मैं उस पार्लियामेंट का मैम्बर था। लेकिन इसका दुरुपयोग भी प्रारम्भ हुआ, प्रतिशोधात्मक। 45 या 50 प्रतिशत इसमें एफ. आर. लगती है। अब यह कहा गया माननीय सदस्यों द्वारा कि इसमें एफ. आर. लगने का प्रतिशत बहुत अधिक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके कारण हैं। इसके कारण है कि एक परम्परावादी लोक व्यवहार की हमारी जिस तरह की स्थिति है उस यथा स्थिति से कभी-कभी उबरने की कोशिश की जाती है। मेरा यह मानना है कि यह एक समाजवादी चिन्तन है और समाजवादी निचोड़ है कि यथा स्थितिवाद में जब भी क्रैक आएगा तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। जैसा कल हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, सीकर जिले के खोखर गांव में 50 साल बाद पहली बार घोड़ी पर शिड्यूल्ड कास्ट के दूल्हे ने बिंदोरी निकाली है। इसका भी वहां पर बहुत ही विरोध हुआ, कई तरह से कोशिश की गयी। गांव के अन्य लोग जो गैर अनुसूचित जाति के हैं उनकी तरफ से लगातार यह प्रयत्न रहा कि आज तक हमारे यहां बिंदोरी नहीं निकलती थी ये घोड़ी पर बैठकर कैसे निकले? लेकिन सरकार सचेत थी। ऐसा एक जगह पहले भी हो चुका था। उपाध्यक्ष महोदय, कोटा में एक जगह घोड़ी वाले को ही उन्होंने पटा लिया, जो यथा स्थितिवादी समाज में लोग नहीं चाहते थे। तो वह घोड़ी वाला ही नहीं आया, भाग गया वह। यहां भी यह कोशिश की गयी लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि एक-एक नहीं, दो-दो घोड़ियां पहुंच गयीं। इस आशंका से हमारे जो शिड्यूल्ड कास्ट के बंधु थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीकर में कार्यकर्ता हैं उनसे उन्होंने कहा कि जिस घोड़ी को हमने मैनेज किया है, ऐसा लग रहा है कि दबाव में आ जाएगा घोड़ी वाला। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रिछंपाल कवैया और उनके सहयोग थे न? वे ही थे न?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री कैलाश मेघवाल : उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी बिंदोरी घोड़ी पर निकलेगी।...(व्यवधान)...हां, मैं तो नहीं बैठा, आप बैठा देना।...(व्यवधान)...

श्री सुजान सिंह यादव : अब सोच रहे हैं घोड़ी पर बैठने के लिए।

श्री कैलाश मेघवाल : अब सोच रहे हैं मेरे लिए भी सुजान सिंहजी।—(व्यवधान)—

श्री कालीचरण सराफ : मंत्री महोदय, और लोगों को घोड़ी पर बैठाते हो, आप भी बैठो।

श्री टीकमचन्द कान्त : कुल-मिलाकर सदन की भावना यह है कि दूसरी घोड़ी थी तो एक घोड़ी का उपयोग गृह मंत्रीजी खुद कर लेते, अच्छा होता।—(व्यवधान)—

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, तो वहां दो-दो घोड़ियां थीं। पुलिस व्यवस्था में मैं चाहता हूं कि राजस्थान में रहने वाले सभी नागरिक इस समय के परिवर्तन को समझें। प्रगतिशील और सुधारवादी संविधान की हमारी जो भावना है, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत उदार भावना है। जो हमारे प्रीएम्बल में है जस्टिस सोशल, इकॉनोमिक और पॉलिटिकल, यह सोशल जस्टिस की ओर एक कदम है। ये कदम उठाये गये हैं। इस पृष्ठभूमि में सामाजिक छुआछूत हटाने में, सामाजिक समानता लाने में, सामाजिक समरसता लाने में इस एक्ट का बहुत बड़ा योग रहा है। इसलिए जहां-जहां भी इसके दुरुपयोग की शिकायत आती है, हम उसको देखते हैं। मैं कानूनी रूप से तो स्वीकार नहीं कर संकता वह स्थिति लेकिन इसका एक उद्देश्य है कि समाज में समानता आए। अब परम्परावादी हिसाब से वह एक अपराध बन जाता है लेकिन अपराध घटित होते ही गांव वाले भी बीच में पड़ते हैं, भाई, हो गया, आइन्दा नहीं होगा। जैसे ये शब्दसूचक जो गालियां हैं ये शब्दसूचक गालियां सामान्यतया दी जाती रही हैं। लेकिन अब वह आफेन्स हैं और ऐसे आफेन्स होने के बाद गांव वाले भी बीच में पड़ जाते हैं, समझाइश भी होती है। सेवर सेन्स अपराधियों में भी घटित होती है और उसके बाद वह सारी स्थिति ठीक होती है। तो उसमें एफ. आर. लगने की गुंजाइश इसलिए ज्यादा बनती है। हम इस बात की कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो केसेज दर्ज होते हैं उन पर ध्यान दिया जाए।

एक व्यू लिया गया है, वह व्यू मैं भी सच मानता हूं और जैसा सवेरे मैंने अपने वक्तव्य में कहा था, हमारे पुलिस अधिकारियों ने जो हमारा शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन है उसके सामने यह व्यू रखा है। उसमें जो आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि केवल डी.वाई. एस. पी. ही इसकी तफ्तीश करेगा, इससे हमारा मत ठीक नहीं बैठता। क्योंकि डी.वाई. एस. पी. कई बार व्यस्त होता है, कई बार उसमें एस. एच. ओ. अपनी जिम्मेदारी अनुभव नहीं करता है और वह एस. एच. ओ., स्थानीय थाने का स्टाफ उसको अपना केस नहीं मानता है, एफ. आई. आर. दर्ज करते ही वहां भेज देता है। सुपरविजन वैसे ही डीवाई. एस. पी. का रहता है, सुपरविजन वैसे ही एस. पी. का रहता है। तो यह जो एक सोच हमने दिल्ली के सामने रखा है यह सोच-समझकर रखा है

(श्री कैलाश मेघवाल)

कि एस. एच. ओ. जिम्मेदार हो तो आफेंस घटित होते ही तात्कालिक रूप से कार्यवाही होगी। क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि क्रिमिनल केसेज में तात्कालिक कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी और आप उसमें परिणाम ले आए तो उसमें तफ्तीश भी ठीक होगी, पुख्ता होगी। लेकिन ज्यों ही उसमें ढिलाई हुई और यह ढिलाई कई बार जानबूझकर की जाती है, कई बार करायी जाती है, कई बार फाइल और पत्रावलियों की इधर-उधर हेराफेरी भी हो जाती है। ये सारे तौर-तरीके हैं जिनमें इस तरह की प्रवृत्तियां आ जाती हैं। मेरा यह मानना है कि अपराध घटित होने के साथ सुप्रीम कोर्ट तक अपराधी बचने की कोशिश करता है और इसलिए अपराध घटित होने के साथ ही वह जिस तरह से भी हो सके, सिफारिश से, धन से, किसी और बल से वहां से बचने की कोशिश करता है। इसी प्रक्रिया में वह इन पत्रावलियों के अनुसंधान को भी इधर-उधर कई बार करने में सफल हो जाता है। लेकिन हम इस बात की कोशिश करते हैं कि ऐसी स्थिति के बाद भी अनुसंधान पूर्णतया निष्पक्ष हो और इस निष्पक्ष अनुसंधान के आधार पर आगे की कार्यवाही चले।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। मैं आपके सामने अपना वक्तव्य रख रहा हूं, उसके सामने मैं आपको सोचने के लिए बाध्य करना चाहता हूं। हमारे यहां पर जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ है, कुछ नैतिकता वाले जो व्यवहार हैं उनको हम अपराध की श्रेणी में ले आये हैं। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं, माननीय सदस्यों की जानकारी में लाना चाहता हूं कि एक अपराध है, वह हो रहा है, हम सब देख रहे हैं, राजकीय अधिकारी भी देख रहे हैं, हम उसमें सम्मिलित भी हो रहे हैं और हम कर कुछ नहीं रहे हैं। इससे एक मानसिक आपराधिकता बढ़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण देना चाहूंगा जैसे शारदा एक्ट है। अब शारदा एक्ट, 1932 में स्टेट्युटरी बुक पर आ गया। मेरा ऐसा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि शारदा एक्ट से अब चाइल्ड मैरिज प्रतिबंधित है, आफेन्स है। उपाध्यक्ष महोदय, आप अपना मन टटोल लें और हम सब अपना मन टटोल लें कि यह आफेन्स होते हुए हम कितना देख रहे हैं, टालरेट कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि इससे एक आपराधिक मानसिकता बढ़ती है। जैसे द्यूत क्रीड़ा है, जुआ खेलना है। उपाध्यक्ष महोदय, एक आफेन्स तो होता है प्रोपरटी और परसन के खिलाफ जो अलग से कोडिफाई करते हैं औ एक आफेन्स होता है जिसमें विक्टिम कोई नहीं होता, उसमें विक्टिम कोई नहीं है। जैसे मैंने आप से निवेदन किया चाइल्ड मैरिज एक्ट में विक्टिम कोई नहीं है, उनकी परम्परा के हिसाब से वे बात करते हैं। जैसे दूसरा प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन में विक्टिम कोई नहीं है। विक्टिमलैस आफेन्सेज हैं ये। जैसे हमने कल एक कानून बना दिया ड्रग्स

(श्री कैलाश मेघवाल)

का। लोग ड्रग्स लेते हैं, अब ड्रग्स में विक्टिम कोई नहीं है। जैसे गैम्बलिंग हैं, गैम्बलिंग के आधार पर तो सारी महाभारत हो गयी। आप गैम्बलिंग को कब से देख रहे हैं? गैम्बलिंग के स्वरूप अलग-अलग हैं उनको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। गैम्बलिंग में समाज के श्रेष्ठ वर्ग से समाज के नीचे के लोग इन्वाल्व रहते हैं और यह आफेन्स लगातार होता रहता है। कई बार पुलिस जाती है तो पकड़ लेती है। इसी तरह से सुसाइड के आफेन्स हैं, पोरनोग्राफी के हैं, बैगिंग के हैं। चाइल्ड लेबर, अब हिन्दुस्तान में चाइल्ड लेबर आफेन्स है, जहां कि दस्तकार परिवारों में प्रथम शिक्षा ही इसकी मिलती है। वह भी एक आफेन्स है। तो हमने कुछ ऐसे अपराध घोषित कर दिये हैं जो नैतिकता के आधार पर तो ठीक नहीं हैं लेकिन सामान्यतः व्यवहार में हमारी परम्पराओं के हिसाब से वे ठीक नहीं बैठते ऐसी स्थिति में एक सम्पूर्ण विवेचन हो। मैंने यह दृष्टिकोण जब लॉ कमीशन के मैम्बर्स यहां आये थे, उनके सामने भी बातचीत में रखा था। एक सम्पूर्ण विवेचन इसका होना चाहिए कि आखिर हम आफेन्सेज किन को मानें। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट और स्ट्रिक्टली क्रिमिनल कोड ऑफ कंडक्ट में फर्क करना पड़ेगा हमको। यह सोच भी हमारा चल रहा है क्योंकि यह तो निरन्तर प्रक्रिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो उन्होंने यातायात के बारे में चिंता व्यक्त की है, पुलिस पुनर्गठन की बात की है। अस्पताल की अभी एक मांग यहां रखी गयी, राजस्थान के सभी डिवीजनल हैडक्वार्टर्स के जो अस्पताल हैं वहां पर सुविधा के लिए चौकी कायम की गयी है। जैसे एस. एम. एस. में चौकी कायम कर दी है। सारी जगह पुलिस चौकियां कायम करने का निर्णय हम ले चुके हैं, उसके आदेश निकल जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मकराना से आने वाले माननीय विधायक ने मेघवाल शब्द की ज्यादा लम्बी छलांग लगायी है इस आधार पर कि वे भी मेघवाल हैं, मैं भी मेघवाल, मरने वाले भी मेघवाल और जिसके घर की छत पर मरे हैं जेठमल जी बरबड़, वे भी मेघवाल कांग्रेस के भूतपूर्व एम. एल. ए. हैं। वास्तव में यह चिन्ता का विषय है कि एक घटना हुई जिसमें मर्डर हुआ जो ब्लाइंड मर्डर है और तीन लोगों का मर्डर हुआ है। उस मर्डर के सम्बन्ध में आज मेरे अधिकारियों से चर्चा करके ये निर्देश दिये हैं कि इस प्रकरण को सी. आई. डी. (सी. बी.) में लेकर एस. पी. के साथ एक स्पेशल टीम बनाकर इसका इन्वेस्टीगेशन प्रारम्भ किया जाए और इसको वर्क आउट करने की कोशिश की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्डार से आने वाले माननीय विधायक ने जिस सीरिया डकैत के बारे में चर्चा की है, मैं

(श्री कैलाश मेघवाल)

आपके द्वारा उनको सूचित करना चाहता हूं कि इसमें अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। उस अनुसंधान के पूर्ण होने के साथ ही चालान के लिए वारंट भी ले लिये गये हैं और अपराधी भागते फिर रहे हैं। उसमें जितने भी अधिकारी और अपराधी हैं उन सबके खिलाफ मर्डर केस के चालान पेश किये जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पुलिस पर आप देखिये कि पिछले एक साल में आतंकवादी गतिविधियों की पृष्ठभूमि में और असामाजिक तत्त्वों के क्रियाकलापों की पृष्ठभूमि में नई चुनौतियां सामने आयी हैं। उसमें सुरक्षित व्यक्तित्व, विशेष सुरक्षित व्यक्तित्व के यहां पर कितने दौरे हुए, यह मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि पुलिस को उसमें लगाना ही पड़ता है, हमारी सारी व्यवस्था उस तरफ चली जाती है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम उप-राष्ट्रपति महोदय एक-एक बार, माननीय प्रधानमंत्री महोदय सात बार, विदेशी राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री महोदय पांच बार यात्रा पर राजस्थान पधारे। इसी प्रकार डॉ. फारूक अब्दुल्ला व श्री प्रकाश सिंह बादल जैसे अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्ति भी राजस्थान की यात्रा पर पधारे। राज्य में श्रेणीबद्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति-जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति 98 बार आये, जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति 59 बार आये हैं। वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति 66 बार आये हैं। केन्द्रीय मंत्रीगण व अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति 109 बार राज्य की यात्रा पर पधारे हैं। इसी प्रकार अति-विशिष्ट श्रेणी के विदेशी मेहमानों की राज्य में 18 यात्राएं हुई हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पर्व और अन्य व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। मैंने आपसे निवेदन किया कि पुलिस पर दबाव बहुत बढ़ गया है इसलिए इस पृष्ठभूमि को आपके सामने रखने के बाद आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने गंभीरता से इस बात को सोचा है। थाने के स्टाफ में एक स्टाफ वह है जो जनरल लॉ एण्ड आर्डर के लिये वी. आई. पीज को अटेंड करे, जो प्रोटोकाल को अटेंड करे। एक स्टाफ वह हो जो आइडेन्टीफाइड हो कि फील्ड ड्यूटी में इस प्रकार के कामों में नहीं रहेंगे, वे केवल इन्वेस्टीगेशन के कामों में ही लगे रहेंगे जिससे कि इन्वेस्टीगेशन में विलम्ब नहीं आए, कोई हेराफेरी नहीं हो और इन्वेस्टीगेशन की निरन्तरता और तत्परता बनी रहे। यह हमारा सोच चल रहा है और इस सोच से हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी भी सहमत हैं। मैं माननीय सदस्यों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अपराधों का त्वरित गति से और तत्परता से अनुसंधान करने के लिए नयी दिशा में हम बहुत जल्दी कदम उठाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पुलिस का एक गौरवशाली इतिहास भी है। गौरवशाली, मैं इसलिए कहता हूं कि राजस्थान पुलिस भारतीय पुलिस के लिए

(श्री कैलाश मेघवाल) जारी

अनुकरणीय है। देश के पूरे राज्यों में जब विघटनकारी ताकतों ने सिर उठाया था उस समय त्रिपुरा व मणिपुर में आर. ए. सी. राजस्थान की भेजी गयी थी जिसने राजस्थानी संस्कृति के अनुरूप अपने व्यवहार कुशलता एवं कर्तव्यपरायणता से कार्य कर इन ताकतों से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। आन्ध्र प्रदेश में जब भाषा आधारित आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तब आर. ए. सी. के जवान भेजे गये। मौजूदा स्थिति में भी आर. ए. सी. की एक बटालियन दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था में सहयोग कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हमारे यहां से बोस्निया में यूनाइटेड नेशंस में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए एक टीम भेजी गयी है उसमें एक पुलिस अधीक्षक, तीन अपर पुलिस अधीक्षक एवं चार निरीक्षकों की सेवाएं उपलब्ध करवायी गयी हैं और वहां की सूचनाओं के अनुसार वहां पर हमारे ये जवान, बोस्निया में इंटरनेशनल रूल के अन्तर्गत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको हमेशा सतर्क रहना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीमा के बारे में बहुत चिन्ता है। हमारा इलाका बहुत संवेदनशील इलाका है। 1040 किलोमीटर हमारी अन्तरराष्ट्रीय सीमा है। उस अन्तरराष्ट्रीय सीमा में यह खुशी की बात है कि हमारी जो तारबंदी हुई है वह तारबंदी बीकानेर और गंगानगर में पूरी तरह हो गयी है और इससे असर पड़ा है। इस तरह की कई गतिविधियां होती हैं। यह अपराधी मानस तो बहुत तेज होता है लेकिन सामान्यतः अपराध करने की प्रवृत्तियों पर तारबंदी होने से वहां प्रतिबन्ध लग गया। बाड़मेर जिले से लगती सीमा का कार्य 15 किलोमीटर छोड़कर पूरा हो गया है, बीकानेर और गंगानगर में कार्य पूरा हो गया है, जैसलमेर जिले की 131 किलोमीटर सीमा में तारबंदी का कार्य पूरा हो चुका है। इस तरह 1040 किलोमीटर में से 682 किलोमीटर सीमा पर तारबंदी हो चुकी है, 358 किलोमीटर पर अभी बाकी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी इस बारे में लगातार केन्द्रीय गृह मंत्रीजी से और हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्रीजी से सतर्क होकर जब-जब भी अवसर आता है, जिस मंच पर भी अवसर आता है उनसे सम्पर्क बनाये हुए हैं। उस सम्पर्क में हम उम्मीद करते हैं कि यह 358 किलोमीटर की तारबंदी भी जल्दी से जल्दी हो जाएगी और अवांछित और असामाजिक गतिविधियों, अराष्ट्रीय गतिविधियों का जो संचालन इस सीमा से होता है उस पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगने की स्थिति बनेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुप्तचर सेवा के बारे में इस सदन में कई बार आलोचनाएं हुई कि जब कभी भी कोई घटना होती है, किसी तरह की कोई बात होती है तो उसमें सी. आई. डी. फेल,

(श्री कैलाश मेघवाल)

इंटेलीजेंस फेल, इंटेलीजेंस असफल रही है। इस बारे में लगातार आलोचनाओं की पृष्ठभूमि में और आवश्यकता देखते हुए हमारे यहां की इंटेलीजेंस की विशेष शाखा को मजबूत करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि बताया गया, हमारे डॉग स्कवाड्स को हमने स्ट्रेन्थन किया है। हमारे मॉनीटरिंग सैल को हमने स्ट्रेन्थन किया है, हमने कम्प्यूटर को स्ट्रेन्थन किया है। इस आधार पर सामाजिक जीवन में कहीं पर भी हमने किसी भी तरह की जो होने वाली घटना है उस घटना तक हम तुरत-फुरत पहुंच जाएं, इस बात की हम लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। ज्यों-ज्यों हम स्ट्रेन्थन कर रहे हैं, सुदृढ़ कर रहे हैं त्यों-त्यों अपराधों और किसी और तरह की घटनाओं को नियंत्रित करने में एक सार्थक और सही मदद हमारे इस इन्वेस्टीगेशन विभाग को मिल रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सभी माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गुप्तचर सेवाएं या जो हमारी विशेष शाखा की सेवाएं हैं इन सेवाओं को हम एक के बाद एक बहुत अच्छी तरह से हमारी पुनर्गठन योजना के तहत सुदृढ़ करेंगे, उस सुदृढ़ता का लाभ सम्पूर्ण पुलिस बल की कार्य प्रणाली को मिलेगा और समाज को भी मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वायरलैस के बारे में यहां पर कई बार चर्चाएं की गयीं। उस बारे में भी हमने पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है और वायरलैस की जो भी कमी थी, मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पुलिस विभाग के जो भी प्रस्ताव वाजिब हैं, उन प्रस्तावों पर अर्थ की मंजूरी, वित्त की मंजूरी माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत ही उदारतापूर्वक दे रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी कहा गया, कई अपराध पंजीबद्ध होते हैं। हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था है, उस जनतांत्रिक व्यवस्था में हम जुलूस भी निकालते हैं, हम आन्दोलन भी करते हैं, हम समारोह भी आयोजित करते हैं, हम प्रदर्शन भी करते हैं, हम धरने भी देते हैं। हमारी आज की जिस प्रकार की कार्य-प्रणाली चल रही है उस कार्य-प्रणाली में ये सारी बातें होती हैं। इनमें कई बार सीमाएं लांघ दी जाती हैं। प्रदर्शन, आन्दोलन या जुलूस में कई वार अति हो जाती है तो आपराधिक परिभाषाओं में उनके वे कृत्य आ जाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के, श्रमिकों के, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के, धार्मिक संस्थानों में विश्वास करने वालों के और दूसरे तरह के अभाव-अभियोगों के लिए आन्दोलन करने वाली सामान्य जनता के, लोगों के प्रकरण पुलिस में पंजीबद्ध होते रहते हैं। तत्काल उनकी आवश्यकता भी है। उनको नियंत्रित करने के लिए, उस समय की स्थिति को ठीक कन्ट्रोल में लाने के लिए यह आवश्यक भी है, ऐसा लगातार होता रहा है। लेकिन राज्य सरकार की एक स्पष्ट

(162)

(श्री कैलाश मेघवाल)

सोच है। मैंने इसी प्रांगण पर पहले एक बार घोषणा की थी कि राजस्थान में राजनीतिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जन आन्दोलन और प्रदर्शनों के जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं पर, अभाव-अभियोगों की बात उठाने वाले कार्यकर्ताओं पर जितने भी प्रकरण चल रहे हैं, राज्य सरकार उदारतापूर्वक उनको वापस लेगी। प्रकरण को वापस लेने की दो प्रक्रियाएं हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। एक प्रक्रिया यह है कि जिला कलेक्टर, मजिस्ट्रेट और एस. पी. बैठकर ऐसे छोटे-छोटे प्रकरण जो अदालतों में चल रहे हैं, जिनमें उनको ज्यादा कोई कष्ट नहीं दिखता उनकी वे सिफारिश भेजते हैं तो राज्य सरकार सहमति देती है। एक वे प्रकरण जो मैंने आपको बताये। इस तरह के आन्दोलन के प्रकरण जितने भी राजस्थान से हमारे पास आये, मुझे इस बात की खुशी है कि हम उदारतापूर्वक अभी तक 400 ऐसे प्रकरणों को अदालतों से वापस लेकर हजारों कार्यकर्ताओं को राहत पहुंचा सके हैं क्योंकि इन प्रकरणों में उनकी आपराधिक मानसिकता नहीं होती है। वर्तमान में माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी और मेरी एक कमेटी बनी हुई है जो त्वरित गति से इन मुकदमों को वापस ले रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। कई प्रकरण अभी तक सचिवालय में हैं जिन पर हम अभी तक निर्णय नहीं ले सके हैं। कई प्रकरण अभी तक रिपोर्ट्स में आते हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने हमको ऐसे प्रकरण दे रखे हैं उन पर सरकार निश्चित रूप से सकारात्मक रुख अपनाकर विथड्रा करने की कार्यवाही करेगी। छात्रों पर, श्रमिकों पर और राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर-इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, इस तरह के जो प्रकरण अदालतों में चल रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमको सूचना दें, हम उनको वापस लेने की कोशिश करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहां की सारी कार्यवाही के आधार पर आप द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के आधार पर हम सही ढंग से हमारे पुलिस बल को निर्मित करने में, उसकी रचना करने में, उसको दिशा देने में सफल होंगे और आपने अभाव-अभियोग जो हमको बताये हैं, प्रत्येक पर ठोस रूप से कार्यवाही की जाएगी।

श्री कन्हैयालाल मीणा : टण्डन को गिरफ्तार करने की कोई बात नहीं कही आपने।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सब कोशिशों के बावजूद Criminal mind is always faster and more egile than the average mind of the society. जिस तरह के कृत्य में जिस अधिकारी का

(श्री कैलाश मेघवाल)

नाम आपने लिया है, हमारी पुरजोर कोशिशों के बावजूद भी हम गिरफ्तारी नहीं कर सके हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मामले में राजस्थान पुलिस अपनी पुख्ता कार्यवाही करने की पूरी कोशिश करेगी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कोशिशें सफल होंगी। मैं इस बारे में इतना ही आपसे कह सकता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्यों का एक बार फिर आभार प्रदर्शित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 1997 के मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 17.45 बजे 12 मार्च, 1997 के 12.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(164)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 160 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

एम. ए. एच. कमेटी द्वारा किये गये निरीक्षण

क्रम. सं.	कारखानें का नाम	निरीक्षण की दिनांक
1	2	3
1.	मैं. एडवान्स केमीकल्स इण्ड, अलवर	24.2.93
2.	" अलवर केमीकल्स इण्ड, अलवर	24.2.93
3.	" अलाइड केमीकल्स, अलवर	24.2.93
4.	" एमजोल इण्डिया प्रा. लि., उदयपुर	29.4.93, 8.7.94
5.	" सूर्या केमीकल्स प्रा. लि., अलवर	25.2.93
6.	" भारत पेट्रोलियम कारपोरशन लि., जयपुर (गैस फिलिंग प्लांट)	13.1.93, 29.6.94
7.	" भारत रसायन उद्योग, अलवर	25.2.93
8.	" क्लोराइड एण्ड केमीकल्स, अलवर	27.2.93
9.	" क्लोरोकेम इण्ड, कोटा	11.2.93
10.	" क्लोरोकेम इण्ड, अलवर	25.2.93
11.	" चन्देरिया लेड जिंक स्मेल्टर, पुठोली, चित्तौड़गढ़,	30.4.93, 6.7.93
12.	" डिकेम प्लास्टिक, प्रा. लि., भिवाड़ी	23.9.96
13.	(फाल्कन गल्फ सिरेमिक्स लि. अलवर) मै. ई. आई. डी. पैरी (इण्डिया) लि., अलवर	26.2.93, 30.6.94
14.	" गुप्ता केमीकल्स प्रा. लि., जयपुर	13.1.93
15.	" गौतम केमीकल्स, अलवर	27.2.93
16.	" गजानन्द केमीकल्स, अलवर	25.2.93, 30.6.94
17.	" गर्ग केमीकल्स, अलवर	26.2.93
18.	" गोल्डस्टोन ड्रग्स एण्ड केमीकल्स, भिवाड़ी	25.9.96
19.	" ग्लोबल एण्टरप्राइजेज, अलवर	25.2.93
20.	" ग्रीनफिल्ड इण्ड., अलवर	25.2.93

1	2	3
21.	" गोयनका इण्ड., जयपुर	15.1.93
22.	" गोपाल सिन्थेटिक्स, कोटा	10.2.93
23.	" हिन्दुस्तान एग्रो केमीकल्स, उदयपुर	28.4.93
24.	" हरियाणा केमीकल्स, अलवर	25.2.93
25.	" हिन्दुस्तान केमीकल्स, अलवर	25.2.93
26.	" एच. के. पेपर इण्ड प्रा. लि., अलवर	27.2.93
27.	" हिन्दुस्तान पेट्रो प्रोडक्टस, अलवर	25.2.93
28.	" इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. (इण्डियन बोटलिंग प्लांट, सवाईमाधोपुर)	27.4.93
29.	" जे.के. एक्रीलिक्स, कोटा	10.2.93
30.	" लश्चर टाइल्स लि. भिवाड़ी	23.9.96
31.	" मोदी अल्कालीज एण्ड लि. अलवर केमीकल्स लि.	26.2.93, 30.6.94
32.	" मोदीगढ़ केमीकल्स लि., अलवर	25.2.93
33.	" महावीर केमीकल्स, अलवर	26.2.93
34.	" नोएडा केमीकल्स इण्ड, अलवर	24.2.93
35.	" नेशनल इंजीनियरिंग इण्ड. लि., जयपुर।	13.1.93, 28.6.94
36.	" प्रेम केमीकल्स, अलवर	25.2.93
37.	" पेस्टीसाइड इण्डिया, उदयपुर	28.4.93, 7.7.94
38.	" इण्डियन ऑयल कोरपोरेशन लि., (इण्डेन बॉटलिंग प्लांट, अजमेर)	27.4.93
39.	" पारर्स लेमीनेट प्रा. लि, भिवाड़ी	24.9.96
40.	" प्रिमीयर पैराफिन प्रा. लि., अलवर	25.2.93
41.	" राजस्थान केमीकल्स इण्ड, अलवर	25.2.93
42.	" राजस्थान ग्लोक्सल लि., उदयपुर	29.4.93
43.	" एस. बी. पी. केम प्रा. लि., कोटा	12.2.93
44.	" सुपरकेम इण्ड, अलवर	24.2.93
45.	" श्रीकेम इण्ड, अलवर	24.2.93

1	2	3
46.	" स्वदेशी केमीकल्स इण्ड, अलवर	24.2.93
47.	" सरोवर केमीकल्स, अलवर	24.2.93
48.	" सुभाष केमीकल्स, अलवर	26.2.93
49.	" सरावगी केमीकल्स, जयपुर	15.1.93
50.	" श्री राम फर्टिलाइजर एण्ड केमीकल्स, कोटा	11.2.93, 5.7.94
51.	" सेमकोर ग्लास लि., कोटा	5.7.94
52.	" सेमटेल इण्ड. लि., भिवाड़ी	1.7.94, 24.9.96
53.	" श्री ऑरगनिक्स केम प्रा. लि., अलवर	26.2.93
54.	" श्री पदमावती केमीकल्स इण्ड., अलवर	26.2.93
55.	" श्री राम फाइबर लि. झिवाना, (तिजारा) अलवर	1.7.94, 24.9.96
56.	" श्री राम रेयन्स, कोटा	10.2.93
57.	" श्री राम विनायल्स एण्ड केमीकल्स, कोटा	11.2.93
58.	" उदयपुर फोस्फेट एण्ड फर्टिलाइजर लि., उदयपुर	28.4.93, 8.4.94
59.	" बी. के. प्लास्टोकेम इण्ड., अलवर	25.2.93
60.	" विक्रम पॉलिप्लास्ट लि., अलवर	25.2.93
61.	" विकास उद्योग, अलवर	25.2.93
62.	" वेस्टर्न केमीकल्स, अलवर	24.2.93
63.	" मैं. पी. जी. एल. विसकरम् एम. आई. ए., अलवर	26.2.93
64.	" एम. आई. ए. प्लास्टीसाइजर्स, अलवर	27.2.93
65.	" रामावतार पेट्रो केमीकल्स प्रा. लि., अलवर	25.2.93
66.	" अपोलो केमीकल्स, अलवर	25.2.93

(167)

परिशिष्ट "ख"

एम. ए. एच. कारखानों जिनका निरीक्षण कमेटी द्वारा नहीं किया गया है।

क्र. सं.	कारखाने का नाम	विवरण
1.	मै. एंग्रो केमीकल्स, जयपुर	—
2.	" अलवर पैराफिन एण्ड एलाइड प्रॉडक्ट, अलवर	—
3.	" भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट, सफोदरा, उदयपुर	—
4.	" चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकल्स लि., कोटा	—
5.	" केमप्लास्ट इण्डस्ट्रीज, अलवर	—
6.	" क्लासिका टाइल्स प्रा. लि., आबूरोड, (सिरोही)	—
7.	" डोक्सिल प्रॉडक्ट्स, जोधपुर	—
8.	" हिन्दुस्तान कॉपर लि. खेतड़ी नगर, झुंझुनूं	—
9.	" हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. गैस फिलिंग प्लांट, जोधपुर	—
10.	" टी. एम. इण्डस्ट्रीज, बगरू, जयपुर	—
11.	" राजस्थान पॉलिमरस एण्ड रेजिनलि., आबू रोड, (सिरोही)	—
12.	" शान्ती केमीकल्स, अलवर	—
13.	" टेली ट्यूब्स इलेक्ट्रोनिक्स लि., भिवाड़ी	—
14.	" कल्पना मेटल्स (अल्ट्राकेम डिविजन) उदयपुर	—
15.	" भारत केमीकल्स, भिवाड़ी	—
16.	" राजस्थान पैराफिन क्लोराइड, अलवर	—
17.	" खेमसन्स पॉलिमर्स, अलवर	—
18.	" कोटा थर्मल पावर स्टेशन, सकतपुरा, कोटा	—

1.	मै. अरुण इण्डस्ट्रीज, भिवाड़ी	बन्द
2.	" बी. एल. इण्डस्ट्रीज, जयपुर	बन्द
3.	" डी-केम प्लास्टिक्स भिवाड़ी	बन्द
4.	" ईगल केमीकल्स प्रा. लि., जयपुर	बन्द
5.	" हर्बिसाइड्स इण्डिया लि., जयपुर	बन्द
6.	" मुनकगलवाशीट्स लि., भिवाड़ी	बन्द
7.	" सुप्रीम केमीकल्स इण्डस्ट्रीज, भिवाड़ी	बन्द
8.	" सांघी ऑक्सीजन कम्पनी, जयपुर	बन्द
9.	" विट्ठल ड्रग्स, भिवाड़ी	बन्द
10.	" विनर केमीकल्स, अलवर	बन्द

(168)

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 162 की सूची)

परिशिष्ट "3"

पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत हेरिटेज होटल्स की सूची

1. पुष्कर पैलेस, पुष्कर
2. खींवसर फोर्ट, खींवसर (नागौर)
3. नीमराणा फोर्ट पैलेस, नीमराणा
4. सरिस्का पैलेस, सरिस्का
5. सवाईमाधोपुर लॉज, सवाईमाधोपुर
6. बिसाऊ पैलेस, जयपुर
7. नारायण निवास पैलेस, जयपुर
8. राजमहल पैलेस, जयपुर
9. रामगढ़ लॉज, रामगढ़ (जयपुर)
10. सामोद हवेली, जयपुर
11. सामोद पैलेस, सामोद
12. भंवर निवास, बीकानेर
13. गजनेर पैलेस, गजनेर (बीकानेर)
14. लालगढ़ पैलेस, बीकानेर
15. अजीत भवन, जोधपुर
16. करणी भवन, बीकानेर
17. फोर्ट चांदवां, लूनी
18. कामा राजपूताना क्लब रिजोर्ट, माउण्ट आबू
19. क्नॉट हाउस, मा. आबू
20. पैलेस होटल, मा. आबू
21. रोहितगढ़, रोहित
22. रूपनिवास पैलेस, नवलगढ़
23. डंग डूण्डलोद किला, डूण्डलोद
24. कैसल मण्डावा, मण्डावा
25. मुकुन्दगढ़ फोर्ट, मुकुन्दगढ़
26. गोल्डन कैसल रिजोर्ट, पचार
27. केसल बीजापुर, बीजापुर
28. फतेहप्रकाश पैलेस, उदयपुर
29. शिकारबाड़ी, उदयपुर
30. शिव निवास पैलेस, उदयपुर

परिशिष्ट–ख

पर्यटन विभाग, भारत सरकार से गैर वर्गीकृत एवं कार्यशील/आंशिक कार्यशील/हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया वाली हेरिटेज होटल्स की सूची

1. फोर्ट बाघेरा, बाघेरा
2. अमरबाग, जूनियां
3. फोर्ट खरवां, खरवां
4. रूपनगढ़ फोर्ट, रूपनगढ़
5. दुगोरगढ़, दुगोर
6. मेरवाड़ा एस्टेट (टीकमनिवास), अजमेर
7. गोविन्दगढ़ फोर्ट, गोविन्दगढ़
8. कैसल अवान, अवान
9. लक्ष्मी विलास पैलेस, भरतपुर
10. चन्द्रमहल हवेली, पिहारसर
11. गोलबाग पैलेस, भरतपुर
12. भंवर विलास पैलेस, करौली
13. ईश्वरी निवास, बून्दी
14. हवेली ब्रजभूषण जी, बून्दी
15. सुखधाम, कोटा
16. बृजराज भवन पैलेस, कोटा
17. शेरगढ़ हवेली, शेरगढ़
18. उम्मेद भवन पैलेस, कोटा
19. उदय विलास पैलेस, डूंगरपुर
20. भद्रावती पैलेस, भाण्डारेज
21. अचरोल लॉज, जयपुर
22. अलसीसर हवेली, जयपुर
23. मण्डावा हाउस, जयपुर
24. रॉयल कैसल, कानौतां (जयपुर)
25. सामोद बाग, सामोद (जयपुर)
26. शाहपुरा गार्डन पैलेस, शाहपुरा (जयपुर)
27. जसवन्त भवन, बीकानेर
28. करणी भवन, जोधपुर
29. झालामन्दगढ़, झालामन्द (जोधपुर)
30. बालसमन्द लेक पैलेस, बाल समन्द (जोधपुर)
31. गढ़ खेजड़ला, खेजड़ला
32. पोकरण फोर्ट, पोकरण
33. धामली फोर्ट, धामली
34. सरदार समन्द लेक रिजोर्ट, सरदार समन्द
35. मंदिर पैलेस, जैसलमेर
36. साथिनगढ़, साथिन
37. जगराम दुर्ग, निमाज
38. महारानी बाग औरचार्ड रिट्रिएट, रणकपुर
39. रॉयल रजवाड़ा, भद्राजून
40. रावला भैसवाड़ा, भैसवाड़ा
41. रॉयल कैसल, धानेराव
42. कोटड़ी रावला, कोटड़ी
43. कैसर भवन पैलेस, मा. आबू
44. सनराईस पैलेस (भरतपुर हाउस), मा. आबू
45. रावला नारलाई, नारलाई
46. रॉयल कैसल, बालून्दा
47. सोडावास कोट, सोडावास
48. पीरामल हवेली, बग्गड़ (झुन्झुनूं)
49. डेरा दांता किला, दांता
50. डूण्डलोद कैसल, डूण्डलोद
51. नारायणनिवास कैसल, महानसर
52. पैलेस बस्सी, बस्सी
53. देवगढ़ कैसल, देवगढ़
54. धरिवाद कैसल, धरिवाद
55. फोर्ट थाना, थाना (उदयपुर)
56. कारावन सराई, उदयंपुर
57. रंगनिवास पैलेस, उदयपुर
58. राजमहल भिण्डर, भिण्डर

परिशिष्ट-स

राज्य पूंजी विनिधान अनुदान योजना 1993 एवं डीजल जनरेटिंग सेट क्रय अनुदान योजना 1994 के अन्तर्गत पर्यटन इकाइयों को किए गए अनुदान भुगतान का विवरण

1. राज्य पूंजी विनिधान अनुदान योजना 1993

	इकाई का नाम	अनुदान भुगतान (राशि रु. लाखों में)
i.	रॉयल कैसल, खींवसर फोर्ट, खींवसर	05.64
ii.	होटल कन्चनदीप, जयपुर	05.01
iii.	होटल कैसल बीजापुर, चित्तौड़गढ़	00.86
iv.	मैसर्स गीतान्जली होटल्स एण्ड प्रमोटर्स प्रा. लि., (होटल महारानी पैलेस), जयपुर	15.00
v.	वैलकम ग्रुप खींवसर फोर्ट, खींवसर	07.06
vi.	मैसर्स क्राफ्ट पैलेस होटल्स इण्डिया प्रा. लि., (होलीडे इन, जयपुर)	15.00
vii.	मैसर्स शिवदीप होटल्स प्रा. लि. (होटल लक्ष्मी विलास पैलेस), भरतपुर	02.18
viii.	होटल मोती महल पैलेस, अजमेर	00.66
ix.	होटल राजपूताना पैलेस, जोधपुर	00.95
	कुल योग : –	**52.36**

डीजल जनरेटिंग सेट क्रय अनुदान योजना 1994

	इकाई का नाम	अनुदान भुगतान (राशि रु. लाखों में)
i.	मैसर्स गीतान्जली होटल्स एण्ड प्रमोटर्स प्रा. लि., (होटल महारानी पैलेस), जयपुर	00.50
ii.	वैलकम ग्रुप खींवसर फोर्ट, खींवसर	00.50
	कुल योग : –	**01.00**

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति

169. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के प्रति जनता का सम्मान कम हो रहा है तथा विभागीय छवि दिन प्रति दिन गिरती जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उसको रोकने का प्रयास कर रही है, यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के प्रति जनता का सम्मान कम नहीं हुआ है, और न ही विभागीय छवि दिन प्रतिदिन गिर रही है।

ग्राम चिरोटा (जयपुर) में आबंटित पट्टे

170. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि नगरपालिका बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के पूर्व में चिरोटा गांव के रोड पर रीको इण्डस्ट्रियल एरिया के पास अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 31 के अन्तर्गत निःशुल्क पट्टे जारी किये गये? यदि हां, तो किन-किन को, कब-कब? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। यह सही है कि हाल नगरपालिका बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर के पूर्व में चिरोटा गांव के रोड पर रीको इण्डस्ट्रियल एरिया के पास पूर्व ग्राम पंचायत बगरू के ग्राम बगरूकलां में वर्ष 1974-75 में राज. टीनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 31 के अन्तर्गत भूमिहीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों एवम् कृषि कर्मी कारीगरों आदि को रहवासीय हेतु सिवायचक/चरागाह भूमि में से 150-150 वर्गगज के 234 व्यक्तियों को निःशुल्क पट्टे तहसीलदार, सांगानेर द्वारा जारी किये गये थे। सभी 234 पट्टेदारों की सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 21 जनवरी, 1997)

उद्योगों को करों में छूट

16. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से बिक्री एवं चुंगी कर की राशि से छूट दी गई अथवा माफ

(श्री रामनारायण मीणा)

की गई है? यदि हां, तो कितनी राशि की किस उद्योग को? वर्ष 1991 से अब तक की अवधि का उद्योगवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इसी प्रकार से कृषि कार्य के लिए उपयोग में आने वाले उपकरणों, खाद आदि पर भी बिक्री कर से पूर्णतः छूट दिया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो किस-किस पर कितनी-कितनी राशि की? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किसी भी उद्योग को औद्योगिक नीति के तहत पूर्णतया बिक्री कर से मुक्त नहीं किया गया है। राज्य में औद्योगिक वातावरण तैयार करके औद्योगिक प्रगति को गति प्रदान करने के उद्देश्य से नई औद्योगिक इकाइयों, उत्पाद विविधिकरण/क्षमता विस्तार करने वाली मौजूदा इकाइयों एवं रुग्ण इकाइयों के लिए विक्रय कर प्रोत्साहन/आस्थगन की योजनाएं प्रतिपादित की गई। ये योजनाएं औद्योगिक इकाइयों को मात्र निश्चित समय सीमा तथा वित्तीय सीमा तक विक्रय कर भुगतान से छूट/आस्थगन का लाभ प्रदान करती है। प्रोत्साहन योजना में जहां कर भुगतान से छूट की सुविधा प्रदान की गई है वही आस्थगन योजना के अन्तर्गत क्रेताओं से विक्रय कर निश्चित समयावधि के पश्चात् ब्याज रहित किस्तों में भुगतान की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में 1987 एवं 1989 की दो योजनाएं प्रचलन में हैं गत सात वर्षों में 3188 इकाइयों ने छूट राशि का उपयोग किया है जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :— (राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	राशि	वर्ष	राशि
90-91	25.38	91-92	23.53
92-93	28.86	93-94	49.45
94-95	86.95	95-96	114.12
96-97	85.84	(दिसम्बर 96 तक)	
योग—	414.13		

(2) खाद्य आदि पर कर दर समाप्त करने या कम करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचारणीय नहीं है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-12-96 से स्प्रिंकलर पद्धति एवं ड्रीप सिंचाई पद्धति के लिए विनिर्दिष्ठ पुर्जों और उपसाधनों, जिसमें ऐसे पाइप सम्मिलित हैं जो कि अन्यतः ड्रीप और स्प्रिंकलर पद्धति के लिए उपयोग में लिये जाते हैं न कि वहन पाइपों के रूप में सामान्य कार्यों के लिए, के विक्रय को राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत उस सीमा तक छूट प्रदान की है जिस तक उनके सम्बन्ध में कर की दर 6 प्रतिशत से अधिक हो। अधिसूचना दिनांक 15-03-96 के अनुसार एक अश्व शक्ति तक के पानी के पम्प को छोड़कर पानी के पम्पों को एवं उनके उपसाधनों पर कर की दर 2 प्रतिशत की गई तथा 10 अश्व शक्ति तक के डीजल इंजन या सेन्ट्रीयूगल पानी के पम्प में उनके उपसाधन को भी 2 प्रतिशत से कर योग्य किया गया है।

(उप मुख्य (वित्त) मंत्री)

अधिसूचना दिनांक 28-04-78 से अधिसूचित कृषि उपकरण कर मुक्त है। नया विक्रय कर अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत भी दिनांक 23-07-96 की अधिसूचना से कृषि उपकरणों को कर मुक्त किया गया है।

आश्रम छात्रावासों का निरीक्षण

171. श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995-96 में जनजाति उप योजना क्षेत्र व माडा क्षेत्र में चलने वाले आश्रम छात्रावासों का किस-किस अधिकारी ने कब-कब निरीक्षण किया व निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियां अनुभव की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु क्या प्रणाली अपनाई जा रही है? क्या इस हेतु कोई अध्ययन किया गया है? यदि हां, तो इन राज्यों का भ्रमण करने वाले अध्ययन दल का प्रतिवेदन व सिफारिशें सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1995-96 की समयावधि में जनजाति उपयोजना क्षेत्र व माडा क्षेत्र में चलने वाले अधिकारियों, निरीक्षण की दिनांक तथा निरीक्षण के दौरान अनुभव की गयी कमियों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली परिशिष्ट "ब" पर है। जी हां उक्त प्रणाली का अध्ययन करने हेतु अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों का एक दल गुजरात एवं महाराष्ट्र भ्रमण हेतु गया था। अध्ययन दल का प्रतिवेदन (मय सिफारिश) परिशिष्ट "ब" पर प्रस्तुत है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम बालेसर (शेरगढ़) में सैनिक विश्राम गृह की स्थापना

172. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या मुख्य (सैनिक कल्याण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ग्राम बालेसर तहसील शेरगढ़ में सैनिक विश्राम गृह बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार द्वारा तहसील शेरगढ़ में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं। सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण अमलगमेटेड फण्ड की प्रबन्धकारिणी समिति, जिसके अध्यक्ष महामहिम राज्यपाल महोदय है, द्वारा नीति निर्धारण के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में सिर्फ उन्हीं जगहों पर सैनिक विश्राम गृह बनाये जा रहे हैं जहां पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय है।

(मुख्य (सैनिक कल्याण) मंत्री)

(2) राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही निम्नांकित योजनाओं/कार्यों से शेरगढ़ तहसील के पूर्व सैनिक भी लाभान्वित होने के पात्र है। : —

1. पूर्व सैनिकों के स्व-रोजगार हेतु राज्य में सैम्फैक्स प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजनाएं चलायी जा रही है।

2. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को पेंशन।

3. पूर्व सैनिकों की 1000 प्रतिभावान छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत।

4. पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु माह में एक दिवस सहायता दिवस तथा जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों द्वारा माह में 2 दिवस के उपखण्ड/तहसील स्तर पर कैम्प।

5. पूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर नियोजन दिलाने के उद्देश्य से सभी जिलों में राजस्थान सहकारी अधिनियम, 1965 के तहत पूर्व सैनिकों को सोसाइटियों का गठन के आदेश।

बून्दी में होटल अनुज्ञा के लम्बित प्रकरण

173. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि बून्दी नगर के समीप होटल लगाने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या इस हेतु कोई प्रार्थना-पत्र भी प्राप्त हुए हैं? जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 1996 तक प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बून्दी नगर के समीप ओबेराय ग्रुप, ताज ग्रुप आदि होटल लगाना चाहते हैं? यदि हां, तो क्या इस हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कब और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है।

उत्तर

(1) जी नहीं। यद्यपि आर. टी. डी. सी. की होटल वृन्दावती वर्तमान में संचालित है। जनवरी, 91 से 31-12-96 तक प्राइवेट क्षेत्र में होटल लगाने हेतु ग्राम बून्दी सिटी व देवपुरा के लिए क्रमशः 14 व 16 व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त हैं जो परिशिष्ट "अ" व "ब" पर है।

(2) जी हां। ताज ग्रुप ऑफ होटल की ओर से दी गेट वे होटल्स एण्ड गेटवे रिसोर्टस लिमिटेड बॉम्बे ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर जिला कलेक्टर, बून्दी ने 14 बीघा 17 बिस्वा भूमि होटल स्थापना हेतु आबंटित की गई थी। इस भूमि में से 4 बीघा 18 बिस्वा जमीन वन विभाग द्वारा दिनांक 13-5-96 को रक्षित घोषित कर दी गई है। वन विभाग के निर्णय के विरुद्ध गेटवे होटल ने जिला कलेक्टर, बून्दी के न्यायालय में अपील दायर की है, जो विचाराधीन है।

परिशिष्ट-"अ"

बूंदी सिटी में विस्थिति आराजी खसरा सं.-526 रकबा 2 बीघा राजकीय सिवायचक भूमि को सार्वजनिक नीलामी द्वारा आबंटन किये जाने के संबंध में निम्नांकित आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुए है : –

क्र.सं.	नाम आवेदक	आवेदन प्रस्तुती दि.
1.	श्री अरूण कुमार आरोड़ा, के. जे. इन्टर नेशनल एक्सपोर्ट डिवीजन, 62 भण्डारी ब्रिज, अमृतसर।	28-9-93
2.	श्रीमती कमलेश गोयल पत्नी श्री शिवकुमार गोयल, न्यू कालोनी बूंदी।	30-9-93
3.	श्री गौरव मोहन जेथलियॉ आ. श्री आनन्दमोहन जैथलियॉ, नीम का चौहटा बूंदी।	30-9-93
4.	श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी आ. श्री नंदकिशोर, शीतला गली, बूंदी	1-10-93
5.	श्री पवन कुमार मूंदड़ा आ. दुर्गादत मूदड़ा खोजगेट रोड बूंदी।	5-10-93
6.	श्रीमती अनिता नामा पत्नी श्री पी. के. नामा गुरु नानक कॉलोनी, बूंदी।	5-10-93
7.	श्री मोहम्मद इब्राहिम आ. ताज मोहम्मद मोडाला पाड़ा, बूंदी।	7-10-93
8.	श्री गिरिराज गुप्ता, आ. नंदलाल गुप्ता माहेश्वरी स्वीट, इन्द्रा मार्केट, बूंदी।	7-10-93
9.	श्री जगमोहन सिंह आ. हरमेन्द्र सिंह रतन बुर्ज के पास बूंदी	8-10-93
10.	श्री भानू कुमार जैन आ. बाबू लाल जैन विकास पगर बूंदी।	8-10-93
11.	श्री ओमप्रकाश आ. शंभूराम न्यू कालोनी बूंदी।	8-10-93
12.	श्री घनश्याम लाडला, दकाल प्रेस, रोडवेज बस स्टेण्ड, बूंदी	8-10-93
13.	श्री मांगीलाल मीणा निवासी दहीखेड़ा, वाया लाखेरी जिला बूंदी।	8-10-93
14.	श्री महावीर मीणा, निवासी दही खेड़ा वाया लाखेरी जिला बूंदी	8-10-93

(3̶6)

परिशिष्ट-"ब"

ग्राम देवपुरा तहसील बूंदी में विस्थित आराजी खसरा सं. 1016 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा एवं 1017 रकबा 15 बिस्वा राजकीय सिवायचक भूमियों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1671-78/राजस्व/94. दिनांक—2-8-94 से होटल प्रयोजनार्थ आरक्षित किया जाकर सार्वजनिक नीलामी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निम्नांकित इच्छुक व्यक्तियों के आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुये : —

क्र.सं.	नाम आवेदक	आवेदन प्रस्तुती की दि.
1.	श्री सुरेश जिन्दर आ. मुकटबिहारी, लंका गेट रोड, बून्दी।	23-8-94
2.	श्री जगमोहन सिंह आ. हरमेन्द्र सिंह, नि. गुरुद्वारा के पास, बूंदी।	1-9-94
3.	श्री दुर्गा शंकर सोनी आ. श्री पुरुषोत्तम, निवासी महादेवजी की गली, बूंदी।	12-9-94
4.	श्री दुर्गादत्त मूंदड़ा 110 निवासी खोजागेट रोड, बूंदी।	13-9-94
5.	श्री जगदीश आ. धूलचंद, न्यू कॉलोनी, गुमानपुरा कोटा।	13-9-94
6.	श्री राजेन्द्रसिंह आ. श्री जयराम, प्रिय होटल कोटा।	13-9-94
7.	श्री दुर्गाशंकर शर्मा आ. गोपाल लाल शर्मा, बालचंद पाड़ा, बून्दी।	15-9-94
8.	श्री राजसिंह, एक्जूकेटिव डायरेक्टर, मरूधर होटलस प्रा. लि. जोधपुर।	14-9-94
9.	श्री मंगूमल आ. नानकराम सिंधी, बहादुरसिंह चौराहा, बूंदी।	15-9-94
10.	श्री इम्तियाज गौरी आ. श्री शकूर मोहम्मद सब्जी मण्डी, बूंदी।	15-9-94
11.	श्रीमती गीता दाधीच पत्नी श्री कृष्णदत्त दाधीच, तिलक चौक, बूंदी।	15-9-94
12.	श्रीमती चंदा जोशी पत्नी श्री प्रदीप जोशी, निवासी बाहरली, बूंदी।	9-11-94
13.	श्री अरूणकुमार अरोड़ा आ. श्री किशनचन्द्र अरोड़ा, रघुबीरपुरा, चित्तौड़ रोड, बून्दी।	10-11-94
14.	श्री पुरुषोत्तम मंत्री, मोची बाजार बूंदी	10-11-94
15.	श्री पुरुषोत्तम नुवाल, अगरकटला, बूंदी।	10-11-94
16.	मैसर्स होटल लेकेण्ड, अलकापुरी, उदयपुर, पार्टनर प्रताप सिंह भण्डारी।	11-11-94

व्यवस्थापकीय वेतन कोष नियम, 1969

174. श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार सहकारिता विभाग द्वारा पैक्स व्यवस्थापकों के वेतन भुगतान हेतु व्यवस्थापकीय वेतन कोष नियम, 1969 बनाये गये हैं जो इस वक्त प्रभावशील हैं एवं जिसकी पालना हेतु रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक फा. 67 (26) सविरा/बैंक-3/87 दिनांक 22-8-1991 के द्वारा समस्त सहकारी बैंकों के नाम आदेश प्रसारित किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नियम 4 खण्ड (क) (ख) के अन्तर्गत निर्धारित की गई राशि का अंशदान सहकारी बैंकों द्वारा देय होगा जो व्यवस्थापकीय वेतन कोष पेटे बैंकों द्वारा जमा कराना आवश्यक होगा? यदि हां, तो व्यवस्थापकीय वेतन कोष हेतु नियम, 1969 के खण्ड 11 (ग) के अन्तर्गत बैंक द्वारा कितना अंशदान देना बनता है तथा क्या यह राशि कोष में जमा करा दी गई? यदि नहीं, तो कितनी राशि बैंकों द्वारा देय हैं?

(3) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान को-ऑपक्रेडिट इनस्टी केडर आथोरिटी लि. के गठन को अवैध करार देने के पश्चात् रजिस्ट्रार महोदय ने समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबन्ध संचालकों को पत्र लिखकर वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी कर दिये थे परन्तु उसका कोई पालन नहीं हो रहा है यदि हां, तो क्यों? विभाग के आदेश क्रमांक फा/97 (26) सविग/बैंक-3/87 दिनांक 13-9-1991 की प्रति सदन की मेज पर रखें। जुलाई, 1991 से अब तक कितनी राशि बैंकों द्वारा देनी है? अब तक उक्त राशि नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर सदन के पटल पर रख दी है।

(2) इस सूचना को राज्य की सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों से संकलित करने में समय लगने की सम्भावना है। अतः यह सूचना संकलित की जा रही है।

(3) विभाग के आदेश क्रमांक फा. 97 (26) सविरा/बैंक-3/87 दिनांक 13.9.91 की प्रति परिशिष्ट–2 पर सदन के पटल पर रख दी है। जुलाई, 91 से अब तक बैंकों द्वारा दी जाने वाली राशि की सूचना इस प्रश्न के बिन्दु संख्या-2 के साथ ही संकलित करवायी जा रही है।

परिशिष्ट-1

सहकारी विभाग राजस्थान
जयपुर

क्रमांक : फा. 97(26) सविरा/बैंक-3/87 **दिनांक 22.8.91**

आदेश

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के चयन, नियुक्ति एवम् सेवा नियम, 1977 को निरस्त करने तथा राजस्थान को-ऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन्स केडर अथोरिटी लि., के पंजीयन को. अवैध घोषित करने के कारण, केडर अथोरिटी के गठन के पूर्व कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के लिये लागू सेवा नियम, 1969 पुनः प्रभावशील हो गये हैं। अतः इस संबंध में अन्य विस्तृत आदेश जारी होने तक पैक्स व्यवस्थापकगण को वेतन भुगतान 1969, नियमों के आधार पर किया जायेगा।

एस डी/-
(टी. श्रीनिवासन)
रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियां राजस्थान
जयपुर।

परिशिष्ट-2

सहकारी विभाग राजस्थान
जयपुर

क्रमांक : फा. 97(26) सविरा/बैंक-3/87 **दिनांक 13.9.91**

आदेश

सीकर और झुंझुनूं जिलों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को वेतन भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए आज दिनांक 13.9.91 को ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों को वेतन भुगतान बाबत बैठक में अधोहस्ताक्षरकर्ता के अतिरिक्त प्रबंध संचालक, अपेक्स, बैंक उप रजिस्ट्रार (बैंकिंग), प्रबंध संचालक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. सीकर एवं झुंझुनूं की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि अभी अपेक्स व्यवस्थापकों को वेतन का भुगतान केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ही किया जायेगा। केडर आथोरिटी के समाप्त होने (राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णयानुसार से पूर्व जून, 91 तक की वेतन की राशि केडर आथोरिटी के खाते में (डेबिट) होगी तथा जुलाई, 91 से यदि समुचित मात्रा में ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा पेक्स व्यवस्थापक वेतन कोष नियम, 1969 के अनुसार निर्धारित हिस्सा नहीं दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में बैंक वेतन चुकाने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति को ऋण की सुविधा देगी। अतः उपरोक्तानुसार समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंक वेतन का नियमित भुगतान करें।

ह.
(टी. श्रीनिवासन)
रजिस्ट्रार

(179)

जिला धौलपुर में डांग विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

175. श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला धौलपुर में डांग विकास योजना के अन्तर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों में क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये ?

(2) विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में डांग विकास कार्यक्रम के तहत आनुपातिक दृष्टि से कम कार्य स्वीकृत होने के क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जिला धोलपुर में डांग विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 95-96 एवं 96-97 में सम्पर्क सड़क, सिंचाई, शिक्षा, विद्युतीकरण, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि मदों में कार्य स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत कार्यों का वर्षवार एवं ग्राम पंचायत वार विवरण परिशिष्ट "क" पर प्रस्तुत है।

(2) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धोलपुर में जिले के डांग क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकता व उपलब्ध बजट को ध्यान में रखकर प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम जहाज (झुन्झुनूं) के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का रिक्त पद

176. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनूं के ग्राम जहाज के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि इस स्कूल में प्रधानाध्यापक का पद सृजित ही नहीं किया गया तथा प्रतिनियुक्ति पर अध्यापक लगाये जाते रहे तथा उनका वेतन अन्य स्कूलों से उठाया जाता रहा है ? यदि नहीं, तो प्रधानाध्यापक का पद सृजित किये जाने के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रधानाध्यापक का पद जनवरी, 1997 से रिक्त है।

(2) जी हां। विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद 10.1.97 से सृजित कर दिया गया है। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(180)

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक : शिविरा/बजट/सी-5/25414/89-90/ दिनांक 10.1.97

व. उप जिला शिक्षा अधिकारी,
नवलगढ़ (झुंझुंनू)

विषय : – अध्यापक श्रेणी-2 (12) के पद आबंटन सम्बन्धी।

निर्देशनुसार बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय (1) बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय (आयोजना भिन्न व्यय) के अन्तर्गत रा. उ. प्रा. वि. जहाज हेतु वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, नवलगढ़ (झुंझुंनू) को अध्यापक श्रेणी-2 (12) का पद तुरन्त प्रभाव से आबंटित किया जाता है।

कार्यरत अध्यापक के वेतन एवं भत्तों हेतु उक्त लेखा मद के संवेतन मद में 36,000/- रु. का आबंटन किया जाता है।

ह/-
लेखाधिकारी
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

कृषि उपज मण्डी समिति बेगूं द्वारा स्वीकृत सड़कें

177. श्री चुन्नी लाल धाकड़ (बेगूं) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1991 से 1996 में कृषि उपज मंडी, बेगूं द्वारा कौन-कौनसी सड़कों के निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस सड़क हेतु कब-कब स्वीकृत की गई? सड़कों के पूर्ण होने की तारीख व लम्बाई का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है, उनमें से कितनी पूर्ण हो चुकी है और कौनसी अपूर्ण है तथा इनके अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं? अब अपूर्ण सड़कें कब तक पूर्ण कर दी जावेंगी?

उत्तर

(1) वर्ष 1991 से 1996 तक कृषि उपज मण्डी समिति, बेगूं के अन्तर्गत एक सम्पर्क सड़क बेगूं से धनोरा 5 कि.मी. 15 लाख की लागत से निर्माण की स्वीकृति दिनांक 24.11.94 को दी गई। यह कार्य पूर्ण होने की तारीख 26.11.95 थी।

(2) इस सड़क के निर्माण पर दिसम्बर, 96 तक 11.82 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं, तथा प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा में 4.20 कि.मी. में डामरीकरण का कार्य करवाया जा चुका है तथा 0.30 कि.मी. का कार्य शीघ्र पूरा कराया जाने का प्रयत्न किया जायेगा।

(181)

पशु चिकित्सकों के रिक्त पद

178. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में पशु चिकित्सकों के कितने पद कब से रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य में पशु पालन विभाग में चिकित्सकों के 66 पद रिक्त हैं। (सूची संलग्न है)

(2) सरकार द्वारा विगत दो माह में चिकित्सकों के 345 रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से नियमित चयन द्वारा भरे गये हैं। शेष 66 पद भी शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

सहायक शल्य पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों की सूची

जिला-अजमेर		
1. प. चि. देवगॉव	11/95	
2. प. चि. टाटगढ़	3/97	
3. प. चि. तिलोनिया	9/96	3
जिला-अलवर		
1. प. चि. राजगढ़	9/96	
2. प. चि. ततारपुर	2/96	2
जिला-बांसवाड़ा		
1. च. प. चि. ई. कुशलगढ़	1/97	1
जिला बारां		
1. प. चि. बडोरा	1/96	1
जिला-बाड़मेर		
1. प. चि. हरसानी	8/96	3
2. प. चि. सेढवा	8/96	
3. प्रशिक्षण आरक्षित, बाड़मेर	2/96	
जिला-भीलवाड़ा		
1. प. चि. आगुचा	11/96	
2. प. चि. भोपतपुरा	2/96	
3. प. चि. ज्ञानगढ़	10/95	
4. प. चि. मंगरोप	3/95	
5. प. चि. सरेरी ब्राहमणों की	11/95	7
6. प. चि. वन का खोड़ा	12/95	
7. प. चि. महुआ (मांडलगढ़)	3/97	

जिला-भरतपुर		
1. प.चि. रुद्रावल	9/96	1
जिला-बीकानेर		
1. प. चि. मेनसर	11/96	
2. प. चि. राववाला	3/97	2
जिला-बून्दी		
1. प. चि. दबलाना	4/95	2
2. प. चि. समोधी	2/96	
जिला-चित्तौड़गढ़		
1. प. चि. बोहेड़ा	12/95	
2. प. चि. भैंसरोडगढ़	6/96	
3. प. चि. मण्डपिया	12/95	3
जिला-धौलपुर		
1. प. चि. बेरहमोरी	2/97	
2. प. चि. मनिया	3/97	2
जिला-डूंगरपुर		
1. प. चि. चाण्डोली,	2/96	
2. प.चि. चीतरी,	6/96	2
जिला-जयपुर		
1. ज़ीरो माता उन्मूलन, जयपुर	9/96	1
जिला-गंगानगर		
1. प. चि. घुड़वाली	3/97	1
जिला-जैसलमेर		
1. प.चि. फलसूड,	2/96	
2. प. चि. जैसलमेर,	8/96	
3. प. चि. आरडी-1235 (चांदन)	8/96	
4. प. चि. लाठी	4/96	
5. प. चि. सुलताना	3/97	5
जिला-जोधपुर		
1. प. चि. आगो-लाई	11/95	
2. प. चि. बापीनी	3/96	
3. प. चि. चाडी, चौथीना	3/96	
4. प. चि. देचु	7/95	
5. प. चि. गजसिंहपुरा	2/96	
6. प. चि. खोतासर	11/95	
7. प. चि. पीलवा	10/95	

8. प. चि. केलनसर	1/96	
9. प. चि. डाबरा	3/97	
10. प. चि. कारपड़ा	3/97	10
जिला-कोटा		
1. प. चि. मानसगाँव	8/96	
2. प. चि. बोरावास	11/96	
3. प. चि. पीपल्दा	10/95	3
जिला-झुंझुनूं		
1. प. चि. बडाऊ,	3/97	1
जिला-कुचामन		
1. प. चि. भंकरी	6/95	1
जिला-नागौर		
1. प. चि. पुन्दलोता	8/96	1
जिला-पाली		
1. प. चि. देसूरी	3/96	
2. प. चि. जोजावर	6/96	
3. प. चि. तख्तगढ़	8/96	
4. प. चि. रुपवास	1/96	4
जिला-राजसमन्द		
1. प. चि. चारभुजा	11/95	
2. प. चि. बरार	8/96	
3. प. चि. गिलुण्ड	8/96	3
जिला-उदयपुर		
1. प. चि. केसरीयावाद	8/95	
2. प. चि. लसाडिया	8/96	
3. प. चि. मालवा का चौराहा	3/96	
4. प. चि. मामेर	10/96	
5. प. चि. इकाई, कोटड़ा	10/95	5
जिला-सीकर		
1. प. चि. मूंडवाड़ा	10/96	1
जिला-सिरोही		
1. प. चि. नितोड़ा	3/97	1

काश्तकारों/उद्यमियों को विद्युत आपूर्ति

179. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा घोषणाओं के अनुसार किसानों व उद्यमियों को बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है, यदि हां, तो क्यों? सरकार बिजली आपूर्ति में सुधार हेतु क्या उपाय कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा घोषणाओं के अनुसार किसानों को 8 घन्टे प्रतिदिन तथा उद्यमियों को बिना किसी कटौती के विद्युत आपूर्ति करवाई जा रही थी। लेकिन 26 नवम्बर, 1996 से कुछ विद्युत गृहों की इकाइयों तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा केन्द्रीय गैस उत्पादन गृहों से गैस की आपूर्ति कम किये जाने के कारण विद्युत प्रभावित हुई है। गैस चलित उत्पादन गृहों में अन्य वैकल्पिक ईंधनों का प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए विद्युत मण्डल द्वारा अतिरिक्त खर्चा भी वहन करना स्वीकार कर लिया गया है तथा पड़ौसी राज्यों हिमाचल प्रदेश व पंजाब से भी द्विपक्षीय आधार पर विद्युत क्रय संबंधित समझौते करके अतिरिक्त विद्युत 25 से 50 लाख युनिट प्रतिदिन प्राप्त की जा रही है। दिनांक 19 जनवरी, 97 से सभी प्रकार की कटौतियों को हटा लिया था तथा कृषकों को पुनः प्रतिदिन 8 घंटे बिजली दी जाने लगी थी। वर्तमान में विद्युत उपलब्धि में कमी आने के कारण दिनांक 25-1-97 से 7 घंटे प्रतिदिन तीन ब्लाक में कृषि कार्यों हेतु बिजली दी जा रही है।

विद्युत कनेक्शन लेने की बढ़ती संख्या के कारण विद्युत मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। जिसके लिये अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाये हैं, जिनमें मुख्य हैं : —

(अ) कोटा तापीय विद्युत गृह से पूर्ण क्षमता से विद्युत उत्पादन करना।

(आ) पड़ौसी राज्यों से किसी भी कीमत पर विद्युत क्रय करना।

(इ) सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना चरण-I को शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ करना पहली 250 मेगावाट यूनिट के इस वर्ष के अंत में प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

(ई) विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र के निवेश की नीति। इस नीति के अन्तर्गत :

(i) कम समय में विद्युत उत्पादन देने वाली तरल ईंधन आधारित परियोजनाओं के लिये विभिन्न निजी क्षेत्र की कम्पनियों को कुल 3684.50 मेगावाट की योजनाओं के आशय पत्र दिये गये हैं। इनमें से 3434.50 मेगावाट के लिये अनुबंध भी किये जा चुके हैं। इसमें धौलपुर में नेप्था आधारित 788.5 मेगावाट की विद्युत परियोजना के लिये विद्युत क्रय अनुबंध

(ऊर्जा मंत्री)

शामिल है। केन्द्र सरकार ने 1415 मे.वा. के विद्युत गृहों के लिये राजस्थान को तरल ईंधन देने का आबंटन किया है। शेष क्षमता के लिए द्रव ईंधन के आबंटन के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ii) इसके अतिरिक्त लिग्नाइट आधारित परियोजनाओं व अपारम्परिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये विभिन्न निजी क्षेत्र की कम्पनियों को कुल 2000 मे.वा. की योजनाओं के आशय पत्र दिये गये हैं, जिनमें लिग्नाइट आधारित बरसिंगसर (500 मे.वा.) जालिया (600 मे.वा.), कपूरडी (600 मेगावाट) तथा सौर आधारित विद्युत परियोजनाएं (300 मे.वा.), शामिल हैं। इनमें से 600 मे.वा. के लिये अनुबंध भी किये जा चुके हैं, जिनमें बरसिंगसर 500 मेगावाट व सौर आधारित 100 मेगावाट परियोजनाएं शामिल हैं।

(iii) पवन ऊर्जा के केप्टीव प्लान्ट के लिये 50 मे.वा. का आशय पत्र दिनांक 15-11-1996 को दिया गया है।

(iv) मथानिया में सौर व द्रव ईंधन की मिश्रित प्रणाली पर आधारित विद्युत गृह की स्थापना के प्रयत्न।

(v) सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना द्वितीय चरण (500 मे.वा.) के लिये मूल्य निविदाएं मांगी गई हैं व शीघ्र संयोजक का चयन कर लिया जायेगा।

(उ) बिजली की चोरी को रोकना।

(ऊ) बिजली के प्रसारण में होने वाली छीजत में कमी करने के उपाय करना।

(ए) कन्सोलिटेड इलेक्ट्रिक पावर एशिया के हिरमा (उड़ीसा) में प्रस्तावित 6x660 मे.वा. विद्युत गृह से 1200 मे.वा. विद्युत प्राप्त करने के लिये प्रयत्न।

(ऐ) हिमाचल प्रदेश में पार्वती विद्युत परियोजना-II व III के सर्वेक्षण में व उसके बाद उत्पादन में भागीदारी के लिये एम. ओ. यू.।

(ओ) कोटा में 210 मे.वा. (छठी इकाई) व चम्बल कसकेट परियोजना की स्वीकृति के प्रयत्न।

इटावा (कोटा) में ए. सी. एम. कोर्ट का सृजन

180. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ए. सी. एम. कोर्ट खोलने के नियम/मानदण्ड निर्धारित है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील पीपल्दा जिला कोटा के राजस्व से संबंधित लगभग 2000 प्रकरण उपजिला अधिकारी न्यायालय में लम्बे अर्से से विचाराधीन हैं?

(3) क्या सरकार राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कोटा जिले के कस्बा इटावा में ए. सी. एम. कोर्ट खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं, सहायक जिला कलेक्टर का न्यायालय खोलने के कोई निर्धारित मानदण्ड नहीं हैं।

(2) जी हां, उप जिलाधिकारी कोटा के न्यायालय में लगभग 2000 प्रकरण विचाराधीन हैं।

(3) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

डूंगरपुर की पहल परियोजना

181. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पहल परियोजना डूंगरपुर कब से प्रारम्भ हुई एवं इसके उद्देश्य क्या हैं?

(2) पहल परियोजना का वित्तीय प्रबन्धन किस तरह का है? क्या इस परियोजना द्वारा संचालित कार्यक्रमों का मूल्यांकन सरकार द्वारा किया गया है? यदि हां, तो इसके उद्देश्यों की कितनी प्रतिशत प्राप्ति हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या पहल परियोजना द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से स्थानीय जनजाति परिवारों को कोई लाभ हुआ है? यदि हां, तो किस तरह का कितना प्रतिशत? विवरण दी गई राशि के अनुपातिक सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पहल परियोजना, डूंगरपुर नवम्बर, 1991 से प्रारम्भ हुई। इसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं : —

1. चयनित गांवों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास।

2. चयनित गांवों में ग्राम स्तरीय संगठनों का विकास।

3. ग्राम स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का विकास।

इन उद्देश्यों की पूर्ति में जन चेतना के साथ-साथ भू-उपयोग क्षेत्र में भौतिक गतिविधियाँ यथा कृषि, वानिकी, भू एवं जल संरक्षण व पशुपालन क्रियान्वित की जाती है।

(2) पहल परियोजना को राजस्थान सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें से व्यय की गई राशि का 90% पुनर्भरण स्वीडिश इंटरनेशनल डवलपमेंट अथोरिटी (सोडा) द्वारा राज्य सरकार को किया जाता है। पहल परियोजना द्वारा कार्यकारी एजेंसी (ग्राम विकास एवं प्रबंध समितियों) को उनके द्वारा कराए गए भौतिक कार्यों के विपरीत भुगतान किया जाता है।

जी हां। परियोजना द्वारा संचालित कार्यक्रमों का मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। संख्यात्मक एवं गुणात्मक लक्ष्यों को प्राप्त कर परियोजना ने अपने उद्देश्यों की सफल प्राप्ति की है।

(3) जी हां। परियोजना द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से स्थानीय जनजाति परिवारों को लाभ हुआ है।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

परियोजना द्वारा संचालित जनचेतना, भू-संरक्षण, वानिकी, कृषि एवं पशुपालन की गतिविधियों द्वारा स्थानीय जनजाति परिवारों को लाभ प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ से दिसम्बर, 96 तक उपरोक्त गतिविधियों पर प्राप्त राशि में से 1331.88 लाख राशि व्यय हुई है। व्यय की गई राशि में से 90 प्रतिशत से अधिक राशि स्थानीय जनजाति परिवारों पर व्यय हुई है।

गंगानगर शुगर मिल में कच्चे माल की खरीद

182. श्री राजेन्द्र गहलोत : क्या मुख्य (राजकीय उपक्रम) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा वर्ष 1990 से 1996 तक कितनी राशि की कितनी मात्रा में केसर पत्ती/शोधित प्रासव एवं मोलासेस किन-किन माध्यमों से व कब-कब प्राप्त की गई ?

(2) केसर पत्ती/रेक्टी फाइड स्प्रीट एवं मोलासेस के मद में कितनी धनराशि का कब-कब व किन-किन फर्मों को भुगतान किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि मिल द्वारा अपनाई गई विधि प्रक्रिया की अनदेखी के कारण केसर पत्ती/रेक्टी फाइड स्प्रीट के भुगतान में अनियमितताएं पाई गई हैं? यदि हां, तो क्या-क्या व इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं ?

(4) गंगानगर शुगर मिल में इसके अतिरिक्त कौन-कौन से पदार्थों को कच्चे माल के रूप में मंगाया जाता है तथा इसकी खरीद की क्या प्रक्रिया है तथा इसके प्रभावी नियंत्रण की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा वर्ष 1990-91 से 1995-96 तक क्रय किये गये केसर पत्ती शोधित प्रासव एवं मोलेसेस की खरीद का विवरण क्रमशः अनुसूची "अ" "ब" एवं "स" पर संलग्न है। ("ब"–1 से ब–6एवं स–1 से स–6)

(2) राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा केसर पत्ती/रेक्टीफाइड एवं मोलेसेस के मद में फर्मों को भुगतान की गई राशि का विवरण उपरोक्त अनुसूची "अ", "ब" एवं "स" पर दिखाया गया है।

("ब–1 से ब–6" एवं "स–1 से स–6")

(3) भुगतान आदेश की शर्तों के अनुसार किया जाता है। विधि प्रक्रिया की कोई अनदेखी नहीं की गई है तथा इनके भुगतान में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।

(4) राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स में इसके अतिरिक्त कच्चे माल के रूप में निम्न पदार्थों को मुख्य रूप से

(188)

(मुख्य (राजकीय उपक्रम) मंत्री)

मंगाया जाता है जिसके खरीद की प्रक्रिया निम्नानुसार है, : —

कच्चा माल	खरीद प्रक्रिया
1. गन्ना 2. चुकन्दर	गन्ना व चुकन्दर के भाव संचालक मंडल द्वारा तय किये जाते हैं।
3. सिलिका सैण्ड	टेंडर प्रक्रिया से क्रय किया जाता है।
4. मारबल पाउडर	टेंडर प्रक्रिया से क्रय किया जाता है।
5. डोलामाइड पाउडर	टेंडर प्रक्रिया से क्रय किया जाता है।
6. बोरेक्स पाउडर	क्रय सीधे उत्पादक से।
7. सोडियम नाइट्रेट	क्रय सीधे उत्पादक से।
8. सेलेनियम पाउडर	क्रय सीधे उत्पादक से।
9. सोडियम सल्फेट	क्रय सीधे उत्पादक से।
10. सोडा एश	क्रय सीधे उत्पादक से।
11. ब्रोकन ग्लास	क्रय टेंडर प्रक्रिया से किया जाता है।

क्रम सं. 3 से 11 तक का क्रय जून, 1994 से बन्द है।

उपरोक्त सामान का क्रय आवश्यकतानुसार क्रय नियमों के तहत ही किया जाता है। सामान का क्रय एवं भुगतान क्रय नियमों के अनुसार किया जाना अपने आप में नियंत्रण है।

कम्पनी के लेखों का अंकेक्षण भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के अधीन है। यह अंकेक्षण प्रतिवर्ष हो रहा है। इसके अतिरिक्त लेखों के संधारण एवं त्रुटियों की समय-समय पर जांच हेतु आन्तरिक अंकेक्षण दल तथा कम्पनी अधिनियम के अधीन नियुक्त वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा भी अंकेक्षण प्रति वर्ष किया जाता है।

(अनुसूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

कोटपूतली (जयपुर) में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

183. श्री रामचन्द्र रावत : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं?

(2) जिला जयपुर की तहसील कोटपूतली में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्तमान में मकान रहित चल रहे उक्त केन्द्रों के लिए मकान बनाने की कोई योजना रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री रामचन्द्र रावत)

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु कुछ मकान बन चुके हैं? यदि हां, तो कितने व अब कितने मकान बनाना शेष है? इन्हें कब तक बना दिया जायेगा?

उत्तर

(1) आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए भारत सरकार द्वारा मुख्य आधार जनसंख्या निर्धारित किया हुआ है। सामान्यतः 1000 की जनसंख्या पर आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में 700 की जनसंख्या पर केन्द्र खोला जाता है। यदि क्षेत्र में गांव दूर-दूर तक फैले हुए हैं तथा रेगिस्तानी व पहाड़ी क्षेत्र हो तो 300 की जनसंख्या पर आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जा सकता है।

(2) जिला जयपुर की तहसील कोटपूतली में बाल विकास परियोजना, कोटपूतली में 154 तथा परियोजना बैराठ में 49 केन्द्र स्वीकृत है। इनमें कोटपूतली में 153 तथा बैराठ में 44 केन्द्र संचालित हो रहे हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी, नहीं। कोटपुतली तहसील का कोई भी आंगनबाड़ी केन्द्र मकान रहित नहीं है। एक केन्द्र शाला भवन में तथा शेष केन्द्र किराये के भवनों में चल रहे है। राज्य सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना आदि के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से करवा रही हैं। इन्हें बनाने के लिये अन्य कोई योजना निर्धारित नहीं है।

(4) जी, हां। वर्ष 94-95 एवं 95-96 के दौरान परियोजना कोटपूतली के लिए पंचायत समिति के माध्यम से 15 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये हैं। इनमें विभागीय हिस्से के 40 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई गई है। यह स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जारी कर दी गई है। इनमें से 8 केन्द्र निर्माणाधीन है, शेष 7 केन्द्रों में भूमि संबंधी विवाद के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। उनका निर्माण शीघ्र ही प्रारम्भ करवा दिया जायेगा।

(190)

"परिशिष्ट—अ"

जिला जयपुर की तहसील कोटपूतली के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची।

(अ) बाल विकास परियोजना अधिकारी, कोटपूतली के अधीन केन्द्र

क्र.सं.	नाम आंगनबाड़ी केन्द्र	क्र.सं.	नाम आंगनबाड़ी केन्द्र
1.	नारेड़ा प्रथम	2.	नारेड़ा द्वितीय
3.	नारेड़ा तृतीय	4.	नारेड़ा चतुर्थ
5.	कुहाड़ा	6.	कल्याणपुरा कला
7.	नवल कुशालपुरा	8.	अमरपुरा
9.	ढाणी जोधा	10.	देवता
11.	बनेटी प्रथम	12.	पवाला राजपूत
13.	बनेटी द्वितीय	14.	चूरी प्रथम
15.	चूरी द्वितीय	16.	चूरी तृतीय
17.	ढाणी ओधा	18.	छादड़ा
19.	कायमपुरा वास	20	पानेड़ा
21.	चिमनपुरा	22.	बनार प्रथम
23.	बनार द्वितीय	24.	रामनगर
25.	दांततल प्रथम	26.	दांतिल द्वितीय
27.	दांतिल तृतीय	28.	जीणगौर
29.	पुरुषोत्तमपुरा प्रथम	30.	पुरुषोत्तम पुरा द्वितीय
31.	द्वारिकपुरा	32.	ढाढा
33.	बेरीबांध	34.	मीरापुर
35.	तालवा	36.	सुदरपुरा
37.	गुलाबगढ़	38.	सुजातनगर
39.	बिछलौदा	40.	खडब प्रथम
41.	खडब द्वितीय	42.	खडब तृतीय
43.	सुकलावास	44.	सीमावता

क्र.सं.	नाम आंगनबाड़ी केन्द्र	क्र.सं.	नाम आंगनबाड़ी केन्द्र
45.	बोनावास प्रथम	46.	बोनावास तृतीय
47.	बोनावास द्वितीय	48.	टोरडा प्रथम
49.	टोरडा द्वितीय	50.	पंडितपुरा
51.	टसकोला प्रथम	52.	टसकोला द्वितीय
53.	भूरी भड़ाज प्रथम	54.	भूरी भडाज द्वितीय
55.	भूरी भडाज तृतीय	56.	मांजुकोट
57.	बुचारा	58.	कारोली
59.	खटीकों की ढाणी	60.	भैंस्लाना प्रथम
61.	भैंसलाना द्वितीय	62.	फतेहपुरा खुर्द
63.	रूपपुरा	64.	दूयावास
65.	चांदोली	66.	रामपुरा
67.	पुतली प्रथम	68.	पुतली द्वितीय
69.	कल्याणपुरा खुर्द	70.	ब्जाका
71.	नांगल पण्डितपुरा	72.	ग्रामीण बाचडी
73.	खेड़की वीरभान	74.	अजीतपुरा खुर्द
75.	चतुर्भुज	76.	सांगटेडा प्रथम
77.	सांगटेडा द्वितीय	78.	सेखुपुरा
79.	गोपालपुरा प्रथम	80.	गोपालपुरा द्वितीय
81.	टापड़ी	82.	राहेडा
83.	ग्रामीण खुचाहेडा	84.	बामनवास
85.	रामसिंहपुरा	86.	अमाई
87.	खुर्दी	88.	गोपीपुरा
89.	केसवाना राजपुत	90.	श्यामपुरा
91.	बकराना प्रथम	92.	बकराना द्वितीय
93.	धवाली	94.	सिकरी
95.	मोरढ़ा	96.	गोनेडा प्रथम
97.	गोनेडा द्वितीय	98.	खेडकी मुक्कड़

क्र.सं.	नाम आंगनबाड़ी केन्द्र	क्र.सं.	नाम आंगनबाड़ी केन्द्र
99.	ढाणी झीडा प्रथम	100.	ढाणी झीडा द्वितीय
101.	मलपुरा	102.	नांगलचेचीका
103.	हसनपुरा	104.	पनियाला प्रथम
105.	पनियाला द्वितीय	106.	कालूहेडा
107.	करवास	108.	जयसिंहपुरा
109.	कांसली प्रथम	110.	कांसली द्वितीय
111.	महरमपुरानवास	112.	महरमपुर राजपूत
113.	अजीतपुरा कलां	114.	कुजोता प्रथम
115.	कुजोता द्वितीय	116.	मोहनपुरा
117.	पवाना अहीर प्रथम	118.	पवानाअहीर द्वितीय
119.	जगदीशपुरा	120.	नोरांगपुरा
121.	सरूंड प्रथम	122.	सरूंड द्वितीय
123.	भोजावास	124.	खेड़ा निहालपुरा प्रथम
125.	कीरतपुरा	126.	फतेहपुरा कलां प्रथम
127.	फतेहपुरा कलां द्वितीय	128.	सुन्दरपुरा प्रथम
129.	सुन्दरपुरा द्वितीय	130.	जोधपुरा
131.	राजनोतार प्रथम	132.	राजनोता द्वितीय
133.	राजनोता तृतीय	134.	सलाजी की ढाणी
135.	केरोडी	136.	दादुका
137.	पेजुका	138.	बियली ढाणी
139.	बसई	140.	हासियावास प्रथम
141.	हासियावास द्वितीय	142.	गोरधनपुरा प्रथम
143.	गोरधनपुरा द्वितीय	144.	रघुनाथपुरा
145.	कंवरपुरा प्रथम	146.	कंवरपुरा द्वितीय
147.	टमोरीवास	148.	लूणा जी की ढाणी
149.	भालोजी	150.	पाथरेडी प्रथम

(193)

क्र.सं.	नाम आंगनबाड़ी केन्द्र	क्र.सं.	नाम आंगनबाड़ी केन्द्र
151.	पाथरेडी द्वितीय	152.	मालाहेडा द्वितीय
153.	मालाहेडा द्वितीय		

(ब) बाल विकास परियोजना बैराठ के अधीनस्थ कार्यरत केन्द्र : –

1.	आसपुरा	2.	किरारोद प्रथम
3.	किरारोद द्वितीय	4.	प्रागपुरा प्रथम
5.	प्रोगपुरा द्वितीय	6.	प्रागपुरा तृतीय
7.	प्रोगपुरा चतुर्थ	8.	प्रागपुरा पंचम
9.	ललाना प्रथम	10.	पावटा प्रथम
11.	पावटा द्वितीय	12.	पावटा तृतीय
13.	पावटा चतुर्थ	14.	कुनेड
15.	खेलना प्रथम	16.	खेलना द्वितीय
17.	खेलना तृतीय	18.	लाडा का बांस
19.	लाडा का बांस द्वितीय	20.	ठीकरिया प्रथम
21.	ठीकरिया द्वितीय	22.	टोरडा ब्राहमण
23.	तुलसीपुरा प्रथम	24.	तुलसीपुरा द्वितीय
25.	बड़नगर प्रथम	26.	बड़नगर द्वितीय
27.	बड़नगर तृतीय	28.	बड़नगर चतुर्थ
29.	बड़नगर पंचम	30.	कल्याणपुरा द्वितीय
31.	जोधपुरा प्रथम	32.	जोधपुरा द्वितीय
33.	भाकरी प्रथम	34.	भांखरी द्वितीय
35.	" "	36.	" "
37.	" "	38.	मण्डा प्रथम
39.	मण्डा द्वितीय	40.	मण्डा तृतीय
41.	पंच पहाड़ी प्रथम	42.	पांचूडाला प्रथम
43.	पांचूडाला द्वितीय	44.	पांचूडाला तृतीय
45.	पावटा षष्टम		

तिलम संघ परियोजना जालौर

184. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) तिलम संघ परियोजना जालौर का विगत तीन वर्षों का तुलन-पत्र सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त परियोजना लगातार घाटे में जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि परियोजना में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में तिलम संघ के कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध संचालकों की शिकायतें की गई थी? यदि हां, तो क्या उन की जांच करवाई गई? शिकायती पत्र एवं जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तिलम संघ की जालौर परियोजना की विगत तीन वर्षों का तुलन-पत्र निम्न प्रकार है : —

(राशि लाखों में)

क्र.सं. विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
1. बिक्री	1491.80	837.94	800.26
2. परिचालन लाभ /हानि	–25.60	–54.98	+21.57
3. दीर्घावधि ऋण पर ब्याज	67.66	67.66	67.66
4. नकद लाभ/हानि	–93.26	–122.64	–46.09
5. ह्रास	46.67	46.50	46.50
6. शुद्ध लाभ/हानि	–139.93	–169.23	–92.590

(2) जी हां, जालौर परियोजना लगातार शुद्ध हानि में चल रही है। हालांकि जालौर परियोजना ने वर्ष 1995-96 में परिचालक लाभ कमाया है परन्तु शुद्ध हानि का मुख्य कारण दीर्घकालीन ऋण पर भारी ब्याज एवं ह्रास का होना है।

(3) जी हां, अनियमितताओं के संबंध में एक शिकायत 13.12.96 को प्राप्त हुई है। इसमें वर्णित तथ्यों की जांच प्रक्रियाधीन है। शिकायती पत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है जिसे प्राप्त होने पर अलग से प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट-"अ"

सेवामें,

श्रीमान् प्रबन्धक संचालक महोदय,
तिलम संघ राजस्थान,
जयपुर।

विषय :— तिलम संघ परियोजना जालौर में अनावश्यक रूप से किये जा रहे घोटालों एवं अनियमितताओं के क्रम में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान् जी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकृषित कर निवेदन किया जाता है कि जालौर परियोजना में श्री के. के. मूर्ति श्री एम.एम. शेख एवं एम. ए. ताहीर के द्वारा निम्न प्रकार की अनियमितताएं एवं धांधलियां की जा रही है, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है : —

1. एक्सपेलर नं. 2 में 10 लाख का सीधा नुकसान : —

संस्था में विद्यमान एक्सपेलर नं. 2 जो कि पूर्व में कार्यरत था उस पर इनकी अनुभवहीनता के कारण उसकी अनावश्यक रूप से हानि पहुँचाई गई जिसमें शिफ्ट इंचार्ज श्री एम. एम. शेख को सहायक प्रबन्धक (रख-रखाव) का चार्ज दिया तथा श्री एम.ए. ताहीर सहायक प्रबन्धक (रख रखाव) को स्टोर कीपर का चार्ज दिया गया। जिससे श्री शेख की अनुभवहीनता के कारण एक्सपेलर नं. 2 की केरली कटवाकर संस्थान को 10 लाख का नुकसान पहुँचाया गया। इस तथ्य को छिपाने के उद्देश्य से 1 लाख का सामान और मंगवाया गया जो आज दिनांक तक उपयोग में नहीं आ सका है अतः संस्थान के हितों को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारियों से राशि वसूल कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

2. आर. एम. जी. एवं खेल गोदाम में बारदानो का भारी वेतन : —

संस्थान के वर्तमान गोदामी की स्थिति के अनुसार नया बारदाना एवं खल का बारदाना की लगभग 60 हजार बोरियां कम पड़ रही है जबसे शिफ्ट इन्चार्ज श्री एम. एम. शेख को सहायक प्रबन्धक (आयलमील) का गलत चार्ज दिया गया है तभी से श्री शेख ने परियोजना को अनावश्यक वित्तीय हानि पहुंचाई गई है जैसे कि परियोजना में आने वाला खल का बारदाना जो कि 30 से 35 के. जी. की भरती का आता है फिर भी श्री शेख द्वारा गोदाम कीपर को अनावश्यक रूप से दबाव में लाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु 60 से 65 के.जी. की भरती का बारदाना दर्शाकर प्रमाणित किया जाता है वर्तमान में श्री के.के. मूर्ति द्वारा 27.9.96 को गोदाम कीपर का चार्ज बदलने हेतु आदेश दिया गया था परन्तु श्री मूर्ति एवं श्री शेख अपने-अपने कारनामों (गबन) को दबाने हेतु आज दिनांक तक सम्पूर्ण चार्ज नहीं दिया गया है तथा पूर्ण चार्ज देने हेतु अभी भी कार्यवाही जारी है।

इससे सीधा प्रतीत होता है कि श्री शेख बारदानों के गबन में लिप्त है तथा पिछले 6 वर्षों से श्रमिक ठेकेदारों से मिलीभगत में लिप्त है, अतः समस्त कम पड़ने वाले बारदानों की वसूली श्री मूर्ति एवं श्री शेख से की जावे। अतः आपसे अनुरोध है कि इस तथ्य की वास्तविक जानकारी हेतु आप स्वयं पधार कर गोदाम सम्बन्धित रिकार्ड एवं गोदाम को सीज कर जांच करावे। एवं श्रीमान् से निवेदन है कि आपके स्पशट आदेश होते हुए भी श्री मूर्ति ने गलत ढंग से खल के बारदाना की खरीद कर अपना स्वार्थ सिद्ध किया गया।

3. खल की कमी की पूर्ति हेतु खल में रेत मिलाई गई : —

परियोजना में उत्पादन की अन्तिम रिपोर्ट बनाते समय करीबन 50 टन खल कम पड़ रही थी, जिसकी पूर्ति हेतु सीड (रायड़ा) में रेत (डस्ट) मिलाकर चलाई गई जिससे मशीनों के वर्म, कोण, कोणरींग, कोलर, नाईफबार तथा चैम्बर खराब हो गये। सीड में रेत मिलाकर एक्सपेलर चलाने के श्री शेख द्वारा सक्सपेलर आपरेटरो की लॉग बुक में स्पष्ट रूप से आदेश किये गये हैं। तथा एक्सपेलर आपरेटरों ने अपनी लॉग बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि सीड में रेत मिलाकर चलाने से मशीने खराब हो जाएगी, परन्तु इस ओर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। और अपना स्वार्थ सिद्ध किया गया इस कारण से मशीनें खराब हो गई। जिसकी रिपेरिंग करने हेतु करीबन 2 लाख रुपये का नुकसान संस्था को वहन करना पड़ेगा।

4. श्री के. के. के मूर्ति द्वारा हजारों रुपये के अनावश्यक खर्चे किये गये हैं : —

परियोजना परिसर की कॉलोनी में अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु झुले फिसल पट्टी बनाने के लिए हजारों रुपयों का सामान मंगवाया गया तथा उसको जल्दी तैयार करने के लिए कर्मचारियों को मशीनों की रिपेरिंग का कार्य बन्द करवा कर फिसल पट्टी का व झूले तैयार करने के लिए बाध्य किया जा रहा है और चेतावनी पत्र तथा ट्रांसफर करने की धमकीयां दी जाती है।

5. विद्युत के सामान का दुरुपयोग एवं विद्युत चोरी : —

परियोजना की कॉलोनी में संस्था के स्टोर से ट्यूब लाइट, बल्ब होल्डर पंखे, टी. वी., वी. सी. आर., टेबल कुर्सी आदि का निजी उपयोग किया जाता है जिससे संस्था को प्रतिमाह हजारों रुपयों का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है तथा श्री मूर्ति के आने के बाद श्रीमान् प्रबन्धक संचालक महोदय के आदेशों की अवहेलना कर कॉलोनी में रहने वाले कर्मचारियों के क्वाटरों का बिजली किराये की कटौति बन्द कर दी गई है तथा कॉलोनी में लगे बिजली मीटरों को सील किये गये हैं परन्तु श्री मूर्ति एवं श्री शेख के मीटरों को सील नहीं कर बिजली चोरी करने का मौका दिया जा रहा है, जो कि संस्थान के साथ प्रतिघात किया जा रहा है।

6. प्लान्ट में पूर्व में हुई चोरी के सम्बन्ध में

i. संस्था की स्थाई सम्पत्ति पी. बी. एक्स., टेलीफोन यन्त्र रिपेरिंग के नाम पर बाहर भेजा गया और बदल कर दूसरा मंगवाया गया जिससे संस्था को लगभग 40,000 (चालीस हजार) रुपये का नुकसान पहुँचाया गया। इस संबंध में युनियन ने विरोध किया तथा रिपेरिंग का बिल रुकवाया गया परन्तु श्री के. के. मूर्ति ने अपना स्वार्थ सिद्ध करके 9500 रुपये का गलत रूप से भुगतान किया गया।

ii. संस्थान के गोदाम से करीबन 2200 रुपये की कीमत के पेडीस्टल फेन की चोरी होने के उपरान्त भी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

iii. जी. आई. वायर जिसकी कीमत 2000 रुपये की थी वह चोरी होने के उपरान्त कोई कार्यवाही नहीं की गई और उसके स्थान पर श्री मूर्ति के निर्देशानुसार नया खरीदा गया।

7. एस. टी. डी. का दुरुपयोग

श्रीमान् प्रबन्धक संचालक महोदय के आदेशानुसार परियोजना में दो एस. टी. डी. टेलीफोन में से एक एस. टी. डी. टेलीफोन जो जी. एम. निवास पर है उसे कटवाने के आदेश होने के पश्चात् भी अभी तक जी. एम. निवास का एस. टी. डी. टेलीफोन कनेक्शन नहीं कटवाया गया है जिसका अनावश्यक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है। जिससे संस्था को प्रतिमाह हजारों रुपये का नुकसान पहुँचाया जा रहा है।

अपने मनचाहे अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी स्वार्थ सिद्धी के स्थान पर लगा कर अपना स्वार्थ पुरा किया जा रहा है। जिसमें श्री एम. ए. ताहीर सहायक प्रबन्धक (रख-रखाव) को स्टोर कीपर का चार्ज दिया गया है जो एक अधिकारी है। परन्तु अपने स्वार्थ हेतु एक सहायक कर्मचारी के पद का कार्यभार सम्भाल रखा है।

इन सब के बावजूद कर्मचारियों को अपने चाहे अनुसार कार्य न करने पर कर्मचारियों को निलम्बित करने एवं स्थानान्तरण करने की धमकीयाँ दी जाती है तथा आपको गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। जिसका नुकसान कर्मचारियों एवं संस्था को अनावश्यक रूप से वहन करना पड़ता है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि श्री शेख का स्थानान्तरण अन्यत्र किया जावे तथा तुरन्त रिलीव करने के आदेश करावे। रिलीव होने के पश्चात् आप स्वयं अकस्मात पधार कर सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए एवं रिकवरी की जावे।

भवदीय,
(समस्त कर्मचारी)

(३८)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों हेतु सेवा नियम

185.श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) एवं **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों को पेन्शन सुविधा प्राप्त नहीं है? यदि हां, तो अब पेन्शन लाभ देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अभिकरण में कार्यरत तथा सीधे नियुक्त कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा बाबत नियम तथा सेवा नियमावली नहीं होने के कारण पूर्व में उपलब्ध वाहन एवं मकान ऋण की सुविधा समाप्त की गई है? यदि हां, तो नियम तथा सेवा नियमावली कब तक बना लिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी मानने तथा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने से पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार बाबत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी गठित की जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो अब रिपोर्ट कब तक तैयार करवा ली जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। पेंशन नियम तैयार किये जाकर वित्त विभाग (नियम) को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जा चुके हैं जहां इनका परीक्षण किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नियमों में संशोधन कर प्राप्त राशि की ब्याज से दी जाने वाली वाहन एवं मकान पूर्ण की सुविधा बन्द किये जाने के फलस्वरूप उक्त सुविधा बन्द की गयी है न कि सेवा नियमावली के न होने के कारण। वर्ष 1983 से अभिकरण के कर्मचारियों के सेवा नियम प्रचलित हैं।

(3) इस प्रकार के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्रीगंगानगर में साक्षरता अभियान हेतु क्रय पाठ्य सामग्री

186. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि साक्षरता अभियान की शुरूआत करने के लिए श्रीगंगानगर में लाखों रुपये की पाठ्य सामग्री मंगवाई गई थी? यदि हां, तो क्या इस समाग्री को खरीद के लिए सरकार द्वारा कोई समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो उक्त समिति में किस-किस को लिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(2) क्या यह सही है कि समिति द्वारा लाखों रुपये की पाठ्य सामग्री खरीदने के उपरान्त भी पाठ्य सामग्री घटिया किस्म की प्राप्त हुई? यदि हां, तो क्या-क्या सामग्री घटिया थी एवं क्यों?

(3) क्या सरकार घटिया सामग्री मंगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गंगानगर में साक्षरता अभियान आरम्भ करने के लिए कुल 27.86 लाख रुपये की पाठ्य सामग्री क्रय करने का निर्णय जिला साक्षरता समिति द्वारा लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस सामग्री खरीद के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया गया था। जिला कलेक्टर (अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति) द्वारा सामग्री खरीद के लिए तथा अन्य वित्तीय मामलों के परीवीक्षण के लिए एक वित्त समिति का गठन किया गया है तथा पाठ्य साम्रगी नमूने के अनुसार प्राप्त करने एवं वितरण आदि कार्य के लिए आइटमों के अनुसार उपसमिति का गठन किया है, जिनकी सदस्यता परिशिष्ट–"क" में उपलब्ध है।

(2) चाक, लैड पेन्सिल, रोल अप बोर्ड, स्लेट, बालपेन, स्लेट पेन्सिल, स्लिपपैड जो प्राप्त हुए हैं, अनुमोदित नमूने के अनुसार थे। स्लेट की पहली खेप निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप न होने के कारण अस्वीकृत कर दी गई और आपूर्तिकर्ता को लौटा दी गई। पेन्सिल शार्पनर निर्धारित नमूने के अनुसार नहीं होने के कारण आपूर्तिकर्ता को लौटा दी गई है। पहली प्रवेशिका, स्वयंसेवक डायरी, स्वयं सेवक मार्गदर्शिका के कवर पेज अनुमोदित नमूने से कम गुणवत्ता वाला पाया गया। अतः भुगतान करते समय नियमानुसार कटौती कर ली जाएगी।

(3) घटिया सामग्री क्रय नहीं की गई थी जिन वस्तुओं की आपूर्ति अनुमोदित नमूने के अनुसार नहीं थी, उसे या तो अस्वीकृत किया गया अथवा गुणवत्ता में कमी के कारण नियमानुसार राशि की कटौती करना तय कर लिया गया है। अतः जांच का कोई कारण नहीं है।

परिशिष्ट—"क"

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों की वित्त कमेटी की सूची निम्न प्रकार है :—

1.	जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, सम्पूर्ण साक्षरता समिति, श्री गंगानगर	अध्यक्ष
2.	जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर	उपाध्यक्ष
3.	अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन) एवं साक्षरता प्रभारी अधिकारी	सदस्य
4.	मुख्य समन्वयक, सम्पूर्ण साक्षरता समिति, श्रीगंगानगर	सदस्य
5.	श्री कुलदीप सिंह, जिला कोषाधिकारी (सेवानिवृत) श्रीगंगानगर	सदस्य
6.	श्री जे. पी. शर्मा, लेखाधिकारी, डी. आर. डी. ए. श्रीगंगानगर	सदस्य
7.	लेखाधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर	सदस्य
8.	कनिष्ठ लेखाकार, जि. शि. अधि. (छात्र) श्रीगंगानगर	सदस्य
9.	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी एवं सचिव सम्पू. सा. स. श्रीगंगानगर	सचिव

साक्षरता समिति श्रीगंगानगर द्वारा पठन पाठन सामग्री नमूनेनुसार प्राप्त करने एवं उनको वितरण करने हेतु निमनलिखित उप समितियों का गठन किया :—

क्र.सं.	सामग्री का नाम	नाम अधिकारी/कर्मचारी
1.	रोल अप बोर्ड	श्री किशन चन्द लेखाधिकारी, वी. के पाठन शिक्षा प्रसार अधिकारी, चन्दकुमार व.लि.
2.	स्लेटबरता	श्री पृथ्वीराज चाचान, सहा. लेखाधिकारी आशाराम शर्मा, व.अ., द्वारका प्रसाद, क. लि.
3.	स्लिपपैड एवं स्वयंसेवक डायरी	श्री श्याम सुन्दर सहा. लेखाधिकारी, जंगबहादुर सिंह, व.अ., भरतसिंह क.लि.
4.	बाल पैन, शार्पनर, लीड पैन्सिल	श्री रमेश चन्द शर्मा, वरि. उप. जि. शि. अ. श्री जगदीश राय लेखाकार, श्री राजेश खुराना
5.	प्रवेशिका प्रथम स्वयं सेवक मार्ग दर्शिका	श्री शंकर लाल, उपजिला शि. अ. श्री हरदत्त सिंह लेखाकार, राकेश अरोड़ा, व.लि.
6.	चाक सफेद एवं रंगीन	श्री रामपाल सिंह, प्र. अ. श्री सतपाल तंवर, क. लेखाकार, राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, व. लि.
7.	प्रशिक्षण निर्देश पुस्तिका	श्री भगवती प्रसाद सहा. लेखाधिकारी, अमरनाथ व.अ. अशोक कुमार, व.लि.
8.	स्लेट हार्ड बोर्ड	श्री बहादुर सिंह सहा. लेखाधिकारी, राजकुमार व. अ. सत्यनारायण व. लि.

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन) एवं
साक्षरता प्रभारी अधिकारी,
श्रीगंगानगर।

कृषि उपज मंडी समिति भरतपुर द्वारा स्वीकृत सड़कें

187. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) एवं **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, भरतपुर के भरतपुर तथा कुम्हेर क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में कौन-कौन सी सड़कें कब-कब स्वीकृत की गई तथा प्रत्येक सड़क पर कितनी-कितनी राशि व्यय होना अनुमानित था?

(2) क्या उक्त स्वीकृत सड़कों की निर्माण सम्बन्धी सभी कार्यवाही पूरी की जा चुकी है?

(3) उक्त स्वीकृत सड़कों पर पिछले तीन वर्षों में कितनी-कितनी राशि किस-किस सड़क निर्माण पर व्यय की गई?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, भरतपुर के भरतपुर तथा कुम्हेर क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत सड़कें, अनुमानित लागत एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट–"1" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) पिछले तीन वर्षों में इन सड़कों के निर्माण पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 के कॉलम संख्या 5 में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–"1"

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	नाम सम्पर्क सड़क	स्वीकृति दिनांक	अनुमानित लागत	व्यय (12/96 तक)
1	2	3	4	5
वर्ष 1993-94				
1.	1. भरतपुर क्षेत्र	निल	—	—
2.	कुम्हेर क्षेत्र			
	1. सेंतरा जाटोली रोड से बिलोठी	26.5.93	4.90	4.88
	2. भरतपुर कुम्हेर रोड से बाबेक	"	29.40	1.32
	3. बोरई से सेह	"	14.70	—
	मिसिंग लैन्थ—			
	1. नॉगल परसाराम से सूतापनवाड़ा	15.10.93	10.50	5.00

1	2	3	4	5
	2. लाच्छामडी से नांगला कासेठा, नांगला होना वाया बरसाई	"	12.00	11.98
	3. पीपला से मेहचोली	20.9.93	2.70	2.50
वर्ष 1994-95				
1.	भरतपुर क्षेत्र			
	1. ऊंचा गांव से एकदा वाया चक एकटा	21.9.94	6.20	5.50
	2. ऊंचा गांव से कपरोली	"	6.20	–
	3. ऊंचा गांव से कपरोली	21.11.94	6.20	0.33
	4. सेवर बाई पास से सेह का नांगल	"	16.90	6.61
	5. चिकसाना से हेतमपुर	"	13.54	9.76
2.	कुम्हेर क्षेत्र			
	1. नदवई कुम्हेर रोड से सिकरोरा	21.9.94	3.95	2.07
	2. मुरवारा से माढोनी	"	12.41	5.69
	3. सातरक से नगला चौधरी	"	24.82	5.94
	4. लुधवारा से उवार	"	9.00	6.18
	5. पुराना डीग रोड से रीठोड़ी	"	23.13	7.47
	6. मोरोली खुर्द से मोरोली कला	"	6.20	6.17
वर्ष 1995-96				
1.	भरतपुर क्षेत्र			
	1. रीको औद्योगिक क्षेत्र से बराकुर	22.8.95	8.25	3.78
	2. मांवरी रोड से पीरनगर	"	2.75	2.70
2.	कुम्हेर क्षेत्र—			
	1. आजाद हेलक रोड से पाहुआ	"	3.90	2.00
	2. भरतपुर कुम्हेर रोड से बेलारा	"	1.70	1.46
	3. मथुरा रोड से बुराबई	"	5.50	3.93
	4. बेलारा से सुरोता	"	12.00	वित्तीय स्वीकृति के अभाव में कार्य नहीं हुआ।

(203)

परिशिष्ट–4

(तारांकित प्रश्न संख्या 159 की सूची)

10 वर्ष से अतिक्रमण के व्यक्तियों की सूची व विवरण

सं.2042 कालू/ भंवरिया माली अकलेरा समस्त 4 बीघा 12 बिस्वा

सं.2043 कालू/ भंवरिया माली अकलेरा समस्त 4 बीघा 12 बिस्वा

सं.2044 कालू/ भंवरिया माली अकलेरा ख.नं.615 की 1 बीघा पर शेष पड़त

सं.2045 कालू/ भंवरिया माली समस्त 4 बीघा 12 बिस्वा

सं.2046 पड़त

सं.2047 कालू/ भंवरिया माली अकलेरा ख.नं.615 की 1 बीघा पर शेष पड़त

सं.2048 पड़त

सं.2049 कब्जा कालू/ भंवरिया माली का रहा ख.नं.615 की 1 बीघा,616 की 2 बीघा 9 बिस्वा,623 की 1 बीघा कुल 4 बीघा 9 बिस्वा शेष पड़त

सं.2050 कालू/ भंवरिया माली अकलेरा ख.नं.615 की 1 बीघा,616 की 2 बीघा तथा रामबक्श/धूलीलाल मोग्या अकलेरा, ख.नं.616 की 9 बिस्वा व 623 की 1 बीघा कुल 4 बीघा 9 बिस्वा शेष पड़त

सं.2051 अरूण कुमार/जगन्नाथ, निर्मला देवी/रमेशचन्द कलाल, मुश्ताक अली/रौनक अली मुसलमान का ख.नं.615 की 15 बिस्वा,616 की 2 बीघा 9 बिस्वा, ख.नं.622 की 3 बिस्वा,623 की 1 बीघा का कब्जा रहा है कुल 4 बीघा 7 बिस्वा शेष पड़त है।

सं.2052 कब्जा अरूण कुमार/जगन्नाथ; निर्मला देवी/रमेशचन्द/मुश्ताक अली/रौनक अली मुसलमान सा. अकलेरा का उपरोक्तानुसार रहा है।

सं.2053 उक्त भूमि पर मांगीलाल, मूलचन्द, पिस. प्रताप वगैरहा नि. थडोल का कब्जा 4 बीघा 12 बिस्वा पर रहा है। अतिक्रमी श्री कालू पुत्र भंवरिया माली ने उक्त सिवायचक आराजी को खाते में दर्ज कराने के लिये उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के न्यायालय में दावा दायर किया था। जिसमें उक्त भूमि पर कब्जे की जांच की जाकर नियमानुसार नियमन कराने के आदेश दिये गये थे। इस निर्णय से रूष्ठ होकर राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के न्यायालय में अपील की गई थी। यह अपील अपीलान्ट खारिज हो चुका है।

परिशिष्ट–5

(तारांकित प्रश्न संख्या 165 का विवरण)

प्रश्न के भाग संख्या–1 की सूची

क्र.सं.	नाम विद्यालय
1.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, आलनियावास
2.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बिखरनियामलां
3.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भैरून्दा
4.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चकढाणी
5.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, डोडियाना
6.	राजकीय माध्यमिक विधालय, जाखेड़ा
7.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जालसू नानक
8.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ईडवा
9.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खुडीकलां
10.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कितलसर
11.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, निम्बडोकलां
12.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सिरासना
13.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, निम्बड़ी चांदावता
14.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, डेगाना जंक्शन

प्रश्न के भाग संख्या 2 की सूची

क्र.सं.	वर्ष	मा. वि. से सी. मा. वि. स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालय का नाम
1.	1993-94	मकराना
2.	1994-95	थावला
		खुनखुना
		डेह
		मुड़वा (बालिका)
		मेड़ता (बालिका)
		नावां (बालिका)
		परबतसर (बालिका)
3.	1995-96	रेण
		मिठड़ी
4.	1996-97	गोटन
		अडखसर
		बोरावड़
		रुण

(205)

परिशिष्ट-6

(तारांकित प्रश्न संख्या 167 की सूची)

तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में कार्यशील संस्थाओं की सूची (अ)

1. पशु चिकित्सालय, मांडल
2. पशु चिकित्सालय, करेड़ा
3. पशु चिकित्सालय, ज्ञानगढ़
4. पशु चिकित्सालय, लुहारिया
5. पशु औषधालय, गोरखा
6. पशु औषधालय, बागोर
7. पशु औषधालय, ऊमरी

1. उपकेन्द्र, बावड़ी
2. उपकेन्द्र, बेमाली
3. उपकेन्द्र, चिताम्बा
4. उपकेन्द्र, भगवानपुरा
5. उपकेन्द्र, घोड़ास
6. उपकेन्द्र थाणा

तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची (ब)

1. पशु चिकित्सालय, मांडल
   1. डॉ. जाहिद हुसैन
   2. प. ध. स. पद रिक्त 8/96
   3. जलधारी श्री रामपाल सैनी
   4. सईस श्री नाथू लाल सैनी
   5. सफाईकर्त्ता श्री रामपाल हरिजन

उपकेन्द्र बावड़ी पर श्री जहूर अहमद वी.ए.

2. पशु चिकित्सालय, करेड़ा
   1. डॉ. कुमारी मधुलता शर्मा
   2. प. ध. स. का पद रिक्त
   3. प. ध. स. श्री कैलाश चन्द बैरवा
   4. जलधारी श्री कल्याणमल वर्मा
   5. सईस श्री नसीर मोहम्मद
   6. सफाईकर्त्ता कर पद रिक्त

उपकेन्द्र बेमाली–यह उपकेन्द्र फरवरी के तृतीय सप्ताह से पदोन्नति के कारण बन्द है।

3. पशु चिकित्सालय, ज्ञानगढ़
   1. डॉ. का पद रिक्त 10/95
   2. वी. ए. श्री राजेन्द्र सिंह
   3. प. ध. स. श्री नारायण प्रकाश वर्मा

4. जलधारी श्री राम सिंह

5. सईस श्री माधोसिंह

उपकेन्द्र चिताम्बरा--पर श्री राजेन्द्रसिंह वी. ए. कार्यरत है।

4. पशु चिकित्सालय, लुहारिया	1. डॉ. अशोक कुमार शर्मा
	2. प. ध. स. श्री सत्यनारायण
	3. प. ध. स. रिक्त पद 3/97

नई संस्था

5. पशु औषधालय, गोरख्या	1. वी. ए. का पद रिक्त 9/92
	2. प. ध. स. श्री बलदेव कुमार तिवाड़ी
	3. सफाईकर्त्ता श्री प्रभाती राम

उपकेन्द्र भगवानपुरा–श्री हकीमुद्दीन प. ध. स. कार्यरत है।

6. पशु औषधालय, बागौर	1. वी. ए. श्री शंकर सिंह
	2. प. ध. स. श्री हरिकिशन खटीक
	3. सईस श्री महेन्द्र सिंह

उपकेन्द्र धोड़ास–श्री हरिकिशन खटीक प. ध. स. पद स्थापित

7. पशु औषधालय, अमरा ऊमरी	1. वी. ए. श्री गंगाधर बलाई
	2 प. ध. स. पद रिक्त 8/86
	3. सईद पद रिक्त है।

उपकेन्द्र थाना-पशुधन सहायक का पद रिक्त होने के कारण उपकेन्द्र बन्द है।

(207)

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 268 की सूचना)

विश्व बैंक एवं अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाओं के आर्थिक सहयोग से चलाई जा रही परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय संस्था का नाम	परियोजना लागत (रुपये करोड़)	आर्थिक सहयोग का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	समन्वित जलग्रहण विकास परियोजना	विश्व बैंक	98.06	80
2.	कृषि विकास परियोजना	विश्व बैंक	406.54	80
3.	'बांध सुरक्षा एवं बांध पुनर्वास परियोजना'	विश्व बैंक	86.32	80
4.	सड़क सुदृढ़ीकरण एवं विस्तृतीकरण परियोजना	विश्व बैंक	298.00	90
5.	तकनीकी शिक्षा में सुधार परियोजना	विश्व बैंक	63.20	85
6.	राजस्थान पावर सैक्टर रिफार्मस स्टडी	विश्व बैंक	7.20	100
7.	अरावली वनारोपण परियोजना	आई.सी.एफ. (जापान)	176.69	85
8.	इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में वनारोपण एवं चरागाह विकास परियोजना स्टैंण्ड-2	आई. ई. सी. एफ. (जापान)	107.65	85
9.	राजस्थान वानिकी विकास परियोजना	आई. ई. सी. एफ. (जापान)	146.00	85
10.	राजस्थान लघु सिंचाई परियोजना	एफ. आर. जी. (जर्मनी)	34.78	70
11.	ग्रामीण जलप्रदाय परियोजना	एफ. आर. जी. (जर्मनी)	253.00	75
12.	सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना	ई. ई. सी.	229.20	74
13.	राजस्थान कृषि भूमिगत नालियां विकास परियोजना (राजड)	कनाड़ा		
14.	समन्वित परती भूमि विकास परियोजना	सीडा	28.13	90
15.	पावडी परियोजना	स्वीस	15.34	70

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 271 की प्रति)

राजस्थान सरकार

महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक–एफ. 10 (37) विजा/मबावि/96/3273 जयपुर दिनांक 16.1.97

आदेश

चूंकि श्रीमती ममता यादव, बाल विकास परियोजना अधिकारी किशनगंज हाल (निलम्बित) मुख्यालय जिला कलेक्टर, कोटा के विरुद्ध उनके दिये गये ज्ञापन संख्या 71858 दिनांक 10.12.96 की राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन जांच की जा रही है।

चूंकि निम्न हस्ताक्षरकर्ता का यह विचार है कि उनके विरुद्ध तैयार किये गये आरोपों की जांच करने के लिये एक जांच अधिकारी व विभागीय प्रतिनिधि की नियुक्ति की जावे।

अतः एतदद्वारा इस प्रकरण में अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन) बारां को जांच अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी किशनगंज को विभागीय प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है।

जांच कार्यवाही उक्त नियमों के नियम–16 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जावे।

एस. डी.
निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग
राज. जयपुर।

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 272 की प्रतिलिपि)

Government Of Rajasthan

(State Enterprises Department)

Bureau Of Public Enterprises

No. F. 2(23)BPE/87/507 Jaipur, dated 19, Faby., 88.

Chief Executives of All
State Public Undertakings.

Sub: – Employment of Physically Handicapped Persons in State Public Enterprises.

Sir,

State Government had issued "The Rajasthan Employment of the Physically Handicapped Rules, 1976" for regulating recruitment and conditions of service of physically handicapped persons. The rules provide for, among others, 3% reservation for physically handicapped persons in subordinate, ministerial and Class IV posts in Government.

2. The State Government has considered the various measures for increasing employment opportunities for physically handicapped persons and, has decided that State Public Undertakings should also provide for reservation for physically handicapped persons in subordinate ministerial and Class IV posts. Therefore, I am directed to request you to either adopt 'Rajasthan Employment of the Physically Handicapped Rules 1976', or suitably amend Service Rules of your undertaking to provide for 3% reservation for physically handicapped persons in subordinate, ministerial and Class IV posts, in accordance with the aforesaid rules.

3. A copy of Rajasthan Employment of the Physically Handicapped Rules, 1976 is enclosed for ready reference.

4. The receipt of this communication may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,
(Hanuman Prasad)
Secretary to Government.

Government of Rajasthan

Department of Personnel

(A-Group-II)

No.F.1(17)DOP/(A-II)/ Jaipur, Dated the

Notification

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following Rules regulating recruitment and condition of service of handicapped persons appointed to services and posts in connection with affairs of the State of Rajasthan, namely :-

THE RAJASTHAN EMPLOYMENT OF THE PHYSICAL HANDICAPPED RULES, 1976.

1. Short title, commencement and application :- (i) These Rules may be called "The Rajasthan Employment of the Physically Handicapped" Rules, 1976.

(ii) These Rules shall come into force with effect from the date of publication in the Rajasthan Rajpatra and shall have effect notwithstanding anything contained in any other rules or orders promulgated under proviso to article 309.

(iii) Notwithstanding anything contained in any service rules or orders for the time being in force regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the various services or posts in connection with the affairs of the State, physically handicaped person shall be eligible for recruitment and appointed to the earmarked and reserved posts in accordance with these rules.

2. Definitions: In these rules unless the context otherwise requires : –

   (i) "Appointing authority" means the Authority appointed as such under the relevant Service Rules promulgated by the Governor under proviso to article 309.

(ii) "Central Registry" means the Cell meant for the Ragistration of the physically handicapped persons for purposes of issue of the Identify Card in Rule 5;

(iii) "Director" means *Director of Employment Rajasthan and such other officer to whom powers in this regard may be delegated by the Government.

(iv) "Government" and "State" means respectively the Government of Rajasthan and the state of Rajasthan and

*(v) "Physically Handicapped" means and includes the following categories of physically handicapped persons : –

(A) Blind: The blind are those who are suffering from either of the following conditions :-

(i) Total absence of sight; and

(ii) Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (smollan) in the better eye with correcting lenses.

(B) Deaf and/or –

(i) The deaf are those in whom the sense of hearing is not-functional for ordinary purpose of life.

(ii) The mute are those who can not speak.

(C) <u>Orthopaedically handicapped</u> – The orthopaedically handicapped are those who have a major physical defect or deformity which cases an interference with normal functioning of bones, muscles and joints".

*3. <u>Eligibility</u> :- Physiclly handicapped persons shall be eligible for appointment to posts in Subordinate, Ministerial and Class-IV Services reserved for them under rule 4 of these rules provided they fulfil the qualifications laid down in the relevant Service Rules or as laid down by the Government in consultation with the Finance Department and the Department of Personnel and Administrative Reforms where a separate set of Service Rules have not been promulgated for the posts of the said Services and are eligible and functionally able to perform the duties of the posts of the said Services."

*4. Reservation and relaxations of Physical and Medical Standards for Physically Handicapped Persons :–

(1) For appointment to the posts in Subordinate, Ministerial and Class-IV Services, 3% of the posts (1% for the blind, 1% for the Orthopaedically handicapped persons) shall be reserved.

Provided that where a Head of the Department is of the opinion that functions of certain jobs of the posts of the said Services can not be carried out by the physically handicapped persons indicated in clause (v) of rule 2 of these rules, in that case the Head of the Department concerned shall indicate such posts to the Director of Social Welfare, Rajasthan for allowing exemption from the operation of the reservation prescribed in sub-rule (1) above for physically handicapped persons within a period of 3 months from the date of the issue of this amendment.

Note: (1) The vacancies reserved under sub-rule (1) above, shall be calculated on the basis of cadre strength existed upto 31-3-1981 of the posts concerned.

(2) The vacancies reserved under sub-rule (1) above, after 1-4-1981 shall be calculated on the basis of vacancies determined yearwise to be filled in by direct recruitment to the posts concerned.

(3) The cases referred to by the Head of the Department concerned under the proviso to sub-rule (1) above shall be placed by the Director, Social Welfare, Department before the Committee consisting of :–

1. the special secretary to the Government, Department of Personnel and Administrative Reforms. — Chairman.

2. the Director of Social Welfare Department, Rajasthan. — Member.

3. the Director of Employment Exchanges, Rajasthan. Member
4. the Director of Medical and Health Sarvices, Rajasthan. Member
5. the Head of the Department concerned. Member

(4) The committee constituted under sub-rule (2) above shall consider the proposals received from the Head of the Department concerned under the proviso to sub rules (1) above and shall either allow complete exemption from the operation of the reservation prescribed under sub rule (1) above for physically handicapped persons for those posts or shall transfer the reservation prescribed under sub-rule (1) above for physically handicapped persons to such other categories of posts where the physical handicaps would not be a hinderance for those posts.

(5) The information pertaining to the position of reservation and employment of the physically handicapped reported to the Department of Personnel (A-5) in Form-1 appended to these rules.

(6) In the event of non-availability of candidates belonging to the particulars category of physically handicapped persons or if the nature of vacancies in an office is such that a given category of physically handicapped persons cannot be employed, inter-se exchange of posts/vacancies shall be permissible.

(7) In the event of non-availability of suitable candidates for appointment against the vacancies reserved for physically handicapped persons under sub-rule (1) above, in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for them in the subsequent year. Such of the vacancies which remain so unfilled shall be carried forward upto three recruitment years in total and thereafter such reservation would lapse.

(8) A continuous account of the vacancies arising in Subordinate, Ministerial and Class-IV Services reserved under sub-

rule (1) above from year to year shall be maintained in which the 34th vacancy occuring in a particular recruitment year shall be reserved for the Blind, the 67th vacancy and the 100th vacancy shall be reserved for the Deaf and/or mute and the Orthopaedically handicapped persons respectively in a cycle of 100 vacancies. In case any of these vacancies happen to be reserved for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes or Ex-Servicemen, the next clearly abvailble vacancy shall be reserved for the physically handicapped persons.

(9) In the categories of posts in Subordinate, Ministerial and Class-IV Services as being particularly suitable for physically handicapped persons, other things being equal, preference should be given to physically handicapped persons for such jobs/posts even in excess of the quota reserved for them.

5. Central Registry for physically handicapped.

The Director, Social Welfare Department shall make proper arrangements through the agencies such as Invastigators, Social Welfare Inspectors, Assistant Probation Officers etc. for registering Physically disabled persons coming under purview of rule 2(v) of these rules for finding opportunities of employment to such persons. The information in the agencies shall be conveyed to the Director of Employment, Rajasthan, Jaipur where a special cell would function under a Deputy Director for registeration and issue of identity card. Alternatively a physically handicapped person may also apply for his registration directly either to the Director of Employment, Rajasthan Jaipur or through any of the Officers working in the area where he resides.

6. Procedure for registration under Central Refilstry and issue of Identity Card:

(i) The Government may create a Cell in the Directorate of Employment, Raj., Jaipur for purposes of registration of Physically handicapped persons as required under rule.

(ii) This cell shall register the physically handicapped catagorywise, in a prescribed form and in the manner prescribed by the Government from time to time and issue the Identity Card to such registered person, provided the applicant fulfills conditions herein laid down and prescribed by the Government from time to time.

(iii) The application for registration shall be accompanied with the following certificates or any other certificates prescribed by the Government from time to time.

(a) certificates relating to educational qualifications and training etc., if any.

(b) certificate of age.

(c) certificate of disability as prescribed in sub rule (1) of rule 7.

7. Ascertaining the degree of disability and functional capacity of the Physically handicapped and relaxation from medical examination on appointment to Government Service.

(1) A certificate of the physically handicapped shall be obtained from the Medical officer not below the rank of :–

(1) A Reader in the concerned speciality where there is a Medical College and

(2) A Junior Specialist in the concerned speciality or Chief Medical & Health Officer at places where there is no Medical College.

(2) The certificates of disability required to be obtained under sub-rule (1) above shall be furnished by the Medical Officer in Form-II, Form-III, Form-IV and Form-V appended to these rules.

(3) Such of the Physically Handicapped persons, who are appointed to any reserved or earmarked posts in any Government Department, snall not be subject to the usual Medical Examination provided in the respective Service Rules in first entry into Government Service and the relavant Service Rules shall be deemed to have been amended to the extent.

8. **Relaxation in age** : The maximum age limit prescribed for appointment to various posts in Subordinate, Ministerial and Class-IV Services indicated in sub-rule (1) of rule 4 may be relaxed by 10 years for the physically handicapped persons and various relevant Service Rules shall stand amended to this affect. In special cases of hardship the Government may further relax this limit of age.

9. **Cancessions** : Following concessions shall be allowed to blind and deaf person for making him eligible for employment mentioned in rule 4.

(i) 5 percent of marks wherever minimum percentage of marks in any examination is prescribed.

(ii) The academic qualifications given in the certificate issued by the recognised Institute meant for the deaf shall be considered at par with those other Institution recognised by Government.

(iii) The condition or desirability of training/tests/experience wherever prescribed, shall not apply to the physically handicapped for temporary appointment. Where a particular training is essential for appointment to a post, the physically handicapped person may be required to receive such training within two years of his appointment.

10. **Orthopaedic Rehabilitation** : Where, in view of the Appointing Authority physically handicapped person needs training in orthopaedic rehabilitation, the person so employed shall have to go for appropriate training in the institution recognised for the purpose.

11. **Travelling Expenses** : The physically handicapped person, called for interview, tests or examination in respect of selection for employment, shall be paid second class fare by Railway or actual ordinary Bus fare, as the case may be for both the Journeys.

12. **Priority in Government Accomodation** : The blind and deaf, so employed may be given priority in allotment of Government accomodation wherever possible.

13. **Other concessions** : The physically handicapped holding the Identity Card, shall be entitled to the benefit of all concessions and reservations made applicable to the physically handicapped from time to time by the government and shall not be required to produce any other document in respect of ascertaining his physical disability.

14. **Persons employed if Physically Handicapped later:** Persons already in employment of the Government who may suffer from physical handicap defined in these rules shall also be entitled to relaxation of physical and Medical Examination provided in Rule 4 of these rules for reservation and shall also be entitled to be absorbed or adjusted on any other alternative post to which a physically handicapped person may be entitled under these rules, with the approval of the Govt.

15. **Fee for Medical Examination** : No fee shall be payable to any Medical officer or expert in the employ of the Govt. for any Medical Examination or grant of certificate under these Rules.

16. **Interpretation** : Unless the context otherwise requires, the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Rajasthan Act VIII of 1955) shall apply for the interpretation of these rules.

17. **Removal of Doubts** : If any doubt arises relating to the application, interpretation & scope of the rules it shall be referred to the Govt. In the Deptt. of Personnel whose decision thereon shall be final.

18. After the existing Form-I, the following new Forms shall be added, namely :–

By Order & In the name of Governer

Sd/-

Spl. Secretary to the Govt.

---

* Clause (iii) of rule 2, rule 5 and rule 6 as amended vide notification No.F.1(17)DOP/A/II/72, dated 24th July, 1978.

** Clause (v) of rule 2, rule 3, rule 4, sub-rule(1) of rule 7 and rule 8 substituted & sub rule (3) of rule 7 renumbered vide notification no.F.5(29)DOP/A-II/80 dated 31st Dec., 1981.

218

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 274 की प्रति)

कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक

क्रमांक—245/राजस्व/97/ दिनांक 21.1.97

निदेशक,
उद्योग विभाग,
तिलक मार्ग, जयपुर

विषय— राजस्थान स्टेट टेनरीज के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा निर्देशानुसार राजस्थान स्टेट टेनरीज (राजस्थान लेदर इण्डस्ट्रीज, टोंक) के संबंध में जांच कर रिपोर्ट बिन्दुसार प्रेषित है।

1. इकाई वर्तमान में वेटब्ल्यु का उत्पादन कर रही है, निरीक्षण के समय इकाई में भेड़ की खाले कच्चे माल के रूप में उपलब्ध थी तथा वेटब्ल्यु बनाने का कार्य जारी था जानकारी करने पर मालूम हुआ कि इकाई का विद्युत संबंध पिछले कुछ अर्से से कटा हुआ है, तथा इकाई अपना उत्पादन डीजल जनरेटिंग सेट से चला रही है, इकाई में 120 के. वी. डीजल जनरेटिंग सेट-उपलब्ध था।

2. निरीक्षण के समय इकाई में पेड़ कटाई का कार्य नहीं हो रहा था। कुछ पेड़ कटे हुए पड़े थे, इन कटे हुए पेड़ों की पूरी गणना करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उपखण्ड अधिकारी, टोंक को निर्देश प्रदान किये गये थे, जिसकी हल्का पटवारी तथा हल्का गिरदावरी को उक्त कार्य सम्पादित करने के लिये उप खण्ड अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया था।

3. निरीक्षण के समय स्थापित किसी मशीन को हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी, न ही कोई तोड़ फोड़ का कार्य हो रहा था।

4. इकाई के परिसर में वक्त निरीक्षण कोई भी बजरी इत्यादि का कार्य नहीं चल रहा था।

5. वक्त निरीक्षण करने पर यह भी पाया गया कि न तो परिसर में किसी प्रकार का निर्माण कार्य चल रहा था और न ही भूमि पर किसी प्रकार के प्लाट इत्यादि काटने के चिन्ह या सीमांकन किया हुआ था।

अतः आदेशों की अनुपालना में रिपोर्ट प्रस्तुत हैं।

भवदीय,
ह/-
अति. जिला कलेक्टर, टोंक

219

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 289 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

NO.RSEB/Sec.3/F.3(419)/D. 235 JAIPUR, 22/24-1-75

ORDER

The Board in its 213th meeting held on 21st December, 1974 decided that employment on preferential basis to one dependent member of the Board employees, family will be given in case of death/retirement/permanent disablement of the workemen provided that :–

(i) There is no earning male member in the faimily

(ii) Vacancy exists

(iii) the dependent member fulfils the prescribed minimum qualifications.

The Board has also decided that the defination 'Family' for the above purpose would include wife/widow, sons and un-married daughters only.

By order,
Sd/-
(Rajendra Jain)
Secretary.

परिशिष्ट "ब"

वित्तीय वर्ष 1993 के अब तक मृत कर्मचारियों के आश्रितों को दी गई नियुक्ति का विवरण

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.ज.	अ.पि.व.	कुल योग
1.	1993-94	345	69	37	–	451
2.	1994-95	249	33	19	1	302
3.	1995-96	190	39	18	18	265
4.	1996-97, (दिसम्बर, 1996 तक)	174	51	24	24	273
	योग	958	182	98	43	1291

श्रेणीवार एवं पद वार दी गई नियुक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	पद नाम	1993 -94	1994 -95	1995 -96	1996 -97	कुल योग
1.	कनिष्ठ अभियन्ता	03	02	02	–	07
2.	कनिष्ठ लिपिक	96	42	07	11	156
3.	उपभोक्ता शिकायत लिपिक	—	81	78	45	204
4.	कनिष्ठ लेखाकार	—	—	05	01	006
5.	सहायक प्रथम	—	—	—	39	039
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/ सहायक द्वितीय	352	177	174	176	879
		451	302	265	273	1291

परिशिष्ट—12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 293 का विवरण)

क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. बेगूं जिला-चित्तौड़गढ़ वर्ष 1990-91 से 1995-96 तक आय पक्ष का मदवार ब्यौरा

क्र.सं.	विवरण	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1.	ट्रक से आय	240694.00	229158.00	202227.00	192970.00	350820.00	458060.00
2.	आडत प्राप्त	19040.00	21031.00	19489.00	37466.00	—	20554.00
3.	केश डिस्काउन्ट	26864.00	16458.00	15251.00	9561.00	12140.00	9802.00
4.	ट्रान्सपोर्ट खाता	9813.00	505.00	5.00	10.00	—	—
5.	लाभांश कृभको/इफको	5747.00	7140.00	10280.00	6140.00	8800.00	9600.00
6.	ऑडिट वसूली	—	33702.00	16281.00	44070.00	5593.00	712.00
7.	क्वांटिटी रिबेट	—	5397.00	7264.00	—	16000.00	13740.00
8.	स्पेशल रिबेट	—	2113.00	1955.00	—	—	—
9.	कमीशन एन. सी. डी. सी.	—	2633.00	—	—	1909.00	8917.00
10.	ब्याज प्राप्त	—	29938.00	47865.00	70956.00	66288.00	80411.00
11.	हमाली	—	—	8216.00	1975.00	1230.00	[illegible]360.00
12.	भवन किराया	—	—	59376.00	52889.00	64273.00	70554.00
13.	प्रचार प्रसार	—	—	7865.00	—	—	—
14.	पेट्रोनाइज रिबेट	—	—	—	—	2820.00	2140.00
	योग	302158.00	348075.00	396084.00	416037.00	549873.00	674850.00

नोट :—वर्ष 1936-97 के मदवार आय वर्ष समाप्ति के पश्चात् ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

221

बेगूं क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. बेगूं जिला-चित्तौड़गढ़ वर्ष 90-91 से 95-96 तक व्यय पक्ष

क्र.सं.	विवरण	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ट्रक पर व्यय	208137.00	206940.00	198862.00	229236.00	408884.00	520401.00
2.	वेतन खर्च	312835.00	391625.00	479557.00	503290.00	563814.00	585039.00
3.	गोदाम किराया	44327.00	38200.00	56984.00	59424.00	55860.00	61448.00
4.	स्टॉफ ग्रेच्यूटी	12115.00	12115.00	—	13835.00	14155.00	13835.00
5.	घिसावट फर्नीचर	11063.00	—	—	—	781.00	781.00
6.	स्वागत खर्च	4273.00	10978.00	8390.00	6756.00	8457.00	8815.00
7.	मेडिकल खर्च	9059.00	10194.00	17730.00	11730.00	3796.00	1871.00
8.	यात्रा व्यय	16971.00	26534.00	27194.00	34626.00	34052.00	33346.00
9.	वर्दी चपरासी	1600.00	1594.00	2394.00	2792.00	3203.00	3236.00
10.	घिसावट मोटरसाइकिल	2167.00	—	—	—	—	—
11.	ऑडिट फीस	8710.00	15000.00	5525.00	12400.00	12200.00	14340.00
12.	जीप किराया	1701.00	750.00	—	—	—	—
13.	ब्याज खर्च	111372.00	128985.00	173641.00	167011.00	218139.00	277980.00

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	प्रशासकीय भत्ता	1336.00	1420.00	–	–	–	–
15.	गोदाम घिवासट	31515.00	41250.00	41378.00	49224.00	43472.00	45241.00
16.	बीमा गोदाम	12588.00	4565.00	12042.00	13947.00	11460.00	30097.00
17.	स्टेशनरी खर्च	9514.00	12107.00	12423.00	13311.00	22526.00	19312.00
18.	वकील फीस	2970.00	4480.00	3700.00	8575.00	–	7200.00
19.	लाइसेन्स फीस	120.00	3855.00	70.00	645.00	4041.00	2551.00
20.	अन्य खर्च	8997.00	12902.00	12224.00	10679.00	10476.00	14952.00
21.	नल बिजली खर्च	3827.00	7016.00	8290.00	8268.00	7669.00	11742.00
22.	तार एवं पोस्टेज	6187.00	9406.00	1075.00	1457.00	1244.00	1158.00
23.	बोनस	21491.00	24800.00	26134.00	26427.00	17600.00	–
24.	चन्दा खर्च	252.00	–	500.00	–	–	–
25.	विज्ञापन खर्च	1547.00	2697.00	1560.00	2705.00	477.00	–
26.	मोटर साइकिल पेट्रोल एवं रिपेरिंग	2203.00	–	5941.00	5518.00	1603.00	4522.00
27.	संचालक मण्डल सीटिंग फीस	3751.00	1764.00	2452.00	3996.00	7385.00	2265.00
28.	बाढ़ नियंत्रण	131.00	–	–	–	18647.00	–
29.	न्यूज पेपर खर्च	1805.00	2133.00	2165.00	2136.00	1890.00	1815.00
30.	सदस्य रिबेट	8182.00	9135.00	8304.00	11905.00	9666.00	13209.00

२२३

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	पेंशन कन्टरीब्यूशन	—	2773.00	2242.00	4756.00	4794.00	4213.00
32.	इनकम टैक्स	—	8650.00	8075.00	4761.00	793.00	319.00
33.	चुनाव खर्च	—	152.00	—	—	—	—
34.	सहकारी शिक्षा	—	—	—	—	1570.00	—
35.	भवन पुताई	—	3391.00	—	—	—	—
36.	संदेहात्मक डूबत कोष	—	80000.00	—	—	—	—
37.	गोदाम रिपेयर्स	—	20000.00	—	—	—	—
38.	माल बिक्री ह्रास कोष	—	15755.00	—	—	—	—
39.	लीव सेवेरी स्टॉफ	—	50000.00	—	—	—	—
40.	टेलीफोन खर्च	—	—	4208.00	4768.00	4852.00	6996.00
41.	आमसभा खर्च	—	—	—	8962.00	—	8178.00
42.	प्रोत्साहन	—	—	—	690.00	—	—
43.	प्रक्रिया शुल्क	—	—	—	—	—	1180.00
	योग	860546.00	1160768.00	1121060.00	1219830.00	1493506.00	1694962.00

नोट :— वर्ष 1996-97 के मदवार व्यय वर्ष समाप्ति के पश्चात् ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

ह/-
मैनेजर
बेगूं क्रय-विक्रय स. सं. लि.
बेगूं जिला चित्तौड़गढ़

परिशिष्ट—13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 294 की रिपोर्ट)

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर।

ऑडिट आक्षेप पूर्ति रिपोर्ट वर्ष 1994-95

परिशिष्ट–"1"

क्र.सं.	आक्षेप	अनुपालना रिपोर्ट
1	2	3
7.3.	क्रेडिट एक्सपर्ट, उप प्रबन्धक, सहायक प्रबन्धकों के अनेक पद रिक्त चल रहे हैं क्रेडिट एक्सपर्ट के 8 पद जुलाई, 1989 में सृजित किए गए थे किन्तु उन पर नियुक्ति ही नहीं की गयी। इसी प्रकार सहायक प्रबन्धकों के 13 पद वर्ष 1980-81 से खाली चल रहे हैं। आलोच्य अवधि में एक पद क्षेत्रीय प्रबन्धक का पद प्रस्ताव संख्या 822 दि. 12.10.94 के द्वारा 31.7.94 से कम किया गया है। इसके उपरान्त भी दि. 31.3.95 तक निम्न प्रकार पद खाली हैं :—	क्रेडिट एक्सपर्ट के 8 पद बैंक के प्रस्ताव संख्या 877 दि. 3.5.95 द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं। उप प्रबन्धक एवं सहायक प्रबन्धक स्तर से 10 : 10 पद सीधी भर्ती वाले एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2 पद दि. 30.12.95 को ही वार्षिक साधारण सभा की बैठक में समाप्त करने का निर्णय लेते हुए पुनः स्टॉफ स्ट्रेन्थ का निर्धारण करते हुए कुल स्वीकृत स्ट्रेन्थ 235 के स्थान पर 209 कर दी गयी है।

	पदों की संख्या
1. क्रेडिट एक्सपर्ट	8
2. उप प्रबन्धक	16
3. सहायक प्रबन्धक	12
4. लिपिक कम टाइपिस्ट	4
5. ड्राफ्टमैन	1
6. ड्राईवर	1
	42

(225)

उपरोक्त में से क्रेडिट एक्सपर्ट के 8 पद वर्ष 95-96 में समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया। शेष पदों के सम्बन्ध में भी युक्ति-युक्त निर्णय लेकर आवश्यकतानुसार पदों की संख्या का निर्धारण करने पर विचार किया जाना वांछित है।

7.4 राज्य सरकार के आदेश क्रमांक फा.02 (1) डी ओ पी/(ए-II) 85 दि. 9.7.85 के अनुसार 100 पोइन्ट रोस्टर प्रणाली जो इस बैंक पर भी लागू होती है, के अनुसार सहकारी वर्ष 1994-95 में अन्त तक अनु. जाति के प्रत्याशियों में से 8 पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति किया जाना अपेक्षित है। उसमें अभी बैकलॉग चल रहा है, जिसकी स्थिति निम्न प्रकार है :—

पदनाम	अनु. जाति	अनु. जन जाति	योग
1. सहायक प्रबन्धक	3	2	5
2. उप प्रबन्धक	1	1	2
3. लिपिक	—	—	—
4. च.श्रे. कर्मचारी	—	1	1
योग	4	4	8

7.5 स्वेच्छिक सेवा निवृति : वर्तमान ऑडिट अवधि में एक क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री के. एम. शर्मा को बैंक के सेवा नियम संख्या 23 (द) के अन्तर्गत सेवामुक्त किया गया है, इनकी सेवा मुक्ति बैंक द्वारा अपनाए गए, गोल्डन हैण्ड शेक योजनान्तर्गत की गयी है। स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति की गोल्डन हैण्ड शेक योजना सहकारी विभाग के आदेश क्रमांक 15 (26)

बैंक में पद श्रेणीवार बैकलॉग का आंकलन किया गया है। भविष्य में पदोन्नति के समय आरक्षित बैंकलॉग को पूर्ण करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

श्री के. एम. शर्मा, श्री छगनलाल शर्मा, श्री मोरल विलियम, श्री अमींलाल कसवां को स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में प्राप्त ऑडिट आक्षेप बाबत प्रशासक महोदय के प्रस्ताव संख्या 924 दि. 28.12.95 द्वारा स्वेच्छिक सेवा निवृत्त किए गए अधिकारियों के श्रेणीवार पद सरप्लस मानते हुए समाप्त कर दिए गए हैं। बैंक की साधारण सभा दि.

सविरा/बैंक-2/89 दि. 13.2.92 के द्वारा सहकारी संस्थाओं पर लागू की गयी थी जिसे इस बैंक ने प्रस्ताव संख्या 675 दि. 1.8.92 से सभी शर्तों सहित अंगीकार किया था। स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति का गोल्डन हैण्ड शेक योजना के उपरोक्त आदेशों में विहित शर्तों के अनुसार यह योजना उस वर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू होनी थी जिस वर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों के पद संस्था में सरप्लस हों तथा इन पदों को समाप्त कर भविष्य में नहीं भरे जाने का निर्णय लिया गया हो, इस योजना की शर्तों के अनुसार क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद का सरप्लस (आधिक्य) होना अनिवार्य था किन्तु वस्तु स्थिति यह है कि बैंक में क्षेत्रीय प्रबन्धक के स्वीकृत 11 पदों के विपरीत 11 क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त उप प्रबन्धकों के 36 पदों के विपरीत 20 पद ही भरे हुए हैं, यहां 16 पद रिक्त हैं। बैंक में न तो क्षेत्रीय प्रबन्धक का और न ही उप प्रबन्धक को कोई पद सरप्लस है, इस प्रकार सेवा नियम 23 (द) के अनुसार सेवा निवृत्ति तो की जा सकती थी किन्तु गोल्डन हैण्ड शेक योजना उपरोक्त कारणों से लागू नहीं होने के कारण श्री शर्मा को ग्रेच्यूइटी व बकाया अवकाश के नगद भुगतान के अतिरिक्त 1,76,934/- का विशेष परिलाभ का भुगतान किया गया वह नियम विरुद्ध है। बैंक द्वारा दि. 12.10.94 के प्रस्ताव संख्या 822 के आधार पर एक पद क्षेत्रीय प्रबन्धक का समाप्त किया गया जबकि श्री के. एम. शर्मा को दि. 31.7.94 को ही सेवा निवृत कर दिया गया किन्तु श्री के. एम. शर्मा की सेवा निवृत्ति को कवर करने के लिए। पद की समाप्त को 31.7.94 से प्रभावी माना गया। इस निर्णय को मान 30.12.95 में उक्त प्रस्ताव की पुष्टि करते हुए स्वेच्छिक सेवा निवृत्त के मामलों को नियमित कर दिया गया है। अतः इस योजनान्तर्गत दिए गए परिलाभ भी नियमित समझे जावें।

227

भी लिया जावे तो दि. 31.7.94 की स्थिति के अनुसार 11 पदों पर 11 क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यरत थे तथा एक पद कम होने के पश्चात् 10 पदों पर 10 क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यरत रह गये। इस प्रकार 31.7.94 अथवा इससे पूर्व ही कोई क्षेत्रीय प्रबन्धक सरप्लस नहीं थे। इस कारण गोल्डन हैण्ड शेक योजना इन पदों पर लागू नहीं होती थी। इस प्रकार बैंक प्रशासन द्वारा दि. 9.5.95 को जारी भुगतान आदेश नियम विरुद्ध है और बैंक की परिसम्पत्तियों को कम करने की संज्ञा में आता है।

7.6 **श्री मोरल विलियम सहायक प्रबन्धक की सेवा निवृत्ति :**

श्री मोरल विलियम, सहायक प्रबन्धक ने दि. 1.1.94 को स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति का गोल्डन हैण्ड शेंक योजना के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति के लिए आवेदन किया इनकी निजी पत्रावली के अनु.-102 एन पर बैंक के महा प्रबन्धक ने यह आदेश दिया है कि इन्हें स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति दी जा सकती है। पत्रावली प्रबन्धक संचालक को प्रस्तुत की गयी उन्होंने देय राशि की गणना करने का आदेश दिया तथा पत्रावली भुगतान की स्वीकृति देने हेतु प्रशासक को प्रस्तुत कर दी। जिस पर नोटशीट के अनु. 147/एन पर प्रशासक की स्वीकृति प्राप्त कर कार्यालय आदेश क्र. 94/33030-34 दि. 31.3.94 के द्वारा 2,39,878.50 रु. के भुगतान का आदेश जारी किया गया। इस राशि में एक्स्ग्रेशिया की राशि 1,74,266.00 भी शामिल है, जिसका भुगतान 9.5.94 को कर दिया गया। इस प्रकार 1,74,266.00 रु. का अनियमित भुगतान जान-बूझकर बैंक की परिसम्पत्तियों को कम करने की संज्ञा में आता है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सहकारी अधिनियम के

उपरोक्तानुसार

अन्तर्गत कार्यवाही अपेक्षित है। गत वर्षों में भी इसी प्रकार से 2 अधिकारियों को गोल्डन हैण्ड शेक योजनान्तर्गत सेवा निवृत्ति देकर अतिरिक्त परिलाभों का भुगतान निम्न प्रकार किया गया है।

1.	श्री अमी लाल कसवां	सहायक प्रबन्धक	31.10.92	1,21,904/-
2.	श्री छगन लाल शर्मा	उप प्रबन्धक	28.8.93	97,119/-

उपरोक्त प्रकार से अब तक कुल 4 अधिकारियों की सेवा निवृत्ति से बैंक द्वारा अतिरिक्त परिलाभों के रूप में कुल 5,70,223/-रु. का निम्न प्रकार भुगतान किया गया है :—

	नाम अधिकारी	राशि	भुगतान दिनांक
1.	श्री अमी लाल कसवां, सहायक प्रबन्धक	1,21,904.00	31.10.92
2.	श्री छगन लाल शर्मा, उप प्रबन्धक	97,119.00	28.8.93
3.	श्री मोरल विलियम, सहा. प्र.	1,74,266.00	9.5.94
4.	श्री के. एम. शर्मा, क्षे. प्र.	1,76,934.00	9.5.94
	योग	5.70,223.00	

229

230

परिशिष्ट—14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 296 का विवरण)

परिशिष्ट–"अ"

माडा कार्यक्रम

जिलेवार वित्तीय प्रगति विवरण वर्ष—1995-96

क्र.सं.	जिला	व्यय (राशि लाखों में)
1.	अलवर	32.12
2.	बारां	11.68
3.	भीलवाड़ा	21.97
4.	बूंदी	27.62
5.	चित्तौड़गढ़	53.94
6.	दौसा	44.69
7.	धौलपुर	15.30
8.	जयपुर	25.39
9.	झालावाड़	25.05
10.	कोटा	17.89
11.	पाली	17.38
12.	राजसमंद	13.82
13.	सवाई माधोपुर	75.71
14.	सिरोही	18.65
15.	टोंक	13.80
16.	उदयपुर	47.01
	योग	462.0[illegible]

231

परिशिष्ट–15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 298 की सूची)

परिशिष्ट–"क"

महालेखाकार, राज. जयपुर द्वारा अभिकरणों के अंकेक्षण की स्थिति दिनांक 15.1.97 तक

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	वर्ष जहां तक अंकेक्षण हो चुका है
1.	अजमेर	1988-89 से 90-91 तक
2.	अलवर	1990-91 से 93-94 तक
3.	बाड़मेर	1993-94 से 94-95 तक
4.	बांसवाड़ा	1990-91 से 94-95 तक
5.	बीकानेर	1987-88 से 92-93 तक
6.	बूंदी	1991-92 से 93-94 तक
7.	भरतपुर	1992-93 से 94-95 तक
8.	भीलवाड़ा	1991-92 से 93-94 तक
9.	बारां	1991-92 से 93-94 तक
10.	चित्तौड़गढ़	1991-92 से 93-94 तक
11.	चूरू	1989-90 से 93-94 तक
12.	डूंगरपुर	1989-90 से 92-93 तक
13.	धौलपुर	1991-92 से 93-94 तक
14.	दौसा	1991-92 से 92-93 तक
15.	श्रीगंगानगर	1990-91 से 93-94 तक
16.	जयपुर	1992-93 से 94-95 तक
17.	झालावाड़	1990-91 से 92-93 तक
18.	जालौर	1991-92 से 93-94 तक
19.	जौधपुर	1989-90 से 93-94 तक
20.	जैसलमेर	1989-90 से 92-93 तक
21.	झुन्झुनूं	1993-94 से 94-95 तक
22.	कोटा	1992-93 से 93-94 तक
23.	नागौर	93-94 तक
24.	पाली	1991-92 से 94-95 तक
25.	सीकर	1991-92 से 92-93 तक
26.	सिरोही	1991-92 से 94-95 तक
27.	सवाई माधोपुर	1989-90 से 90-91 तक
28.	टौंक	1991-92 से 94-95 तक
29.	उदयपुर	1993-94 से 94-95 तक
30.	हनुमानगढ़	अभी तक नहीं हुई है।
31.	राजसमन्द	अभी तक नहीं हुई है।

232

परिशिष्ट—"ख"

समेकित सी. ए. ऑडिट रिपोर्ट की नवीनतम स्थिति दिनांक 15.1.97 तक

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	वर्ष तक	पूर्ण/बकाया
1	2	3	4
1.	अजमेर	92-93	पूर्ण
2.	अलवर	93-94	पूर्ण
3.	बांसवाड़ा	92-93	पूर्ण
4.	बारां	91-92 से	बकाया
5.	भरतपुर	95-96	पूर्ण
6.	बीकानेर	88-89	पूर्ण
7.	बाड़मेर	89-90	पूर्ण
8.	भीलवाड़ा	95-96	पूर्ण
9.	बूंदी	95-96	पूर्ण
10.	चित्तौड़गढ़	95-96	पूर्ण
11.	चूरू	88-89	पूर्ण
12.	दौसा	93-94	पूर्ण
13.	डूंगरपुर	95-96	पूर्ण
14.	धौलपुर	95-96	पूर्ण
15.	हनुमानगढ़	95-96	पूर्ण
16.	जयपुर	95-96	पूर्ण
17.	जालौर	93-94	पूर्ण
18.	जैसलमेर	94-95	पूर्ण
19.	जोधपुर	89-90	पूर्ण
20.	झालावाड़	95-96	पूर्ण
21.	झुन्झुनूं	94-95	पूर्ण
22.	कोटा	95-96	पूर्ण
23.	नागौर	88-89	पूर्ण
24.	पाली	92-93	पूर्ण
25.	राजसमन्द	92-93	पूर्ण
26.	सीकर	93-94	पूर्ण
27.	सवाई माधोपुर	94-95	पूर्ण
28.	सिरोही	95-96	पूर्ण
29.	टौंक	95-96	पूर्ण
30.	श्री गंगानगर	88-89	पूर्ण
31.	उदयपुर	95-96	पूर्ण

233

परिशिष्ट—"ग"

विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग के आन्तरिक जांच दलों द्वारा अभिकरणों के किए गए अंकेक्षणों की स्थिति।

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	ऑडिट अब तक की स्थिति
1	2	3
1.	सवाई माधोपुर	92-93 तक
2.	टौंक	92-93 तक
3.	धौलपुर	92-93 तक
4.	बूंदी	92-93 तक
5.	दौसा	92-93
6.	राजसमन्द	91-92
7.	सीकर	92-93
8.	अलवर	91-92
9.	उदयपुर	91-92
10.	झालावाड़	92-93
11.	जोधपुर	6/92 तक
12.	पाली	91-92
13.	जालौर	89-90
14.	भरतपुर	92-93
15.	बारां	92-93
16.	अजमेर	92-93
17.	सिरोही	92-93
18.	डूंगरपुर	91-92
19.	बांसवाड़ा	92-93
20.	नागौर	92-93
21.	जैसलमेर	91-92
22.	बाड़मेर	92-93
23.	बीकानेर	91-92
24.	भीलवाड़ा	91-92
25.	चूरू	92-93
26.	चित्तौड़गढ़	91-92
27.	झुन्झुनूं	92-93
28.	श्रीगंगानगर	92-93
29.	जयपुर	93-94
30.	कोटा	92-93
31.	हनुमानगढ़	94-95

परिशिष्ट–16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 299 का विवरण)

परिशिष्ट–"अ"

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चूरू

विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू में "30 जिला 30 काम" योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण

वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1992-93	1. राजकीय चिकित्सालय के पश्चिमी ताल तक सड़क मय नाली निर्माण कार्य, श्रीडूंगरगढ़	2.00 लाख
	2. मुख्य बाजार (छगनलाल तापड़िया) से भैंरूजी मन्दिर तक सड़क व नाली निर्माण, श्रीडूंगरगढ़	2.25 लाख
	3. सागर मल डागा (स्टेशन रोड) से रैगर बस्ती (गंगाजी के मन्दिर) तक सड़क मय नाली, नाली का कार्य, श्री डूंगरगढ़	2.55 लाख
	4. हाई स्कूल रोड़ नालों किसनजी पुगलिया से ड्रेनेज नाले तक नाली निर्माण कार्य, श्रीडूंगरगढ़	1.00 लाख
	5. दड़ीबी में पानी की टंकी से बीदासर रोड (वाया रूपाराम की हवेली) तक सड़क निर्माण, बीदासर	2.00 लाख
	6. श्री रामदेवजी मन्दिर से भीखमचन्द सेठिया की हवेली तक सड़क निर्माण कार्य, बीदासर	0.20 लाख
1993-94	1. बच्छराज पारख से दक्षिण, हरिजन बस्ती तक सड़क निर्माण कार्य, मोमासर बास श्रीडूंगरगढ़	1.38 लाख
	2. सड़क निर्माण माहेश्वरी भवन से पश्चिमी वाया नेहरू पार्क होते हुए मोहनलालजी झंवर के मकान तक, कालूबास श्रीडूंगरगढ़	0.645 लाख
	3. मोहनलाल जी झंवर के मकान से उत्तर वाया रामेश्वर पारीक होते हुए इमरताराम नाई के घर तक सड़क निर्माण कार्य, श्री डूंगरगढ़	2.55 लाख
	4. टयूब वैल (नलकूप) निर्माण ग्राम धर्माश	5.00 लाख

1	2	3
	5. ट्यूब वैल (नलकूप) निर्माण ग्राम पुनरासर	5.00 लाख
1994-95	1. ताराचन्द नन्दलाल माली से सुरजमल बाहेती तक खुर्रा निर्माण, श्री डूंगरगढ़	0.995 लाख
	2. नेमचन्द सोनी से तुलछीराम सुथार के घर तक सड़क मय नाली निर्माण, श्रीडूंगरगढ़	0.865 लाख
	3. नोरतमल सुनार से शोभाचन्द के घर तक खुर्रा निर्माण, श्रीडूंगरगढ़	1.095 लाख
	4. आशाराम झंवर कुआ से भंवरलाल गोलछा तक सड़क निर्माण, श्रीडूंगरगढ़	2.182 लाख
	5. तोलाराम मारू से चम्पालाल सिन्धी तक सड़क निर्माण, श्रीडूंगरगढ़	1.868 लाख
	6. जेठमल बरड़िया के घर से नगरपालिका भवन तक सड़क निर्माण कार्य, बीदासर	1.48 लाख
	7. राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं.11 से पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ कार्यालय तक सड़क का डामरीकरण कार्य, श्रीडूंगरगढ़	0.885 लाख
1995-96	1. नागरमल तंवर के घर से मोहनलाल सेठिया एवं गजानन्द के घर तक ईटों की सड़क मय नाली निर्माण कार्य, श्रीडूंगरगढ़	0.74 लाख
	2. सड़क मय नाली निर्माण सोनियों के घर से झंवरों के मन्दिर तक, श्रीडूंगरगढ़	1.54 लाख
	3. अगवानी मन्दिर से माहेश्वरी भवन तक सड़क निर्माण, श्रीडूंगरगढ़	1.35 लाख
	4. हनुमानमल मालू से भूरामल सोमानी तक सड़क मय नाली निर्माण, श्रीडूंगरगढ़	0.80 लाख
	5. किसनलाल पाण्डिया से सीताराम चाण्डक तक सड़क निर्माण कार्य, श्रीडूंगरगढ़	2.92 लाख
	6. नाली निर्माण हरूमल सिन्धी से नेशनल हाईवे वाया धर्मदास सिन्धी व मोडूमल से धर्मदास सिन्धी तक श्रीडूंगरगढ़	0.78 लाख

1	2	3
	7. ईंटों की सड़क निर्माण कार्य सुरजमल सुथार के घर से सुरजमल के नोहरे तक वाया डालजी सुथार के घर तक, श्रीडूंगरगढ़	3.39 लाख
	8. श्रीसबल जी कोटड़ी से मो. हुसैन के घर तक सड़क निर्माण कार्य, बीदासर	1.54 लाख
	9. गंगा माई के मन्दिर से मो. छिम्पा के घर तक सड़क निर्माण, श्रीडूंगरगढ़	0.74 लाख
	10. श्री टीकूराम खाती के घर से उत्तर पूर्व ढ़ढेरू रोड वाया किसनसिंह खोसला बावरी चौक तक सड़क निर्माण, बीदासर	1.21 लाख
	11. चैनाराम सांवरमल (पी.डब्ल्यू. डी. रोड) से पश्चिम की तरफ गोगामेड़ी होती हुई टीकूराम सैनी के घर तक सड़क निर्माण, बीदासर	1.00 लाख
	12. मांगीलाल नावरिया से पश्चिमी वाया नन्दलाल उपाध्याय के घर से पी. डब्ल्यू. डी. रेस्ट हाऊस तक सड़क निर्माण, बीदासर	1.135 लाख
	कुल स्वीकृत कार्य 30	51.09 लाख
वर्ष 1996-97		
	1. ट्यूब वैल निर्माण, ग्राम ठुकरियासर	5.00 लाख
	2. ट्यूब वैल निर्माण, ग्राम जालबसर	5.00 लाख
		10.00 लाख

वर्ष 1992-93 से 96-97 तक कुल स्वीकृत कार्यों की संख्या	32 कार्य
वर्ष 1992-93 से 96-97 तक कुल स्वीकृत राशि (लाख रुपये)	61.09 लाख

ह/-

अति. कलेक्टर (विकास)

चूरू।

(237)

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चूरू   परिशिष्ट–"ब"

विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में "तीस जिलों तीस काम" योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों में पूर्ण कार्यों का विवरण वर्ष 1992-93 से 1995-96 तक

क्र.सं.	कार्य का नाम मय स्थान
1.	राजकीय चिकित्सालय से पश्चिम ताल तक सड़क मय नाली, श्रीडूंगरगढ़
2.	मुख्य बाजार (छगनलाल तापड़िया) से भैंरूजी मन्दिर तक सड़क व नाली निर्माण, श्रीडूंगरगढ़
3.	सागरमल डागा (स्टेशन रोड) से रेगर बस्ती (गंगाजी के मन्दिर) तक सड़क मय नाली निर्माण, श्रीडूंगरगढ़
4.	हाईस्कूल रोड़ नाली किसनजी पुगलिया से ड्रेनेज नाले तक नाली, श्रीडूंगरगढ़
5.	दड़ीबा में पानी की टंकी से बीदासर रोड (वाया रूपाराम की हवेली) तक सड़क निर्माण, बीदासर
6.	श्री रामदेवजी मन्दिर से भीखमचन्द सेठिया की हवेली तक सड़क, बीदासर
7.	बच्छराज पारख से दक्षिण हरिजन बस्ती तक सड़क निर्माण, मोमासर वास, श्रीडूंगरगढ़
8.	सड़क निर्माण माहेश्वरी भवन से पश्चिम वाया नेहरू पार्क होते हुए मोहनजी झंवर के मकान तक, कालुबास श्रीडूंगरगढ़
9.	मोहनजी झंवर के मकान से उत्तर वाया रामेश्वर पारीक होते हुए इमरताराम नाई के घर तक सड़क निर्माण, श्रीडूंगरगढ़
10.	ट्यूब वैल (नलकूप) निर्माण (कन्टीन्जेन्सी प्लान), ग्राम धर्मांश
11.	ट्यूब वैल (नलकूप) निर्माण (कन्टीन्जेन्सी प्लान, 1995, ग्राम पुनरासर)
12.	ताराचन्द नन्दलाल माली से सुरजमल बाहेती तक खुर्रा निर्माण, श्रीडूंगरगढ़
13.	नेमचन्द सोनी से तुलछीराम सुथार के घर तक सड़क मय नाली, श्रीडूंगरगढ़
14.	नोरतमल सुनार से शोभाचन्द के घर तक खुर्रा निर्माण, श्रीडूंगरगढ़
15.	आशाराम झंवर कुआ से भंवरलाल गोलछा तक सड़क निर्माण, श्रीडूंगरगढ़
16.	तोलाराम मरू से चम्पालाल सिन्धी तक सड़क/खुर्रा निर्माण, श्रीडूंगरगढ़
17.	नागरमल तंवर के घर से मोहनलाल सेठिया एवं गजानन्द के घर तक ईटों का सड़क निर्माण मय नाली, श्रीडूंगरगढ़
18.	सड़क मय नाली सोनियों के घर से झंवरों के मन्दिर तक, श्रीडूंगरगढ़
19.	अगवानी मन्दिर से माहेश्वरी भवन तक सड़क निर्माण, श्रीडूंगरगढ़
20.	किशनलाल पाण्डिया से सीताराम चाण्डक तक सड़क निर्माण, श्रीडूंगरगढ़
21.	नाली निर्माण हरूमल सिन्धी से नेशनल हाईवे वाया धर्मदास सिन्धी व मोडमल से धर्मदास सिन्धी तक, श्री डूंगरगढ़
22.	ईटों की सड़क निर्माण सुरजमल सुथार के घर से सुरजमल के नोहरे तक वाया डालजी सुथार, श्रीडूंगरगढ़
23.	श्री सबजली कोटड़ी से मो. हुसैन के घर तक सड़क निर्माण, बीदासर
24.	गंगा माई के मन्दिर से मो. छिम्पा के घर तक सड़क निर्माण, बीदासर
25.	चैनाराम सांवरमल (पी. डब्ल्यू. डी. रोड) से पश्चिम की तरफ गोगामेड़ी होती हुई टीकूराम सैनी के घर तक सड़क निर्माण, बीदासर

परिशिष्ट—"स"

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चूरू

विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में "तीस जिला तीस काम" योजनान्तर्गत अपूर्ण/अधूरे कार्यों का विवरण (वर्ष 1992-93 से वर्ष 1995-96 तक)

क्र.सं.	कार्य का नाम मय स्थान	अधूरे रहने का कार्य
1.	जेठमल बरड़िया के घर से नगरपालिका भवन तक सड़क निर्माण, बीदासर	डामर के अभाव में
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 से पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ कार्यालय तक सड़क का डामरीकरण कार्य, श्रीडूंगरगढ़	" "
3.	श्री टीकूराम खाती के घर से उत्तर पूर्व ढेढरू रोड वाया किसनजी खोसला बावरी चौक तक सड़क निर्माण कार्य, बीदासर।	" "
4.	मांगीलाल नवारिया से पश्चिमी वाया नन्दलाल उपाध्याय के घर से पी. डब्ल्यू. डी. रेस्ट हाउस तक सड़क निर्माण, बीदासर	" "
5.	हनुमानमल मालू से भूरामल सोमानी तक सड़क मय नाली निर्माण, श्रीडूंगरगढ़	जनसहयोग की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण

वर्ष 96-97 के स्वीकृत कार्य

1.	ट्यूब वैल (नलकूप) निर्माण, ठुकरियासर	कार्य अभी 12/2/97 को स्वीकृत किय गये हैं। जो शीघ्र शुरू करवा कर माह जुलाई, 97 में पूर्ण करवा दिये जावेंगे।
2.	ट्यूब वैल (नलकूप) निर्माण, जालनसर	

ह/-
अति. कलेक्टर (विकास)
चूरू।